त्रयोदश माला, खंड 16, अंक 26

FOR REF[illegible] ONLY.
NOT TO B[illegible] ISSUED

शुक्रवार, 20 अप्रैल, 2001
30 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D.....51.....
Date.....11/10/01.....

(खण्ड 16 में अंक 22 से 31 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डॉ० राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 26, शुक्रवार, 20 अप्रैल, 2001/30 चैत्र, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	481, 482, 486 और 489	3-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	483 से 485, 487, 488 और 490 से 500	32-52
अतारांकित प्रश्न संख्या	5025 से 5242	52-349
नये आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के बारे में दिनांक 18 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4025 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण.		349
सभा पटल पर रखे गए पत्र		350-357
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन		357
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति		
दसवां और ग्यारवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		358
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति		
इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन		358
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति		
अठासीवां और नवासीवां प्रतिवेदन		359
सभा का कार्य		359
कार्य मंत्रणा समिति		
बीसवां प्रतिवेदन		361
रेल बजट, 2001-2002—अनुदानों की मांगें		366
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक-2001		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री नीतीश कुमार		368
खंड 2, 3 और 1		369
पारित करने के लिए प्रस्ताव		370

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, 20 अप्रैल, 2001/30 चैत्र, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व सम्मानित सहयोगी श्री पी॰ कोलन्दईवेलु के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री पी॰ कोलन्दईवेलु 1984 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने तमिलनाडु के गोबीचेट्टीपलायम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व श्री कोलन्दईवेलु 1977 से 1980 और 1980 से 1984 तक तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 1977 से 1980 तक तमिलनाडु में कृषि और सिंचाई मंत्री तथा 1980 से 1984 तक ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन मंत्री के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य किया।

एक सक्रिय संसदविद्, श्री कोलन्दईवेलु ने अनेक संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया और वे 1989-90 के दौरान लोक लेखा समिति के सभापति भी रहे।

एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्री कोलन्दईवेलु, भूदान आन्दोलन से जुड़े रहे।

पेशे से वकील श्री कोलन्दईवेलु 1993 से 95 तक नई दिल्ली में तमिलनाडु के विशेष प्रतिनिधि भी रहे।

श्री पी॰ कोलन्दईवेलु का निधन 63 वर्ष की आयु में 12 अप्रैल, 2001 को पोल्लाची, कोयम्बटूर में एक सड़क दुर्घटना में हुआ ।

हम अपने इस सम्मानित मित्र के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान स्वरूप थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, बंगलादेश ने हिन्दुस्तान के ऊपर हमला किया है।...*(व्यवधान)* सरकार की ओर से कोई निवेदन नहीं है। सरकार की तरफ से निवेदन होना चाहिए।...*(व्यवधान)* पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं।... *(व्यवधान)* ये लोग तहलका-तहलका हंगामा मचा रहे हैं।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, आप इसे प्रश्न काल के बाद उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैंने दो दिन पहले भी यह मामला उठाया था। .*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी प्रश्न काल स्थगित करने हेतु एक सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय ने इसे नामंजूर कर दिया है। प्रश्न काल चलने दें, आप इसे बाद में अपना मामला उठा सकते हैं।

अब प्रश्न सं॰ 481, श्री मानसिंह पटेल उपस्थित नहीं हैं। श्री शिवाजी माने।

[हिन्दी]

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने नोटिस दिया है। बंगलादेश में हमारे जवान मारे जा रहे हैं।.. *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस स्पीकर साहब ने डिसऐलाऊ कर दिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्वश्चन आवर होने के बाद जीरो आवर में बोलिए। इस पर स्पीकर साहब का डिसीजन हो गया है, मैं आपको एलाऊ नहीं करूंगा।

डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह : शून्यकाल में तो हम जे.पी.सी. का मामला उठाएंगे ।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : शून्यकाल में आपको अवसर मिलेगा।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

स्टाक एक्सचेंज को नियंत्रित करने हेतु नये दिशानिर्देश

*481. श्री शिवाजी माने :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या शेयर बाजार में आने वाली अचानक मंदी और मुंबई तथा कलकत्ता स्टाक एक्सचेंजों में भुगतान संकट की स्थिति को देखते हुए, सेबी ने स्टाक एक्सचेंजों को नियंत्रित करने और तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए उक्त दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों से शेयर बाजार में कोई सकारात्मक परिणाम निकले हैं और ये उपाय पिछले उपायों से किस प्रकार भिन्न हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सेबी द्वारा आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि शेयर बाजारों की सुरक्षा तथा निपटानों की सामयिक पूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेबी ने अनेक उपाय किए हैं जो नीचे दिए गए हैं

— संशोधित अग्रेनीत प्रणाली (एमसीएफएस)/स्वचलित उधार लेने और देने का तंत्र (एएलबीएम) तथा उधार तथा देने की प्रतिभूति योजना (ब्लैस) में सभी स्क्रिपों पर दिनांत निवल बकाया बिक्री स्थिति पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन लगाया जाएगा। 12 मार्च, 2001 से इसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया था।

— निवेशकों की किसी श्रेणी पर अस्थिरता मार्जिन की प्रयोज्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी तथा अस्थिरता मार्जिन वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा म्यूचुअल फंडों की बिक्री स्थिति पर प्रयोज्य होंगे जिन्हें अभी तक किसी मार्जिन के अध्यधीन नहीं लाया गया था।

— अस्थिरता मार्जिनों के लिए आरंभिक सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दी गई ताकि अस्थिरता मार्जिन के दायरे में अधिक स्क्रिपों को लाया जा सके।

— 8 मार्च, 2001 से प्रभावी सभी बिक्री लेने-देन सुपुर्दगी द्वारा अनुसमर्थित होंगे जब तक कि उसी या किसी अन्य एक्सचेंज में उसी क्लायंट के नाम में बिक्री लेने-देन से पूर्व कम से कम समकक्ष राशि का क्रय न किया गया हो। सदस्यों द्वारा स्वामित्व कारोबार पर भी यह प्रयोज्य होगा। ऐसा स्व-प्रमाणन आधार पर किया जाएगा तथा उप-दलाल तथा क्लायंट स्तर पर एक्सचेंज के ऑफ-साईट निरीक्षण के अध्यधीन होगा। प्रमाणन को सुकर बनाने के लिए एक्सचेंज सूचना का आदान-प्रदान करेंगे। यह एमसीएफएस, एएलबीएम तथा ब्लैस एवं अन्य आस्थगित (डेफरल) उत्पादों की स्क्रिपों पर प्रयोज्य होगा।

— मौजूदा मार्जिनिंग प्रणाली एक जुलाई, 2001 से बार स्क्रिप-बार माडल में बदल दी जाएगी ।

— मुंबई स्टाक एक्सचेंज/राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज को छोड़कर किसी स्टाक एक्सचेंज के किसी सदस्य की दलालवार दिनांत बकाया स्थिति 12 मार्च, 2001 से 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। मुंबई स्टाक एक्सचेंज तथा राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज के व्यापार तथा निपटान गारंटी कोष के आकार के मद्देनजर उन्हें इस शर्त के दायरे से बाहर रखा गया है।

— स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए सकल देनदारी (एक्सपोजर) सीमा एनएसई के मामले में 12 मार्च, 2001 से घटाकर आधार पूंजी तथा अतिरिक्त आधार पूंजी की दस गुणा तथा अन्य स्टाक एक्सचेंजों के लिए 15 गुणा कर दी गई।

— संबंधित सदस्य को चूककर्ता घोषित करने से पूर्व, निपटान में सदस्यों द्वारा निधि देयताओं की अनापूर्ति/आंशिक पूर्ति की वजह से हुई कमियों को पूरा करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों को उनके द्वारा अनुरक्षित निपटान गारंटी कोष का उपयोग करने की अनुमति दी गई। यह एनएसई द्वारा अनुपालन की जा रही प्रथा के समनुरूप है तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार भी है।

आखिरी फरवरी तथा शुरुआती मार्च, 2001 के दौरान मूल्य उतार-चढ़ाव के संदर्भ में कतिपय कंपनियों द्वारा मूल्य अन्वेषण के विरूपण की संभावना की आशंकाएं थी। कतिपय स्क्रिपों की मूल्य हेराफेरी

में, केतन पारेख समूह से संबंधित कंपनियों की प्रथम दृष्टया संलिप्तता के संकेत मिलने पर, सेबी ने इन कंपनियों को दलाल अथवा मर्चेंट बैंककार, किसी भी रूप में मध्यवर्तियों के तौर पर नए कारोबार क्रियाकलाप करने से 4 अप्रैल तथा 11 अप्रैल को वंचित कर दिया है। तदनंतर, बाजार हेराफेरी की प्रारंभिक जांच के अनुसरण में 18 अप्रैल, 2001 को सेबी ने निर्मल बैग ग्रुप, शंकर शर्मा एवं देविना मेहता ग्रुप तथा क्रेडिट सुस्से फर्स्ट बोस्टन (आई) सेक्युरिटिज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कुछ कंपनियों को भी दलालों/उप-दलालों के रूप में अथवा बैंककारों के तौर पर मध्यवर्तियों के रूप में, नए कारोबार कार्यकलाप करने से मना कर दिया है। अपंजीकृत उप-दलाल पालोम्बे सेक्युरिटीज प्रा. लि. को प्रतिभूति बाजार कार्य करने से मना किया गया है।

(ग) और (घ) सेबी के अनुसार, सेबी द्वारा ऊपर उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सभी स्टाक एक्सचेंजों में हाल में हुए निपटानों के पे-इन तथा पे-आउट समय पर हुए हैं। इसके अतिरिक्त, शेयर बाजारों में संस्थानात्मक प्रक्रमों तथा कारोबार प्रथाओं में सुधार के लिए सरकार ने निम्नांकित उपायों की घोषणा की है :-

1. स्टाक एक्सचेंजों को परस्परीकरण रहित करना जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन और कारोबार सदस्यता को एक-दूसरे से अलग किया जाएगा। इससे–

   – एक्सचेंजों के प्रबंध को और पेशेवर करने तथा हितों के टकराव को समाप्त करने;

   – कंपनी अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन में सुधार करने; और

   – एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण तथा बेहतर निवेशक सेवा प्रदान करने के लिए बाजार से निधियां जुटाने की स्टाक एक्सचेंजों की क्षमता का संवर्धन करने में मदद मिलेगी ।

2. जुलाई, 2001 तक संशोधित अग्रेनीत योजना में श्रेणी 'ए' के 200 स्टाकों, स्वचलित ऋण देने तथा उधार लेने के तंत्र और उधार लेने और देने की प्रतिभूति योजना को चल निपटान के अन्तर्गत शामिल करना।

इसके अनुसरण में सेबी ने सभी स्टाक एक्सचेंजों को निम्नांकित निर्देश दिए हैं :-

   – किसी स्टाक एक्सचेंज में एएलबीएम/ब्लैस/एमसीएफएस के अन्तर्गत शामिल सभी स्क्रिपों में 2 जुलाई, 2001 से राष्ट्रव्यापी आधार पर अर्थात् सभी स्टाक एक्सचेंजों में अनिवार्य रूप से केवल चल निपटान के अन्तर्गत कारोबार किया जाएगा ।

   – इसके अतिरिक्त अगर कोई स्क्रिप बीएसई 200 सूची में शामिल है, लेकिन उपर्युक्त सूची में नहीं है, तो उसे भी राष्ट्रव्यापी आधार पर अनिवार्य रूप से चल निपटान के अन्तर्गत लाया जाएगा ।

   – अगर स्टाक एक्सचेंज अपने एक्सचेंजों में ऑन-स्पॉट आधार से भिन्न किसी रूप में स्क्रिपों का कारोबार करना चाहते हैं, तो स्टाक एक्सचेंजों को इसके लिए 2 जुलाई, 2001 से पहले सॉफ्टवेयर विकसित करना (अगर आवश्यक है), उपयुक्त अवसंरचना का सृजन करना होगा ।

3. सेबी को समुचित रूप से सशक्त बनाने के लिए सेबी अधिनियम, 1992 में विधायी परिवर्तनों का प्रस्ताव।

शेयर बाजार में अचानक मंदी

+

*486. **श्री रघुनाथ झा :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में शेयर बाजार में अचानक मंदी आ गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टाक एक्सचेंज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अचानक मंदी के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा कराई गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयकर विभाग राजस्व आसूचना, प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों ने देश के विभिन्न भागों में अनके शेयर दलालों में आवासों पर छापे मारे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इन शेयर दलालों से बरामद किए गए दस्तावेजों, आभूषणों, संपत्ति के लेन-देन आदि का शेयर दलाल-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने स्टाक एक्सचेंजों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए अनेक उपाय अमल में लाना शुरू किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) 27 फरवरी, 2001 को अर्थात् बजट-पूर्व, बीएसई सूचकांक 4069.68 पर, एनएसई निफ्टी 1295.55 पर तथा सीएसई फिफ्टी सूचकांक 128.94 पर बंद हुआ। तत्पश्चात्, बीएसई सेंसेक्स, एनएसई निफ्टी तथा सीएसई फिफ्टी का उतार-चढ़ाव निम्नानुसार था :-

तिथि	संवेदी सूचकांक बंद मूल्य	एनएसई निफ्टी बंद मूल्य	सीएसई सूचकांक बंद मूल्य
27 फरवरी, 01	4069.68	1295.55	128.94
28 फरवरी, 01	4247.04	1351.40	132.95
01 मार्च, 01	4271.65	1358.05	137.05
02 मार्च, 01	4095.16	1306.35	133.92
05 मार्च, 01	3998.12	1271.45	130.50
07 मार्च, 01	4046.89	1290.50	130.61
08 मार्च, 01	4056.94	1292.85	132.03
09 मार्च, 01	3881.96	1254.75	129.40
12 मार्च, 01	3767.89	1197.95	125.23
13 मार्च, 01	3540.65	1124.70	117.60

जैसा कि स्पष्ट है कि 2.3.2001 को अत्यधिक गिरावट आई तथा उसके बाद गिरावट का रूझान जारी रहा ।

(ग) आखिरी फरवरी के तथा शुरूआती मार्च में बाजार उतार-चढ़ाव के संदर्भ में, कतिपय कंपनियों द्वारा स्टाक मूल्य हेराफेरी के बारे में आशंकाएं थीं। सेबी ने 15 अप्रैल, 2001 को वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सूचित किया है कि निम्नलिखित दलालों के कारोबारी तथा आवासीय परिसरों पर दिनांक 23.3.2001 को तलाशी की कार्रवाई की गई :-

1. केतन पारेख
2. निर्मल बेंग
3. आनंद राठी
4. राकेश झुनझुनवाला
5. शंकर शर्मा
6. आर.एस. दमानी

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप जब्ती का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

बिना कैफियत के मिला धन

केतन पारेख 0.60 लाख रुपए

राकेश झुनझुनवाला 9.50 लाख रुपए

आर.एस. दमानी 3.00 लाख रुपए

जेवरात

आनंद राठी 6.38 लाख रुपए

अन्य परिसंपत्तियां : शेयर

आनंद राठी 14.77 लाख रुपए

उपर्युक्त के अलावा, कुछ अभिशांसी दस्तावेज भी जब्त किए गए।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सूचित किया है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी बैंक आफ इंडिया, मुंबई से मिली एक विशेष शिकायत के आधार पर, माधवपुरा मर्सेन्टाइल कोऑपरेटिव बैंक लि० मांडवी शाखा, मुंबई के पे-आर्डर के इस्तेमाल द्वारा बैंक आफ इंडिया, स्टाक एक्सचेंज शाखा मुंबई से 137 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए केतन पारेख तथा 10 अन्य के विरुद्ध मामला आर.सी.3/ई/2001-बीएसएफसी/एमयूएम दर्ज किया गया। मुंबई में केतन पारेख तथा एसोसियेट फर्मों के कार्यालय तथा आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई। मामले में जुड़े अनेक अभिशंसी दस्तावेज जब्त किए गए। कोई नकदी अथवा जेवरात जब्त नहीं किए गए।

(च) और (छ) शेयर बाजारों में संस्थानात्मक प्रक्रमों तथा कारोबार प्रथाओं में सुधार के लिए सरकार ने निम्नांकित उपायों की घोषणा की है :-

1. स्टाक एक्सचेंजों को परस्परीकरण रहित करना जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन और कारोबार सदस्यता को एक-दूसरे से अलग किया जाएगा। इससे–
   - एक्सचेंजों के प्रबंध को और पेशेवर करने तथा हितों के टकराव को समाप्त करने;
   - कंपनी अभिशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन में सुधार करने; और
   - एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण तथा बेहतर निवेशक सेवा प्रदान करने के लिए बाजार से निधियां जुटाने के स्टाक एक्सचेंजों की क्षमता का संवर्धन करने में मदद मिलेगी।
2. जुलाई, 2001 तक संशोधित अग्रेनीत योजना में श्रेणी 'ए' के 200 स्टाकों, स्वचलित ऋण देने तथा उधार लेने के तंत्र और उधार लेने और देने की प्रतिभूति योजना को चल निपटान के अन्तर्गत शामिल करना ।

इसके अनुसरण में सेबी ने सभी स्टाक एक्सचेंजों को निम्नांकित निर्देश दिए हैं :-

- किसी स्टाक एक्सचेंज में एएलबीएम/ब्लैस/एमसीएफएस के अन्तर्गत शामिल सभी स्क्रिपों में 2 जुलाई, 2001 से राष्ट्र-व्यापी आधार पर अर्थात् सभी स्टाक एक्सचेंजों में अनिवार्य रूप से केवल चल निपटान के अन्तर्गत कारोबार किया जाएगा ।

- इसके अतिरिक्त, अगर कोई स्क्रिप बीएसई 200 सूची में शामिल है, लेकिन उपर्युक्त सूची में नहीं है, तो उसे भी राष्ट्रव्यापी आधार पर अनिवार्य रूप से चल निपटान के अन्तर्गत लाया जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं॰ 481 तथा 486 एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। श्री रघुनाथ झा ने समान प्रकार का प्रश्न पूछा है। इसलिए मैं दोनों प्रश्नों को एक साथ मिला रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शिवाजी माने : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि के-10 शेयर्स, यानी केतन पारिख की जो 10 फेवरिट कम्पनियां थीं, उनमें यू.टी.आई. का कितना इन्वेस्टमेंट था और जब शेयर्स में यू.टी.आई. ने परचेज की थी, वह कितने करोड़ रुपये की थी? मेरी जानकारी के मुताबिक 3200 करोड़ रुपये की उसकी लागत थी और आज मार्केट क्रैश होने के बाद इन शेयर्स की वैल्यू 1600 करोड़ रुपये है, यह जानकारी सही है क्या? यह जो इन्वेस्टमेंट और लॉस यू.टी.आई. को हुआ है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इनके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार करने जा रही है?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जो के-10 शेयर्स की बात माननीय सदस्य ने कही है, वह सही है कि यू.टी.आई. ने लगभग 4368 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट इन शेयरों में किया है, जिसकी वैल्यू, चूंकि इन शेयर्स का मार्केट कैप नीचे हुआ है तो वह कैप घटा है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट जैसे ऊपर नीचे होता है, वैसे इन कैप्स की जो शेयर वैल्यू है, वह ऊपर नीचे होती है और किसी एक दिन को उस पर निर्धारित करना, मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। हम लोगों को साल भर में जो यू.टी.आई. का बिजनेस हुआ है, उसको देखकर तय करना पड़ेगा कि उन्होंने मुनाफा कमाया या उन्हें घाटा हुआ और यू.टी.आई. का वर्ष समाप्त होता है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें जवाब देने दीजिए। यह क्या है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप लगातार टिप्पणी मत कीजिए। वे जवाब दे रहे हैं, आप पहले उनका जवाब सुनिये। आप पहले जवाब सुन लीजिए ।

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यू.टी.आई. का वर्ष 30 जून को समाप्त होगा और 30 जून को साल भर का उनका एकाउण्ट सामने आयेगा, उससे पता चलेगा कि इस धन्धे में उनको मुनाफा हुआ या घाटा हुआ ।

श्री शिवाजी माने : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दूसरा सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। 1991 में सेबी की स्थापना हो गई और उसके बाद हर्षद मेहता काण्ड हुआ, लेकिन आज तक हर्षद मेहता को कोई सजा नहीं हुई। बाहरी देशों में हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, वे छः महीने के अन्दर डिस्पोज ऑफ होते हैं। हमारे यहां 10 साल हो गये हैं, ये फाइनेंशियल गुनहगार हैं, लेकिन उनको आज तक कोई सजा नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये मैटर्स जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करने के लिए सरकार उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए कानूनी प्रावधान में कोई संशोधन करने जा रही है या नहीं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, जो 1992 का स्कैम हुआ था, उसमें एक केस को छोड़कर बाकी सारे 74 केसेज में चार्टशीट दाखिल हो चुकी हैं या उस पर दूसरे प्रकार की कार्रवाई हो गई है। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हैं, ये सारे मामले स्पेशल कोर्ट्स के विचाराधीन हैं। तीन मामलों में कन्विक्शन हुआ है, जो अपील में पैंडिंग है और इसलिए चूंकि यह अब कोर्ट कचहरी का मामला है, हम अपनी तरफ से उसमें पूरा जोर लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला हो, लेकिन चूंकि यह न्यायालय में लम्बित हैं, हम इसमें इतना ही कर सकते हैं।

श्री किरीट सोमैया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से शेयर्स के भाव बढ़ाए गए थे, एक रुपए के शेयर की प्राइस 1500-1600 रुपए तक की गई, दस रुपए के शेयर की प्राइस पांच हजार रुपए तक की गई, सम्बन्ध में सेबी द्वारा जो जांच हुई, वह क्या हुई है?, क्या वह पूरे को कवर करेगी और छोटे निवेशकों को न्याय दिलाएगी? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने यू.टी.आई. के बारे में जवाब दिया। मैं उनको यू.टी.आई. का करेक्ट फिगर देना चाहूंगा। यू.टी.आई. का 31 मार्च, 2000 तक टोटल नेटवर्क 76547 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 2001 तक 12 महीने पूरे होने के बाद जो 76547 करोड़ रुपए था, वह 58017 करोड़ रुपए रह गया और 18,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है। मैं वित्त मंत्री जी को जवाब देना चाहूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : आप जवाब नहीं, सवाल पूछें ।

श्री किरीट सोमैया : जो शेयर 155 रुपए में लिया, आज वह 21 रुपए का हो गया है। क्या वित्त मंत्री जी यू.टी.आई. की एक्टीविटी की पूरी जांच कराएंगे?

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, सेबी की जो जांच हुई है या जो जांच चल रही है, वह दोनों पक्षों को लेकर है। जो मार्केट में मैनीपुलेशन हुआ है शेयर्स की कीमतों को ऊंचा करने में और जो मार्केट में मैनीपुलेशन हुआ है शेयर्स की कीमतों को नीचा लाने में, इन दोनों बातों की जांच सेबी इस समय कर रही है। जैसा मैंने बार-बार कहा है कि सेबी ने कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। जांच पूरी होने के बाद हर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक यू.टी.आई. का प्रश्न है, मैंने कहा कि यू.टी.आई. शेयर खरीदने और बेचने का धंधा करती है और बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत करती है। अगर कहीं किसी प्रकार की रांग डुइंग की स्पेसिफिक खबर आती है तो उस पर जांच की जा सकती है। लेकिन एक जनरल फिशिंग इन्क्वायरी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, किसी दिन वेल्यू कम होगी और किसी दिन ज्यादा होगी इसलिए रोज-रोज इन्क्वायरी करना सम्भव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम साल भर के उसके नतीजे देखेंगे। लेकिन कहीं पर उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में किसी प्रकार की रांग डुइंग की खबर आती है या कोई और खबर आती है तो उस पर हम जांच कराने को तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय इस बात से वाकिफ हैं कि 3 मार्च को मैंने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि बिग बुल ऑपरेटर केतन पारेख ने बैंकों से गलत तरीके से काफी मात्रा में भुगतान की सीमा से बाहर ऋण लेकर गड़बड़ी की आशंका पैदा कर दी है। किन्तु मंत्री महोदय ने सभा में कहा कि भुगतान की कोई समस्या नहीं है। उन्हें इसे स्पष्ट करना चाहिए।

दूसरे, हमारे पास आनंद राठी का टेप किया हुआ वार्त्तालाप है। आनंद राठी को बम्बई एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में इस सूचना को प्राप्त करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है; परन्तु उन्होंने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया बल्कि अंदरूनी व्यापार के लिए इसका दुरुपयोग भी किया।

अंततः, मंत्रिमंडल ने संयुक्त संसदीय समिति की हमारी मांग पर विचार किया। श्री प्रमोद महाजन ने सरकार के प्रवक्ता के रूप में इस देश के समक्ष कहा कि सरकार इस घोटाले की सयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराने के लिए तैयार है। क्या वित्त मंत्री महोदय घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच कराने हेतु अपनी सहमति की घोषणा करेंगे?

श्री यशवंत सिन्हा : माननीय जयपाल रेड्डी ने तीन प्रश्न उठाए हैं। पहला, केतन पारेख तथा 3 मार्च को इस सभा में दिए गए अपने वक्तव्य के संबंध में है। मैंने उस वक्त हस्तक्षेप किया था और कहा था कि भुगतान की कोई समस्या नहीं है। मुझे आज इस सभा को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुछ सप्ताह बीतने के बाद भी भुगतान की कोई समस्या नहीं है। कलकत्ता स्टाक एक्सचेंज में भुगतान की कुछ समस्या थी पर उसे भी दूर कर लिया गया है। बाजार में कहीं भी भुगतान की कोई समस्या नहीं है।

जहां तक केतन पारेख का सवाल है उसके पूरे मामले की सेबी द्वारा जांच की जा रही है और माधवपुरा शहरी सहकारिता बैंक से उसके संबंधों की जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है।

जहां तक आनंद राठी के मामले का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, टेप किया हुआ उनका वार्तालाप 'सेबी' को उपलब्ध करा दिया गया है। सेबी इस वार्त्तालाप की जांच कर रहा है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि बम्बई स्टाक एक्सचेंज की ओर से यह बिल्कुल अविवेकपूर्ण कार्य था और यही कारण है कि सेबी ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया।

जहां तक इसके वैधानिक या अवैधानिक होने का सवाल है इस समय इस पूरे मामले की तहकीकात सेबी द्वारा की जा रही है। इसलिए आगे की कोई कार्रवाई करने से पहले हम सेबी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उन्हें सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष पद से ही नहीं हटाया गया है बल्कि सेबी के एक आदेश द्वारा एक्सचेंजों में उनकी कम्पनियों के कारोबार पर भी रोक लगा दी है। सेबी की जांच के पश्चात् ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक सयुक्त संसदीय समिति की मांग का सवाल है, मैं समझता हूं अब हम समस्या की रूपरेखा को समझ पाए हैं। सेबी इस संबंध में अनेक कदम उठा चुका है। सरकार ने स्वयं ऐसे कई उपायों की घोषणा की है जिन्हें वह अगले कुछ महीनों में करना चाहती है और बाजार में हो रहे अन्य अपराधों के संबंध में कार्यवाही की जा चुकी हैं। अतएव जहां तक संयुक्त संसदीय समिति की मांग का प्रश्न है, हमारे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस पार्टी की इस मांग पर सकारात्मक उत्तर दिया है। अब यह सभा पर निर्भर करता है कि वे क्या करना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बात सभा के उपर निर्भर नहीं करती है। इसपर निर्णय सरकार को लेना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस मुद्दे पर सरकार किस तरह से पीछे हट रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार सारे दोषियों को बचाने का काम कर रही है।...*(व्यवधान)* सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए०सी० जोस : महोदय, पूरा विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति के लिए तैयार है। सरकार को इस पर सहमत होना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रश्न काल सही ढग से चलने दीजिए। मैं इसे पसंद नहीं करता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रश्न काल चलने देना चाहते हैं? यह क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्षणभर के लिए मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनते?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप फिर खड़े हो रहे हैं। आप अपने स्थान पर बैठते क्यों नहीं हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : आनंद राठी का केस...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, क्या आप अपने स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे? किसी बात की सीमा होती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां सदस्य बैठें, तो आप खड़े हो गए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए आप सभी को मौका दिया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार ने जो सार्वजनिक घोषणा की थी उससे वे पीछे हटे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा : कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे यह पूर्णत: स्पष्ट करने दीजिए। मैं ऐसी किसी भी घोषणा से पीछे नहीं हट रहा हूं जो मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री ने की है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात सुनिए।

श्री यशवंत सिन्हा : यदि मैंने कह दिया कि इसका निर्णय सभा को लेना है तो मैंने कौन सा पाप कर दिया। इस पर निर्णय सभा करेगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी बैंकों से या निजी बैंकों से जो रुपया स्टाक एक्सचेंज में आ रहा है, वह चार नियमों को तोड़ कर आ रहा है, जिस पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है। एक तरह से रिजर्व बैंक इसमें असफल रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में गिरफ्तारी हुई है? अगर गिरफ्तारी हुई है, तो उसका नाम क्या है और क्या इस बारे में सदन को जानकारी देंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, आप इसी प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मुख्य अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की जा रही है। टेप बरामद हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा। आप यहां शोर क्यों मचा रहे हैं?

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल को समुचित रूप से चलने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देना है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नहीं चाहते कि माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : किसी बात की एक सीमा होती है। कृपया अपने स्थान पर बैठें। वह माननीय सदस्य द्वारा पहले उठाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, यह शून्यकाल नहीं है। इस बात को कितनी बार कहना होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो भी कहना है, शून्यकाल में कहिए। क्वैश्चन आवर को चलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में माननीय मंत्री जी के भाषण के अतिरिक्त अन्य कोई बात सम्मिलित नहीं की जाएगी।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको जो भी कहना है, शून्यकाल में कहिए। क्वैश्चन आवर में नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको प्रश्नकाल में अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप प्रश्न काल भी नहीं चलने देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, रघुनाथ जी ने जो सवाल पूछा है उसके संदर्भ में मुझे यह कहना है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में माननीय मंत्री जी के कथन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : आरबीआई के निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोआपरेटिव बैंक स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसा नहीं दे सकते। ...*(व्यवधान)* उनके ऊपर मनाही थी कि वे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाएंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन, मैं आपके आचरण पर गंभीरता से ध्यान दे रहा हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री पप्पू यादव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पप्पू यादव, मैं आपके आचरण को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, लोक सभा को असेम्बली बना रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके उत्तर में मुझे यह कहना है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री जी के भाषण में व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह, मुझे आपको चेतावनी देनी है। प्रत्येक बात की एक सीमा होती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सदन आपके इंटरप्ट करने के लिए है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा को चलाना असंभव होगा।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

आप इसे शून्य-काल में उठाइए, प्रश्न-काल में नहीं ।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय प्रश्न-काल में उत्तर दे रहे हैं और आप सभा की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी : रघुवंश जी, हर मामले में इस तरह करते हैं।...*(व्यवधान)* इस तरह सदन नहीं चल सकता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जी की बात के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि आरबीआई के आदेश के अनुसार कोआपरेटिव बैंक को यह इजाजत नहीं थी कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाएं। इसलिए जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का काम किया है, उन्होंने आरबीआई के सिद्धान्तों का खुले रूप से उल्लंघन किया है। हमारी सूचना के अनुसार माधवपुरा कोआपरेटिव बैंक, जो एक इंटरस्टेट कोआपरेटिव बैंक है, उसने स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए। जितना उसका डिपोजिट था उससे ज्यादा पैसा उसमें लगाया, इससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि वह बैंक तकलीफ में पड़ गया। इस सारी बात के ऊपर आर.बी.आई. ने चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद के यहां केस दायर किया है और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वे गिरफ्तार किए गये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। यह क्या है?

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल, कृपया अब व्यवधान न डालें।

[हिन्दी]

श्री यशवन्त सिन्हा : बैंक ऑफ इंडिया ने क्योंकि अलग से इसकी शिकायत सी.बी.आई. से की थी इसलिए सी.बी.आई. ने भी उसकी जांच शुरु की और उसने केतन पारीख को गिरफ्तार किया है। और इसकी जांच चल रही है।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष जी, क्या सरकार को पता है कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में समानांतर सट्टेबाजी का काम चल रहा है और उसको रोकने में सरकारी विभाग और उसके पदाधिकारी तथा बैंकिंग उद्योग बिल्कुल असफल रहा है। इस बारे में क्या सरकार कुछ बताने का काम करेगी?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष जी, हमारे पास जो सेबी की व्यवस्था है वह स्टॉक एक्सचेंज के भीतर जो कारोबार होता है उसको देखने की है। स्टॉक एक्सचेज के बाहर भी कुछ लोग कारोबार करते हैं, जो गैरकानूनी है और उसमें यह गड़बड़ होती है।

श्री रघुनाथ झा : कोलकाता में जो यह व्यापक ढंग से हो रहा है, उस पर कोई कार्यवाही कराइये।

श्री यशवन्त सिन्हा : उस पर देश का जो सामान्य कानून है वह लागू होगा, क्योंकि वह स्टॉक एक्सचेंज के बाहर का मामला है।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मामले जिसमें कि निर्दोष लोग मारे गए हैं तथा लाखों लोग बरबाद हो गए हैं, के विषय में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संयुक्त ससदीय समिति के गठन के संबध में सरकार के इरादे संबंधी वक्तव्य के बाद, सरकार ने इस समिति के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति से सपर्क करने हेतु क्या कदम उठाए हैं।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैंने उस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल : नहीं, क्या आपने कोई कदम उठाए हैं, यह आपके उत्तर में स्पष्ट नहीं हुआ है।

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, जहां तक सरकार के संयुक्त ससदीय समिति के गठन सबंधी दृष्टिकोण का प्रश्न है इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मेरा प्रश्न है, क्या सरकार ने सयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिए माननीय अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति से संपर्क किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी पहले कही बात को दोहराया है।

(व्यवधान)

श्री एम॰ओ॰एच॰ फारूक : महोदय, उन्होंने जो कुछ कहा है तथा माननीय सदस्य द्वारा जो पूछा जा रहा है उसमें बहुत अधिक अन्तर है। क्या आपने संयुक्त संसदीय समिति के गठन का निर्णय ले लिया है...*(व्यवधान)*

श्री ए॰सी॰ जोस : महोदय, यह सरकार सभी भ्रष्ट लोगों का पक्ष ले रही है। वे संयुक्त संसदीय समिति से भयभीत हैं।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी और कानून मंत्री जी को सेबी के बारे में पिछले 6 महीनों से लगातार पत्र लिख रहा हूं कि इनसाइड ट्रेडिंग कोई ऑफेंस है या नहीं। वित्त मंत्री ने जो पत्र मुझे लिखा है उसमें लिखा है कि इनसाइड ट्रेडिंग ऑफेंस है। सेबी का चेयरमैन मुझे पत्र लिखता है कि इनसाइड ट्रेडिंग कोई ऑफेंस नहीं है तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन लिखता है कि इनसाइड टेड्रिंग ऑफेंस है। में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की जा रही है या नहीं। करीब 10 हजार करोड़ रुपये का घपला रिलाइंस कंपनी ने कर रखा है लेकिन इस बारे में मुझे आज तक कोई ठीक से जवाब नहीं आ रहा है। सेबी का चेयरमैन मुझे लिखकर भेजता है कि जिस समय का मामला आपने उठाया है उस समय न तो मैं सेबी के अंदर था न ही दूसरे अधिकारी सेबी के अंदर थे। क्या यह उचित उत्तर है?

महोदय, सेबी एक संस्था है। चेयरमैन तब थे या नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ऑफेंस सेबी कर रहा है, रिलायंस कम्पनी कर रही है, उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनसाइड ट्रेडिंग ऑफेंस है या नहीं? अगर ऑफेंस है तो उसके खिलाफ क्या कारंवाही की जा रही है?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, इनसाइड ट्रेडिंग ऑफेंस है। माननीय सदस्य का जो पत्राचार सभी के साथ हुआ है मैं उन सभी से अवगत नहीं हू। उन्होंने हमें जो पत्र लिखे और मैंने उन्हें जो पत्र लिखा उससे मैं अवगत हूं। मैं स्पष्ट रूप से सदन के फ्लोर पर कहना चाहूगा कि सरकार किसी के बचाव में कोई रुचि नहीं रखती है। जो जांच होगी, वह जांच चल रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाही होगी ।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, आजकल शेयर बाजार में सभी सामान्य लोग अपनी सारी पूंजी लगाते हैं। आज वे बहुत डर गए हैं। वे और एजेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें घाटा होने पर कई लोगों ने आत्महत्या की। माधोपुरा बैंक से ओवर ड्राफ्ट निकाले गए। मैंने पेपर में पढ़ा कि आर.बी.आई. ने उसे अवेयर किया था कि ऐसे ओवर ड्राफ्ट निकलने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ओवर ड्राफ्ट निकाले गए। यह एक फ्रौड है। इस बारे में सरकार की क्या नीति है? कोआपरेटिव बैंकों में गरीब और मामान्य लोगों के ज्यादा से ज्यादा पैसे लगे होते हैं। इसमें कैसे निगरानी रखी जाती है और अपकी क्या गाइडलाइन्स हैं? ओवर ड्राफ्ट से ओवर ऑल कितना घाटा हुआ है? हर्षद मेहता ने नेशनलाइज्ड बैंकों से पैसा लेकर शेयर बाजार में लगाए और शेयरों के दाम बढा दिए। आपकी इस बारे में क्या गाइडलाइन्स हैं?

श्री यशवन्त सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा प्रश्न पूछा है। इनके प्रश्न के पहले भाग के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक छोटे निवेशकों का प्रश्न है, छोटे निवेशक डे ट्रेडर्स नहीं हैं, छोटे निवेशक ब्रोकर्स नहीं हैं जो प्रोपराइटी सेल करते हैं। छोटे निवेशक यदि स्टॉक मार्किट में पैसा लगाते हैं तो जान-बूझकर लगाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्किट हाई रिस्क हाई टेड है। यह ऐसी स्थिति है जहां बहुत फायदा भी हो सकता है लेकिन उसके साथ-साथ कुछ खतरे भी हैं। इस बात को जानते हुए लोगों ने पैसे लगाने का काम किया लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कहना चाहूंगा कि छोटे निवेशकों को चाहिए कि वह मार्किट में रुके रहें, डटे रहें क्योंकि मार्किट में उतार-चढ़ाव होता है लेकिन वे अगर नीचे जाते हुए मार्किट में उन्हें बेचने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनको घाटा होगा। अगर वे सामान्य रूप से लौंग टर्म इनवैस्टर्स हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन स्टाक मार्किट में लौंग टर्म में घाटा नहीं होता है। इसलिए छोटे निवेशकों को यह एडवाइस देना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्हें बाजार में बने रहना है। जब बाजार में मंदी है तो उन्हें उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बाजार में पहले से ही सुधार हो रहा है।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न कोआपरेटिव बैंकों के बारे में पूछा। मैंने उसका अभी उत्तर दिया कि आर.बी.आई. के आदेश बिल्कुल स्पष्ट हैं। अगर उन आदेशों का किसी ने उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्लीयरिंग का जो पेमेंट ऑर्डर जाता है, सारे बैंक मिल कर क्लीयरिंग हाउस बनाते हैं। आर.बी.आई. उसमें उनको सहूलियत देता है और लाखों इनस्ट्रूमैंट्स का वहां रोज आदान-प्रदान होता है और करोड़ों का सौदा होता है। आर.बी.आई. की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह हर सौदे को देखे कि उसके खिलाफ उसका बैंक में डिपाजिट बैलेंस है या नहीं? यह आर.बी.आई. का काम नहीं है। इसलिए माधोपुरा बैंक ने जो किया वह सरासर फ्रौड है। उसने एक कानूनी अपराध किया उसके खिलाफ इसीलिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, अभी कल रिजर्व बैंक आफ इंडिया की नई क्रेडिट पॉलिसी आई है जिसमें उसने अरबन को-आप्रेटिव बैंक के बारे में दो प्रकार के सुझाव दिये हैं। एक तो यह है कि उसने नार्म्स को दृढ़ किया है। दूसरा उन्होंने एक सुझाव रखा है कि अगर अरबन को-आप्रेटिव बैंक एक ही स्टेट में है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अगर वह इंटरस्टेट/मल्टीस्टेट्स है तो उस पर सैंट्रल रजिस्ट्रार और रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कंट्रोल होता है। इसलिये इस डुयल या ट्रिपल कंट्रोल को दूर करने के लिये हम लोगों को एथिक्स आर्गनाइजेशन बनाना चाहिए जो सुपरवाइज करे। इसके साथ ही हम इस बात की जांच करेंगे और उस पर उचित कदम उठायेंगे ताकि देश के सहकारी बैंक और विशेषकर अरबन को-आप्रेटिव बैंक सही ढग से चल सकें। मैं इतना कहूंगा कि

[अनुवाद]

हमें एक की गलती के लिए सभी को सजा नहीं देनी चाहिए।

[हिन्दी]

अगर एक अरबन को आप्रेटिव बैंक गलती करता है तो सारे अरबन को-आप्रेटिव बैंक के बारे में हम लोगों को शिकायत नहीं करनी चाहिये क्योंकि उसमें बहुत सारे बैंक अच्छा काम कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय सारा विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमत है लेकिन सरकार इसके लिए सहमत नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 482, श्री सुनील खा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, यह प्रश्न काल है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, सरकार संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमत नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैंने अगले प्रश्न को लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे संयुक्त संसदीय समिति के बारे में पहले ही उत्तर दे चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें। इस समय प्रश्न काल है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, यह प्रश्न काल है। आपने प्रश्न पूछा और वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे पहले ही उत्तर दे चुके हैं। वे संयुक्त संसदीय समिति के बारे में कह चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे 'शून्य काल' में उठा सकते हैं। प्रश्न काल पूरा होने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मैं आपको संरक्षण कैसे दे सकता हूं। आपने एक प्रश्न पूछा है और वे इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं। फिर, आप मुझसे संरक्षण चाहते हैं। आपको और क्या संरक्षण चाहिए?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी विधान सभा में अध्यक्ष रहे हैं। कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर दिया जाता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान न डालें। मैं आपसे व्यवधान न डालने को कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, आपको मुझे संरक्षण देना चाहिए। आपको विपक्ष को संरक्षण देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे में कैसे संरक्षण दे सकता हूं; जब प्रश्न पूछा गया है और उत्तर भी दिया गया है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मुझे प्रश्नकर्त्ता को संरक्षण देना है। कृपया आप मुझे प्रश्नकर्त्ता को संरक्षण देने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, कृपया बैठ जाएं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप इसे शून्य काल में उठा सकते हैं। प्रश्न काल के पूरा होने में केवल 15 मिनट शेष हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : वे हर बचन से मुकर रहे हैं।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैंने आपको बता दिया कि मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं तथा उन्हें इस संबंध में और कुछ भी नहीं कहना है।

(व्यवधान)

श्री यशवन्त सिन्हा : महोदय, मैं और स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे स्पष्ट करना चाहते हैं। अब अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री ए०सी० जोस : महोदय, सत्ता पक्ष को देखें। वे शोर मचा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, किसी भी समय उत्तर दे सकते हैं। कृपया इस प्रकार प्रश्न न करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जब अगला क्वश्चन ले लिया गया है तो फिर दोबारा यह पहला वाला कहां से आ गया? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्पष्ट कर रहे हैं। वह किसी भी समय अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। उनका कहना है कि वह और स्पष्ट करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुनियप्पा, मैं बोल रहा हूं। मैंने श्री सुनील खां का नाम पुकारा था जिनके नाम के आगे अगला प्रश्न सूचीबद्ध है। उसी समय मंत्री महोदय ने कहा कि वह स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरे बीच में व्यवधान न डालें। मैंने उन्हें अनुमति दी है और माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट करने के लिए खड़े हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप केरल विधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और आप अध्यक्ष-पीठ के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरी अनुमति से खड़े हुए हैं? मैंने उन्हें अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि माननीय मंत्री किसी भी समय स्पष्टीकरण दे सकते हैं। वह स्थिति को स्पष्ट करना चाहते थे। उसके पश्चात् दोनों पक्ष खड़े हो गये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं अब दोनों पक्षों से अपने स्थान पर बैठने का अनुरोध कर सकता हूं? यदि माननीय मंत्री स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं, ताकि हम कार्यवाही को आगे बढ़ा सकें। अन्यथा, यदि आप ऐसा नहीं चाहते, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, आपको इस सभा का सबसे अधिक अनुभव है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनकी बात में व्यवधान न पहुंचायें।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं अपने सीमित अनुभव से बता सकता हूं कि ऐसा अवसर कभी नहीं आया जबकि प्रश्न काल के दौरान संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ हो...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बात समाप्त करने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : यह सरकार किसी बात से मुकर नहीं रही है...*(व्यवधान)* सरकार किसी बात से नहीं मुकर रही है। परन्तु उस ओर के माननीय सदस्यों को भी मालूम है कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन की एक प्रक्रिया है और इस मामले में भी उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, यदि यह सभा संयुक्त संसदीय समिति का गठन चाहती है....*(व्यवधान)* मैं यही कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री सभा को गुमराह कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है और उसे दोहराया है। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : यदि आप सभा से बाहर कुछ कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उनके भाषण में व्यवधान न पहुंचायें। प्रश्न काल के सिर्फ दस मिनट बचे हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : इस बात को माननीय मंत्री सभा में क्यों नहीं कह सकते...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां ने जो कुछ कहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

औद्योगिक विकास की गति में कमी

***482. श्री सुनील खां :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(क) क्या योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से औद्योगिक विकास की गति में कमी के कारणों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कारणों की निगरानी हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनसे औद्योगिक विकास की गति में कमी पर किस सीमा तक रोक लगी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना की अपनी मध्यवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट में औद्योगिक विकास में कमी होने संबंधी विनिर्दिष्ट किए गये मुख्य कारण नीचे दिये गये हैं :-

समग्र मांग में कमी निम्नलिखित कारणों से है :-

(क) विश्व व्यापार में समग्र मंदी के कारण गिरती निर्यात विकास दर।

(ख) दक्षिण पूर्व एशियाई मुद्राओं में अत्यधिक मूल्य ह्रास के कारण भारतीय निर्यातों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का क्षय ।

(ग) वर्ष 1997-98 में कम कृषीय उत्पादन के कारण ग्रामीण मांग में गिरावट।

- अवसरंचनात्मक परियोजनाओं में वास्तविक निवेश में धीमी प्रगति ।
- पूंजीगत बाजारों (प्राथमिक तथा द्वितीयक) में निरंतर मंदी के कारण निधियों की अपर्याप्तता।
- अवसंरचनात्मक अडचनों का जारी रहना।

(ग) और (घ) औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन अनेक बाह्य तथा आंतरिक कारकों पर निर्भर करता है। सरकार ने दक्षता में सुधार करने और औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय शुरू किये हैं :-

- कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
- उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और एस.ई.डी. की एक दर के साथ युक्तियुक्त बना दिया गया है।
- वस्त्र आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्योग हेतु तरलता बढ़ाने और ऋण की लागत कम करने सहित नकद आरक्षित अनुपात और बैंक दर कम करने के लिए उपाय किए हैं।
- नयी निर्यात-आयात नीति में, आयात की तुलना में घरेलू उत्पादकों को समान कारोबार का क्षेत्र (लेवल प्लेइग फील्ड) सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है।
- उद्योग के लिए संचालन का माहौल सुधारने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के प्रस्ताव भी किए गए हैं ।

औद्योगिक विकास में गिरावट

+

*489. **डा० जसवंतसिंह यादव:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन में आई तेजी से गिरावट के कारण 2000-2001 के दौरान, औद्योगिक विकास का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) 2000-2001 के दौरान किन क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक औद्योगिक वृद्धि दर दर्ज की गई और वह कितनी-कितनी थी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विशेषकर वर्ष 2001 के जनवरी-फरवरी मासों में किन-किन क्षेत्रों ने नकारात्मक वृद्धि-दर दर्शाई और इसके क्या कारण रहे; और

(ङ) औद्योगिक विकास दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) योजना आयोग ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए 8.2% औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि अप्रैल-फरवरी, 2000-01 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की संचयी विकास दर 5.1% रही है।

(ग) और (घ) अप्रैल-फरवरी, 2000-01 की अवधि की क्षेत्रवार विकास दरें नीचे दी गयी हैं:-

	जनवरी, 00	जनवरी, 01	फरवरी, 00	फरवरी, 01	अप्रैल-फरवरी 1999-00	अप्रैल-फरवरी 2000-01
खनन	0.4	3.5	3.9	2.5	0.8	4.2
विनिर्माण	5.6	2.9	8.5	0.6	7.0	5.3
विद्युत	3.2	1.4	8.8	1.1	7.4	4.1
सामान्य	4.9	2.8	8.2	0.6	6.5	5.1

(ङ) सरकार ने औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों की शुरूआत की है :-

- कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
- उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और एस.ई.डी. की एक दर के साथ युक्तियुक्त बना दिया गया है।
- वस्त्र आधुनिकीकरण की बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
- लघु बचतों पर ब्याज दरें कम कर दी गयी हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता बढ़ाने और ऋण की लागत कम करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात और बैंक दर कम कर दी है।
- नयी निर्यात-आयात नीति में, आयात की तुलना में घरेलू उत्पादकों को समान कारोबार का क्षेत्र (लवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है।
- उद्योग के लिए संचालन का माहौल सुधारने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के प्रस्ताव भी किए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 482 और 489 एक जैसे प्रश्न हैं और मैं उन्हें इकट्ठा कर रहा हूं।

श्री सुनील खां : महोदय, एक नेपाली किसी मद का निर्यात कर सकता है बशर्ते कि वह पचास प्रतिशत नेपाल मे बनी हो...*(व्यवधान)* कोई भी यह नहीं जानता कि वे किन चीजों का निर्माण कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* हमारे यहां खाद्य तेल पर आयात शुल्क 75 प्रतिशत है जबकि नेपाल में यह मात्र एक प्रतिशत है...*(व्यवधान)* वे भारतीय बाजार में अपनी वस्तुएं 40 प्रतिशत आयात शुल्क पर भेज रहे हैं... *(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में हम उनसे किस प्रकार प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न चमड़े की चप्पलों, साबुनों और डिटर्जेंट्स के बारे में हैं। हम इन वस्तुओ में विदेशी व्यापारियों का मुकाबला किस प्रकार कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री ए०सी० जोस : महोदय, संयुक्त संसदीय समिति के गठन की क्या प्रक्रिया है. *(व्यवधान)*

श्री सुनील खां : महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि माननीय मत्री ने सोडा-ऐश को तो संरक्षण प्रदान किया है परन्तु कास्टिक सोडे को नहीं। ग्रेनाइट और संगमरमर को भी उसके समान समझा जाना चाहिए...*(व्यवधान)* पुन:, आपने पुराने ट्रेक्टरों के आयात पर कोई आयात शुल्क नहीं लगाया है और विदेशी बाजारों से इनका आयात किया जा सकता है।...*(व्यवधान)* हमारा ट्रेक्टर उद्योग बर्बाद हो जायेगा। हमारे अपने उद्योग का क्या होगा?...*(व्यवधान)*

यदि पुराने ट्रेक्टरों को भारत में लाने की अनुमति दे दी जाती है, तो हमारा स्वदेशी ट्रेक्टर उद्योग बर्बाद हो जायेगा।

क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि भारत में मूड़ी (पफड़) चावल का उत्पादन ग्रामीण क्षेत्र में गरीब विधवाओं द्वारा किया जाता है? हिन्दी में इसे मूड़ी कहा जाता है। मुम्बई में लोग इसे 'भेल' कहते हैं। गरीब विधवायें इसको तैयार करके और इसे बेचकर अपनी जीविका अर्जित करती है। यदि इसके आयात की अनुमति दी जाती है, तो गरीब विधवायें जीविकार्जन में असमर्थ हो जायेंगी। आयातित मूड़ी चावल अद्यतन प्रौद्योगिकी से बनाये जायेंगे। हालांकि, हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब विधवाये इसे परंपरागत तरीके से बनाती हैं। वे इस क्षेत्र में विदेशी व्यापारियों से किस प्रकार प्रतिस्पधा कर सकती हैं?

श्री मुरासोली मारन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनेक प्रश्न उठाये हैं। मुख्य प्रश्न का संबध औद्योगिक उत्पादन से है, जबकि माननीय सदस्य ने आयात और निर्यात के बारे में प्रश्न पूछे हैं। जो भी हो, मैं उनके प्रश्न का जवाब दूंगा ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत सी वस्तुओं का नेपाल से देश में आयात किया जा रहा है। हमारी सीमा उनसे लगती हुई है

और नेपाल के साथ हमारी मैत्री-संधि भी है। इस वर्ष के अन्त में उस संधि की समीक्षा की जानी है। दूसरे, नेपाल विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना चाहता है और इसके लिए उसे भारत के साथ समझौता करना पड़ेगा। हमें आपसी-हितों को कोई नुकसान पहुंचाये बगैर कुछेक बातें स्पष्ट करनी होंगी। उदाहरण के लिए निर्माण अथवा उत्पादन की कोई परिभाषा नहीं है और मूल-उत्पत्ति संबंधी कोई नियम नहीं है। मेरे विचार से, हम उन दिनों यह बात नेपाल सरकार के साथ उठा सकते थे। हमें दोनों देशों के हितों का ध्यान रखना है।

श्री सुनील खां : इस वर्ष 715 मदों और गत वर्ष 714 मदों से मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। कुल मिलाकर ये 1429 मदें हैं। इसके मद्देनजर, क्या मंत्री महोदय का विश्वास है कि भारतीय लघु-उद्योग को संरक्षण मिल पायेगा?

श्री मुरासोली मारन : महोदय, पुनः पूछा गया प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। परन्तु मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं।

हम 1980 से स्वयं ही मात्रात्मक प्रतिबंध हटा रहे हैं। ऐसा हम ने पहली बार नहीं किया है। अतः, लघु उद्योगों का कोई नुकसान नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डा॰ जसवन्त सिंह यादव, आप अपना अनुपूरक प्रश्न सं॰ 489 पूछिए।

[हिन्दी]

डा॰ जसवंतसिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार औद्योगिक लक्ष्य के विकास को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है और उस हेतु अच्छे-अच्छे काम कर रही है, लेकिन औद्योगिक विकास दर के लक्ष्य 8.2 की तुलना में अभी तक फरवरी से अप्रैल तक केवल 5.1 तक ही औद्योगिक विकास दर पहुंची है। इसलिए मेरा सिम्पल सा क्वश्चन है कि शुगर इंडस्ट्रीज के लिए जो 15 किलोमीटर के एरिया का रिस्ट्रिक्शन है। जिसके अनुसार यदि कोई शुगर मिल जिस एरिया में स्थापित है, उसके 15 किलोमीटर के एरिया में दूसरी शुगर मिल स्थापित नहीं की जा सकती है, तो क्या सरकार इसको खत्म करने की सोच रही है, ताकि शुगर मिलें और बढ़ सकें, नई-नई मिलें और लग सकें क्योंकि हो यह रहा है कि लाइसेंस तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन पुरानी शुगर मिल वाले नई शुगर मिलों को लगने नहीं देना चाहते हैं। अतः क्या सरकार इस 15 किलोमीटर की शर्त को हटाने के लिए कुछ कर रही है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न का अंतिम भाग मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

चीनी मिलों का हमने विकेन्द्रीकरण किया है। अतः, केन्द्र सरकार का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। औद्योगिक स्थिति में हालांकि कुछ मंदी का दौर रहा है, परंतु पिछले तीन महीने से उसमें कुछ गति आई है। कल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि हमारे घरेलू उत्पाद की दर 6 प्रतिशत हो सकती है। उसमें कोई शक नहीं है। सी.आई.आई. ने भी अनुमान लगाया है कि हमारे स.घ.उ. की दर में 6 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि यह छह प्रतिशत तक बढ़ेगा। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखें, तो मैं यह कहूंगा कि यदि हम छह प्रतिशत की विकास-दर को प्राप्त कर लें तो हम विश्व की सबसे तीव्र गति से विकसित हो रही दस-अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अगर सैकिंड सप्लीमैंट्री पूछना है, तो वह पूछिये।

डॉ० जसवन्त सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का समाधान हो गया है। मंत्री जी ने सही जवाब दिया है इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

किसानों द्वारा विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के विरुद्ध आन्दोलन

*483. **श्री अशोक ना० मोहोल:**
श्री ए० वेंकटेश नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्व व्यापार संगठन के साथ किए गए समझौतों के विरुद्ध कृषक संगठनों द्वारा देश भर में दिए गए/दिए जा रहे धरनों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषक संगठनों ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन समझौते से अलग रखने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या कृषक संगठनों ने सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन भी दिया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को नुकसान न हो, सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी. हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह मांग की गई है कि भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा और कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत विकल्प प्राप्त करने के लिए कृषि को डब्ल्यू टी ओ से बाहर रखने का प्रयास करना चाहिए। यह भी अभ्यावेदन दिया है कि डब्ल्यू टी ओ करारों से हमारे घरेलू नीतिगत विकल्पों को गंभीर बाधा पहुची है और इससे मुख्यत: विकसित देशों को लाभ मिला है और विकासशील देशों के घरेलू उत्पादकों के हितों पर गभीर समझौता किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत डब्ल्यू टी ओ का एक संस्थापक सदस्य है, जो 1.1.1995 को टैरिफ एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1947 (गैट) के स्थान पर लागू किया गया है। कृषि संबंधी करार उरूग्वे दौर के करारों में से एक है जिस पर भारत ने अप्रैल, 1994 में हस्ताक्षर किए थे। डब्ल्यू टी ओ एक निश्चित नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली प्रदान करता है जो अपने अधिक शक्तिशाली व्यापारिक साझेदारों के दबाव से सदस्य देशों की रक्षा करता है। डब्ल्यू टी ओ का एक सदस्य होने के नाते भारत अपने निर्यातों के लिए स्वत: ही परम मित्र राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार प्राप्त करने का हकदार है। डब्ल्यू टी ओ में सदस्यों के बीच होने वाले किसी विवाद को सुलझाने के लिए एक मजबूत विवाद निपटान तत्र है।

कृषि सबंधी करार के तहत कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत के घरेलू नीतिगत विकल्पों में कोई बाधा नहीं आयी है। कृषि संबंधी करार को लागू करने के अनुभव से अनेक मुद्दे उभर कर आए हैं जिन्हें पुन: संतुलित करने की जरूरत है और भारत ने चल रही तयशुदा वार्ताओं के भाग के रूप में डब्ल्यू टी ओ को प्रस्तुत अपने व्यापक प्रस्ताव में इनका विस्तारपूर्वक खुलासा किया है। भारतीय प्रस्तावों का लक्ष्य अपनी खाद्य सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा की रक्षा करना और अपनी बेशी कृषि उपज के निर्यातों के लिए अवसर पैदा करना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय कृषकों को किसी प्रकार की परशानी न हो, सरकार ने संवेदनशील वस्तुओं के आयातों पर निगरानी रखने के लिए एक समुचित तंत्र की स्थापना की है और विभिन्न डब्ल्यू टी ओ के अनुकूल उपायों को बहाली कर घरेलू उत्पादकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है जिनमें शामिल हैं–निर्धारित टैरिफ दरों के भीतर लागू दरों में समुचित संशोधन पाटनरोधी, प्रतिसतुलनकारी शुल्क लगाना और कतिपय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में सुरक्षोपाय कार्रवाई करना।

सिचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि

*484. **योगी आदित्यनाथ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि प्रदान की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि राज्य-वार कितनी परियोजनाओं पर खर्च की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001 2002 के दौरान राज्यों को सिचाई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हा, ता तत्सबधी राज्य वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की सिचाई परियोजनाओं के लिए ऋण दिया है। पिछले तीन वर्षों क दौरान ग्रामीण आधारिक विकास निधि की विभिन्न श्रृंखलाओं के तहत सिचाई परियोजनाओं की कुल संख्या और उनके लिए मंजूर एवं सवितरित ऋण के राज्य-वार ब्यौरे क्रमश: विवरण । और ॥ में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय वित्त मत्री ने वर्ष 2001 2002 के अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि वर्ष 2001 2002 के लिए आरआईडीएफ-VII के तहत सग्रह (कार्पस) को बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। इससे सिचाई परियोजनाओं को लाभ मिलेगा और उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि के तहत सिचाइ के लिए मंजूर परियोजनाओं की कुल संख्या और ऋण राशि के राज्य-वार ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्रम सं॰	राज्य	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		सं॰	स्वीकृत	सं॰	स्वीकृत	सं॰	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	44	11982.22	60	16861.12	38	14951.39

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.	असम	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.	बिहार	1	11600.00	100047	14837.32	11	1479.00
5.	गोवा	21	467.67	142	9642.61	5	50[illegible]
6.	गुजरात	11	10788.30	6	3452.17	7101	24170.6
7	हरियाणा	15	3425.80	6	9906.72	7	1280.14
8.	हिमाचल प्रदेश	22	704.91	197	2811.27	206	2730.67
9.	जम्मू और कश्मीर	32	2538.76	3	149.19	13	1227.42
10.	कर्नाटक	18	2041.83	1	102.60	36	4722.62
11.	केरल	86	1323.37	133	1480.35	95	4698.67
12.	मध्य प्रदेश	100	14179 14	20	11210.48	52	21109.72
13.	महाराष्ट्र	15	10047.53	0	0.00	38	17538.66
14.	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	157	833.05
15.	मेघालय	0	0.00	0	0.00	5	262.64
16.	मिजोरम	0	0.00	20	364.42	0	0.00
17.	नागालैण्ड	0	0.00	17	382.30	1	112.90
18.	उड़ीसा	15	8941.95	31	7101.21	16091	5953.88
19.	पंजाब	0	0.00	0	0.00	0	0.00
20.	राजस्थान	19	13135.78	50	6925.32	2102	12525.89
21.	तमिलनाडु	0	0.00	62	2751.91	20	3720.46
22.	त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00	1	2650.00
23.	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	39	1017.38	68	14538.04	1	2819.58
25.	पश्चिम बगाल	2	174.36	873	4739.53	235	843.11
	कुल	438	92369.00	101736	107256.56	26215	124132.17

विवरण-II

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आरआईडीएफ के तहत सिंचाई क्षेत्र के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य-वार संवितरण

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	1998-99	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	109.48	147.36	113.50
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	35.39	42.64
4.	बिहार	0.00	17.43	0.00
5.	गोवा	0.89	2.21	1.32
6.	गुजरात	57.23		36.65
7	हरियाणा	15.78	25.48	52.02
8.	हिमाचल प्रदेश	10.27	11.49	68.04
9.	जम्मू और कश्मीर	6.46	3.34	7.25
10.	कर्नाटक	24.04	32.97	45.90
11.	केरल	16.65	19.80	9.03
12.	महाराष्ट्र	20.57	56.89	4.22
13.	मध्य प्रदेश	65.33	88.09	119.96
14.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
15.	मेघालय	0.00	0.00	0.66
16.	मिजोरम	2.97	2.19	0.00
17.	नागालैण्ड	0.00	1.71	0.18
18.	उड़ीसा	34.41	79.78	35.62
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	58.72	43.35	97.55
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.50	0.96	4.15
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	53.49	97.11	148.29
25.	पश्चिम बंगाल	14.16	26.71	28.91
	कुल	490.97	747.42	815.89

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

*485. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम खस्ता हालत में हैं जिसके कारण आवश्यक खाद्यान्नों का भंडारण बहुत मुश्किल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ङ) भारतीय खाद्य निगम के इन गोदामों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने गोदामों की स्थिति का पता लगाने के लिए अक्तूबर-दिसम्बर, 1998 के दौरान एक सामान्य सर्वेक्षण किया गया था।

(घ) एन्नोर (तमिलनाडु) में 9600 टन और शक्तिनगर (दिल्ली) में 10,000 टन की क्षमता के गोदामों को जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पाया गया।

(ङ) इन दोनों गोदामों की मरम्मत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इन गोदामों को गिराने पर विचार किया जा रहा है और उस स्थान का क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। सभी अन्य गोदामों को प्रभावशाली ढंग से नियमित तौर पर मरम्मत की जा रही है और रख-रखाव किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया

*487. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की रूग्णता के लिए जिम्मेदार कारक क्या हैं;

(ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की प्रत्येक इकाई के बंद हो जाने की स्थिति में कितने श्रमिकों/कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(ग) उनके पुर्नव्योजन/पुनर्वास के लिए प्रस्ताविक योजना क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) के निष्पादन में धीरे-धीरे गिरावट दर्शाने वाले विभिन्न कारकों में बाजार में सीमेंट की भरमार होना, सीमेंट उद्योग को नियत्रण से मुक्त करना, अक्सर विद्युत की कमी होना, पुरानी प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादन लागत का उच्च होना, कामगारों का अधिक होना, नगदी (लिक्वीडिटी) की समस्या इत्यादि का होना शामिल है जिसके कारण सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआइ) रूग्ण हो गई तथा इसे अप्रैल 1996 में बीआईएफआर को संदर्भित कर दिया गया।

(ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) की विभिन्न यूनिटों में कामगारों/कर्मचारियों की संख्या सलग्न विवरण में दी गई है। हालांकि, बीआईएफआर निदेशों के तहत् आपरेटिंग एजेंसी इस समय सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) की एकल यूनिट या समग्र रूप से बिक्री करने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(ग) कामगारों के हित में, सरकार ने जहां कहीं भी पुनरूद्धार अपेक्षित है वहां एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) तथा जहां कहीं इकाई को बंद करने की परिकल्पना की गई है वहां स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) तैयार की है। सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सीसीआई) में पहले से ही वीआरएस लागू है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि (एनआरएफ) की योजना के तहत् सेवानिवृत्त/पृथक्कृत कामगारों को पुन: प्रशिक्षण और पुन: रोजगार भी दिया जाता है।

विवरण

इकाई का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1	2
मंढ़ार	431
कुकुटा	397
नयागांव	525
अकलतारा	428
चरखी दादरी	393
अदिलाबाद	404
तंदूर	395
दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट	145
राजबन	465
बोकाजन	658
कारपोरेट कार्यालय एवं अन्य	636
कुल	4877

त्रुटिपूर्ण विदेशी सामान

*488. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 2001 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''नॉट मच लीगल रिमेडी फॉर यूजर्स ऑफ डिफेक्टिव फारेन गुड्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या त्रुटिपूर्ण विदेशी वस्तुएं विभिन्न बाजारों में खुलेआम बिक रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या त्रुटिपूर्ण विदेशी सामान की बिक्री रोकने के लिए सरकार का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार को विभिन्न बाजारों में त्रुटिपूर्ण विदेशी वस्तुओं के खुलेआम बेचे जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ता को बेची गई त्रुटिपूर्ण वस्तुओं, चाहे वे विदेशी हों या घरेलू, के मामले

ने राहत प्रदान करने के लिए उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों को शक्तियां प्रदान करने वाले पर्याप्त उपबंध निहित हैं, बशर्ते उपभोक्ता के पास वस्तु को खरीदे जाने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हों। इन राहतों में वस्तुओं की त्रुटियों को दूर करना, त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को बदलना और उपभोक्ता द्वारा उठाए गए घाटे अथवा उसको पहुंची चोट के लिए मुआवजा देना शामिल है। उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार का अधिनियम में और आगे संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

सामान्य भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर

*490. श्री आर०एस० पाटिल :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सामान्य भविष्य निधि/कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर 12 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत तक कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का यह कदम कर्मचारियों को बचत करने से हतोत्साहित करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) सामान्य भविष्य निधि और इसी प्रकार की अन्य निधियों पर ब्याज दरें 1 अप्रैल, 2000 से 12 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दी गई और उसके बाद 1 अप्रैल, 2001 से 11 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दी गई। परन्तु, 1 अप्रैल, 2001 से कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज-दरों का संशोधन वित्त-मंत्रालय के परामर्श से श्रम-मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) भविष्य निधि और अन्य अल्प बचत स्कीमों पर ब्याज की वास्तविक दरें अधिक समझी गई थीं, जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की अन्य दरों को कम करने से रोकती थीं।

(ग) भविष्य निधि और अन्य अल्प बचत स्कीमें सरकारी गारंटी और कर-प्रोत्साहन प्राप्त करती हैं। इसलिए जोखिम-आय समीकरण अनुकूल बना हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा बिक्री केन्द्रों में भ्रष्टाचार

*491. **श्री विजय गोयल : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खुदरा बिक्री केन्द्रों में भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य में जनता से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है, जहां आरोप सिद्ध हो गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन एक बड़े पैमाने का काम है, जिस देश में लगभग 4.63 लाख उचित दर दुकानों सहित अनेक एजेंसियां कर रही हैं। केन्द्र सरकार नामित डिपुओं तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की वसूली, भंडारण और ढुलाई करने और उन्हें राज्यों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। उचित दर दुकानों के जरिये उपभोक्ताओं को वितरण करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की होती है। चूंकि इस प्रणाली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है, इसलिए उचित दर दुकान और अन्य स्तरों पर भ्रष्टाचार की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

सरकार को जनता से प्राप्त शिकायतें सामान्यतया उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं उपलब्ध न होने और अनियमित आपूर्ति होने, उचित दर दुकानों के मालिकों द्वारा अधिक दाम लेने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की कालाबाजारी होने से संबंधित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान खुदरा दुकानों के संबंध में इस मंत्रालय में जनता से प्राप्त शिकायतों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली	2	8	14
2.	उत्तर प्रदेश	—	6	24
3.	मध्य प्रदेश	1	—	3
4.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4
5.	हरियाणा	—	—	5
6.	बिहार	2	6	16

1	2	3	4	5
7.	राजस्थान	1	—	14
8.	पंजाब	—	—	2
9.	केरल	—	—	1
10.	चंडीगढ़	—	—	1
11.	महाराष्ट्र	—	—	2
12.	कर्नाटक	—	1	—
13.	उड़ीसा	—	1	—
14.	पश्चिम बंगाल	2	—	—
15.	अरूणाचल प्रदेश	1	—	—
	कुल	9	22	86

ऐसी शिकायतें, जिनमें सामान्यतया आपराधिक मामला अंतर्ग्रस्त होता है, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रा के प्रशासनों को यथा आवश्यक उचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, यदि शिकायतों में लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो राज्य सरकारें कानून के अधीन उचित कार्रवाई करती हैं।

गुजरात को करों से छूट

*492. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गुजरात की राज्य सरकार ने राज्य के भूकंप प्रभावित भागों की क्षतिग्रस्त औद्योगिक इकाइयों के लिए पांच वर्ष के लिए करों से छूट तथा आयकर में पूरी छूट और सीमेंट तथा स्टील से भिन्न भवन निर्माण सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का भी अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गुजरात की सरकार के अनुरोध पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) गुजरात की राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चावल के निर्यात के लिए शुल्क में छूट

*493. **डा० राजेश्वरम्मा वुक्कला :**
श्री के० येरननायडू :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में, चावल के भारी भंडार को देखते हुए गैर-सरकारी पार्टियों को चावल निर्यात हेतु शुल्कों और करों में छूट की व्यवहार्यता की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) संविधान के अनुच्छेद 286 के तहत, राज्य के किसी भी कानून द्वारा माल की बिक्री अथवा खरीद पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न ही किसी को ऐसा कर लगाने के लिए प्राधिकृत ही किया जा सकता है जब ऐसी बिक्री अथवा खरीद भारत के क्षेत्र से बाहर के निर्यात के दौरान की जाए।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी विभागों में फालतू खर्च

*494. **डा० रमेश चंद तोमर :**
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सरकारी विभागों में फालतू खर्च को कम करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जिनमें सरकारी विभागों में फालतू खर्च अधिकतम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले वर्ष भी सरकार द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए थे; और

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसकी उपलब्धियां क्या रही हैं?

वित्त मंत्री में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) परिहार्य प्रशासनिक व्यय पर अंकुश लगाना और उसे नियंत्रित करना सरकार की सतत प्राथमिकता रही है। इस संबंध में पहले भी समय-समय पर अनुदेश जारी किए जाते रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 24.9.2000 को अनेक मितव्ययिता उपायों को रेखांकित करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन उपायों में

सभी मंत्रालयों/विभागों और स्वायत्तशासी संस्थानों के गैर-योजनागत अवैतनिक व्यय के लिए बजटीय आवंटन में 10 प्रतिशत की अपरिहार्य कटौती, 1.1.92 को यथासंस्तुत पदों में 10 प्रतिशत कटौती संबंधित अनुदेशों का क्रियान्वयन और एक साल से अधिक समय तक रिक्त पड़े पदों की समाप्ति, एक साल के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों/ स्वायत्तशासी संस्थानों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्टाफ कार और सरकारी वाहनों के उपयोग पर किफायत, विदेश यात्रा पर अपरिहार्य सरकारी बचनबद्धता तक प्रतिबंध और विदेशी दौरों के लिए स्वीकार्य दैनिक भत्ते में 25 प्रतिशत की कमी तथा सभाओं/सेमीनारों/ कार्यशालाओं को आयोजित करने में किफायत बरतना आदि शामिल है।

सरकारी व्यय के पूरे परिदृश्य की पुनर्समीक्षा के लिए एक व्यय सुधार आयोग भी स्थापित किया गया है जिसे सरकार के प्रशासनिक ढांचे, क्रियाकलापों और गतिविधियों में कमी लाने के लिए दिशा-निर्देश सुझाना, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों इत्यादि के अन्तर्गत स्टाफ की संख्या की पर्याप्तता की पुनर्समीक्षा करना और विभिन्न सेवाओं के स्टाफ और संवर्ग को तर्कसंगत बनाने के उपायों पर सलाह देना, स्वायत्तशासी निकायों के गठन की प्रक्रिया और उनके वित्तपोषण की पद्धति की पुनर्समीक्षा करना और सुधार के प्रभावी होने तथा बजटीय सहायता में कमी के उपायों का सुझाना है।

सीमेंट के मूल्य

*495. श्री जी० मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने सीमेंट कंपनियों द्वारा कथित उत्पादक संघ बनाये जाने पर दस सीमेंट उत्पादकों के विरूद्ध जांच नोटिस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों को सीमेंट का मूल्य 15 नवम्बर, 2000 को प्रचलित मूल्य स्तर तक नीचे लाने का भी निदेश दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इन सीमेंट उत्पादकों द्वारा किस सीमा तक मूल्य घटाये गये हैं;

(घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सीमेंट मूल्यों को वहनीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। एम.आर.टी.पी. द्वारा सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन और 10 अन्य सीमेंट कंपनियों के विरूद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम.आर.टी.पी.) अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क)(i) और 36-ख (क) के अधीन नोटिस जारी किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं । इस संबंध में एम.आर.टी.पी. द्वारा अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं ।

(ग) दिसंबर, 2000 और जनवरी, 2001 में सीमेंट के मूल्य अधिकतम स्तर पर पहुंच गये थे। 13 अप्रैल, 2001 की स्थिति अनुसार अधिकांश केंद्रों पर ये मूल्य प्रति बैग 2 रुपये से 17 रुपये तक गिर गये हैं ।

(घ) एम.आर.टी.पी. की कार्रवाई अर्द्ध न्यायिक स्वरूप की होती है। इस मामले की सुनवाई हेतु 10.4.2001 के लिए सूचीबद्ध किया गया था और उक्त मामले का अब 26.4.2001 तक की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया है।

(ङ) सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर है और मूल्यों की सूक्ष्मता से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में सीमेंट विनिर्माताओं के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं और तब से मूल्य वृद्धि रुक गयी है। कुछ स्थानों पर इसमें सीमान्तिक कमी भी आयी है। मूल्यों में स्थिरता लाने की दृष्टि में सरकार ने सीमेंट पर आयात शुल्क को 35% से घटाकर 25% कर दिया है। यदि जनहित के विरुद्ध कोई क्रियाकलाप किया जाता है तो सरकार उपयुक्त कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचायेगी।

[हिन्दी]

स्वापक औषधियों की तस्करी

*496. **श्री पी०आर० खूंटे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो" देश के विभिन्न भागों में स्वापक औषधियों की तस्करी रोकने में सक्षम नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान तस्करी के कितने मामले दर्ज किए गए और कितनी मात्रा में स्वापक औषधियां जब्त की गई हैं;

(घ) तस्करी के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और कितनों को दंडित किया गया है

(ङ) क्या सरकार का विचार "स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो" को सुदृढ़ करने हेतु कोई विशेष योजना तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) पहली जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान स्वापक औषधियों की जब्ती के 12655 मामले दर्ज किए गए थे और इनके परिणामस्वरूप 12,441.350 किलोग्राम हेरोइन, मॉरफीन, हशीश, कोकीन, मेथाक्वलोन, एफीड्रीन और एम्फीटैमाइन और 9,777 लिटर एसेटिक एनहाइड्राइड जब्त की गई थी।

(घ) पहली जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान स्वापक औषधिया के अवैध व्यापार के सिलसिले में गिरफ्तार और दोषी सिद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 15,284 और 4,447 है।

(ङ) से (छ) श्री गिरीश सक्सेना की अध्यक्षता में आसूचना तंत्र के बारे में कार्यकारीदल द्वारा स्वापक नियत्रण ब्यूरो की भावी भूमिका की जांच की गई है। इसके बाद दल की सिफारिशों पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया गया था और इस समय ये सरकार के विचाराधीन हैं।

भारतीय उद्योग में मंदी

*497. **श्री अजय सिंह चौटाला** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग धीरे-धीरे मंदी की ओर बढ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगों के वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं जो इस समय मंदी की गिरफ्त में हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अगले दो वर्षों के दौरान कुछ और उद्योगों द्वारा विश्व व्यापार संगठन की समझौते के लागू होने के बाद मदी का सामना किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मंदी पर काबू पाने और उद्योगों को मंदी से बचाने हेतु क्या उपाय किये गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारतीय अर्थव्यवस्था को 6% अथवा इससे अधिक विकास दर के साथ विश्व की सर्वाधिक विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना गया है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी एस ओ) द्वारा जारी किये गये अनुमानों के अनुसार 1998-99 और 1999-2000 के दौरान क्रमश: 6.6% और 6.4% की विकास दरों की तुलना में 2000 01 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6% रहने की आशा है। अत: यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मदी के दौर में है।

(ख) समग्र औद्योगिक उत्पादन गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.6% हुआ जबकि इसकी तुलना में (अप्रैल-फरवरी, 2000-01 की अवधि के दौरान) इसमें 5.1% की वृद्धि हुई है। अप्रैल-फरवरी, 2001 में उद्योग के सभी प्रमुख क्षेत्रों ने साकारात्मक विकास दर दिखायी है, जिसके संबंध में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं।

उद्योग के लिए क्षेत्र-वार संचयी विकास दरें नीचे दी गयी हैं:-

	अप्रैल-फरवरी, 1999-00	अप्रैल-फरवरी, 2000-01
खनन	0.8	4.2
विनिमाण	7.0	5.3
विद्युत	7.4	4.1
सामान्य	6.6	5.1

दो क्षेत्रों विनिर्माण और विद्युत ने पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ कम विकास दर दिखायी है। इसके निम्न कारण हैं—अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी का बने रहना, सामान्य निवेश वातावरण में मदी, इस वर्ष अपेक्षाकृत कमजोर मानसून, जिसका समग्र मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है जिससे चालू वर्ष के दौरान कमी आयी है, अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती वस्तु क्षेत्रों में खराब कार्य-निष्पादन और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति, जो कि भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है।

(ग) मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाये जाने से न तो आयातों की समग्र वृद्धि दर में और न ही उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन हुआ है। चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल-जनवरी) गैर-तेल आयातों की विकास दर ( ) 8.2% रही है। इसके अलावा, नयी निर्यात-आयात नीति में घरेलू उत्पादकों के लिए आयातों के सापेक्ष समान अवसर सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है।

(घ) उद्योगों का कार्यनिष्पादन अनेक बाहरी तथा आंतरिक कारकों पर निर्भर रहता है। सरकार ने दक्षता में सुधार करने और औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपाय शुरू किये हैं :-

- कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में मूल सीमा शुल्क घटा दिया गया है।
- उत्पाद शुल्क को सेनवेट की एक दर और एस.ई.डी. की एक दर के साथ युक्तियुक्त बना दिया गया है।
- वस्त्र आधुनिकीकरण की गति बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अधीन बजटीय प्रावधानों में वृद्धि की गयी है।
- लघु बचतों पर ब्याज दरें कम कर दी गयी हैं ।

– भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता बढ़ाने और ऋण की लागत कम करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात और बैंक दर कम कर दिए हैं ।

– नयी निर्यात-आयात नीति में, आयात की तुलना में घरेलू उत्पादकों को समान कारोबार का क्षेत्र (लेवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया है ।

– उद्योग के लिए संचालन का माहौल सुधारने हेतु उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के प्रस्ताव भी किए गए हैं ।

[अनुवाद]

चावल निर्यात में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी

*498. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :**
डा॰ मन्दा जगन्नाथ :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चावल के विशाल भण्डार को देखते हुए चावल के निर्यात म गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राजसहायता सहित क्या-क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) एग्जिम नीति के अनुसार कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण में ठेकों के पंजीयन के अधीन चावल (बासमती और गैर-बासमती चावल) के मुक्त रूप से निर्यात की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, वर्ष 2000-2001 के लिए सरकार ने एफसीआई द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए रखे गए स्टॉकों में से भी 20 लाख मी. टन के निर्यात की अनुमति दी थी। चावल के निर्यातकों सहित निर्यातकों को अन्यो के साथ-साथ प्रदान किए जा रहे कुछेक अन्य प्रोत्साहनों में शामिल हैं :-

(क) प्रायोगिक विपणन उत्पाद सूचना एवं बाजार संवर्द्धन के प्रयोजन से उत्पाद नमूनो की आपूर्ति · नमूनों की लागत अथवा भाड़ा अथवा दोनों के बारे में निर्णय मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा जो 50,000 रुपए प्रति लाभग्राही की सीमा के अधीन होगा।

(ख) उत्पाद साहित्य और प्रचार सामग्री को तैयार करन में प्रचार व संवर्द्धन : लागत का 40% प्रत्येक लाभग्राही के लिए 2 लाख रुपए की सीमा तक ।

(ग) विज्ञापन के जरिए ब्रांड प्रचार : लागत का 40%, प्रत्येक लाभग्राही के लिए 1 लाख रुपए की सीमा तक।

(घ) बाजार विकास सहायता ।

(ङ) 5% की रियायती सीमाशुल्क दर पर कृषि से संबंधित पूंजीगत माल के आयात के लिए ईपीसीजी लाइसेंस प्रदान करना ।

(च) एक अग्रिम लाइसेंस का मंजूरा जो स्टैण्डर्ड इनपुट आउटपुट नार्म्स के अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए शुल्क मुक्त निविष्टियो की हकदारी प्रदान करता है ।

(छ) ईओयू/ईपीजेड/एसइजेड योजना के तहत कृषि क्षेत्र भी निर्यात कर सकते हैं ।

[हिन्दी]

आकाशवाणी का कम्प्यूटरीकरण

*499. **श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर सेवाए प्रदान करने के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ख) यदि हा, तो प्रत्यक केन्द्र पर आने वाली अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध म अन्तिम निणय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) जी, हां। ससाधनों की उपलब्धता पर निभर करते हुए आकाशवाणी और दूरदशन केन्द्रा का कम्प्यूटरीकरण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। कई आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदशन केन्द्रों और कार्यालयों में पहले ही कार्यालय कार्य, कार्यक्रम निर्माण, सूचना के ऑनलाइन आदान-प्रदान आदि के लिए कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित उपस्कर/सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। हाल ही में 3.69 करोड रु. की पूजीगत लागत पर 200 विद्यमान कम्प्यूटरों के उन्नयन के साथ-साथ विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों तथा कार्यालयों के लिए 260 कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम स्वीकृत कर दी गई है। इस स्कीम को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ही पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न दूरदशन केन्द्रा में कम्प्यूटर आधारित उपस्कर/सुविधाए प्रदान करने सबधी कई स्कीमों को शुरू किए जाने का विचार है।

जहा तक आकाशवाणी का सबध है, 262 आकाशवाणी केन्द्रों/कार्यालयों में से 177 केन्द्रों/कार्यालयों में कम्प्यूटर सुविधाएं उपलब्ध हैं। चालू पचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी केन्द्रो/कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 9 करोड रु. का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक

*500. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने शेयर बाजार में अनुमत्य राशि से काफी ज्यादा का निवेश किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक शेयर दलाल की सहायता से बैंक ने बाजार में अपने शेयर के मूल्यों को काफी बढ़ा दिया था; और

(ग) यदि हां, इससे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के साथ यूटीआई बैंक के विलय पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और इस संबंध में सरकार द्वारा बैंक के विरुद्ध क्या कारवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) पूंजी बाजारों में बैंकों के एक्सपोजर से संबंधित विनियामक मानक निम्नांकित हैं : पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंकों को प्राथमिक तथा द्वितीयक बाजार के माध्यम से घरेलू क्रेडिट में बैंक के कुल अग्रिमों के 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन शेयरों, परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश करने की अनुमति है। जहां तक व्यक्तियों, स्टाक दलालों, बाजार सर्जकों को शेयरों के एवज में तथा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के लिए अग्रिम दिए जाने का संबंध है, यह संबंधित बैंक बोर्डों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए। ऐसे दलालों की ओर से स्टाक एक्सचेंजों को दी गई गारंटियां भी बोर्डों द्वारा निर्धारित उक्त उच्चतम सीमा में शामिल की जानी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने निवेश के मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। तथापि, बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा का मामूली उल्लंघन प्रतीत होता है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचित किया है कि अब तक की गई प्रारंभिक जांचों से यह उद्घाटित हुआ है कि अक्तूबर, 2000 से जनवरी, 2001 की अवधि के दौरान केतन पारेख से संबद्ध/द्वारा नियंत्रित निकाय प्रथम दृष्टया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक शेयरों के मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि (रिगिंग) में संलिप्त थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने केतन पारेख के दलाली निकायों तथा निवेश कंपनियों को लगभग 250 करोड़ रुपए की राशि का ऋण एवं ओवर ड्राफ्ट प्रदान किया ।

(ग) यूटीआई बैंक के साथ ग्लोबल ट्रस्ट बैंक विलय का एक प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के पास दर्ज किया गया था। शेयरों का विनिमय अनुपात निर्धारित करने के मानदंडों में से एक मानदंड ग्लोबल ट्रस्ट बैंक तथा यूटीआई बैंक का बाजार मूल्य था। बैंक विलय मामले में भारतीय रिजर्व बैंक निर्णायक प्राधिकारी है तथा सेबी ने भारतीय रिजर्व बैंक को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक स्क्रिप के मूल्य में प्रथम दृष्टया हेराफेरी के बारे में सूचित किया था। विलय को अभी वापस ले लिया गया है, क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक ने प्रस्तावित विलय के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है।

बैंकों में कर्मचारियों की यूनियनें

5025. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों में कर्मचारियों की यूनियनों को नियमित करने का है ताकि उनमें और अधिक दक्षता और अनुशासन बनाया रखा जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनियन नेताओं के साथ कोई बातचीत हुई है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक

5026. **श्री बाबूभाई के० कटारा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में माधवपुरा मर्केंटाइल बैंक की 22 शाखाओं से 8, 9 और 10 मार्च, 2001 को हजारों जमाकर्ताओं ने अपनी धनराशि आहरित कर ली है;

(ख) यदि हां तो शाखा-वार जमाकर्ताओं द्वारा कितनी राशि आहरित की गई;

(ग) धनराशि आहरण करने के क्या कारण हैं;

(घ) बैंक पर इस तरह के आहरण का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या उक्त बैंक के प्रबंधन ने भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट से 5.25 करोड़ रुपए तत्काल आहरित कर लिए हैं; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस धनराशि को किस तरह वितरित किया गया था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 9 मार्च, 2001 से माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक लि. (एमएमसीबी) अहमदाबाद की शाखाओं से जमाराशियों की बड़े पैमाने पर निकासी

की जा रही थी, जिसमें गुजरात में बैंक की सभी शाखाएं और मुम्बई में 2 शाखाएं प्रभावित हुई थीं। चूंकि 13 मार्च, 2001 से बैंक की शाखाएं बन्द हो गई थीं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक निकाली गई जमाराशियों के शाखा-वार ब्यौरे का मूल्यांकन नहीं कर पाया है।

(ग) और (घ) यह निकासी उन तीव्र अफवाहों के कारण की गई थी कि बैंक द्वारा श्री केतन पारिख, शेयर दलाल को दी गई गारंटी बैंक के जिम्मे आ गई है। एमएमसीबी से जमाराशियों की बड़े पैमाने पर निकासी का अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य शहरों में स्थित अन्य शहरी सहकारी बैंक पर प्रभाव पड़ा था। यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से यह संकट नियंत्रणाधीन हो गया था, किन्तु बैंक के बन्द हो जाने के कारण एमएमसीबी पर पड़े सही प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

(ङ) और (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद में एमएमसीबी द्वारा खोले गए चालू खाते से 5.25 करोड़ रुपए की रकम आहरित की थी। बैंक के बन्द हो जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक रकम निकाले जाने के प्रयोजन तथा उसके उपयोग का पता नहीं लगा पाया है।

[अनुवाद]

भारत में आई०डी०आर०सी० की गतिविधियां

5027. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मार्च, 2001 की "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में "आई.डी.आर.सी. वाइडन्स एक्टीविटीज इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आई.डी.आर.सी.) ने वर्षों से 350 परियोजनाओं को 83 मिलियन कनाडियन डालर उपलब्ध कराए;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिये आई.डी.आर.सी. द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गई है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान आई.डी.आर.सी. द्वारा कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने आज की तारीख तक भारत में विभिन्न संस्थाओं को लगभग 350 परियोजनाओं को लगभग 82.913 मिलियन कनाडी डालर की अनुदान सहायता मुहैया करायी है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र ने आगामी तीन वर्षों के दौरान मुहैया करायी जाने वाली निधियों की मात्रा का उल्लेख नहीं किया है क्योंकि निधियों का आवंटन वर्ष के दौरान परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् किया जाता है।

चमड़ा उत्पादों पर उत्पाद शुल्क

5028. **श्री सुनील खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चमड़े के तैयार माल पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाए जाने के कारण लघु चमड़ा उद्योग के सामने कठिनाई पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु चमड़ा उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधी एन० रामचन्द्रन) (क) और (ख) चमड़े के तैयार माल पर 16 प्रतिशत की सामान्य दर से उत्पाद शुल्क (सेनवैट) लगता है। तथापि जिन लघु उद्योग इकाइयों का वार्षिक कारोबार 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है उन्हें एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपए तक की निकासियों पर उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इस तरह ऐसी लघु स्तरीय चमड़े की इकाइयों को उत्पाद शुल्क में समुचित लाभ उपलब्ध है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

गेहूं की खरीद

5029. **डा० एस० वेणुगोपाल** : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार देश में बढ़िया किस्म के गेहूं की तुलना में श्रेष्ट दुरम गेहूं के लिए अलग खरीद नीति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस किस्म के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार

के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार की वसूली नीति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की वसूली करती हैं। गेहूं के कोई अलग ग्रेड और अंतर मूल्य नहीं हैं। विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी किस्में/ग्रेड भारतीय खाद्य निगम/राज्य द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वसूल किए जाते हैं।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान

5030. **श्री जी०जे० जावीया : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ, उत्तर प्रदेश की स्थापना पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या संस्थान को बंद करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और संस्थान में पहले से लगे कर्मचारियों का क्या होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो किस संभावित तारीख तक संस्थान के काम करना शुरू करने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) 1993-94 से 2000 01 तक राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ पर सरकार 15.87 करोड रुपए की अनुमानित धनराशि खर्च कर चुकी है।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय मानीटरिंग ग्रुप ने अपनी 27 जनवरी, 2000 की बैठक के दौरान यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान अभी एक संस्था के रूप में पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है अत: इसे बंद कर दिया जाए और इसकी परिसंपत्तियां उस केंद्रीय/राज्य एजेन्सी को अंतरित कर दी जाएं, जो उस क्षेत्र में स्थान की तलाश में हो। ग्रुप ने यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो कार्य किए जाने थे उन्हें राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर को सौंपा जा सकता है।

इस सिफारिश को देखते हुए, सरकार राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसंपत्तियों को कृषि मंत्रालय के अधीन एक संस्थान अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को अंतरित करने की संभाव्यता पर विचार कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा है।

जहां तक काम कर रहे कर्मचारियों का संबंध है, इस मामले को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा राष्ट्रीय गन्ना और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान की परिसंपत्तियों को अपने हाथ में लेने के बारे में निर्णय लेने के बाद उक्त परिषद् के साथ उठाया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) में बताई गई परिस्थितियों को देखते हुए, अभी कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती ।

दीर्घावधि राजकोषीय नीति

5031. **श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने कई विकसित और विकासशील देशों की तरह देश में दीर्घावधि राजकोषीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजकोषीय घाटे के मध्यम अवधि प्रबन्धन हेतु समिति का गठन किया है;

(घ) क्या सरकार ने व्यय प्रबंधन और पुनर्गठन के लिए व्यय आयोग का भी गठन किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति और आयोग ने अपनी-अपनी रिपोर्टें सौंप दी हैं; और

(च) यदि हां, तो उक्त समिति और आयोग द्वारा अलग-अलग की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (च) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजकोषीय प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और राजकोषीय उत्तरदायित्व संबंधी एक प्रारूप की सिफारिश करने के लिए 17 जनवरी, 2000 को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान-समिति गठित की गई। राजकोषीय घाटे के मध्यावधिक प्रबंध के लिए वर्ष 2000-01 के बजट में भी राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम में निहित सुदृढ़ संस्थागत प्रक्रिया शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इस उद्देश्य से दिसम्बर, 2000 में लोक सभा में एक राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक, 2000 पेश किया गया। इस विधेयक में राजस्व घाटा समाप्त करने, राजस्व घाटा कम करने और एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ऋण को स्थिर करने के लिए एक वैधानिक और संस्थागत ढांचे की व्यवस्था की गई है।

व्यय सुधार आयोग का गठन 28 फरवरी, 2000 को किया गया। व्यय सुधार आयोग ने अब तक पांच रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। ये निम्नलिखित हैं:-

पहली रिपोर्ट खाद्य सब्सिडी पर दूसरी रिपोर्ट चार भागों में है, जिनमें यह शामिल हैं।

भाग-I— उवरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना;

भाग-II— सरकारी कर्मचारियों की संख्या को ईष्टतम बनाना—कुछ सामान्य मुद्दे;

भाग-III— सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्ति-संगत करना; और

भाग-IV— कोयला मंत्रालय के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्तिसगत करना।

तीसरी रिपोर्ट—आर्थिक कार्य विभाग का पुनर्गठन ।

चौथी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्तिसंगत बनाना;

(2) भारी उद्योग विभाग के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्तिसगत बनाना; और

(3) लोक उद्यम विभाग के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्तिसंगत बनाना ।

पांचवीं रिपोर्ट तीन भागों में है :-

भाग-I— डाक विभाग के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्तिसंगत बनाना;

भाग-II— आपूर्ति विभाग के कार्यों, गतिविधियों और गठन को युक्तिसगत बनाना; और

भाग-III— स्वायत्त संस्थाओं पर रिपोर्ट।

सब्सिडी को कम करने की दृष्टि से खाद्य सब्सिडी संबंधी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ बेहतर लक्ष्य निर्धारण, भारतीय खाद्य निगम के उपरिप्रभारों को न्यूनतम करने के प्रयासों, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों को अधिप्राप्ति, व्यापार और निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करने को प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश की गई है। उर्वरक संबंधी सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ नियंत्रण प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, छोटे-छोटे किसानों को दोहरी मूल्य योजना के रूप में संरक्षण देने के लिए कतिपय कदम उठाने और रोजगार गारण्टी योजना एवं ग्रामीण निर्माण कार्यों का विस्तार आदि की सिफारिश की गई है। सरकारी कर्मचारियों की संख्या को इष्टतम बनाने से संबंधित रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ 1.1.2000 को विद्यमान स्टाफ में 10 प्रतिशत की कटौती को वर्ष 2004-2005 तक करने, दो वर्ष तक नए पदों के सृजन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने, अतिरिक्त घोषित किए गए स्टाफ को अतिरिक्त स्टाफ सेल में अन्तरित करने और उसका नाम पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन प्रभाग रखने की सिफारिश की गई है। आर्थिक कार्य, सूचना एवं प्रसारण, कोयला, डाक, भारी उद्योग, आपूर्ति, लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालयों/विभागों तथा स्वायत्त संस्थाओं से संबंधित रिपोर्टों में मुख्य रूप से यौक्तिकरण, पुनर्गठन और आकार कम करने की सिफारिश की गई है।

माधवपुरा मर्कैंटाइल कोऑपरेटिव बैंक

5032. **श्री किरीट सोमैया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत माधवपुरा मर्केंटाइल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध आपराधिक शिकायत दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात और महाराष्ट्र में अनेक सहकारी बैंकों की बहियों की संवीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों के लाइसेंसिंग और खुलासा संबंधी मानकों को कठोर बनाने जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मांग मुद्रा उधार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को झूठा बयान देने तथा अपेक्षित सूचना देने के लिए दिए गए आश्वासन को पूरा करने में असफल रहने के लिए माधवपुरा मर्केन्टाइल कोआपरेटिव बैंक, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के विरुद्ध मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद के न्यायालय में दिनांक 14 मार्च 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58(ख) के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 के अन्तर्गत आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गया में खराब प्रसारण

5033. **श्री रामजी मांझी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया में दूरदर्शन का खराब प्रसारण होता है जिसके कारण अनेक लोग दूरदर्शन पर प्रसारण सुविधा से वंचित हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या प्रसारण टावर को ऊंचा बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या गया में डी.डी. 2 उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गया स्थित एक अल्प शक्ति टी.वी ट्रान्समीटर (डी.डी.-1) अपने कवरेज क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्ण शक्ति से कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, गया जिले के कुछ भाग पटना एवं डाल्टनगंज स्थित डी.डी.-1 उच्च शक्ति टी वी ट्रान्समीटरों के कवरेज क्षेत्र में पड़ते हैं। तथापि, वर्तमान में गया जिले में अन्य डी.डी.-1 ट्रान्समीटर स्थापित करने की कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। इसके अलावा, जिले में डी.डी.-1 सेवा का विस्तार दूरदर्शन में संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(घ) जी, हां।

(ङ) गया में डी.डी. 2 सेवा के लिए एक अल्प शक्ति ट्रान्समीटर की स्थापना की स्कीम मंजूर कर दी गयी है। इस परियोजना का 2002 तक पूरा किये जाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में अनियमितताएं

5034. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **वित्त मंत्री** 24 नवम्बर 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 931 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के सतर्कता अधिकारी ने दिनांक 12.10.2000 की शिकायत पर जांच संबंधी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और सतर्कता अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार डी.ओ. 310900 के अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध 12.10.2000 के पश्चात्, प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या भ्रष्टाचार की शिकायतों को जांच के लिये सी.बी.आई. अथवा अन्य जांच एजेंसियों को सौंपे जाने की संभावना है;

(च) क्या निष्पक्ष जांच न करने और जांच को जानबूझकर विलम्बित करने के लिये दिल्ली आर.ओ.-I के सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सूचित किया है कि दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के सतर्कता अधिकारी ने दिनांक 12.10.2000 की शिकायत पर अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है। उक्त शिकायत के संदर्भ में इसी स्रोत से दिनांक 9.1.2001, 1.2.2001, 15.2.2001 और 12.3.2001 की कुछ और शिकायतें भी प्राप्त हुई। ये शिकायतें दिल्ली मण्डल कार्यालय-310900 के अधिकारियों द्वारा दावों के कथित अनुचित निपटान से संबंधित थीं। इस इश्योरेंस कं. ने मुख्यालय के सतर्कता विभाग से उप-प्रबंधक के स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है जो दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-I के सतर्कता अधिकारी साथ मिलकर सयुक्त रूप से जांच-कार्य कर रहे हैं। जांच काय अब अंतिम चरण में है। यह रिपोर्ट, जिसके जल्द ही आने की उम्मीद है, प्राप्त होने पर कम्पनी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) इस संबंध में यह निणय जाच-रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही लिया जा सकता है कि ये शिकायतें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी जाए अथवा अन्य जाचकर्ता अभिकरणों को सौंपी जाए ।

(च) और (छ) कम्पनी को दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-I के सतर्कता अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच मुख्यालय के सतर्कता विभाग के उप-प्रबंधक द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक में गंदे और कटे-फटे नोट

5035. श्री जी०एस० बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या कर्नाटक क्षेत्र में गंदे और कटे-फटे नोटों की बड़ी समस्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के प्रत्येक जिले में गंदे और कटे-फटे नोटों के बदले सिक्के जारी करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गंदे और कटे-फटे नोटों के प्रचालन के संबंध में राज्य में हासन और रायचूर जिलों को सबसे अधिक प्रभावित जिलों के रूप में पहचान की है;

(घ) क्या इसके लिये स्थानीय बैंकों की मदद मांगी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) कर्नाटक सहित देश के कुछ भागों में गंदे नोटों के प्रचलन के मामले सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ख) -(घ) और (ङ) सरकारी क्षेत्र के बैंक की सभी शाखाओं को अनुदेश दिए गए हैं कि लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए गंदे नोटों को बेरोकटोक बदला जाए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तिजोरी वाली सभी शाखाओं को लोगों द्वारा प्रस्तुत कटे-फटे नोटों के संबंध में निर्णय लेने के लिए पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

लोगों द्वारा प्रस्तुत गंदे नोटों को बदलने और कटे-फटे नोटों पर निर्णय लेने दोनों के लिए स्थानीय बैंकों की मदद मांगी गई है। उन्हें गंदे नोटों को अच्छे नोटों/सिक्कों से बदलने, गंदे नोटों को प्रचलन से हटाने के लिए महत्वपूर्ण बाजार स्थलों/कारोबारी केन्द्रों पर चल (मोबाइल) सेवाएं शुरू करने के लिए अपनी शाखाओं में विशेष काउण्टर खोलने की सलाह दी गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाली तिजोरी वाली शाखाओं को उनके स्टाक के पुनर्भरण के लिए नए नोट एवं सिक्के भेजते हैं ताकि संबंधित तिजोरी युक्त शाखाओं को बदले में नए नोट और सिक्के देने में सुविधा हो।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों की भंडारण क्षमता

5036. श्री स्वदेश चक्रवर्ती :
श्री सुनील खां :
श्री रूपचन्द मुर्मू :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1 जनवरी, 2001 की स्थित के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता का प्रतिशत उपयोग, 10 प्रतिशत कम हो गया है; और

(ख) सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता का उपयोग 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार अब तक सबसे अधिक 90% हुआ है और 1.2.2001 को यह और बढ़कर 92% हो गया है।

(ख) क्षमता उपयोग में वृद्धि करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) डिपुओं में पड़े पुराने/बेकार स्टाक को समाप्त कर दिया जाए;

(ii) चट्टों की ऊंचाई बढ़ाई जाए;

(iii) क्षतिग्रस्त खाद्यान्न को समाप्त कर दिया जाए;

(iv) प्रत्येक डिपु में उपलब्ध भंडारण क्षमता पर निकट से निगरानी करना; और

(v) पार्ट चट्टों को समाप्त करना।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

5037. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अफीम उत्पादकों ने बर्फीली हवाओं और अफीम के पौधों के एक विशिष्ट रोग के कारण अफीम के उत्पादन में कमी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) महोदय, अफीम उगानेवाले कुछेक कृषकों ने बर्फीली हवाओं, रोग, पानी की कमी आदि के कारण हुई क्षति सहित विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त फसल को अंशतः/पूर्णतः उखाड़ने के लिए आवेदन किया है।

(ख) अनुरोध के अनुसार निराई न की गई क्षतिग्रस्त फसल को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की देख-रेख में उखाड़ा जा रहा है।

[अनुवाद]

साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा

5038. श्री भेरूलाल मीणा : क्या **वित्त मंत्री** 8 दिसम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मांगी गई सूचना अब एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हा।

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने सूचित किया है कि अप्रैल और सितम्बर, 1999 में नोएडा में दो फ्लैट आवंटित किए गए थे लेकिन अधिकारियों ने उनमें रहना शुरू नहीं किया क्योंकि उनमें बडे पैमाने पर मरम्मत-कार्य किया जा रहा था। चूंकि अधिकारियों ने फ्लैटों में निवास नहीं किया था, इसलिए कम्पनी ने उनसे किसी प्रकार के किराए की वसूली नहीं की थी। साधारण बीमा निगम ने यह भी सूचित किया है कि नोएडा में कोई फ्लैट आवंटन हेतु खाली नहीं है और 18 अधिकारी या तो हाल में हुए स्थानांतरण के कारण अथवा उपयुक्त आवास व्यवस्था के आवंटन की प्रतीक्षा इत्यादि के कारण अतिथि-गृहों में रह रहे थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आई.डी.बी.आई. के अध्यक्ष की नियुक्ति

5039. **श्री सुबोध मोहिते :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार को आई.डी.बी.आई. के अध्यक्ष के पद के लिए नियुक्ति समिति द्वारा संस्तुत्य नामों की सूची प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर कोई आपत्ति है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आई.डी.बी.आई. के अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में नियुक्ति बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है। नियुक्ति बोर्ड की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के अध्यक्ष का पद शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में निजी बैंक

5040. **श्री रामदास रुपला गावीत :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिला-वार कितने गैर-सरकारी बैंक हैं;

(ख) इन बैंकों में अनुसूचित सहकारी बैंकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में गैर-सरकारी बैंक खोलने के सबंध में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अनुमति देने में क्या मानदण्ड अपनाया जाता है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

प्याज का निर्यात

5041. **श्री अनन्त नायक :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान प्याज का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से प्याज निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) कितनी मात्रा में प्याज का निर्यात किए जाने का प्रस्ताव है और इसके लिए क्या निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान भी प्याज के निर्यात की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) राज्य-वार निर्यात संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध सूचना के आधार पर जिन प्रमुख राज्यों से प्याज का निर्यात किया जा रहा है उनमें शामिल हैं :- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बगाल।

(ग) यह प्रस्ताव किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान 5 लाख मीट्रिक टन प्याज की मात्रा का निर्यात करने की अनुमति दी जाए। प्याज की निर्यात कीमत मासिक आधार पर, प्याज की बाजार में आवक उसकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। विभिन्न गंतव्य स्थानों के संबंध में माह अप्रैल 2001 के लिए प्याज की न्यूनतम निर्यात कीमत 150 अमरीकी डालर से 300 अमरीकी डालर सी आई एफ प्रति मीट्रिक टन तक निर्धारित की गई है। प्याज की दक्षिण भारतीय किस्मों के लिए न्यूनतम निर्यात कीमत 300 अमरीकी डालर से लेकर 385 अमरीकी डालर सी आई एफ प्रति मीट्रिक टन के बीच है।

सम्पत्ति खरीदने पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क

5042. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बंगलौर ने सम्पत्ति खरीदने पर मार्च, 1996 में स्टाम्प शुल्क के रूप में 1.58 करोड रुपए का भुगतान किया था;

(ख) क्या स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी,

(ग) यदि हां, तो स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के क्या कारण थे;

(घ) क्या स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए और इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां। मार्च, 1996 में कर्नाटक आवास बोड से रिहायशी क्वार्टरों की खरीद के लिए आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बगलौर द्वारा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में कर्नाटक सरकार को 1.58 करोड़ रुपए की राशि अदा की गई थी।

(ख) से (ङ) चूंकि राज्य सरकार ने बिक्री प्रलेख के निष्पादन के लिए पूर्व-शर्त के रूप में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस की अदायगी के लिए बल दिया था, इसलिए इसे अदा कर दिया गया। तथापि, उपर्युक्त स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस को वापिस लेने के लिए मामले को राज्य सरकार के पास आगे बढ़ाया गया था। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अदा की गई संपूर्ण राशि पहले ही वापिस कर दी है। जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अदायगी राज्य सरकार के आग्रह पर ही की गई थी।

नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन

5043. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन के विकास आयुक्त, 1998 के दौरान 1992 से फरार आबंटी के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही करने में विफल रहे थे जिसके कारण पट्टाधारकों से 65 लाख रुपए की वूसली नहीं की जा सकी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) धनराशि की वसूली और दोषी को बेदखल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) विकास आयुक्त, नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, नोएडा ने पहले ही 1995 में 65 लाख रु. के बकाया किराया प्रभार की वसूली के लिए कार्रवाई की है और राज्य के राजस्व प्राधिकारियों से भू-राजस्व की देनदारियों के रूप में बकाया रकम की वसूली के लिए अनुरोध किया है। इसक अलावा एकक द्वारा आयातित/घरेलू बाजार से खरीदी गई पूजीगत वस्तुए और कच्चा माल अभी भी जोन में उनके परिसर में पड़ा है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने एकक से सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और यह मामला अपीलीय प्राधिकारी के पास लम्बित है। बेदखली कार्रवाई इसके समाधान के बाद ही आरम्भ की जा सकती है।

विश्व व्यापार संगठन के मत्स्यन संबंधी मानक

5044. **डा० एन० वेंकटस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मत्स्यन संबधी मानक के बारे में विश्व व्यापार सगठन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस देश के मामले में उक्त मूल्य अस्वीकार कर दिया गया है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में किन मानकों का सुझाव दिया है अथवा सुझाव देना चाहती है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मत्स्यपालन संबंधी मानकों के बारे में डब्ल्यू टी ओ का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्रेडिट कार्ड व्यापार

5045. **श्री जय प्रकाश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्रेडिट कार्ड व्यापार पर विदेशी बैंकों का एकाधिकार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस व्यापार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी बैंकों का प्रतियोगी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय स्तर पर क्रेडिट कार्ड व्यापार के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं और विदेशी बैंक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्यमान नियमों के आधार पर अपने निजी नियम बना रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार क्रेडिट कार्ड धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके कार्यकरण अथवा नियमों आदि को दर्शाने में पारदर्शिता लाने के लिए विदेशी बैंकों को निर्देश जारी करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार के कब तक इस संबंध में निर्णय लेने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से उसे जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों की कुल संख्या क्रमश: 10.60 लाख और 23.83 लाख थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2000 के अंत में क्रेडिट कार्ड संबंधी कुल कारोबार क्रमश: 1916.42 करोड़ रुपए और 6198.40 करोड़ रुपए का था।

(ख) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि केवल उन बैंकों को, जिनकी निवल मालियत 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक हो, अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से क्रेडिट कार्ड जारी करने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि आवेदन पत्रों के समुचित मूल्यांकन के लिए और अशोध्य ऋणों/धोखाधडियों की घटनाओं को कम करने के लिए देयराशियों के अनुवर्तन हेतु प्रभावी प्रणाली बनाएं। बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्रेडिट कार्ड व्यापार के संबंध में पुनरीक्षा रिपोर्ट अपने निदेशक बोर्ड को भेजें, जिसमें कार्डों की संख्या, प्रति कार्ड औसत कारोबार, कुल कारोबार, व्यवसाय का लागत लाभ विश्लेषण, अशोध्य ऋण और उनके विरुद्ध किए गए प्रावधान शमिल हों। क्रेडिट कार्ड व्यापार के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी निर्देश सभी श्रेणी के बैंकों, चाहे वे सरकारी क्षेत्र के बैंक हों, गैर-सरकारी क्षेत्र के या विदेशी बैंक, पर समान रूप से लागू होंगे।

[अनुवाद]

असम का बजट घाटा

5046. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान असम राज्य सरकार और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का बजट घाटा वर्षानुवर्ष बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कारण और विवरण क्या है; और

(ग) प्रधान मंत्री के इस क्षेत्र के लिए त्वरित विकास कार्यक्रम के तहत इन राज्यों को दिए गए आर्थिक पैकेज का क्या प्रभाव पड़ा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह घाटा, संबंधित राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय के बीच आए असंतुलन, विशेषतौर पर संस्थापना व्यय में वृद्धि के कारण है।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सामाजिक आर्थिक विकास पैकेज में बैंकिंग और वाणिज्य, सीमा सड़कें एवं व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, नागर विमानन, बाढ नियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, बागवानी आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहायताओं को शामिल किया गया है। इसकी समय-सूची केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अभिकरणों और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनिर्मित (तैयार) योजना स्कीमों के अनुसार होगी। स्कीमों के कार्यान्वयन और पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के सामाजिक आर्थिक विकास की कार्यसूची (एजेन्डा) में कार्यक्रमों का मानीटरन और पुनरीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

1998-99 से 2000-2001 के दौरान बजट अधिशेष (+)/घाटा(-)

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	1998-99 (लेखा)	1999-2000 (संशोधित अनुमान)	2000-01 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
1.	अरूणाचल प्रदेश	25.59	18.58	29.24
2.	असम	63.64	-876.98	-854.84
3.	मणिपुर	-60.61	-260.92	-260.50
4.	मेघालय	73.14	-106.34	-219.14
5.	मिजोरम	-66.08	-99.93	-62.08

1	2	3	4	5
6.	नागालैंड	-59.83	43.81	29.48
7.	त्रिपुरा	29.94	-40.77	223.70
8.	सिक्किम	13.04	-17.16	-19.40

[हिन्दी]

बिहार में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां

5047. **श्री राजो सिंह :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की सभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2000-2001 के दौरान मुंगेर जिला, बिहार में मै॰ ग्लोब्रल से एक आवेदन प्राप्त हुआ था और मंजूरी पत्र प्रदान कर दिया गया है।

लिथार्ज पर आयात शुल्क

5048. **श्री रघुवीर सिंह कौशल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लिथार्ज और इसके विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले लेड-इनगोट पर किस दर से आयात शुल्क लगाया गया है;

(ख) क्या लिथार्ज का आयात करने वाली कुछ औद्योगिक इकाइयों को आयात शुल्क में रियायत दी गई है जबकि लिथार्ज के विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे लेड इनगोट के आयात पर लिथार्ज का विनिर्माण करने वाली लघु औद्योगिक इकाइयों को ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति के परिणामस्वरूप लघु इकाइयां बन्द हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु इकाइयों को बन्द होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) लिथार्ज और लेड-इनगोटस पर आमतौर पर 35% की दर से मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(ख) ग्लास शैलों अथवा रंगीन पिक्चर ट्यूबों के हिस्सों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए आयातित लिथार्ज पर 15% की रियायती दर से मूल सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(ग) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय लिथार्ज का विनिर्माण करने वाली लघु उद्योग इकाइयों की सूची नहीं रखता है। अत: यह बताना सम्भव नहीं है कि ऐसी किसी इकाई को बन्द किया जा रहा है अथवा नहीं।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

उद्योग क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर व्यय

5049. **श्री मोइनुल हसन :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी और विकसित देशों के विपरीत भारतीय व्यापार/औद्योगिक घराने अनुसंधान और विकास पर बहुत कम धनराशि खर्च करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए उद्योग में अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) 1996-97 के दौरान भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास व्यय, पश्चिमी और विकसित देशों के 2-3% की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का 0.66% था।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की 166 एककों द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान किया गया अनुसंधान और विकास व्यय क्रमश: 414.61 करोड़ रुपये, 427.58 करोड़ रुपये और 536.05 करोड़ रुपये था।

159 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठनों सहित निजी क्षेत्र के 1270 आन्तरिक (इन-हाउस) अनुसंधान और विकास एककों द्वारा किया गया अनुसंधान और विकास व्यय तथा 121 आंतरिक अनुसंधान और विकास एककों के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान कुल अनुसंधान और विकास व्यय क्रमश: 1318.87 करोड़ रुपये, 1627.07 करोड़ रुपये तथा 1796.96 करोड़ रुपये था।

बैंकों में धोखाधड़ी

5050. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** 15.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सूचना के कब तक सदन के पटल पर रखे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) दिनांक 15.12.2000 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4157 के सन्दर्भ में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए संबद्ध बैंकों से सूचना अभी प्राप्त होनी है जिसकी शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। आश्वासन को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन विवरण दिनांक 15.06.2001 तक दिए जाने की संभावना है।

अग्रिम अर्थोपाय

5051. **श्री त्रिलोचन कानूनगो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि के अग्रिम/अधिविकर्ष अर्थोपायों का लाभ उठाया गया और इस अग्रिम अर्थोपाय पर भारतीय रिजर्व बैंक को कितने ब्याज का भुगतान किया गया; और

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिम और अधिविकर्ष अर्थोपाय पर कितने दिनों की अनुमति दी गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) किसी भी राज्य और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच अन्तरण दोनों के मध्य पारस्परिक समझौते के अनुसार सचालित होता है। चूंकि यह बैंकर और ग्राहक (भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार) के बीच का मामला है, अत: ऐसी सूचना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित/सार्वजनिक नहीं की जाती है।

(ख) यद्यपि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है, तथापि राज्यों से अर्थोपाय अग्रिम 90 दिन में अदा करने की उम्मीद की जाती है। विशेष अर्थोपाय अग्रिम (रक्षित), जिन्हें भारत सरकार दिनांकित सेक्योरिटीज/ट्रेजरी बिलों में राज्य के स्वामित्व के अनुरूप बढ़ाया जाता है, की कोई समय-सीमा नहीं है। हाल ही में 1 फरवरी, 2001 से संशोधित राज्य सरकारों पर लागू ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के तहत :-

(1) किसी भी राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट को लगातार 12 कार्य दिवस (पहले 10) से अधिक की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(2) ओवरड्राफ्ट की सीमा सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा के शत-प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ऐसे पहले अवसर पर जिस वित्तीय वर्ष में इसका अतिक्रमण होगा भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार को यह सलाह देगा कि किसी आगामी अवसर पर ओवरड्राफ्ट की राशि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अगर दूसरे ही या आगामी किसी अवसर पर उसी वित्तीय वर्ष में अतिक्रमण होता है तो राज्य को पांच कार्य दिवस (पहले तीन) की नोटिस दी जाती है कि वह ओवरड्राफ्ट की राशि को सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा से 100 प्रतिशत के स्तर पर ले आए।

[हिन्दी]

कृषि उत्पादों का निर्यात

5052. **श्री माणिकराव होडल्या गावित** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में निर्यात में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विदेशों में इन उत्पादों के अस्वीकार से बचने के लिए इन कृषि उत्पादों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के लिए कृषि उत्पादों (चाय, कॉफी, समुद्री उत्पाद, अरण्डी तेल, कपास समेत) का कुल निर्यात नीचे दिया गया है:-

(मूल्य करोड रु० में)

वर्ष	कृषि निर्यात
1999-2000 (अप्रैल-मार्च)	23823
2000-01 (अप्रैल-दिस०)	18714
1999-2000 (अप्रैल-दिस०)	18097

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता।

प्रत्येक कृषि उत्पाद की मात्रा एवं मूल्य तथा उन देशों का ब्यौरा जहां निर्यात किया जाता है, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस), कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार संबंधी आंकड़ों के मासिक/वार्षिक अंक में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

(ख) वर्ष 2000-01 (अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि में वर्ष 1999-2000 की संगत अवधि की तुलना में कृषि निर्यातों में वृद्धि हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के और विदेशी बाजारों में इनकी अस्वीकार्यता से बचने की दृष्टि से उनमें गुणवत्तात्मक सुधार लाने के लिए कुछेक उपाय किए गए हैं जिनमें शामिल हैं:-

1. अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी व बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करना, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन करना, पुराने बागानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता में सुधार लाना, किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

2. प्रसंस्करण एककों को आईएसओ9000/एचएसीसीपी जैसी गुणवत्ता प्रणाली को अपनाने समेत उन्नत पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

3. विदेशी बाजारों में पहुंच हासिल करने के लिए उत्पाद, विशेषकर आमों के कीट के प्रकोप को दूर करने हेतु वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की स्थापना करना;

4. ताजे फलों और सब्जियों और पुष्पोत्पादों जैसी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना;

5. ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों, नीलामी प्लेटफार्मों, पक्वन/क्यूरिंग चैम्बरों और गुणवत्ता जांच उपकरणों की स्थापना हेतु सुलभ ऋण की व्यवस्था करना;

6. गुणवत्ता सुनिश्चित करने, संदूषण दूर करने और फफूंदी एवं जीवाणु से मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु उत्पादों की जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना;

7. कपास में ड्रिप और गन्ना योजनाओं, गन्ने में आर्द्र ताप बीज अभिक्रिया इत्यादि जैसे जल बचत उपायों के लिए सहायता क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और बीज, औजार, प्रासंगिक उपकरणों जैसी अत्यावश्यक निविष्टियों के प्रयोजनार्थ किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

8. क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

9. डाटा बेस के विकास और बाजार सूचना मुहैया कराने के लिए सहायता प्रदान करना; और

10. म्योकार्य अवशेष स्तरों के लिए निगरानी योजनाओं समेत कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु मानक विकसित करना।

[अनुवाद]

सुपर बाजार में आवश्यक वस्तुएं

5053. **श्री चिंतामन वनगा** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार की अधिकतर शाखाओं में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में सुपर बाजार की प्रत्येक शाखा में किराना, औषध और जनरल विभागों में सभी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि आटा, चीनी, नमक आदि जैसी सभी आवश्यक वस्तुएं अधिकांशत: सुपर बाजार की सभी शाखाओं में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) सुपर बाजार के कारोबार से संबंधित मामलों में भारत सरकार दखल नहीं देती। सुपर बाजार एक बहुराज्यीय सहकारी सोसायटी है। सुपर बाजार की प्रत्येक शाखा में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सुपर बाजार के प्रबंधन द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

धान उत्पादक किसानों हेतु राहत पैकेज

5054. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्रोब डीमान्डेड इन्टू यूज आफ फड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने गत वर्ष राज्य के धान उत्पादक किसानों के लिए राहत पैकेज के तहत हरियाणा सरकार को केन्द्र द्वारा जारी की गयी धनराशि के उपयोग की उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश दिया है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या जांच पूरी कर ली गयी है और सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी हां।

(ख) समाचार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा यूनिट ने राज्य के धान उत्पादक किसानों को राहत पैकेज के अधीन पिछले वर्ष राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा रिलीज निधियों के उपयोग की उच्चस्तरीय जाच कराने की माग की है।

(ग) चूंकि सरकार ने राज्य के धान उत्पादक किसानों के लिए राहत पैकेज के अधीन हरियाणा सरकार को कोई निधि रिलीज नहीं की है, इसलिए उच्चस्तरीय जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी अभियंता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

5055. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारबाल, श्रीनगर में स्थापित 2 × 500 के वी ए डी जी के कार्य में अनियमितताओ के मामले में आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध के वर्तमान मुख्य अभियंता स्तर-2 विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में जाच अधिकारी ने वर्ष 1997-98 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आरोप को सिद्ध कर दिया था;

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार द्वारा अब तक जाच रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वही अधिकारी अन्य मामले में भी बड़े दांडिक आरोप पत्रों का सामना कर रहा है और वह निर्माण और विवाचन मामले के संबंध में वित्तीय शाक्तियों के उपयोग करने का संवेदनशील प्रभार लिए हुए है; और

(ङ) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) नारवाल, श्रीनगर में 2 × 500 के वी ए डी जी सैटों संबंधी कार्य में अनियमितताओं के मामले में आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध में वर्तमान मुख्य अभियंता स्तर-2 के विरुद्ध शुरू की गई अनुशासनिक कार्यवाही संबधी जांच रिपोर्ट की जांच की जा रही है जिसके पूरा होने पर अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) इस अधिकारी को अन्य मामलों में भी आरोप-पत्र दिये गये हैं। तथापि, सगठन की प्रशासनिक अपेक्षाओं और सबंधित अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवंटित किए जाने वाले कार्य तथा उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के बारे में निर्णय प्रसार भारती द्वारा लिया जाना है।

चीनी मिलों का बन्द होना

5056. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री टी॰एम॰ सेल्वागनपति :
श्री रामदास आठवले :
डा॰ वी॰ सरोजा :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार कितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) रूग्ण चीनी मिलों का पुनरूद्धार करने और बंद मिलों को पुन: खोलने के लिए शुरू किए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों और चीनी मिलों की सहायता करने के लिए विद्यमान योजनाओं के अतिरिक्त चीनी मिलों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद न करने के कारण किसानों को अपनी गन्ने की फसलें जलानी पड़ीं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) वर्तमान चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान जिन चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया, उनकी राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार ने रूग्ण चीनी मिलों को जीवनक्षम बनाने/चीनी उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:-

(1) चीनी मिलों की लेवी देयता, जो 1.1.2000 से 40% से कम करके 30% कर दी गई थी, 1.2.2001 से पुन: कम करके 15% कर दी गई है।

(2) देश में आयातित चीनी की आमद को नियंत्रित करने के लिए 9.2.2000 से सीमा शुल्क बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था के अधीन लाया गया है।

(3) खुली बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्तियां विवेकपूर्ण ढंग से की जा रही हैं ताकि चीनी उद्योग को उचित मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।

(4) लाइसेंसिंग वर्ष 2000-2001 (अप्रैल-मार्च) में 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी गई है।

(5) जरूरतमंद चीनी मिलों को खुली बिक्री की चीनी की अग्रिम निर्मुक्तिया की जा रही हैं ताकि वे किसानों को गन्ने के मूल्य की देय धनराशि का भुगतान कर सकें।

(6) रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के मामलों की जांच करने तथा संभावित व्यवहार्य इकाइयों को जीवनक्षम बनाने संबंधी पैकेजों की सिफारिश करने के लिए सचिव (खाद्य और सार्वजनिक वितरण) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(7) सरकार संभावित व्यवहार्य रूग्ण चीनी मिलों को ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए चीनी विकास निधि नियम, 1983 में संशोधन करने के बारे में विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) किसानों को आदान (इनपुट्स) मुहैया कराने के लिए सरकार चीनी फैक्ट्रियों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने की कोई योजना आरम्भ करने के बारे में फिलहाल विचार नहीं कर रही है।

(च) और (छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) ऐसी किसी घटना की सूचना इस मंत्रालय को नहीं मिली है।

विवरण

वर्तमान चीनी मौसम 2000-2001 के दौरान जिन चीनी मिलों ने काय नहीं किया, उनकी राज्यवार संख्या

(28.2.2001 को स्थिति के अनुसार)

राज्य	चीनी मिलों की संख्या
1	2
पंजाब	1
हरियाणा	–
राजस्थान	2
उत्तर प्रदेश	17
मध्य प्रदेश	3
गुजरात	5
महाराष्ट्र	7
बिहार	18
असम	2
आंध्र प्रदेश	7
कर्नाटक	4
तमिलनाडु	1
केरल	1
उड़ीसा	3

1	2
पश्चिम बंगाल	—
नागालैंड	1
पांडिचेरी	—
गोवा	—
कुल:	72

[हिन्दी]

आकाशवाणी के माध्यम से संस्कृत पढ़ाना

5057. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी के प्रमुख केन्द्र संस्कृत सहित सभी मान्यताप्राप्त भाषाओं में भाषा पाठ प्रसारित करते हैं। दूरदर्शन के चैनलों पर इस तरह का कोई पाठ प्रसारित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में विनिवेश

5058. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में विनिवेश हेतु अन्तिम सीमा जुलाई 2001 निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विनिवेश प्रस्ताव से अर्जित होने वाले मुनाफे का ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख के अनुसार नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कितना मुनाफा कमा रहा है;

(घ) क्या नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नकदी आगम सरकार की इकाई-वार नीति पर निर्भर है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार नई प्रणाली के तहत नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वित्तीय व्यवहार्यता की किस ढंग से रक्षा करती है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) विनिवेश कार्रवाई का पूरा होना बाजार परिस्थितियों, विधिवत अध्यवसाय के लिए संभावित बोलीदाताओं द्वारा लिए गए समय, करारों को अंतिम रूप दिए जाने, की गई पेशकश की साझीदारी में निवेशकों की प्रतिक्रियाओं आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। बाजार से संबंधित ऐसे कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय करना संभव नहीं है। तथापि, निर्धारित क्रिया-विधियों तथा विनियमनों के अनुसरण में, प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करना सरकार का प्रयास रहता है।

(ख) प्रस्तावित विनिवेश से प्राप्त होने वाली राशि, बाजार परिस्थितियों, कम्पनी का वित्तीय कार्य निष्पादन, बिक्री के निबन्धन और शर्तों, सम्भावित निवेशकों की अभिरूचि इत्यादि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करेगी। इसलिए विनिवेश से होने वाली अनुमानित आय का आंकलन करना संभव नहीं है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान राष्ट्रीय उर्वरक लि० ने 16.49 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का लाभ अर्जित किया है।

(घ) नकदी प्रवाह मूल्य-सह-राजसहायता योजना (आर पी एस) के बने रहने पर निर्भर करता है जो यूरिया उत्पादक कम्पनियों पर लागू होती है; 12% के करोपरान्त प्रतिपादन की व्यवस्था निवल मूल्य और विक्रय प्राप्तियों पर की जाती है।

(ङ) सरकार व्यय वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा आर पी एस को बदलने के लिए, यूरिया इकाइयों के लिए एक नई मूल्य निर्धारण नीति निरूपित करने की प्रक्रिया में है। प्रस्तावित नई नीति का उद्देश्य यूरिया कम्पनियों को राजसहायता के संवितरण में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है और यह विनिर्माताओं को अपने आप लागत कम करने के उपाय करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करेगी।

गुजरात राहत कोष का दुर्विनियोजन

5059. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न माध्यमों, मीडिया (समाचार पत्र), जन मंचों के माध्यम से एकत्रित राहत धनराशि की जवाबदेही

की जांच करने और सत्यापन करने के लिए कोई प्रशासनिक अवसंरचना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक विभिन्न चैनलों/दूरदर्शन नेटवर्कों/समाचार पत्रों से अलग-अलग प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या धनराशि के बड़े पैमाने पर दुर्विनियोजन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राहत धनराशि के ऐसे दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) इस मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष तथा गुजरात मुख्यमंत्री सहायता कोष के पक्ष में काटे गये 24,33,579/-रुपये की राशि के आदाता के खाते में देय चैक/ड्राफ्ट्स प्राप्त हुए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय तथा गुजरात के मुख्य सचिव को उनके द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया था।

इसके अलावा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा 1,84,34,576/-रुपये की राशि के चैक/ड्राफ्ट्स इस मंत्रालय को सूचित करते हुए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

5060. **श्री विजय कुमार सोराके :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण की मुख्य नीति इस आधारवाक्य पर निर्भर है कि लोग खुले बाजार की कीमतों से कम कीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करेंगे;

(ख) क्या घरेलू कृषि उत्पादन भंडारण क्षमता से अधिक हो गया है जिसे खपा पाना खुले बाजार अथवा भारतीय खाद्य निगम की क्षमता से बाहर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारतीय खाद्य निगम की अर्जन लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्य के बीच कुप्रबंधन को ठीक करने के लिए खरीद मूल्य तय करके वर्तमान नीति को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य कमी के दौरान प्रबंध करना और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करना है। तथापि, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जून, 1997 में गरीबों पर केन्द्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थी।

(ख) से (ग) 2000-2001 के दौरान उत्पादन के अग्रिम अनुमानों के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन समग्र रूप से देश की नियामक आवश्यकता से केवल मामूली अधिक है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेशकश किए गए हर उस गेहूं, धान और मोटे अनाज की वसूली करती हैं, जो उचित औसत किस्म का होता है। शेष की खरीदारी खुले बाजार में की जाती है।

(घ) और (ङ) देश के लिए दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उच्च समिति के विचारनीय विषयों में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य समर्थन प्रचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण, बफर स्टाक संबंधी नीति, खुले बाजार में हस्तक्षेप और निर्यात/आयात, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए खाद्यान्नों का आबंटन और भारतीय खाद्य निगम से संबंधित मुद्दों से संबंधित मामले शामिल हैं। आशा है कि समिति मई, 2001 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी।

मसालों का निर्यात

5061. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य से मिर्च और अन्य मसालों का मसाला-वार कितनी मात्रा में निर्यात हुआ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इन मसालों के निर्यात में कितनी गिरावट/वृद्धि देखी गई;

(ग) मिर्च के निर्यात में पता चली गिरावट, यदि हो, के क्या कारण हैं;

(घ) मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) मसालों, विशेषत: मिर्च के निर्यात की प्रक्रिया में कौन-कौन सी बाधाएं आ रही हैं;

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय किए हैं; और

(छ) इसका किसान वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मसालों के निर्यात के बारे में राज्य-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। गत दो वर्षों के दौरान लाल मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात नीचे सारणी में दिए गए हैं:-

(मात्रा टनों में) (स्रोत: मसाला बोर्ड)

मद	1999-2000 (अनंतिम)	2000-01 (अप्रैल-फर०) (अनुमानित)
काली मिर्च	42806	16050
इलायची (छोटी)	646	975
इलायची (बड़ी)	1211	1345
लाल मिर्च	64776	52500
अदरक	8773	5830
हल्दी	35556	29000
धनिया	13973	11250
जीरा	6145	11300
अजमोद	3497	4650
सौंफ	2953	3600
मैथी	10901	8850
अन्य बीज (1)	2349	2150
लहसुन	8542	10750
अन्य मसाले (2)	22012	31000
करी पाउडर	5814	5450
पुदीना तेल	2820	3275
मसाला तेल एवं ओलियोरेसिन्स	3368	3175
कुल	236142	201150

(ख) गत 2 वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात में मात्रा के रूप में मामूली सी गिरावट दिखाई दी है। तथापि, अप्रैल-फरवरी, 2000-01 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मसालों के निर्यातों में मात्रा के रूप में लगभग 6% और मूल्य के रूप में 24% तक की गिरावट आई है।

(ग) लाल मिर्च के निर्यात में गिरावट पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित सस्ती कीमतों और हमारे निर्यातों में एफ्लाटाक्सिन और कीटनाशी अपशिष्टों की मौजूदगी के कारण आई है।

(घ) मसालों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए किए गए उपायों में शमिल हैं—मसालों के निर्यात पर उपकर का युक्तियुक्तकरण; ब्रांड संवर्धन योजनाओं का कार्यान्वयन; उत्पाद विविधीकरण; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रक्रिया उन्नयन और उत्पाद विकास; कार्बनिक मसालों और मसाला उत्पादों का विकास; व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजना इत्यादि।

(ङ) लाल मिर्च सहित मसालों के निर्यात की प्रक्रिया में आने वाली मुख्य बाधाओं में शामिल हैं—मसालों की निर्यात योग्य किस्मों की अपर्याप्त आपूर्ति; गैर-प्रतिस्पर्धी कीमतें, उच्च तकनीकी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में अपर्याप्त निवेश; तथा आयातक देशों की बदलती हुई गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं के पूरा करने में अक्षमता। लाल मिर्च के मामले में प्रमुख बाधाएं एफ्लाटाक्सिन और कीटनाशी अपशिष्टों की मौजूदगी तथा किस्मों के घाल-मेल की हैं।

(च) सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा इस संबंध में किए गए उपायों में शामिल हैं—उत्पादकों, विस्तार कर्मियों, व्यापारियों, प्रसंस्कर्ताओं और निर्यातकों के लाभार्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करना; प्रसंस्करण और ग्रेडिंग और साथ इन-हाऊस परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए अवस्थापना संबंधी सुधार; प्रसंस्करण और विनिर्माण पद्धतियों के उन्नयन हेतु प्रौद्योगिकी प्राप्त करना। इसके अलावा, फसलोत्तर हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार करने हेतु भी उपाय किए गए हैं, जिनमें ड्राइंग यार्ड्स का निर्माण, पोलिथिन शीटों की आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक अवस्थापना शमिल है।

(छ) देश में मसालों के कुल उत्पादन में से लाल मिर्च सहित मसालों के निर्यात का प्रतिशत हिस्सा कृषक समुदाय पर कोई खास प्रभाव डालने के लिए काफी कम है। तथापि, सरकार/मसाला बोर्ड द्वारा फसलोत्तर क्रियाकलापों, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में सुधार हेतु किए गए अनेक उपायों से किसान गुणवत्ता का उच्चतर स्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पाद की बेहतर कीमत की प्राप्ति हुई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

5062. **श्री राम मोहन गाड्डे** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत देश में एक तीन स्तरीय अर्धन्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है जिसमें जिला स्तर पर जिला मंच, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (राष्ट्रीय आयोग) की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय आयोग उन शिकायतों पर विचार कर सकता है जिनमें वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य और मुआवजे के दावे, यदि कोई हो, की राशि 25 लाख रुपए से अधिक होती है। यह किसी राज्य आयोग के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई भी कर सकता है। मामलों के संस्थापन, निपटान और लम्बित होने के बारे में आवधिक विवरणियां मंगाने, अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अनुदेश जारी करने तथा राज्य आयोगों और जिला मंचों के कार्यों पर सामान्य निगरानी रखने के संबंध में राष्ट्रीय आयोग का सभी राज्य आयोगों पर प्रशासनिक नियंत्रण भी है।

(ख) 1.2.2001 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सम्मुख 9515 मामले अनिर्णीत थे जिनमें मूल शिकायतें, अपीलें और पुनरीक्षण के मामले शमिल हैं।

(ग) और (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में विभिन्न संशोधनों के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें यथाअधिसूचित स्थानों पर राष्ट्रीय आयोग की सर्किट बैंचें आयोजित करने के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध शमिल है।

कोरापुट, बोलंगीर, कालाहांडी क्षेत्र में कॉफी बोर्ड का कार्यकरण

5063. श्री परसुराम माझी : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरापुट, बोलंगीर, कालाहांडी क्षेत्र के अविभाजित जिलों में कॉफी बोर्ड सरकारी हितों के अनुरूप प्रभावशाली रूप से कार्यकरण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ''जैसा है, जहां है'' आधार पर ''स्थिति पत्र'' तैयार किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए कोरापुट, बोलंगीर, कालाहांडी क्षेत्र के कॉफी उगाने वालों को कौन-कौन सी सुविधाएं/योजनाएं/कार्यक्रम/विशेष सुविधाएं दी गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। कॉफी बोर्ड ने उड़ीसा के कोरापुट, रायगड़, कालाहांडी, कंधामल, क्योंझर और गाजापटी जिलों में कॉफी के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, इन छः जिलों में 22,257 हैक्टेयर क्षेत्र को कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त पाया गया है।

उड़ीसा के सरकारी, निजी और जनजातीय क्षेत्रों में कॉफी बागान क्षेत्र, इसका उत्पादन और उत्पादकता की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	क्षेत्र	कॉफी के अधीन क्षेत्र (हैक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)*	उत्पादकता किग्रा०/ हैक्टेयर**
1.	सरकारी क्षेत्र	321	59	68
2.	निजी क्षेत्र	460	143	611
3.	जनजातीय क्षेत्र	49	1	83
	कुल	830	203	—

*1998-99 से 2000-2001 तक औसत उत्पादन।

**फसल क्षेत्र पर आधारित उत्पादकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कॉफी बोर्ड द्वारा नौवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कॉफी के विकास के लिए एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य जनजातीय उत्पादकों को उनके द्वारा परम्परागत रूप से की जा रही ''पोडु खेती'' को मुक्त कराना है और उन्हें कॉफी जैसे किसी कृषि आधारित उद्यम में एक स्थाई आधार पर लगाना है, जिससे कि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। बोर्ड द्वारा कॉफी के विस्तार और समेकन हेतु 15000 रुपए प्रति हैक्टेयर की इमदाद प्रदान की जाती है। पल्पर तथा हलर्स जैसी कॉफी प्रसंस्करण मशीनें लगाने पर भी इमदाद दी जाती है।

नौवीं योजना से उड़ीसा राज्य में कॉफी के विस्तार एवं समेकन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम हेतु बोर्ड के कोरापुट स्थित विस्तार एकक द्वारा और कॉफी प्रदर्शन फर्मों द्वारा भी अपेक्षित तकनीकी सहायता दी जाती है।

आकाशवाणी में रिक्त पद

5064. श्री अशोक प्रधान : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डॉ॰ अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने 1993 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी में प्रति वर्ष कुल कितने समाचार वाचक नियुक्त किए. गए;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और कुल नियुक्तियों में से उनका प्रतिशत कितना रहा; और

(ङ) सिफारिशों को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय ने पिछली रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया था तथा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार कार्यालयों जैसी संबंधित भर्ती एजेंसियों को भी रिक्तियों की सूचना दी गई थी।

(ग) और (घ)

	1998	1999	2000
नियुक्त किए गए समाचार-वाचकों की कुल संख्या	1*	1	शून्य
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित समाचार वाचकों की कुल संख्या	अ॰जा॰-शून्य अ॰ज॰जा॰-शून्य	1 शून्य	शून्य शून्य
कुल नियुक्तियों की तुलना में अ॰जा॰/अ॰ज॰जा॰ का प्रतिशत	अ॰जा॰-शून्य अ॰ज॰जा॰-शून्य	100% शून्य	शून्य शून्य

*यह रिक्ति सामान्य श्रेणी में थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नए लेखा मानक

5065. **डा॰ डी॰वी॰जी॰ शंकर राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ''सेबी'' को डॉट कॉम फर्मों हेतु नए लेखा मानक सौंप दिए हैं;

(ख) क्या ये फर्में भारतीय और विदेशी स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब से?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय स्टाक एक्सचेंजों में कुछ डॉट कॉम कंपनियां सूचीबद्ध हैं। कुछ डॉट कॉम कंपनियां विदेशी स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

(ग) कुछ डॉट कॉम कंपनियों को वर्ष 1999 में तथा अन्य कंपनियों को उसके बाद सूचीवद्ध किया गया था।

बकाया कर

5066. **श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2001 के अंत में विभिन्न करों के रूप में कितनी राशि की वसूली की जानी है; और

(ख) उन करों का ब्यौरा क्या है जिनकी बकाया राशि वसूल की जानी है और इन करों की अलग-अलग बकाया राशि कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) और (ख) बकाया राशि निम्नानुसार है:-

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क—8323 करोड़ रु॰

(31-3-2001 की स्थिति के अनुसार)

आयकर एवं निगम कर—53050 करोड़ रु॰

(28-2-2001 की स्थिति के अनुसार)

सीमा शुल्क—1836 करोड़ रु॰

(31-3-2001 की स्थिति के अनुसार)

तमिलनाडु में अतिरिक्त मैट्रो चैनल

5067. **डा॰ वी॰ सरोजा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में अतिरिक्त मैट्रो चैनल शुरू करने का प्रस्ताव है कि छोटे राज्यों में भी एक से अधिक मैट्रो चैनल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) सम्पूर्ण देश के लिए दूरदर्शन का एक ही मैट्रो चैनल है। इस चैनल की स्थलीय कवरेज के लिए तमिलनाडु में स्थित उच्च शक्ति ट्रान्समीटर सहित सम्पूर्ण देश में भिन्न-भिन्न शक्तियों के कई ट्रान्समीटर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। राज्य में इस सुविधा के और विस्तार के लिए कोडाईकनाल में एक उच्च शक्ति ट्रान्समीटर और तिरूचिरापल्ली, वैल्लोर, सलेम, तूतीकोरन, मदुरै, कोयम्बटूर, एरोड़, तिरूनेलवेली, और तिरूपत्तूर प्रत्येक में एक-एक अर्थात् 9 अल्पशक्ति ट्रान्समीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कतिपय मदों के निर्यात से पाबंदियां हटाना

5068. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री जोरा सिंह मान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश से कतिपय मदों के निर्यात पर पाबंदियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पाबंदियों का ब्यौरा क्या है और इन पाबंदियों के क्या-क्या लाभ हैं और अब तक कौन-कौन सी मदों पर पाबंदियां लगाई गई हैं:

(ग) क्या सरकार इनमें से कुछ मदों के निर्यात से पाबंदियां हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन कारणों से इनके निर्यात से पाबंदियां हटाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) उन मदों की सूची जिन पर निर्यात प्रतिबंध लगे हुए हैं, समय-समय पर यथा संशोधित निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण (31 अगस्त, 1998 तक किए गए संशोधनों को शामिल करते हुए) की अनुसूची 2 की सारणी क और सारणी ख में दी गई हैं, जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालयों में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) गेहूं, मोटे अनाज, बासमती चावल, सम्पूर्ण एवं तैयार दुग्ध खाद्य, गम राया, नाइजर बीज इत्यादि जैसे कतिपय कृषि उत्पादों के निर्यात पर से प्रतिबंधों को उठाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। निर्यात पर से प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास सरकार द्वारा 1991 से किए जा रहे आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुपालन के अनुरूप है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य इन वस्तुओं के भारत के निर्यात में वृद्धि करना है।

राज्यों को विश्व बैंक का वित्त पोषण

5069. **श्री थावर चन्द गेहलोत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने प्रत्येक राज्य के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया और यह ऋण कौन-कौन सी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अधिकतम राशि की निधि किस योजना के लिए स्वीकृत की गई; और

(ग) उक्त वर्षों में स्वीकृत योजनाओं की राज्य-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा मंजूर किए गए राज्य-वार ऋणों के ब्यौरे के साथ-साथ की गई वित्तीय प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

मंजूर की गई अधिकतम ऋण-राशि तीसरी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित थी जो 516 मिलियन अमरीकी डालर है।

विवरण

(मिलियन अमरीकी डालर)

(आंकड़े अनन्तिम)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य	वित्तीय वर्ष 98-98		वित्तीय वर्ष 98-99		वित्तीय वर्ष 2000-2001		संचयी वित्तीय आहरण (31 मार्च, 2001 को स्थिति के अनुसार)
			आईबीआरडी	आईडीए	आईबीआरडी	आईडीए	आईबीआरडी	आईडीए	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आं.प्र. आर्थिक पुनर्संरचना	आंध्र प्रदेश	301.30	241.90					137.382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	आं.प्र. विद्युत एपीएल-I	आंध्र प्रदेश	210.00						96.292
3.	आं.प्र. जिला निर्धनता	आंध्र प्रदेश						111.00	3.227
4.	महिला एवं बाल विकास	बिहार		19.50					1.567
5.	राष्ट्रीय कृषि तक.	केन्द्रीय	96.80	99.40					31.773
6.	आर्थिक सुधार हेतु तक. सहायता	केन्द्रीय						45.00	1.169
7.	प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम	केन्द्रीय						142.60	22.964
8.	दूरसंचार क्षेत्र के लिए तक. सहायता	केन्द्रीय					62.00		3.620
9.	राष्ट्रीय राजमार्ग	केन्द्रीय					516.00		30.160
10.	आईआरईडीए II	केन्द्रीय					300.00	50.00	0.000
11.	तकनीकी शिक्षा-III	केन्द्रीय						64.90	2.151
12.	गुजरात राज्य राजमार्ग	गुजरात					110.00		33.000
13.	गुज. आपात भूकंप निर्माण परि.	गुजरात					97.00	303.00	0.000
14.	केरल वानिकी	केरल	38.80						10.535
15.	केरल ग्रामीण डब्ल्यूएस और पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम	केरल						65.50	1.575
16.	म.प्र. जिला निर्धनता उपक्रम परियोजना	मध्य प्रदेश						110.10	2.718
17.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणालियां	महाराष्ट्र	134.00						3.290
18.	समेकित जलसंभर विकास परि.	बहुराज्यीय			85.00	50.00			19.909
19.	महिला एवं बाल विकास	बहुराज्यीय				300.00			26.548
20.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणालियां	उड़ीसा	76.40						5.063
21.	राजस्थान डीपीईपी-I	राजस्थान				81.90			5.321
22.	एड्स-III	राजस्थान				194.75			31.800
23.	राजस्थान जिला निर्धनता	राजस्थान						100.00	2.878
24.	राज. विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना परि.	राजस्थान					180.00		15.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	तमिलनाडु शहरी विकास	तमिलनाडु			100.00	5.00			62.871
26.	उ०प्र० विविधीकृत कृषि सहायता	उ.प्र.	79.00	49.50					16.641
27.	उ०प्र लवणयुक्त भूमि-II	उ.प्र.		194.10					19.586
28.	उ०प्र० डीपीईपी-III	उ.प्र.				182.40			17.720
29.	उ०प्र० विद्युत क्षेत्र सुधार	उ.प्र.					150		13.947
30.	उ०प्र० स्वास्थ्य विकास परि.	उ.प्र.						110.00	2.254
31.	उ०प्र० राजकोषीय सुधार						126.27	122.97	219.570
	जोड़		687.10	853.60	185.00	814.05	963.27	926.47	
	वर्ष जोड़		1540.70		999.05		1889.74		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

5070. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के निर्णायक मंडल के कुछ सदस्यों ने चयन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर गंभीर आपत्तियां उठाई हैं और निर्णायक मंडल से त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निर्णायक मंडल के सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए क्या प्रक्रिया, यदि कोई हो, अपनाई जाती है; और

(घ) वर्तमान निर्णायक मंडल के सदस्य और उनकी पृष्ठभूमि, अर्हताओं और इस प्रयोजनार्थ उनके नाम की सिफारिश करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) 1. फीचर फिल्म श्रेणी के लिए 48वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निर्णय लेने हेतु सरकार द्वारा गठित 17 सदस्यीय निर्णायक-मण्डल में से तीन सदस्यों ने विचार-विमर्श के अंतिम चरण में स्वयं को निर्णायक मंडल से अलग कर लिया था क्योंकि वे बहुमत वाले सदस्यों के विचारों से सहमत नहीं थे। बाद में, इनमें से दो सदस्यों ने निर्णायक-मण्डल से अपने त्याग-पत्र भेज दिए थे। निर्णायक-मण्डल के तीसरे सदस्य से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विनियमनों के अनुसार निर्णायक मण्डल स्वतंत्ररूप से कार्य करता है और अपनी कार्यपद्धति स्वयं निर्धारित करता है। सरकार निर्णायक मंडल के कार्य अथवा विचार-विमर्श में हस्तक्षेप नहीं करती है।

2. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियमनों के अनुसार निर्णायक मण्डल का गठन सरकार की अनुमति से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा सिनेमा, अन्य सम्बद्ध कला, मानविकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से किया जाता है।

3. फीचर फिल्म श्रेणी के अन्तर्गत निर्णायक-मंडल के सदस्यों के नाम और उनकी योग्यताएं निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	नाम	पृष्ठभूमि/क्षेत्र
1	2	3
1.	श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली —अध्यक्ष	हिन्दी सिनेमा की प्रतिष्ठित कलाकार/नृत्यांगना/पूर्व सांसद
2.	श्रीमती चित्रा देसाई	अधिवक्ता/कवयित्री
3.	श्री मैक मोहन	हिन्दी सिनेमा के कलाकार
4.	श्रीमती सोनाली कोटनिस	एक सिनेमा पत्रिका/स्तम्भ की सम्पादक
5.	सुश्री मधुमिता राऊत	प्रतिष्ठित ओडिसी नृत्यांगना

1	2	3
6.	सुश्री निवेदिता प्रधान	अधिवक्ता/विधायक
7.	श्री सुशांत मिश्रा	पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक
8.	श्रीमती पार्वती इन्दुसीकर	अधिवक्ता
9.	श्री कोथान्डरामया	चेन्नै फिल्म संस्थान से फिल्म स्नातक, निर्माता, निर्देशक, प्रदर्शक साऊथ इंडियन फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष।
10.	श्री हरिहरन	पुरस्कार विजेता निर्देशक
11.	श्री शशि रंजन	पुणे फिल्म संस्थान से फिल्म स्नातक/कलाकार/टेलीविजन निर्माता
12.	श्री तरूण विजय	प्रमुख हिन्दी समाचारपत्र के सम्पादक, फिल्म समालोचक, पूर्व में भी निर्णायक-मंडल के सदस्य रह चुके हैं।
13.	श्री पवन कुमार	हिन्दी सिनेमा के निर्माता।
14.	श्री प्रदीप किशन	पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक
15.	श्री घृतिमान चटर्जी	बंगाली सिनेमा के कलाकार।
16.	श्री शशि आनन्द	पुणे फिल्म संस्थान से फिल्म/ सिनेमेटोग्राफर
17.	श्री आर० लक्ष्मण	बंगलौर से फिल्म निर्माता

आभूषण विक्रेताओं पर सी.बी.आई. के छापे

5071. **श्री नरेश पुगलिया :**
डा० बलिराम :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 मार्च, 2001 के "दैनिक जागरण" में 50 करोड़ के सोना घोटाले में "सी.बी.आई. छापे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त घोटाले में लिप्त व्यक्तियों के पदनाम और विभाग सहित सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों/आभूषण विक्रेताओं/बैंक कर्मियों के विरुद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके ध्यान में यह बात आई है कि कुछ बैंकों को अहमदाबाद में सराफा व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए कतिपय सहकारी बैंकों द्वारा जारी भुगतान आदेशों की उगाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक को लेन-देन में अंतर्ग्रस्त सोने की मात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ इंडिया तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को हुई संभावित हानि क्रमश: 39.70 करोड़ रुपए, 4.80 करोड़ रुपए और 9.30 करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोना आयात करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों को परामर्श दिया है कि जहां उन्हें सभी वित्तीय लिखतों के संबंध में सामान्य बैंकिंग विवेक सुनिश्चित करना अपेक्षित है, वहीं सर्राफा में व्यापार के सन्दर्भ में उन्हें मूल्य की पूरी उगाही या लिखतों की प्राप्ति होने पर ही सोना जारी करना चाहिए। अनियत आधार पर बेचे गए सोने के संबंध में, सोने के अनन्तिम मूल्य के लिए नकद रूप में 100 प्रतिशत मार्जिन और कीमतों में संभावित घट-बढ़ के लिए उपयुक्त मार्जिन एकत्र करने का परामर्श दिया गया था और इन मामलों में लेन-देनों का निपटान 5 दिन के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई है। बैंक दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।

विनिवेश मॉडल

5072. **श्री साहिब सिंह :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की विनिवेश नीति पर विभिन्न स्तरों पर विस्तार से चर्चा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो विनिवेश के कौन-कौन से वास्तविक और वित्तीय मॉडल हैं;

(ग) इनमें से कौन-कौन से मॉडल सफल रहे हैं और इनके प्रमुख लाभ क्या-क्या हैं; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्याशित विनिवेश लक्ष्य को किस सीमा तक हासिल कर लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विनिवेश में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वित्तीय/पूंजीगत पुनर्संरचना के साथ अथवा उसके बिना सरकार द्वारा धारित इक्विटी की बिक्री शामिल होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी की बिक्री की यह प्रक्रिया विभिन्न तरीकों के माध्यम से आरंभ की जा सकती है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेष में, विनिवेश की पद्धति और सीमा, दूसरी कम्पनी में लागू नहीं हो सकती। इसी प्रकार किसी कम्पनी में एक समय पर उपयुक्त समझी गई विनिवेश की पद्धति और सीमा उसी कम्पनी में किसी और समय पर उपयुक्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा विनिवेश की पद्धतियां और उनका लागू होना आदि, देश-से-देश, अर्थव्यस्था के क्षेत्र-से-क्षेत्र और एक ही क्षेत्र में कम्पनी से कम्पनी में अलग-अलग होती है। कभी-कभी मिश्रित पद्धतियों को उपयुक्त समझा जाता है। इनमें से स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से, वित्तीय संस्थानों को इक्विटी की बिक्री, खुली नीलामी, अपने ही कर्मचारियों द्वारा शेयरों की खरीदारी, व्यापार तथा अनुकूल बिक्री जैसी विनिवेश की कुछ पद्धतिया उपलब्ध हैं। विनिवेश आयोग की सिफारिशों की भावना पर आधारित किसी अनुकूल साझीदार को इक्विटी की बिक्री (अनुकूल बिक्री) को इस समय, अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की अधिमानी पद्धति माना जाता है।

(घ) वार्षिक बजट में यह संकेत है कि वर्ष 2001-2002 के लिए विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का अनुमान है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने वाली अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कागज उद्योग

5073. श्री रामदास आठवले : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में प्रत्येक राज्य, विशेषत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों के वर्तमान कागज उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कागज उद्योग की वर्तमान प्रगति आशानुरूप नहीं है;

(ग) क्या देश में कागज और पेपर बोर्ड की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बड़ी राशि की निधियों की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में विशेषत: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कागज उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी निधियां दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) प्रत्येक राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में कागज उद्योगों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप मे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कुल मिलों की संख्या के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिये गये हैं।

(ख) उद्योग के सम्मुख आ रही अनेकानेक समस्याओं के बावजूद, इसने 1997-98 में 5.51%, 1998-99 में 6.34%, 1999-2000 में 10.11% का निरंतर विकास दर बनाये रखा है। तथापि, अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 की अवधि की तुलना में अप्रैल, 2000 से फरवरी, 2001 की अवधि के दौरान विकास दर कम होकर -9.89% रह गयी है। कागज और गत्ते की विकास दर में उतार चढ़ाव बाजार की शक्तियों पर निर्भर है।

(ग) से (ङ) कागज उद्योग जिसमें लुगदी, कागज तथा गत्ता शामिल है, एक लाइसेंस मुक्त उद्योग है। यह एक उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग है जिसमें स्वत: आधार पर 51% तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति है। चूंकि कागज मिल की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, अत: उद्यमियों को इस मंत्रालय के औद्योगिक सहायता सचिवालय में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करना होता है बशर्ते कि स्थापना स्थल संबंधी नीति की शर्तों का पालन लिया जाए अथवा संबंधित प्रस्ताव में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करने की कल्पना नहीं की गई हो। प्रौद्योगिकी के समावेश की अनुमति विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिक सहयोगों दोनों माध्यमों से भी करने की अनुमति दी जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	कागज मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	22
2.	असम	04
3.	बिहार	07
4.	चण्डीगढ़	08
5.	छत्तीसगढ़	02
6.	गुजरात	68
7.	हरियाणा	15
8.	हिमाचल प्रदेश	15

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	01
10.	झारखंड	02
11.	केरल	07
12.	कर्नाटक	17
13.	मध्य प्रदेश	19
14.	महाराष्ट्र	115
15.	मेघालय	01
16.	एन सी टी दिल्ली	06
17.	नागालैण्ड	01
18.	उड़ीसा	09
19.	पाण्डिचेरी	03
20.	पंजाब	37
21.	राजस्थान	08
22.	तमिलनाडु	22
23.	उत्तर प्रदेश	100
24.	पश्चिम बंगाल	26
	योग	515

आदर्श मानदण्डों का उचित अनुपालन न होना

5074. **श्री जोरा सिंह मान :**
डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजी मांझी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय बैंकों से शेयर बाजार में उनके कारोबार का ब्यौरा मांगा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ बैंकों ने इस संबंध में आदर्श मानदण्डों का उचित अनुपालन नहीं किया है;

(ग) क्या आदर्श मानदण्डों का उचित अनुपालन नहीं होने के कारण शेयर बाजार को कोई घाटा हुआ है;

(घ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन बैंकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण नीति में की गई घोषणा के अनुवर्ती उपाय के रूप में, उसने 31 जनवरी, 2001 की स्थिति के अनुसार, शेयरों/डिबेंचरों के बदले में शेयरों/डिबेंचरों आदि के साथ-साथ अग्रिमों में उनके निवेश के संबंध में 101 बैंकों से विस्तृत सूचना मांगी है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से प्राप्त हुए आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया कि कुल मिलाकर बैंकों ने शेयरों/डिबेंचरों आदि में निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों की अनुपालना की है साथ ही साथ शेयरों/डिबेंचरों आदि के बदले अग्रिमों के लिए बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा लगाई गई सीमा की अनुपालना की है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है और उनके उत्तर प्राप्त होने के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति, जिसने 12 अप्रैल, 2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, की सिफारिशों के आलोक में, भारतीय रिजर्व बैंक का शेयरों और अन्य संबद्ध निवेशों के बदले शेयरों के साथ-साथ अग्रिमों में बैंक के निवेशों के सम्बन्ध में नवम्बर, 2000 में पहले जारी किए गए मार्गनिर्देशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भविष्य निधि/पेंशन योजना

5075. **डा॰ (श्रीमती) सुधा यादव :**
श्री श्रीनिवास पाटील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भविष्य निधि और पेंशन योजना का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य निधि और पेंशन संबंधी समिति के गठन का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की कार्यप्रणाली क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 के अपने बजटीय अभिभाषण में वित्त मंत्री ने वर्तमान पेंशन स्कीम और केन्द्रीय सरकारी सेवा में 1 अक्टूबर, 2001 के बाद आने वालों के लिए निर्धारित अंशदान आधारित नई पेंशन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किए जाने की घोषणा की थी। इस समूह द्वारा अपनी सिफारिशें तीन महीने के अन्दर सौंपी जानी है। विशेषज्ञ समूह गठित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

[हिन्दी]

बैंकों की शाखाओं का विलय

5076. **श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक विदेशों में भारतीय बैंकों की सभी शाखाओं के विलय के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विलय के प्रस्ताव पर विचार किए जाने के विशिष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए निर्णय यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और वाणिज्य

5077. **श्री पी०आर० किन्डिया :**
श्रीमती जसकौर मीणा :
श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बांग्लादेश, म्यांमार और चीन जैसे पड़ौसी देशों के साथ देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापार और वाणिज्य के मामले में व्यापक संभावनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक भारत की सीमा से व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान पूर्वोक्त पड़ौसी देशों के साथ कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयात-निर्यात हुआ;

(घ) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन घोषित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपने पड़ौसी देशों के साथ व्यापार एवं वाणिज्य का संवर्धन करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए गए हैं। वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के बजटीय प्रावधान का न्यूनतम 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए इंगित किया जाता है। आकस्मिक बुनियादी सुविधा संतुलन योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा निर्यातों में आने वाली बाधाओं को हटाने के बारे में 16 विभिन्न परियोजनाओं की अनुमति प्रदान की गई हैं और इस उद्देश्य के लिए 39.92 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधान मंत्री की कार्य योजना के अनुसार जोरवावतार (मिजोरम), मोरेह (मणिपुर), डाकी (मेघालय) तथा (सुतारखंडी (असम) स्थित चार सीमावर्ती कस्बों की पहचान व्यापार से संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार संवर्धन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने के लिए 5.00 करोड़ रुपए के आंरभिक अंशदान के साथ एक निर्यात विकास निधि की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा व्यापार तथा अंतर्देशीय व्यापार से संबंधित मुद्दों का एक कार्यदल द्वारा अध्ययन किया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यदल की सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से होने वाले निर्यातों को बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग में अलग से एक प्रकोष्ठ बनाया गया है।

(ग) वर्ष 1998-99 के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा पड़ौसी देशों को किया गया निर्यात तथा वहां से हुआ आयात (जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं) निम्नानुसार रहा है।

(करोड़ रूपए में)

देश	निर्यात	आयात
बंगलादेश	165.76	15.51
म्यांमार	5.02	3.79

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत का चीन के साथ कोई औपचारिक व्यापार नहीं होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तुकदोजी महाराज और गाडगे बाबा पर धारावाहिक

5078. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र के महान संतों, तुकदोजी महाराज और गाडगे बाबा के जीवन पर धारावाहिक बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) धारावाहिकों के निर्माण सहित दूरदर्शन के कार्यक्रमों के मामले प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं करती । प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्हें तुकदोजी महाराज पर धारावाहिक बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। गाडगे बाबा के बारे में प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि संत गाडगे बाबा पर मराठी में एक धारावाहिक 6.1.1997 से 13.3.1997 तक दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई से साप्ताहिक आधार पर प्रसारित किया गया था और इसे 24.6.1999 से 16.9.1999 तक प्रायोजकता श्रेणी के अंतर्गत पुन: प्रसारित किया गया था।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कॉफी प्रतिधारण योजना की समीक्षा

5079. **श्री सी० श्रीनिवासन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(कं) क्या सरकार द्वारा कॉफी प्रतिधारण योजना की समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने कॉफी उत्पादक देशों के संघ की कॉफी प्रतिधारण योजना में भारत की भागीदारी का मूलरूप से अनुमोदन कर दिया था। तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिधारण योजना को लागू करने के लिए मुख्य कॉफी उत्पादक देशों के द्वारा अब तक किए गए प्रयासों से कॉफी की बाजार कीमतों पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है, भारत सरकार प्रतिधारण योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की वचनबद्धता करने से पहले कॉफी की वैश्विक कीमत स्थिति, पर नजदीक से निगरानी रखे हुए है।

[हिन्दी]

खनिज और धातु व्यापार निगम का निजीकरण

5080. **डा० अशोक पटेल :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बस्तर क्षेत्र के बैलादिला में स्थित निजी क्षेत्र के खनिज और धातु व्यापार निगम के निजीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) खनिज और धातु व्यापार निगम से संबंधित कुछ मामलों का समाधान निकालने के बाद भारत के खनिज और धातु व्यापार निगम लि०, जो दिल्ली में स्थित है में सरकारी शेयर धारिता को किसी अनुकूल क्रेता को, अनुकूल बिक्री के माध्यम से 26 प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया गया है। इस 26 प्रतिशत में से 16 प्रतिशत फिलहाल सरकार के पास रहेगी और शेष 10 प्रतिशत का उपयोग कर्मचारी स्टॉक विकल्पों [ई.एस.ओ.पी.(एस)] को जारी करने के लिए किया जाएगा।

[अनुवाद]

सहकारी बैंक

5081. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन कार्यरत सभी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो सहकारी बैंकों के कार्य संचालन के कौन-कौन से पहलुओं की समीक्षा की जाएगी;

(ग) इस सुझाव के संबंध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या रही है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों के काम-काज में सुधार के लिए कोई सुझाव दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सुझावों पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार ने देश में सहकारी ऋण प्रणाली का अध्ययन करने तथा इसे सुदृढ़ करने के लिए उपाय सुझाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में एक कृतिक बल की नियुक्ति की थी। कृतिक बल ने जुलाई, 2000 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कृतिक बल की सिफारिशें काफी विस्तृत हैं तथा इन पर राज्य सरकारों समेत विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई की जानी होगी।

(ग) से (च) कृतिक बल की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श के लिए सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है। इन सिफ़ारिशों पर अंतिम निर्णय लिए जाने के पहले उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में निवेश

5082. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश के कृषि क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश में सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए औसत पूंजी निवेश के हिस्से में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में कृषि क्षेत्र में किए गए कुल निवेश में सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश का प्रतिशत कितना था;

(ग) वर्ष 1999-2000 में कृषि क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र द्वारा किए गए पूंजी निवेश का प्रतिशत कितना था; और

(घ) सरकारी क्षेत्र द्वारा पूंजी निवेश में कमी आने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी हा, वर्तमान कीमतों पर कृषि में कुल निवेश जहां 1993-94 में 13523 करोड़ रुपए से बढ़कर 1999-2000 (त्वरित अनुमान) में 29574 करोड़ रुपए हो गया, वहीं कृषि में सरकारी निवेश के हिस्से की प्रतिशतता 1993-94 में 33.03 प्रतिशत से घटकर 1999-2000 में 28.79 प्रतिशत रह गई है।

(घ) कृषि में सरकारी निवेश में कमी मुख्यतया संसाधनों को परिसम्पत्तियों के सृजन की अपेक्षा खाद्य उर्वरक, बिजली, सिंचाई, ऋण और अन्य कृषि निविष्टियों के लिए सब्सिडियों के रूप में चालू व्यय में लगाने के कारण हैं।

बैंकों का लाभ/घाटा

5083. **श्री तूफानी सरोज :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लाभ/घाटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बैंकों की एक लाख करोड़ रुपए की राशि ऋणकर्ताओं पर बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने बकाया ऋण राशि की वसूली करने के बजाए इन राशियों को "गैर-निष्पादक आस्तियां" घोषित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1997-1998, 1998-1999 और 1999-2000 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक-वार लाभ/हानि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता, आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं के संबंध में जारी विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अवमानक आस्तियों, संदिग्ध आस्तियों और घाटे वाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अग्रिम राशियों को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां 53294 करोड़ रुपए

थी, जो उनकी कुल अग्रिम राशि का 14% था। तथापि, इन खातों से वसूलियों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंक – शुद्ध लाभ/हानि की स्थिति

(करोड़ रुपए)

बैंक का नाम	31.3.1998 की स्थिति	31.3.1999 की स्थिति	31.3.2000 की स्थिति
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	1861.20	1027.80	2051.55
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	90.48	91.88	120.42
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	97.12	111.53	127.80
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	27.71	31.04	45.25
स्टेट बैंक आफ मैसूर	50.54	33.58	48.24
स्टेट बैंक आफ पटियाला	143.01	101.20	130.69
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	126.41	25.36	88.79
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	63.30	43.27	66.44
इलाहाबाद बैंक	129.21	135.00	69.44
आन्ध्रा बैंक	75.25	90.04	120.59
बैंक आफ बड़ौदा	458.73	421.44	502.77
बैंक आफ इंडिया	364.51	201.14	172.82
बैंक आफ महाराष्ट्र	59.26	51.89	90.14
केनरा बैंक	203.02	225.06	236.05
सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	174.89	146.25	150.69
कार्पोरेशन बैंक	166.87	192.03	232.44
देना बैंक	105.04	110.09	62.87
इंडियन बैंक	-301.50	-778.50	-426.97
इंडियन ओवरसीज बैंक	113.06	55.34	40.34
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	210.00	230.12	278.62
पजाब एंड सिंध बैंक	65.09	60.45	61.44
पंजाब नैशनल बैंक	477.35	373.12	408.14
सिंडिकेट बैंक	82.66	142.58	215.65
यूको बैंक	-96.22	-67.77	36.64
यूनियन बैंक आफ इंडिया	250.10	160.22	101.24
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	9.62	14.70	31.36
विजया बैंक	23.31	30.23	52.84

[हिन्दी]

गेहूं और धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर न किया जाना

5084. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गेहूं और धान की अतिरिक्त पैदावार होने के कारण इनकी खरीद समर्थन मूल्य पर न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारें गेहूं और धान की खरीद समर्थन मूल्य पर करने में सहयोग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) सरकार को गेहूं तथा धान का अधिशेष उत्पादन होने के साथ उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर वसूली न किए जाने के बारे मे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। खरीफ तथा रबी विपणन मौसम 2000-01 के दौरान क्रमश: 114.24 लाख टन धान तथा 163.55 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारें समर्थन मूल्य पर गेहूं तथा धान की वसूली के कार्य में सभी प्रकार से सहयोग कर रही हैं। खरीफ तथा रबी विपणन मौसम 2000-01 के दौरान हुई कुल वसूली में से राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए विभिन्न एजेंसियों के जरिये 73.30% धान तथा 78.91% गेहूं की वसूली की गई थी।

[अनुवाद]

भारत-अमेरिकी व्यापार परिषद की बैठक

5085. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में 5 मार्च, 2001 को भारत-अमेरिका व्यापार परिषद् की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक का नतीजा क्या रहा;

(ग) क्या भारत-अमेरिका व्यापार परिषद् के अध्यक्ष और भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक ने द्विपक्षीय व्यापार और व्यापारिक सहयोग के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अमेरिका और भारत द्वारा किन-किन क्षेत्रों में सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार किया जाएगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) भारत अमेरिका व्यापार परिषद् (यूएसआईबीसी) नई दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई है। तथापि, भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक और भारत-अमेरिका व्यापार परिषद के अध्यक्ष ने दिनांक 5.3.2001 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सहमति हुई है:-

- द्विपक्षीय व्यापार और व्यापारिक सहयोग के संबंध में नियमित रूप से सूचना का आदान-प्रदान।
- अमरीका और भारत में व्यापारिक वर्ग और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को सरल बनाना।
- दोनों संगठनों के सदस्यों के बीच दौरे तथा कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों और सेमिनारों जो भी जरूरी हो के आयोजन को सुविधाजनक बनाना।
- संबंधित संवर्द्धनात्मक कार्यकलापों (जैसेकि व्यापार मेलों) को समर्थन देना।

बैंकों की ए.टी.एम. और क्रेडिट कार्ड सुविधाएं

5086. **श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 2001 के "द स्टेट्समैन" में "बैंक्स वल्नरेबल टू साइबर टाइम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या साफ्टवेयर विशेषज्ञों ने ए.टी.एम. और क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के साइबर अपराध प्रवण होने के विषय में चिन्ता जताई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड की संवेदनशीलता पर जताई गई चिन्ता को भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट कर लिया है।

(ग) और (घ) ग्राहक संबद्ध सुविधाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अभी तक भारत में अधिक व्यापक प्रयोग नहीं हुआ है। एटीएम तथा क्रेडिट कार्ड कुछ शहरी केन्द्रों तक ही सीमित हैं और वे गहन सुरक्षा के अध्यधीन हैं। अभी तक वे सतत् सक्रिय (आन लाइन) नहीं हैं और कार्ड सचयी मूल्य (डेबिट कार्ड) के लिए है या पूर्व निर्धारित सीमाओं (क्रेडिट कार्ड) तक ही हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एटीएम और क्रेडिट कार्ड के प्रयोग के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

"बाल्को" का विनिवेश

5087. **श्री नेरश पुगलिया** : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से "बाल्को" को 51 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश स्टेरलाइट इन्डस्ट्रीज को किए जाने की लेखा परीक्षा करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट कब तक मिल जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। विनिवेश विभाग के अनुरोध पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, प्रत्येक विनिवेश का विस्तृत लेखा परीक्षण करने पर सहमत हुए हैं। बाल्को का लेखा परीक्षण नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा पहले ही आरंभ किया जा चुका है।

(ग) नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से कब तक रिपोर्ट प्राप्त होगी इस बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से पहले लेखा-परीक्षण करने और विनिवेश पर रिपोर्ट कम-से-कम समय में प्रस्तुत करने पर विचार करने का अनुरोध किया था।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों के लंबित प्रस्ताव

5088. डा॰ बलिराम :
श्री जय प्रकाश :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों की अनेक परियोजनाएं उनके मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं किस तारीख से लंबित हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण) : (क) इस मंत्रालय में राज्य सरकारों से प्राप्त कोई भी परियोजना औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए लंबित नहीं पड़ी है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेश दौरा

5089. श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष मार्च के दूसरे सप्ताह में जर्मनी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के मुख्य उद्देश्य क्या थे; और

(ग) उनकी यात्रा के दौरान क्या उपलब्धियां रहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वित्त मंत्री एशियाई पैसिफिक बिजनेस ऐसोसिएशन (ओएवी), हमबर्ग के अध्यक्ष के निमंत्रण पर इसके मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में 9 मार्च, 2001 को एक दिन के लिए जर्मनी में थे। ओएवी एक प्रतिष्ठित जर्मन व्यापारिक संघ है जो विशेष रूप से जर्मनी और एशियाई देशों के बीच आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग को बढ़ाने में लगा हुआ है और जर्मनी तथा पड़ोसी यूरोपीय समुदाय देशों में भारत के लिए समर्पित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों का समर्थन करता है।

(ग) वास्तव में वित्त मंत्री सबसे पहले गैर-जर्मन प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें एशियाई पैसिफिक बिजनेस ऐसोसिएशन (ओएवी) में माननीय अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। जर्मन व्यापार एवं उद्योग द्वारा भारत को दिए जा रहे महत्व को लीव्समहल सशक्त रूप से प्रदर्शित करता है। जैसी आशा की गई थी, वित्त मंत्री के दौरे से ओएवी के सदस्यों और अन्य भाग लेने वालों के बीच अत्यधिक रुचि को बढ़ावा मिला। पहली बार इस कार्यक्रम में पूर्णरूप से भारत के प्रति ध्यान केन्द्रित किया गया। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे सुधारों, विकास एवं उदारीकरण के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा की गई अभिव्यक्ति से भारत और जर्मनी के बीच निवेश, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों में तेजी आने की आशा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण

5090. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण के समय केन्द्रीय बैंक के दलों द्वारा पालन किए जाने हेतु निर्धारित प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि परिवर्तन इस कार्य में कितने सहायक होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय संस्थाओं के निरीक्षण की संशोधित पद्धति में निम्नलिखित शामिल है:-

(1) निरीक्षण दल की सूचना अपेक्षा वित्तीय संस्थाओं को निरीक्षण प्रारम्भ करने से कम से कम एक माह पूर्व सूचित की जाएगी।

(2) निरीक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय संस्था के प्रबन्धन को अनुरोध किया जाएगा कि वे निरीक्षण दल को वित्तीय संस्थाओं के अपने जोखिम पहलुओं के परिप्रेक्ष्य और जिस तरीके से इन जोखिमों का गत वर्षों में पता लगाया गया और इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं की भविष्य की रणनीति क्या है, को प्रस्तुत करें।

(3) निरीक्षण के दौरान निरीक्षण दल आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षकों से उनके कार्य क्षेत्र और उनकी लेखा परीक्षा के परिणामों का मूल्याकंन करने के लिए मिलेगा। निरीक्षण की समाप्ति पर प्रधान निरीक्षण अधिकारी अपने दल के सदस्यों सहित वित्तीय संस्था की लेखा परीक्षा समिति तथा इसके साथ-साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ, यदि आवश्यक समझें, निरीक्षण की मुख्य उपलब्धियों पर विचार-विमर्श करने के लिए मिलेगा।

(4) निरीक्षण दल द्वारा वित्तीय संस्थाओं के प्रबन्धन के समक्ष सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ विषयपरक और व्यक्तिपरक कारकों के कारण प्रावधान सम्बन्धी कमियों पर विचार-विमर्श करने की एक प्रणाली भी अपनाई जाएगी।

(ग) आशा की जाती है कि उपर्युक्त प्रक्रिया से बेहतर समय प्रबन्धन और निरीक्षण प्रक्रिया की कुशलता सुनिश्चित होंगी। इसके अतिरिक्त इससे पारदर्शिता बढ़ाने और व्यक्तिपरकता के घटक को कम करने में भी सहायता मिलेगी।

ऋण का पुनर्भुगतान

5091. **श्री सुशील कुमार शिंदे :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2000 और 1999 को निगमित क्षेत्र पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण की कितनी राशि पुनर्भुगतान के लिए बकाया थी;

(ख) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पुनर्भुगतान की जाने वाली ऋण की ऐसी कितनी राशि को बट्टे खाते में डाला गया और बट्टे खाते डाली गई ऋण की राशि का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और इस राशि को बट्टे खाते डाले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान बट्टे खाते डाला गया कृषि क्षेत्र पर बकाया ऋण तुलनात्मक रूप से कुल कितना था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

होटलों और रेस्तराओं पर आयकर विभाग द्वारा तलाशी

5092. **श्री तिरुनावकरसू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने होटलों और रेस्तराओं द्वारा बड़े पैमाने पर आयकर अपवंचन का पता लगाने के लिए वर्ष 2000 में दिल्ली के कुछ होटलों और रेस्तराओं के परिसरों की गहन तलाशी ली थी;

(ख) यदि हां, तो जिन होटलों और रेस्तराओं की तलाशी ली गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए कागजातों से यह पता चलता है कि इन होटलों और रेस्तराओं ने करोड़ों रुपये के आयकर का भुगतान नहीं किया था;

(घ) यदि हां, तो इन होटलों और रेस्तराओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर की कुल कितनी राशि का भुगतान न किए जाने का अनुमान है; और

(ङ) यदि हां, तो इन होटलों और रेस्तराओं से कुल कितनी वसूली की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वित्त वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान तीन होटलों/रेस्तराओं के बारे में तलाशियां ली गई थीं और उनके विवरण निम्नानुसार हैं:-

मामला-1 :

होटल/रेस्तरां का नाम	:	मैसर्स बीकानेर वाला समूह
तलाशी की तारीख	:	9.3.2000
कुल जब्ती	:	35.39 लाख रुपये

मामला-2 :

होटल/रेस्तरां का नाम	:	मैसर्स एवरग्रीन स्वीट हाऊस
तलाशी की तारीख	:	3.11.2000
कुल जब्ती	:	20.57 लाख रुपये

मामला-3 :

होटल/रेस्तरां का नाम	:	मैसर्स सुनैयर होटल लि.
तलाशी की तारीख	:	21.11.2000
कुल जब्ती	:	267.41 लाख रुपये

(ग) से (ङ) मैसर्स बीकानेर वाला समूह के मामले में तलाशी और परिणामी जांच के फलस्वरूप, 183 लाख रुपये छिपायी गई आय का अनुमान लगाया गया है। इस समूह ने अब तक 1,08,20,000/- रुपये के कर का भुगतान किया है। अन्य दो मामलों में जांच कार्य प्रगति पर है।

आयकर अधिनियम के अध्याय XIV-ख के अंतर्गत लेखा-बाह्य आय पर कर लगाने के लिए सभी मामलों में कार्रवाइयां प्रारंभ की जा रही हैं।

कांडला स्थित मुक्त पत्तन के तबाह होने से निर्यात/आयात पर प्रभाव

5093. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांडला और पारादीप स्थित मुक्त पत्तन-पास के चक्रवात के कारण तबाह हो जाने के परिणामस्वरूप देश के आयात/निर्यात पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) तबाही के कारण देश को राजस्व और विदेशी मुद्रा की कुल कितनी हानि हुई है; और

(घ) इस हानि की भरपाई करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) चक्रवात के बाद पारादीप और कांडला पत्तनों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कमी नहीं आई है। वर्ष 1998-99 (चक्रवात के बाद जिसने जून, 1998 में पत्तन को प्रभावित किया) की शेष अवधि में कांडला पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 1997-98 की उसी अवधि की तुलना में 1.54% की वृद्धि हुई। पारादीप पत्तन जिस पर अक्तूबर, 1999 में चक्रवात आया था, में अक्तूबर, 1999 से मार्च, 2000 के दौरान 1998-99 की इसी अवधि की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 18.36% मूल्य के रूप. में वृद्धि हुई।

(घ) भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पत्तनों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को अद्यतन बनाया जा रहा है और संचार एवं चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सामान्य कार्गों को हैंडिल करने के लिए चार अतिरिक्त पोतकक्षों (बर्थों) का कांडला पत्तन पर निर्माण किया जा रहा है तथा पुराने उपकरणों को बदलने के उपाय भी किए गए हैं।

पारादीप पत्तन पर 850 करोड़ रुपए की लागत से यांत्रिक कोल हैंडलिंग प्रणाली की स्थापना की गई है। दो क्लीयर कार्गो बर्थो का भी निर्माण किया जा रहा है।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट का पाटन

5094. **श्री वी॰एस॰ शिवकुमार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारतीय बाजार को कम मूल्य पर टाइटेनियम डाइआक्साइड पिगमेंट से पाट रही हैं जिसके कारण देश में टाइटेनियम डाइआक्साइड पिगमेंट का उत्पादन करने वाली कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा टाइटेनियम डाइआक्साइड पिगमेंट पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो घरेलू कम्पनियों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) जी, नहीं। घरेलू उद्योग द्वारा आज की तारीख तक पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को निर्धारित प्रपत्र में कोई याचिका दायर नहीं की गई है जिससे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी टिटेनियम डाइआक्साइड पिगमेंट के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए जांच शुरू कर सकें।

नई राष्ट्रीय प्रसारण और सूचना संबंधी नीति

5095. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई राष्ट्रीय प्रसारण और सूचना नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि प्रौद्योगिकी विकास के कारण संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी में अभिसरण हो रहा है इसलिए, वर्तमान में एक पृथक सूचना और प्रसारण नीति बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि

5096. **श्री ए॰ नरेन्द्र : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में लेवी चीनी के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें मालभाड़े, बीमा, परिवहन और सम्हलाई प्रभार की प्रतिपूर्ति भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार राज्य एजेंसियों को इसकी प्रतिपूर्ति किस प्रकार करने का विचार रखती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) विशेषज्ञ निकाय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार प्रत्येक चीनी मौसम के लिए लेवी चीनी के जोनल निकासी मूल्यों की घोषणा करती है। वर्तमान चीनी मौसम 2000-01 के लिए लेवी चीनी के जोनल निकासी मूल्य भारत सरकार द्वारा 31.1.2001 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) से (ङ) लेवी चीनी के निकासी मूल्यों के निर्धारण में लेवी चीनी की ढुलाई के लिए भाड़ा, बीमा, ढुलाई तथा हैंडलिंग प्रभार शामिल नहीं किये जाते हैं। तथापि, फैक्ट्री के द्वार से रेलवे स्टेशन तक पांच किलोमीटर की दूरी तक लेवी चीनी की ढुलाई के लिए लेवी चीनी के मूल्यों में 1.57 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त धनराशि शामिल की जाती है। जहां यह दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होती है, उस स्थिति में 1.57 रुपये की उक्त धनराशि के अलावा 0.13 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त धनराशि भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, राज्य की उठान एजेंसियों को मार्जिन दिया जाता है जिसमें अन्य प्रभारों के साथ-साथ ढुलाई तथा हैंडलिंग प्रभार कवर होते हैं। खर्चों के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर इस मंत्रालय द्वारा मार्जिनों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

विवरण

चीनी मौसम 2000-2001 के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्य

(रुपये/क्विंटल)

क्र.सं.	जोन	मौसम 2000-01
1	2	3
1.	पंजाब	1278.57
2.	हरियाणा	1150.08
3.	राजस्थान	1210.14
4.	पश्चिम उत्तर प्रदेश	1135.75
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	1160.81
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	1263.48
7.	उत्तर बिहार	1165.24
8.	दक्षिण गुजरात	1104.90
9.	सौराष्ट्र	1130.92
10.	मध्य प्रदेश	1265.34
11.	मध्य महाराष्ट्र	1119.42
12.	दक्षिण महाराष्ट्र	1169.54
13.	उत्तर महाराष्ट्र	1186.40
14.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	1190.72
15.	शेष कर्नाटक	1147.24
16.	आंध्र प्रदेश	1239.02
17.	तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	1220.49
18.	असम/पश्चिम बंगाल/उड़ीसा/नागालैंड	1171.63
19.	केरल/गोवा/तटीय कर्नाटक	1283.56

हाट रोल्ड क्वायल्स का आयात

5097. **श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाटनरोधी निदेशालय ने हाट रोल्ड क्वायल्स उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि यह पाटनरोधी कार्यवाही शुरू करने को भी न्यायोचित नहीं ठहराती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 44 दिनांक 14 नवम्बर, 1999 के माध्यम से हाट रोल्ड क्वायल्य के आयात पर शुल्क इतर अवरोध लगाते समय पाटनरोधी निदेशालय को नजरअंदाज करने को किस प्रकार न्यायोचित ठहराया जाएगा; और

(ग) सरकार द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्सा 44 से लौह इस्पात उत्पादों का लोप करने और हाट रोल्ड क्वायल्स के आयात हेतु वास्तविक प्रयोक्ताओं को लाइसेंस जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) ने दिनांक 18.11.98 को रूस, कज़ाकिस्तान और उक्रेन से एचआर कॉयल के आयात के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और केन्द्र सरकार ने 27.11.98 को उक्त शुल्क लगा दिया था। दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, जापान, चीन और आस्ट्रेलिया से एचआर कॉयल के खिलाफ 1999 में एक और आवेदन प्राप्त हुआ था लेकिन इस मामले को शुरू नहीं किया गया था क्योंकि यह पूर्णत: प्रलेखित याचिका नहीं थी और विदेशी वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और उन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध को स्थापित करने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे।

(ख) और (ग) भारत में 131 मदों के आयात को दिनांक 24.11.2000 की अधिसूचना सं॰ 44 के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनिवार्य अनुपालन के अधीन रखा गया है। यह शर्त इसलिए लगाई गई थी क्योंकि घरेलू उत्पादकों को पहले से ही इन मानकों के अनुपालन के अधीन रखा गया है। गुणवत्ता मानक राष्ट्रीय कार्यवाही के आधार पर लागू किए जाते हैं और इसलिए, इन मदों को या तो हटाने या इस आधार पर आयात लाइसेंस जारी करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, जोकि निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं हैं।

बैंकों का ऋण जमा अनुपात

5098. श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में विशेषकर उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात के बीच भारी अंतर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उड़ीसा और अन्य राज्यों में वाणिज्यिक बैंकों में ऋण जमा अनुपात के बीच के अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के लिए उड़ीसा राज्य के ऋण-जमा अनुपात सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार ऋण-जमा अनुपात संलग्न विवरण दिया गया है। बैंकों का ऋण-जमा अनुपात अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। किसी राज्य/क्षेत्र में ऋण का प्रवाह पर्याप्त आधारिक सुविधाओं की उपलब्धता, क्षेत्र की ऋण खपत क्षमता, मझौले और बड़े उद्योगों के विकास, उपयुक्त ढंग से विकसित विपणन सुविधाओं, निवेश के लिए सहायक वातावरण, उद्यम-पहलों, क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, बैंक की देय राशियों की संतोषजनक वसूली स्थिति आदि जैसे विभिन्न मदों पर निर्भर करता है।

(ग) जैसाकि नीचे दर्शाया गया है ऋण के प्रवाह में वृद्धि के लिए बैंक विभिन्न मदों पर निर्भर करता है :-

(1) वार्षिक ऋण योजनाएं (एसीपी) प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती हैं और उनके क्रियान्वयन की निगरानी अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत विभन्न मंचों, अर्थात् ब्लाक स्तर पर ब्लाक स्तर बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला परामर्शदाता समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) द्वारा की जाती है।

(2) कम ऋण-जमा अनुपात के कारणों की जांच करने और उसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ राज्यों में कृतिक बलों की नियुक्ति की थी। इन कृतिक बलों द्वारा की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में हुई प्रगति की राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों द्वारा निगरानी की जा रही है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण आधारिक विकास निधि की स्थापना की है।

आशा की जाती है कि इन उपायों से बैंक ऋण के प्रवाह में वृद्धि होगी और बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार होगा।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात

(प्रतिशत में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1998	मार्च 1999	मार्च 2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	72.1	68.5	63.6
2.	अरूणाचल प्रदेश	13.1	14.1	16.6

1	2	3	4	5
3.	असम	32.9	31.5	31.5
4.	बिहार	27.5	25.2	22.5
5.	गोवा	24.6	25.0	24.2
6.	गुजरात	48.2	48.9	49.8
7.	हरियाणा	42.9	42.2	41.4
8.	हिमाचल प्रदेश	21.6	22.0	22.9
9.	जम्मू एवं कश्मीर	37.4	38.7	40.5
10.	कर्नाटक	68.2	64.5	61.0
11.	केरल	44.3	41.1	42.3
12.	मध्य प्रदेश	51.4	48.4	49.2
13.	महाराष्ट्र	72.3	72.8	83.8
14.	मणिपुर	58.8	41.7	36.4
15.	मेघालय	15.2	16.7	15.7
16.	मिजोरम	23.2	20.6	24.3
17.	नागालैण्ड	18.3	15.7	15.4
18.	रा॰ रा॰ क्षेत्र दिल्ली	61.9	73.6	76.9
19.	उड़ीसा	45.2	42.5	39.8
20.	पंजाब	38.6	38.7	39.1
21.	राजस्थान	47.4	45.1	46.7
22.	सिक्किम	20.7	20.0	13.8
23.	तमिलनाडु	96.1	93.0	88.0
24.	त्रिपुरा	34.0	29.4	25.8
25.	उत्तर प्रदेश	28.6	27.2	27.5
26.	प॰ बंगाल	46.1	43.8	45.2
27.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	15.1	16.6	16.8
28.	चंडीगढ़	58.0	83.8	52.6
29.	दादरा एवं नागर हवेली	21.4	21.3	21.7
30.	दमन एवं दीव	20.6	17.6	15.8
31.	लक्षद्वीप	9.9	7.7	7.7
32.	पांडिचेरी	35.9	33.8	32.8
	अखिल भारत	55.5	55.5	57.1

[हिन्दी]

नमक उद्योगों का अंतरण

5099. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को अंतरित नमक उद्योगों के नाम और स्थान क्या हैं और उनकी क्या स्थिति है;

(ख) क्या निजी उत्पादक जिन्हें उक्त उद्योग द्वारा विभिन्न स्थानों में छोटे प्लाट आवंटित किए गए हैं, वे लाभ अर्जित कर रहे हैं और उनका स्थान सुदूर क्षेत्र में होने के बावजूद वह हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड नाम की सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो लगातार प्रशासनिक और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण घाटे में चल रही है को राजस्थान सरकार को अंतरित करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर राज्य और केन्द्र सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने राजस्थान सरकार अथवा निजी उत्पादकों को कोई नमक उद्योग स्थानांतरित नहीं किया है।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने पट्टे पर दिए गए सांभर साल्ट लिमिटेड के क्षेत्र को पुन: स्थानांतरित करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था। तथापि, अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह कंपनी के समग्र हित में नहीं था।

[अनुवाद]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

5100. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री ए० नरेन्द्र :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न स्तरों पर 16 लाख से अधिक उपभोक्ता शिकायतों के लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में पूरे देश में उपभोक्ता जागरूकता केंद्रों की स्थापना के लिए 28 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो यह संशोधन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) देश में पांच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों की स्थापना करने का एक प्रस्ताव है। प्रत्येक केंद्र जिला परिषद अथवा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अभिनिर्धारित और संस्तुत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा चलाया जाएगा। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तदनुसार आवेदनों को संस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए लगभग 28 करोड़ रुपए की वित्तीय अपेक्षाओं का अनुमान लगाया गया है और इसको उपभोक्ता कल्याण कोष से दी जाने वाली सहायता से पूरा किया जाएगा।

जिला उपभोक्ता सूचना केंद्रों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन और जानकारी देना है और उनके कार्य का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता विवाद प्रतितोष एजेंसियों के समक्ष दायर शिकायतों के निपटान से कोई संबंध नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तदर्थ अध्यक्ष

5101. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के तदर्थ अध्यक्ष के बारे में 24 नवम्बर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आवश्यक सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सूचना कब तक एकत्रित कर लिए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) तीन प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर शेष सभी मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र कर ली गई है और जोकि संलग्न विवरण में दी गई है। शेष तीन मंत्रालयों/विभागों को संबंधित सूचना शीघ्र उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में तदर्थ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की संख्या और ब्यौरा	ऐसे मामलों की संख्या और ब्यौरा जिनमें पूर्ववर्ती अध्यक्ष/प्रबंधक निदेशक को पद पर बने रहने के लिए कहा गया है	प्रत्येक मामले में जारी औपचारिक आदेशों का ब्यौरा	बिना औपचारिक आदेशों के कार्यरत अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का ब्यौरा
1	2	3	4	5
1.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डारण निगम	—	आदेश सं० 6-47/97-एजसी	-शून्य-
2.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव को हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपो० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	—	—	—
3.	नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो० के निदेशक (वित्त) को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का	नाथपा झाकड़ी पावर कारपो० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अरुण गुप्ता 13.6.2000 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के	दिनांक 3.11.2000 का कार्यालय आदेश संख्या 7/3/99-हाइडल-II और दिनांक 13.6.2000	-वही-

1	2	3	4	5
	अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।	पश्चात् अपने पद पर बने हुए हैं। उनके कार्यकाल को 31.3.2001 तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है।	का आदेश संख्या 13/2/2000-हाइडल-II	
4.	महानिदेशक, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया को ईटीएण्डटी लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का दोहरा प्रभार प्रदान किया गया है, क्योंकि इस निगम को बंद करने का निर्णय किया गया है।	—	—	-शून्य-
5.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुख्य अभियंता इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए हैं।	—	—	-वही-
6.	भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव ने 16.2.2000 से धारण किया हुआ है।	—	—	-वही-
7.	सचिव, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारतीय पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पदेन अंशकालिक अध्यक्ष हैं।	—	—	-शून्य-
8.	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग भारतीय राज्य फार्म्स निगम के अंशकालिक अध्यक्ष के पद का प्रभार धारण किए हुए हैं।	—	—	-वही-
9.	विशेष सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग राष्ट्रीय निगम के अंशकालिक अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए हैं।	—	—	-शून्य-
10.	सयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग राष्ट्रीय बीज निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए हैं।	—	—	-वही-

1	2	3	4	5
11.	इंजीनियर्स इण्डिया लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का प्रभार अतिरिक्त प्रभार के आधार पर धारण किया हुआ है।	–	–	-शून्य-
12.	–	28.11.1998 को कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् हिन्दुस्तान प्रीफेब लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 27.2.2001 तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया है।	–	-वही-
13.	रेल मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी भारतीय रेल वित्त निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार धारण किए हुए है।	–	–	-शून्य-
14.	मुंबई रेल विकास निगम का एक पूर्णकालिक निदेशक निगम के प्रबंध निदेशक का प्रभार धारण किए हुए है।	–	–	–
15.	भारतीय नौवहन निगम के क्षेत्रीय महाप्रबंधक को हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार सौंपा गया है।	–	–	-वही-
16.	खनिज गवेषण निगम लि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत गोल्ड माइन्स लि० के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।	–	–	-वही-
17.	निदेशक (वित्त), बगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को बंगाल इम्युनिटी लि० के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।	–	–	-वही-
18.	संयुक्त सचिव, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग को इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपो० लि० के प्रबंध निदेशक का प्रभार सौंपा गया है।	–	–	-शून्य-

1	2	3	4	5
19.	निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि॰ को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	–	–	–
20.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सदर्न पेस्टी-साइड्स कारपो॰ लि॰ के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए हैं।	–	–	–
21.	त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के अध्यक्ष का पद तदर्थ आधार पर धारण किए हुए हैं।	–	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग दिनांक 27.1.99 का का॰ज्ञा॰ सं॰ 9(3)/ईओ/99(एसीसी)	-वही-
22.	नेटेको (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नेटेका (गुजरात) लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	–	–	-शून्य-
23.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो॰ लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	–	–	–
24.	नेटका (साउथ महाराष्ट्र) लि॰ के निदेशक (तकनीकी) को निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	–	–	–
25.	नेटको (प. बंगाल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नेशनल जूट मैन्यु॰ कारपो॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए हैं।	–	–	–
26.	भारी उद्योग निगम लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजी॰ लि॰ के प्रबंध निदेशक के वर्तमान कार्यों और दायित्वों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में देख रहे हैं।	–	दिनांक 30 अक्तूबर, 2000 का आदेश संख्या 4(1)/2000-पीई-III	–

1	2	3	4	5
27.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि॰ के प्रबंध निदेशक के वर्तमान कार्यों और दायित्वों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में देख रहे हैं।	–	दिनांक 31.7.2000 का आदेश संख्या 2(1)/2000-पीई-III	-शून्य-
28.	ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि॰ के प्रबध निदेशक भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि॰ के प्रबंध निदेशक के वर्तमान कार्यों और दायित्वों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में देख रहे हैं।	–	दिनांक 5.8.1999 का आदेश संख्या 2(20)/2000-पीई-II	–
29.	हिन्दुस्तान केबल्स लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने भारतीय निगम लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किया हुआ है।	–	भारी उद्योग विभाग का दिनांक फरवरी, 2001 का पत्र संख्या 8-6/96-पीई-V	–
30.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कं॰ लि॰ के निदेशक (कार्मिक) ने उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार धारण किया हुआ है।	–	भारी उद्योग विभाग का दिनांक 5.8.1999 का आदेश संख्या 2(20)/ 99-पीई-II	–
31.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰ के निदेशक (ईआरएण्डडी) को सीमेंट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	–	–	-शून्य-
32.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि॰ के मुख्य प्रबंधक (का॰ एवं प्र॰) को एचएसएल/ एचएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अस्थायी प्रभार अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया है।	–	–	–
33.	भारत यंत्र निगम लि॰ के निदेशक (वित्त) को टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो॰ लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।	–	–	–
34.	–	टायर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री डी॰ रे मौलिक को अगले छः महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।	भारी उद्योग विभाग का दिनांक 8.1.2001 का आदेश संख्या 27(13)/ 96-पीई-VI	–

आवास वित्त कंपनियां

5102. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या देश में कई संदिग्ध विश्वनीयता वाली आवास वित्त कंपनियां कार्य कर रही हैं और लोगों को ठग रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसकी जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन एवं पर्यवेक्षण करने वाले राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने सूचित किया है कि संदिग्ध आवास वित्त कंपनियों के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना के बाद से 83 आवास वित्त कंपनियां अनियमितता करती हुई और/या राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम और आवास वित्त कंपनी निदेश 1989 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती हुई पाई गई हैं।

(ग) और (घ) एन एच बी ने आवास वित्त कंपनी निदेश, 1989 जारी किए हैं जो जमाराशियां स्वीकार करने, जमाराशियों पर देय ब्याज दर, जमाराशियों की परिपक्वता अवधि, जमा लिखतों के ऋण निर्धारण, स्वीकार्य जमाराशियों की मात्रा तथा विज्ञप्त नियमों की अनुपालन की शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं। एन एच बी द्वारा जारी किए गए निदेशों के उपबंधों की जब कभी भी अवमानना पाई जाती है, एनएचबी कार्रवाई करता है जैसे कि कारण बताओ नोटिस जारी करना, पथभ्रष्ट कंपनियों को जनता से जमाराशियां स्वीकार करने से मना करना और जनहित के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में ऐसी कंपनियों के ब्यौरे प्रकाशित करना। राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2000 के पारित होने से ऐसे मामलों से निपटने की शक्तियां सुदृढ़ हो गई हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एचएफसी द्वारा चूक किए जाने की स्थिति में एन एच बी जमाराशियों की वापसी अदायगी के आदेश दे सकता है। इसके अलावा, एच एफ सी का जारी रहना यदि जनहित में या जमाकर्त्ताओं के हित में हानिकारक है तो एन एच बी कंपनी के समापन के लिए आवेदन कर सकता है। अब तक एन एच बी द्वारा 32 एच एफ सी को जमाराशियां स्वीकार करने से मना किया गया है।

[हिन्दी]

मुखबिरों को पुरस्कार की राशि

5103. प्रो॰ दुखा भगत : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से आयकर विभाग के पास मुखबिरों के पुरस्कार राशि और अतिरिक्त राशि संबंधी कई मामले लंबित पड़े हैं जिनकी सूचना के आधार पर आयकर विभाग द्वारा छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले लंबित हैं जिनमें मुखबिरों की सूचनाओं के आधार पर मारे गए छापे के पांच वर्षों के बीत जाने के बाद भी उन्हें पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) उक्त मुखबिरों को पुरस्कार राशि के भुगतान हेतु समय-सीमा संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) ऐसी पुरस्कार राशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) आमतौर पर अन्तरिम पुरस्कार का भुगतान तलाशी की अवधि के दौरान की गई वसूलियों के आधार पर तलाशी के शीघ्र पश्चात् किया जाता है। तथापि, मुखबिरों को पुरस्कार की अनुमति प्रदान करने हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार अन्तिम पुरस्कार केवल कर निर्धारणों के पूरा होने, अपीलों पर निर्णय होने और ऐसे पूरे किए गए कर निर्धारणों में करों के संपूर्ण देयताओं की प्राप्ति के पश्चात ही प्रदान किए जा सकते हैं। चूंकि कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देने में काफी समय लगता है, अत: पिछले कुछ वर्षों से पुरस्कारों के अनिर्णित मामलों में वृद्धि हुई है।

(ग) ऐसे लम्बित मामलों की संख्या 1186 हैं जिनमें छापा मारने के पांच वर्ष के पश्चात् भी मुखबिरों को अन्तिम रूप से पुरस्कार राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) मुखबिरों को पुरस्कार की अनुमति प्रदान करने के लिए दिशानिर्देशों में कोई समय-सीमा विनिर्धारित नहीं की गई है। मुखबिरों को पुरस्कार की अनुमति के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था की गई है कि अन्तिम पुरस्कार का भुगतान केवल सभी कर निर्धारणों को अंतिम रूप दिए जाने और किसी अपील के लम्बित न रहने अथवा दायर किए जाने और अपील को दायर करने की समय-सीमा समाप्त हो जाने पर ही किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्तिम पुरस्कारों की अनुमति, उद्ग्रहीत अतिरिक्त करों को वास्तविक रूप से प्राप्त किये जाने के पश्चात् ही दी जा सकती है।

(ङ) ऐसे मामलों की निरन्तर पुरीक्षा करने और मौजूदा दिशानिर्देशों में विनिर्धारित शर्तों के पूरा करने के पश्चात् शीघ्र भुगतान को सुकर बनाकर मुखबिरों को शीघ्र पुरस्कार प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

राज्यों को वित्तीय सहायता

5104. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों के निर्यात संबंधी निष्पादन को मद्देनजर रखते हुए उनको कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात बढ़ाने हेतु राज्यों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) वाणिज्य विभाग द्वारा राज्यों को उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर सहायता प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, पिछले वित्तवर्ष के दौरान राज्य सरकारों को आकस्मिक बुनियादी सुविधा सन्तुलन योजना (सीआईबी) के तहत 25.31 करोड़ रुपए और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यात से जुड़े कार्यकलापों के संवर्धन हेतु गतवर्ष 5 करोड़ रुपए के आरंभिक अंशदान से एक निर्यात विकास निधि की स्थापना भी की गई है। निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए उठाए गए विभिन्न अन्य कदमों में शामिल हैं—सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्यात संसाधन जोनों की स्थापना करना, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों, इनलैंड कंटेनर डिपो तथा एयर कार्गो, कम्पलैक्सों एवं विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करना। इन योजनाओं के उद्देश्य निर्यात से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है और इन्हें निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर शुरू किया जाता है। इस प्रकार की सहायता जरूरत पर आधारित होती है और न कि निष्पादन पर आधारित।

विदेशी मुद्रा

5105. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले छः महीनों के दौरान देश में विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के कई मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा का पता लगाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा की अवैध लेन-देन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) महोदय, पिछले छः माह के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के 97 मामलों का पता चला है।

(ख) प्रवर्तन निदेशालय क्षेत्रीय कार्यालय वार ब्यौरे तैयार करता है। ऐसे ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्र का नाम	शामिल राशि
अहमदाबाद	शून्य
बंगलौर	9.46 लाख रुपए
कलकत्ता	32.12 लाख रुपए
चेन्नई	7.18 करोड़ रुपए
दिल्ली	5.50 करोड़ रुपए
जालन्धर	22.65 करोड़ रुपए
मुम्बई	295.02 करोड़ रुपए

(ग) विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन को रोकने के लिए आसूचना एकत्र करने, निगरानी रखने आदि जैसे कदम उठाए जाते हैं।

[हिन्दी]

पुस्तकालयों की स्थापना हेतु बैंक राशि

5106. श्री सुकदेव पासवान : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक ने पुस्तकालयों की स्थापना हेतु बड़ी राशि दान की है ताकि वह ग्रामीण साक्षरता और जन-जागरण के केन्द्र के रूप में काम कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राष्ट्रीय बैंक भी बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में भी ऐसे केन्द्रों की स्थापना पर विचार कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पंजाब नैशनल बैंक ने सूचित किया है कि उसने दिल्ली के पहचाने हुए उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंजाब नैशनल बैंक की शाखाएं पहले से कार्यरत हैं, पुस्तकालय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना हेतु ग्रामीण स्वाभिमान (पंजीकृत) को पांच लाख की राशि का दान दिया है।

1. मैदान गढ़ी (इग्नू)

2. बुराड़ी

3. मेवला महाराजपुर

4. कुतुबगढ़

5. पपरावत

(ग) से (ङ) दान के सम्बन्ध में निर्णय विभिन्न बैंकों के प्रबन्धन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

[हिन्दी]

श्रमशक्ति में कमी

5107. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट भाषण के दौरान मंत्रालयों और केन्द्र सरकार के विभागों में श्रमशक्ति में कमी का प्रस्ताव किया गया;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय-वार और पद-वार श्रमशक्ति में प्रस्तावित कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वर्ष 2001-2002 के लिए अपने बजट अभिभाषण में, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि व्यय सुधार आयोग, जिसका गठन पिछले वर्ष किया गया था, ने 6 मंत्रालयों और विभागों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने से संबंधित रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। इनमें आर्थिक कार्य विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग और लघु उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। जहां तक आर्थिक कार्य विभाग का संबंध है, वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि उन्होंने निदेशकों और उससे नीचे के 44 पदों के अलावा तीन सचिव/विशेष सचिव स्तर के और संयुक्त सचिव स्तर के दो पदों को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है, करेंसी और सिक्का प्रभाग में 1675 पदों को समाप्त किया जा रहा है, जिसकी पुन:संरचना करके उसे कारपोरेट क्षेत्र में बदल दिया जाएगा। राष्ट्रीय बचत संगठन के 1191 के स्टाफ को घटाकर 25 के स्तर पर किया जाना है। इन निर्णयों को 31 जुलाई, 2001 तक चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना है। शेष पांच मंत्रालयों/विभागों के संबंध में भी व्यय सुधार आयोग की सिफारिशें 31 जुलाई, 2001 तक लागू की जानी है और समाप्त किए जाने वाले पदों के वास्तविक विवरण का पता तभी चल सकेगा।

[अनुवाद]

कर संग्रहण

5108. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य-वार/जोन-वार कितना भिन्न केन्द्रीय कर संग्रह किया गया;

(ख) पिछले वर्ष से विकास का प्रतिशत कितना अधिक था;

(ग) क्या अभी भी बड़ी संख्या में निजी उद्यमी कर अपवंचन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो आयकर विभाग द्वारा उन कर अपवंचकों को आयकर संजाल में लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 2000-2001 (28 फरवरी तक) के दौरान क्षेत्रवार/मण्डलवार मुख्य आयुक्त का निगमित कर, आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की वसूली का ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) 28 फरवरी, 2001 तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की कुल वसूली ने गत वर्ष की समनुरूपी अवधि के दौरान हुई वसूली की तुलना में 11.67% की वृद्धि दर्ज की है।

(ग) कतिपय निर्धारिती, जिनमें निजी उद्यमों के मालिक शामिल हैं, आयकर अपवंचन करते हुए पाए गए।

(घ) कर अपवंचकों को आयकर संजाल में लाने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर आवश्यक कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक उपाय करती रही है। कराधान की दरों तथा प्रक्रियाओं को क्रमिक रूप से युक्तिसंगत बनाया गया है। कर अपवंचकों को आयकर संजाल में लाने के लिए आयकर, अधिनियम, 1961 में बहुत से प्रावधान हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें जो व्यक्ति विनिर्दिष्ट छ: आर्थिक आधारों में से एक को पूरा करते हैं, उनके द्वारा अनिवार्यत: विवरणी प्रस्तुत करना, निर्धारित संव्यवहारों में पैन का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना, विनिर्दिष्ट मामलों में खातों का अनिवार्य रख-रखाव और लेखा परीक्षण, सम्पत्तियों का पूर्वक्रय, कर अपवंचकों को दण्डित करने के लिए सर्वेक्षण और तलाशियां, शास्तियां और अभियोजन और छानबीन के लिए चयनित मामलों में अन्वेषण भी शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 2000-2001 (फरवरी, 2001 तक) के दौरान मुख्य आयुक्त-वार निगमित कर तथा आय कर की वसूली

(करोड़ रुपए में)

मुख्य आयकर आयुक्त	निगमित कर	आयकर	जोड़
अहमदाबाद	593.94	1558.98	2152.92
बंगलौर	998.32	1901.10	2899.42
भोपाल	644.61	588.42	1233.03
मुम्बई	10286.18	5950.16	16236.34
कोलकाता	998.47	1359.68	2358.15
कोचीन	284.84	458.75	743.59
हैदराबाद	790.18	1060.63	1850.81
जयपुर	46.75	436.89	483.64
चेन्नई	1356.40	1974.65	3331.05
नई दिल्ली	4368.33	3472.67	7841.00
चंडीगढ़	481.85	1193.13	1674.98
कानपुर	3033.80	644.67	3678.47
लखनऊ	43.63	436.93	480.56
पुणे	579.43	1619.71	2199.14
पटना	543.11	1050.72	1593.83
सीटीडीएस	11.87	760.57	772.44
	25061.71	24467.66	49529.37

विवरण-II

वर्ष 2000-01 के दौरान क्षेत्रवार उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क राजस्व वसूली के आंकड़े

क. उत्पाद शुल्क-फरवरी, 2001 तक क्षेत्रवार राजस्व की स्थिति

(करोड़ रुपए)

क्षेत्र	फरवरी, 2000-2001 तक वसूली
1	2
मुम्बई	5858.34
पुणे	6060.92
वडोदरा	8967.39
बंगलौर	6095.48
हैदराबाद	4479.77
चेन्नई	5854.48
लखनऊ	7606.71
दिल्ली	7746.73
जयपुर	4292.06
कलकत्ता	5096.65
सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा उत्पाद शुल्क प्रति अदायगी	2550.00
जोड़	59508.53

राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं की किए गए उपकर को छोड़कर

ख. सीमा शुल्क-फरवरी, 2001 तक क्षेत्रवार राजस्व की स्थिति

क्षेत्र	फरवरी, 2000-2001 तक वसूली
मुम्बई सी॰शु॰	13132.33
मुम्बई उ॰शु॰	58.66
पुणे	965.76
वडोदरा	6917.30
बंगलौर	3392.02
हैदराबाद	1618.84
चेन्नई	6627.56
लखनऊ	804.27
दिल्ली	5475.80
जयपुर	155.45
कलकत्ता	3470.79
जोड़	42618.78

[हिन्दी]

औद्योगिक घरानों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता

5109. **श्री रामशकल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बड़े और संयुक्त औद्योगिक घरानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा इस संबंध में क्या शर्तें निर्धारित की गई;

(घ) क्या ऋण पुनर्भुगतान में कोई चूक हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) द्वारा 15 बड़े औद्योगिक घरानों को वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान मंजूर और संवितरित कुल सहायता राशि नीचे दी गई हैं :-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मंजूर राशि	संवितरित राशि
1997-98	7595	6560
1998-99	5054	3833
1999 2000	5533	3909

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित वित्तीय संस्थाएं परियोजनाओं को ऋण देते समय कुछ शर्तें एवं निबंधन जैसे ब्याज की दर, चुकौती अवधि, प्रतिभूति निर्माण, निजी एवं कारपोरेट गारंटी आदि निर्धारित करती हैं जिससे अनुमानित लागत के भीतर परियोजनाओं का सामयिक कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और ऋणदाता परियोजना की निगरानी करने में सक्षम हो सकें। कुछ परियोजना-विशिष्ट शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित कुछ बड़े औद्योगिक घरानों ने छोटी राशि के लिए आईडीबीआई को चुकौती करने में चूक की थी परन्तु बैंक में प्रचलित प्रथाओं एवं रीतिरिवाजों के अनुसार और सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़े सांविधिक उपबंधों और इसके साथ लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों के अनुरूप व्यक्ति विशेष से संबंधित और अधिक ब्यौरा प्रकट नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

परेषण कर

5110. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परेषण कर पर राज्यों और केन्द्र सरकार की राय भिन्न-भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्यों के बीच राय में भिन्नता है। यद्यपि विकसित राज्य परेषण कर के पक्ष में हैं, फिर भी कम विकसित राज्य इसके विरुद्ध हैं। केन्द्रीय सरकार ने परेषण कर लगाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

ट्रैक्टरों का निर्माण

5111. **श्री राजनारायण पासी :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (ट्रैक्टर संभाग), पिंजौर द्वारा वर्ष-वार कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया गया;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी कीमत कितनी है;

(ग) क्या निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों की तुलना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा निर्मित ट्रैक्टरों की कीमत ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बाजार में प्रतियोगिता पक्षों पर विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन (ट्रैक्टर संभाग) के साथ/हानि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और यदि कोई है, तो घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) एचएमटी (ट्रैक्टर प्रभाग), पिंजौर द्वारा निर्माण किए गए ट्रैक्टरों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	निर्मित ट्रैक्टरों की संख्या
1998-99	18700
1999-2000	16355
2000-01	13544

(ख) निर्मित ट्रैक्टरों और उनके मूल्य के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

ट्रैक्टर मॉडल	हॉर्स पावर रेंज	एफ ओ आर मूल्य (रुपये)
एचएमटी - 2522	25	201386
एचएमटी - 3022	30	212851
एचएमटी - 3522	39	234241
एचएमटी - 4511	45	271391
एचएमटी - 5911	58	335755
एचएमटी - 7511 (नियमित)	75	438350

(ग) से (च) एचएमटी के ट्रैक्टरों का मूल्य बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक है और प्रतियोगियों के मूल्य की तुलना में समान या कम है।

(छ) एचएमटी (ट्रैक्टर प्रभाग) द्वारा गत 3 वर्षों के दौरान कमाया गया लाभ इस प्रकार है:-

वर्ष	कर पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)
1998-99	34.38
1999-2000	7.91
2000-01	4.05

सड़कों/पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड से ऋण

5112. **श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री जी॰एस॰ बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड से कर्नाटक को ग्रामीण आधारभूत ढांचा विकास निधि के अन्तर्गत सड़कों, पुलों और छोटी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु 96.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इन कार्यों हेतु इस धन का उपयोग करने संबंधी ब्यौरे तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सड़कों और पुलों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने सड़कों, पुलों और लघु सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ) की विभिन्न श्रृंखलाओं के अंतर्गत 31 मार्च, 2001 तक कर्नाटक को 1174.69 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है।

(ख) और (ग) मंजूरी हेतु नाबार्ड को प्रस्तुत किए गए परियोजना के प्रस्ताव में परियोजना के कार्यान्वयन की अवस्थाओं के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों, पुलों, लघु सिंचाई आदि जैसी व्यक्तिगत परियोजना/प्रयोजनों के लिए ऋण के उपयोग के ब्यौरे दर्शाए जाते हैं। नाबार्ड द्वारा संवितरण, किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर किया जाता है और कार्यान्वयन की नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निगरानी की जाती है। कार्यान्वयन की प्रगति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा भी समीक्षा की जाती है। अब तक, नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए आर आई डी एफ के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य को 621.33 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं।

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है आर आई डी एफ II, III और IV के अन्तर्गत मंजूर की गई अधिकांश सड़कें और पुल पूरे हो चुके हैं। आर आई डी एफ-V और VI के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों और पुलों के क्रमश: 31 मार्च, 2002 और 31 मार्च, 2003 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र स्थित ट्रांसमीटर

5113. **श्री अशोक ना॰ मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में 31 दिसम्बर, 2000 तक जिले-वार स्थापित और एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक महाराष्ट्र के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र और जनता को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेटवर्क से जोड़ा गया है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र से दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी तक इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) 31.12.2000 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में भिन्न-भिन्न शक्तियों के 105 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे थे। इन ट्रांसमीटरों के जिला-वार स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। हाल ही में भण्डारा जिले में सकोली में एक और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया है।

(ख) वर्तमान में टी.वी. सेवा (राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यक्रम) द्वारा महाराष्ट्र के 79.6 प्रतिशत क्षेत्र तथा 88.6 प्रतिशत जनसंख्या को कवर किया जाता है। उपरोक्त कवरेज आंकड़ों में सीमावर्ती क्षेत्र भी शमिल हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न मंचों से समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। संसाधनों की उपलब्धता, क्षेत्र में मौजूदा कवरेज, प्रस्तावित ट्रांसमीटर की परिणामी कवरेज, क्षेत्रों में भू-भागीय स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकताओं आदि पर निर्भर रहते हुए दूरदर्शन की भावी विस्तार योजनाओं को तैयार करते समय ऐसे अनुरोधों पर विचार किया जाता है। वर्तमान में राज्य में अब तक कवर न किए गए क्षेत्रों में और विस्तार के लिए 18 ट्रांसमीटर परियोजनाएं (डीडी-1-7, डीडी-2-11) कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में दूरदर्शन ट्रांसमीटर नेटवर्क

(31.12.2000 तक की स्थिति के अनुसार)

जिला	प्रकार	स्थान
1	2	3
अहमदनगर	अ.श.ट्रां.	अहमदनगर
		संगमनेर
अकोला	-तथैव-	अकोट
		अकोला
		कारंजा
		रिसोड
		वशिम
अमरावती	अ.श.ट्रां.	अचलपुर
		अमरावती
		चांदुर
		दर्यापुर
		मोर्शी
	अ.अ.श.ट्रां.	चिकलधरा
		तिवसा
औरंगाबाद	उ.श.ट्रां.	औरंगाबाद
	एक्सपोजर	औरंगाबाद
भण्डारा	अ.श.ट्रां.	भंडारा (डीडी-2)
		गोंदिया
		तुमसर
	अ.अ.श.ट्रां.	अर्जुनी
बीड	उ.श.ट्रां.	अम्बाजोगई
	अ.श.ट्रां.	अम्बाजोगई (डीडी-2)
		बीड
बुलढ़ाणा	अ.श.ट्रां.	बुलढ़ाणा
		चिखली
		खामगांव
		मेहेकर
चन्द्रपुर	अ.श.ट्रां.	ब्रह्मपुरी
		चन्द्रपुर
	अ.अ.श.ट्रां.	चिमुर
		सिंदेवाही
धूले	अ.श.ट्रां.	धूले
		नन्दुरबार

1	2	3
		नवापुर
		शहाद
		शीरपुर
	अ.अ.श.ट्रां.	पिम्पलनेर-सकरी
गड़चिरोली	अ.श.ट्रां.	अहेरी
		गढ़चिरोली
		सिरोंचा
	अ.अ.श.ट्रां.	कुरखेड़ा
ग्रेटर मुम्बई	उ.श.ट्रां.	मुम्बई
		मुम्बई (डीडी-2)
जलगांव	अ.श.ट्रां.	अमलनेर
		भुसावल
		जलगांव
जालना	अ.श.ट्रां.	जालना
कोल्हापुर	अ.श.ट्रां.	इचलकरंजी
		कोल्हापुर
	अ.अ.श.ट्रां.	मलकापुर
नागपुर	उ.श.ट्रां.	नागपुर
		नागपुर (डीडी-2)
नान्देड	अ.श.ट्रां.	धर्माबाद
		दिगलुर
		किनवट
		नान्देड
	अ.अ.श.ट्रां.	भोकार
नाशिक	अ.श.ट्रां.	मालेगांव
		नान्देड
		नाशिक
		सतना
उस्मानाबाद	अ.श.ट्रां.	उस्मानाबाद
		उमेरगा
परभणी	अ.श.ट्रां.	हिंगोली
		परभणी
पुणे	उ.श.ट्रां.	पुणे
	अ.अ.श.ट्रां.	जुन्नार
रायगढ़	अ.श.ट्रां.	चिण्लुन
		देवरूख
		राजपुर
		रत्नागिरि
	अ.अ.श.ट्रां.	खेड
सांगली	अ.श.ट्रां.	खानपुर
		सांगली
सतारा	अ.श.ट्रा.	कराड
		पाटन
		फाल्टन
		सतारा
	अ.अ.श.ट्रां.	कोरेगांव
		वाई
सिंधुदुर्ग	अ.श.ट्रां.	कंकोली
	अ.अ.श.ट्रां.	मालवां
शोलापुर	अ.श.ट्रां.	आकलकोट
		अकलुज
		बार्शी

1	2	3
		मंगल केढ़ा
		पंढ़रपुर
		शोलापुर
थाणे	अ.अ.श.ट्रां.	बदलापुर
वर्धा	अ.श.ट्रां.	अरणी
		हिंगनघाट
		पुलगांव
		वर्धा
	अ.अ.श.ट्रां.	आष्टी
		कारंजा
यवतमाल	अ.श.ट्रां.	पांढ़रकवड़ा
		पुसद
		उमरलेड
		वणी
		यवतमाल

ऋण प्रतिभूतियां

5114. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों की इक्विटी को बिना सूचीबद्ध किए ही सार्वजनिक रूप से ऋण प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी यह सुविधा केवल ढांचागत कंपनियों और नगर निगमों को ही उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो कंपनियों को ऋण प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कंपनियों को ऋण प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देने हेतु अन्य क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मार्च, 2001 में सभी कंपनियों को कतिपय शर्तें पूरी करने के अध्यधीन इक्विटी सूचीबद्ध किए बिना सार्वजनिक रूप से ऋण प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देने का निर्णय किया।

(ख) ऐसी ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के विवरणों तथा शर्तों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं। जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों का निवेश ग्रेड दर निर्धारण होना चाहिए। निर्गमकर्त्ता को ऋण प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश के आकार के संबंध में सूचीकरण के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। संवर्धक 20 प्रतिशत का इक्विटी योगदान करेंगे तथा उसे सार्वजनिक निर्गम के लिए आबंटन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए निरूद्ध करेंगे। इक्विटी के सार्वजनिक निर्गम के लिए निर्धारित प्रकटन मानदंड प्रयोज्य होंगे। इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रतिभूतियों में निवेशों के हितों की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम के तहत प्रावधान हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ऐसा ऋण बाजार का और विकास करने के प्रयोजन से किया गया है।

(ङ) ऊपर (ख) की भांति।

अनिवार्य अपलिंकिंग नीति

5115. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी टी.वी. चैनलों की भारत से अनिवार्य अपलिंकिंग के संबंध में सरकार की कोई नीति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विदेशी टी.वी. चैनलों की भारत से अनिवार्य अपलिंकिंग के लिए प्रस्तावित कनवर्जेंस विधेयक में कोई प्रावधान करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान के अभाव में विदेशी टी.वी. चैनलों को किस प्रकार भारतीय कानून के अधिकार क्षेत्र में लाया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) नीति के अनुसार, विदेशी चैनलों सहित टी.वी. चैनलों के लिए भारत से अपलिंक करना अनिवार्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभिसरण विधेयक अभी मसौदा स्तर पर है।

(घ) विदेशी टी.वी. चैनलों के कार्यक्रम जब केबल नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं तो इनके द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है।

कॉफी का आयात

5116. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशों से कॉफी के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कॉफी का आयात किया जाना है, किन देशों से और किस कीमत पर किया जाना है;

(ग) कॉफी का आयात सरकार के माध्यम से किया जाएगा या निजी तौर पर;

(घ) क्या भारतीय कॉफी उत्पादकों ने इसके परिणामस्वरूप अपने व्यापार में हानि होने की आंशका जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो आयात करने के क्या कारण हैं और घटिया किस्म की आयातित कॉफी से भारतीय उत्पादकों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) डब्ल्यूटीओ विनियमों के अनुसरण में कॉफी सहित अनेक मदों के आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंधों को 1.4.2001 से हटा लिया गया है। मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने के साथ ही कोई भी किसी भी देश से सीमाशुल्क का भुगतान करके कॉफी का आयात कर सकता है।

चूंकि भारत स्वयं एक कॉफी निर्यातक देश है और कॉफी का आयात नगण्य रहता है इसलिए मात्रात्मक प्रतिबन्धों को हटाने के कारण घरेलू कॉफी उद्योग को वास्तविक क्षति होने की आशंका नहीं है। तथापि कॉफी के आयात को हतोत्साहित करने के लिए कॉफी पर आयात शुल्क 35% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित कराने के लिए कि भारत में सस्ती/घटिया क्वालिटी की कॉफी का पाटन न हो और साथ ही घरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए, भारत सरकार यदि स्थिति की ऐसी मांग हुई तो अपने पास उपलब्ध सभी टैरिफ और गैर-टैरिफ उपाय करने से नहीं हिचकिचाएगी।

अप्रवासी भारतीयों को परिपक्वता राशि का भुगतान

5117. **श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मै. सी.आर.बी. कैपिटल मार्केट लि. और मै. प्रुडेंशियल कैपिटल मार्केट लि. जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को वर्ष 1993 और 1995 में सीमित अवधि के लिए वापसी भुगतान के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एन.आर.आई. और ओ.सी.बी. से जमा राशियां स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कंपनियों द्वारा 1994 और 1996 में प्राप्त की गई कितनी विदेशी मुद्रा को रुपये में परिवर्तित किया गया;

(घ) क्या इन कंपनियों ने अप्रवासी भारतीय निवेशकों द्वारा 1994 और 1996 में जमा की गई राशियों से संबंधित परिपक्वता राशि वापस दे दी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन कंपनियों ने फेरा के प्रावधानों का उल्लंघन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मैसर्स सीआरबी कैपिटल मार्केट्स लि. को अप्रवासी भारतीयों से जमाराशि स्वीकार करने के लिए दिया गया अनुमोदन की अवधि 29 अप्रैल, 1994 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद कंपनी ने अप्रवासी भारतीयों से जमाराशि स्वीकार करने हेतु समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। तथापि, समय सीमा नहीं बढ़ाने के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण निष्कर्षों के अनुसार कंपनी ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के संगत उपबंधों का उल्लंघन करते हुए अप्रैल, 1994 से जुलाई, 1995 की अवधि के दौरान अप्रवासी भारतीयों से 46.98 लाख रु. तक जमाराशि प्राप्त की। कंपनी को 9 अप्रैल, 1997 को जमाराशि स्वीकार करने और साथ ही आस्तियों/संपत्ति के हस्तांतरण से रोकने के लिए प्रतिबंधक आदेश जारी किए गये थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई, 1997 को दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी को बन्द करने संबंधी याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 22 मई, 1997 की अनन्तिम परिसमापक के रूप में सरकारी परिसमापक नियुक्त किया था। लम्बे समय से लम्बित न्यायालय याचिकाओं पर समय-समय पर सुनवाई की जाती है/उन्हें स्थगित किया जाता है।

जहां तक मैसर्स प्रुडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लि. का संबंध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कंपनी को अनुमोदन

पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्यावर्तन/गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर 30 अगस्त, 1995 से भारतीय स्टेट बैंक, इजरा स्ट्रीट शाखा, कोलकाता के जरिए अप्रवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों (ओसीबी) से विप्रेषित धन स्वीकार करने की अनुमति दे दी गई थी। कंपनी द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार, वर्ष 1996 के दौरान कंपनी द्वारा उपर्युक्त योजना के तहत प्राप्त धनराशि 21.75 लाख रुपए थी। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक को कंपनी के विरुद्ध कंपनी विधि बोर्ड के आदेश का उल्लघंन करते हुए जमाराशि की वापसी अदायगी नहीं करने की कुछ शिकायतें मिली हैं, अत: भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 16.11.1999 को मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय कलकत्ता में कंपनी और इसके निदेशकों के विरुद्ध कंपनी विधि बोर्ड के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए आपराधिक मामला दायर किया है और यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि कंपनी द्वारा फेरा का उल्लंघन करने संबंधी कोई रिकार्ड उनके पास उपलब्ध नहीं हैं।

आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ द्वारा प्रदत्त सेवाएं

5118. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ ने 'शारजाह एयरपोर्ट फ्री जोन' के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ द्वारा 'शारजहा एयरपोर्ट फ्री जोन' को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) क्या 'शारजाह एयरपोर्ट फ्री जोन' में कार्य कर रही 40 प्रतिशत कम्पनियां भारतीय हैं;

(ङ) यदि हां, तो आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ के साथ किए गए इस समझौते के माध्यम से भारतीय उद्योगों को 'शारजाह एयरपोर्ट फ्री जोन' से अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में कहां तक मदद होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ लि॰ ने शारजाह सरकार के मुक्त क्षेत्र प्राधिकरणों (जी ओ एस एफ जेड ए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) से (ङ) समझौता ज्ञापन के ब्यौरे में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल है:-

- आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ समूह शारजाह में मुक्त क्षेत्रों में उपस्थिति की इच्छा रखने वाले निगमों और व्यावसायिक घरानों को व्यापक भारतीय ग्राहक आधार तक पहुंचने में सहायता देने का प्रयास करेगा।

- मुक्त क्षेत्र के प्राधिकारियों को ऐसे व्यापार एवं निवेश के प्रभावी प्रवाह के लिए बाजार प्रदान करने योग्य बनाना।

- जी ओ एस एफ जेड ए मुक्त क्षेत्र में उपस्थिति या उसमें आने का प्रस्ताव करने वाले व्यावसायिक एककों की बैंकिंग सुविधाओं हेतु सभी अनुरोधों को आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ समूह को भेजेगा।

- आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ समूह शारजाह (यू ए ई) में एक सेंटर, डाटा सेन्टर और इन्क्यूबेशन सेन्टर की जांच करने और स्थापित करने में भी सहायता देगा, बशर्ते कि आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएं और परस्पर सहमत पैमाने एवं गुंजाइश के आधार पर पहलों को अर्थक्षम पाया जाए। यह विशिष्ट आन्तरिक, विनियामक एवं सांविधिक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन भी होगा।

विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना

5119. श्री अनन्त नायक : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अतंर्गत विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए राज्यों को चावल की नि:शुल्क आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्यों को कितने चावल की आपूर्ति की गयी; और

(ग) उक्त कार्य हेतु प्रत्येक राज्य ने वास्तव में कितना चावल उठाया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। प्राथमिक शिक्षा को पौषणिक समर्थन देने हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भारतीय खाद्य निगम के सबसे निकटस्थ गोदामों से मुफ्त खाद्यान्न (गेहूं और चावल) वितरित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का आबंटन एवं उठान संलग्न विवरण I और II पर दर्शाया गया है।

विवरण-I

1999-2000 की अवधि के दौरान (फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान पोषाहार कार्यक्रम—एन०एस०पी०ई०) मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

(टन में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्नों का आबंटन			खाद्यान्नों का उठान		
		गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश		228544	228544		148021	148021
2.	अरूणाचल प्रदेश		4531	4531		152	152
3.	असम		70042	70042		6823	6823
4.	बिहार	179408	101189	280597	7073	5508	12581
5.	गोवा		2343	2343		1838	1838
6.	गुजरात	44059	44059	88118	16066	14352	30418
7.	हरियाणा	26653	26653	53306	13495	13734	27229
8.	हिमाचल प्रदेश		20826	20826		14017	14017
9.	जम्मू और कश्मीर		18611	18611		0	0
10.	कर्नाटक	47812	121947	169759	34441	86148	120589
11.	केरल		49853	49853		52741	52741
12.	मध्य प्रदेश	155707	119887	275594	105629	78330	183959
13.	महाराष्ट्र		288718	288718		214307	214307
14.	मणिपुर		7637	7637		6202	6202
15.	मेघालय		9615	9615		150	150
16.	मिजोरम		2918	2918		2044	2044
17.	नागालैण्ड		2920	2920		3640	3640
18.	उड़ीसा		108151	108151		59279	59279
19.	पंजाब	52992	0	52992	1938	0	1938
20.	राजस्थान	166046	0	166046	87147	0	87147

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	सिक्किम		2550	2550		547	547
22.	तमिलनाडु		118735	118735		60184	60184
23.	त्रिपुरा		1427	1427		1427	1427
24.	उत्तर प्रदेश	291379	166478	457857	141590	69443	211033
25.	पश्चिम बंगाल	3061	260535	263596	3294	150291	153585
26.	अं॰ और नि॰ द्वीप समूह		1106	1106		221	221
27.	चंडीगढ़	394	0	394		0	0
28.	दा॰ और नागर हवेली		700	700		223	223
29.	दमन और दीव		446	446		93	93
30.	दिल्ली	18101	0	18101	200	0	200
31.	लक्षद्वीप@		()	()		()	()
32.	पांडिचेरी		1218	1218		1177	1177
	भारत	985612	1781639	2767251	410873.0	990892.0	1401765.0

टिप्पणी: भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथा सूचित उठान के आंकड़े।

@ छूठ प्राप्त।

विवरण-II

2000-2001 (फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान पोषाहार कार्यक्रम—एन॰एस॰पी॰ई॰) मध्याह्न भोजन योजना के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन और उठान बताने वाला विवरण

(टन में)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्नों का आबंटन			खाद्यान्नों का उठान*		
		गेहूं	चावल	जोड़	गेहूं	चावल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश		234614	234614	0	114692	114692
2.	अरूणाचल प्रदेश		3434	3434	0	372	372
3.	असम		70149	70149	0	7747	7747
4.	बिहार	132519	54466	186985	25030	32206	57236

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	गोवा		2616	2616		1754	1754
6.	गुजरात	60177	59401	119578	18236	17321	35557
7.	हरियाणा	20555	20079	40634	12477	10506	22983
8.	हिमाचल प्रदेश		16609	16609		15377	15377
9.	जम्मू और कश्मीर		22632	22632	0	0	0
10.	कर्नाटक	46927	114572	161499	36845	85460	122305
11.	केरल		46557	46557		46184	46184
12.	मध्य प्रदेश	138089	80531	218620	113702	73747	187449
13.	महाराष्ट्र		280692	280692	0	229455	229455
14.	मणिपुर		6751	6751		6379	6379
15.	मेघालय		8911	8911		1807	1807
16.	मिजोरम		2918	2918		2336	2336
17.	नागालैण्ड		3018	3038		2676	2676
18.	उड़ीसा		101193	101193	0	50311	50311
19.	पंजाब	39827		39827	3405	0	3405
20.	राजस्थान	130306		130306	90302	0	90302
21.	सिक्किम		2264	2264	0	1377	1377
22.	तमिलनाडु		107475	107475		63853	63853
23.	त्रिपुरा		1533	1533	0	4300	4300
24.	उत्तर प्रदेश	232418	132695	365113	49743	36723	86466
25.	पश्चिम बंगाल		218859	218859	929	203631	204560
26.	अं० और नि० द्वीप समूह		1128	1128		444	444
27.	चंडीगढ़	394		394	156	0	156
28.	दा० और नागर हवेली		719	719		586	586
29.	दमन और दीव		443	443		318	318

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	दिल्ली	17982		17982	3290		3290
31.	लक्षद्वीप@			0			0
32.	पांडिचेरी		1233	1233		698	698
	नव गठित राज्य						
33.	झारखंड	2037	21426	23463	127	2283	2410
34.	उत्तरांचल	2236	9387	11623	595	2349	2944
35.	छत्तीसगढ़		30899	30899		10871	10871
	भारत	823467	1657224	2480691	354837	1025763	1380600

टिप्पणी: भारतीय खाद्य निगम द्वारा यथा सूचित उठान के आंकड़े।

*-उठान फरवरी, 2001 तक है।

@ छूठ प्राप्त।

डी०जी०एफ०टी० द्वारा नकदी प्रतिपूर्ति समर्थन

5120. श्री रघुनाथ झा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी०जी०एफ०टी० नई दिल्ली ने 1992 में एक ऐसी फर्म को नकदी प्रतिपूर्ति समर्थन योजना के अंतर्गत 2.45 करोड़ रुपये की परियोजना सहायता उपलब्ध कराई थी कि इसकी पात्र नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस फर्म से दंडात्मक ब्याज दर सहित धनराशि वसूलने और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सीसीएस योजना के तहत एक फर्म को 1992 में 2.45 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। सी एंड एजी ने इस भुगतान को 1999 की अपनी रिपोर्ट में गलत बताया है। सी एंड एजी रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) में सी एंड एजी को यह बताया गया है कि परियोजना सहायता मौजूदा नियमों के अनुसार सही-सही उपलब्ध कराई गई थी, यद्यपि दावेदार कुछेक दस्तावेज उपलब्ध कराने में असमर्थ रहा था क्योंकि उसके सारे रिकार्ड लड़ाई के कारण मेजबान देश द्वारा जब्त कर लिए गए थे। चूंकि यह मामला पीएसी के विचाराधीन है, इसलिए इस राशि को वसूल करने के लिए अभी कोई उपाय आरम्भ नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

निर्यात हेतु बासमती चावल को मान्यता

5121. श्री जय प्रकाश : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात के लिए केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले बासमती चावल को मान्यता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अन्य भागों में पैदा होने वाले "बासमती" को किसी अन्य श्रेणी में रखा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) बासमती चावल के निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यक और समीचीन समझते हुए वाणिज्य विभाग ने बासमती चावल को गुणवत्ता नियंत्रण तथा निर्यात पूर्व निरीक्षण के अधीन रखने के बारे में आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की है। उक्त आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ यह बतलाया गया है कि "अनुसूची।

(परम्परागत भारतीय बासमती चावल) और अनुसूची II (विकसित भारतीय बासमती चावल) में दिए गए विनिर्देशन हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, जो निर्दिष्ट क्षेत्रों में हिमालय पर्वतमाला की तराई में भारतीय गंगा के सभी मैदानी भाग का हिस्सा है'' में उपजाई जाने वाली बासमती चावल की किस्मों के लिए लागू होंगे। तथापि, इससे गुणदोष के आधार पर बासमती चावल उगाए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ने या छोड़ने की संभावना समाप्त नहीं हो जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बैंक डकैतियां

5122. **श्री राजो सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पड़ी डकैतियों में बैंक अधिकारियों सहित कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए;

(ख) इन घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिपूर्ति के रूप में कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक द्वारा दिए गए रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1998 से 2000 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लूटपाट/डकैती में मारे गए/घायल व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति सहित दिए गये मुआवजे/पुरस्कार के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-2000 तक की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लूटपाट/डकैती में मारे गए घायल व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सहित दिए गये मुआवजे/पुरस्कार के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	व्यक्तियों की संख्या		दिए गया मुआवजा/पुरस्कार/ अनुकंपा आधार पर नियुक्ति
		मारे गए	घायल	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	07	रु.० 1 लाख+चिकित्सा खर्च।
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
3.	असम	03	06	रू० 5.60 लाख+चिकित्सा खर्च।
4.	बिहार	06	29	रू० 1.5 लाख+चिकित्सा खर्च।
5.	दिल्ली	01	–	–
6.	गुजरात	–	–	–
7.	गोवा	–	–	–
8.	हरियाणा	–	–	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–
10.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–

1	2	3	4	5
11.	कर्नाटक	—	01	—
12.	केरल	—	—	—
13.	मध्य प्रदेश	01	02	—
14.	महाराष्ट्र	—	07	रू॰ 792 बाहरी व्यक्ति पर खर्च किया गया।
15.	मणिपुर	01	02	—
16.	मेघालय	06	11	रू॰ 12.5 लाख।
17.	मिजोरम	—	—	—
18.	नागालैण्ड	—	—	—
19.	उड़ीसा	01	11	—
20.	पंजाब	02	—	रू॰ 7.2 लाख।
21.	राजस्थान	—	—	—
22.	सिक्किम	—	—	—
23.	तमिलनाडु	—	—	—
24.	त्रिपुरा	—	—	—
25.	उत्तर प्रदेश	08	18	रुपये 9.2 लाख + परिवार के सदस्यों की नौकरी+ दिवंगत व्यक्तियों के बच्चों की स्नातक स्तर तक शिक्षा का खर्च+पदोन्नति।
26.	पं॰ बंगाल	01	1	—

(आंकड़े अनंतिम)

2 और 5 रुपये मूल्य वर्ग के नोट

5123. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में 2 और 5 रुपये मूल्य वर्ग के नोट छापने का है;

(ख) यदि हां, तो इन नोटों की छपाई दोबारा शुरू करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) इन्हें बाजार में कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) देश में सिक्कों की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 5 रुपए मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की छपाई फिर शुरू करने का निर्णय किया गया है। इस पर आने वाला व्यय प्रति 1000 अदद 650/- रुपए से 700/- रुपए के बीच (अनुमानित) आने की संभावना है।

(घ) 5 रुपये मूल्य वर्ग के नोट के जून, 2001 में चलन में आने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ. द्वारा दरें उद्धृत करना

5124. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, निगमों आदि द्वारा उससे ''दरों की पूछताछ'' करने पर सबसे कम मूल्य की चीजों की कीमत और ब्रांड नाम उद्धृत नहीं करता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि सरकार निगमों और उपक्रमों द्वारा इस प्रकार की सभी दरों की पूछताछ किए जाने पर एन.सी.सी.एफ. सभी पंजीकृत प्राधिकृत वितरकों की सबसे कम कीमतों का उनके ब्रांड नामों सहित उल्लेख करेगा;

(घ) क्या एन.सी.सी.एफ. अपने बीजकों में अपने सामान के ब्रांड नामों और पूरे विनिदेशों का उल्लेख नहीं करता; और

(ङ) यदि हां, तो वस्तुओं को उनके ब्रांड नामों के साथ सुस्पष्ट विनिर्देश देना सुनिश्चित करने हेतु उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा सरकारी कार्यालयों द्वारा की गई पूछताछ के जवाब में सामान्यत: सबसे कम मूल्य वाली मदों की दरें और ब्रांड नाम कोट किए जाते हैं। तथापि, कुछ मामलों में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा प्रस्तुत ऐसे कोटेशनों के ब्रांड नाम आदि नहीं बताए गए थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार मांगकर्ता संगठन द्वारा अपेक्षित विशिष्ट मदों की दरें कोट की जाती हैं। बिना ब्रांड नाम वाले उत्पादों की पूछताछ के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा उन मदों में से कम से कम तीन की दरें कोट की जानी होती हैं जिनको राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ सप्लाई कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के मुख्यालय द्वारा अपनी शाखाओं को इस आशय के अनुदेश अनुपालन हेतु पुन: जारी कर दिए गए हैं।

(घ) से (ङ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के बिक्री बीजकों में सामान्यत: पूर्ण विशिष्टियां और ब्रांड नाम दिए जाते हैं। तथापि, कुछ मामलों में इनका उल्लेख नहीं किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा बीजकों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों में वस्तु की पूर्ण विशिष्टियों, ब्रांड नामों आदि का उल्लेख अनिवार्य रूप से करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं।

तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने में तम्बाकू बोर्ड की भूमिका

5125. **श्री के० येरननायडू : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती को बढ़ावा देने में तम्बाकू बोर्ड की क्या भूमिका है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान प्रत्येक राज्य से विशेषकर आंध्र प्रदेश से कितने मूल्य का तैयार तम्बाकू और कच्चा तम्बाकू निर्यात किया गया और वर्ष 2001-2002 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा तम्बाकू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में तम्बाकू किसानों के कल्याण के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा क्या विभिन्न कल्याण उपाय शुरू किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) तम्बाकू बोर्ड एफ सी वी तम्बाकू की घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मांग के मूल्यांकन के आधार पर इसके उत्पादन तथा क्यूरिंग को विनियमित करने के लिए देश में एफ सी वी तम्बाकू की खेती को प्रोत्साहन देता है। बोर्ड आंध्र प्रदेश सहित तम्बाकू का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्यों में प्रति वर्ष फसल के आकार को निर्धारित करता है, उपजकर्त्ताओं, क्योरर्स तथा व्यापारियों का पंजीकरण करता है और मंचों पर तम्बाकू की नीलामी की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता देकर क्यूरिंग बार्नस के लिए बीमा तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशकों आदि की आपूर्ति की व्यवस्था करके एफ सी वी तम्बाकू की पैदावार और गुणवत्ता में सुधार करने में उपजकर्त्ताओं की सहायता करता है। यह व्यापारियों तथा उपजकर्त्ताओं के परामर्श से प्रति वर्ष भिन्न-भिन्न मृदा क्षेत्रों में उपजाए गए एफ सी वी तम्बाकू के लिए न्यूनतम गारंटी कीमत भी निर्धारित करता है।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान भारत से निर्यात किए गए विनिर्मित तथा अविनिर्मित तम्बाकू की मात्रा क्रमश: 15023 मी.टन तथा 99432 मी.टन है। इन निर्यातों का मूल्य क्रमश: 210.06 करोड़ रुपये तथा 648.74 करोड़ रुपए है। अविनिर्मित तम्बाकू के निर्यातों में आंध्र प्रदेश का हिस्सा 80 प्रतिशत है जबकि कर्नाटक का 15 प्रतिशत है। वर्ष 2001-2002 के लिए तम्बाकू के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है।

(ग) सरकार तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से एफ सी वी तम्बाकू की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार करने के उपायों पर विचार

कर रही है जिनमें कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों जैसी निविष्टियों की समय पर आपूर्ति भी शामिल है। ताकि विश्व में तम्बाकू के निर्यात में भारत के हिस्से में वृद्धि हो सके।

(घ) तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश सहित एफ सी वी तम्बाकू की खेती करने वाले राज्यों में कृषकों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याण तथा विकासात्मक योजनाएं शुरू की हैं। यह कृषकों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई तथा छिड़काव करने वाले उपकरण, कोयला और ब्रिकेटों जैसी महत्वपूर्ण निविष्टियों की आपूर्ति करता है। यह उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत किस्मों के प्रयोग तथा खेती की पद्धतियां अपनाने हेतु तम्बाकू के उपजकर्त्ताओं को सलाह देता है तथा उन्हें प्रशिक्षित भी करता है। सामूहिक बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्षेत्रीय दौरों, फार्मों पर प्रदर्शनो आदि के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी का अंतरण किया जाता है। यह बैंक ऋण प्राप्त करने में कृषकों की सहायता करता है तथा उन कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी फसलों/वार्नस को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है।

लेखन सामग्री की आपूर्ति

5126. **श्री रामजी मांझी : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एन.सी.सी.एफ. और सुपर बाजार को लेखन सामग्री और अन्य मदों की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्त्ताओं ने स्वयं को इन संगठनों में अलग-अलग नामों से पंजीकृत करा रखा है जिससे कि वे अपनी वस्तुओं हेतु अलग-अलग कीमतें रख सकें और ये संस्थाएं उनकी इस कार्यप्रणाली का पता लगाने में असफल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे आपूर्तिकर्त्ताओं जिन्होंने इन संगठनों में एक से अधिक फर्मों का पंजीकरण करा रखा है, की पहचान करने तथा मनमाने मूल्यों पर वस्तुओं की आपूर्ति रोकने के लिए आपूर्ति दरों की तुलना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और सुपर बाजार, दिल्ली दोनों ने सूचित किया है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा कम्प्यूटर के लिए हार्डवेयर की खरीद

5127. **श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर निदेशालय ने वर्ष 1997 में बिना नई निविदा आमंत्रित किए टाटा इन्फारमेशन सिस्टम लिमिटेड और टाटा से कम्प्यूटर हेतु कई करोड़ की लागत वाले हार्डवेयर की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) टेन्डर सं० एच डब्ल्यू 1/3/97-डी आई टी (एस), जिसे 27.3.97 को अन्तिम रूप दिया गया था, के प्रति मै० टाटा इन्फॉरमेशन सिस्टम्स लि० (टा.इ.सि.लि.) को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से 29.3.97 को 4,36,01,250 रुपये (केवल चार करोड़ छत्तीस लाख एक हजार दो सौ पचास रुपये) से अनधिक मूल्य की लागत से 525 पीसी (वैयक्तिक कम्प्यूटर्स) एवं 525 डीएमपी तथा 30.6.1997 को 4,58,43,600 (मात्र चार करोड़ अट्ठावन लाख तैंतालीस हजार छह सौ रुपये) से अधिक लागत पर 552 वैयक्तिक कम्प्यूटर (पीसी) तथा 552 डीएमपी के लिए आदेश दिए गए थे। 30.6.97 का आदेश निम्नोक्त को मद्देनजर रख कर दिया गया था:-

(i) 50 प्रतिशत कार्यालयों को वित्त वर्ष 1996-97 में तथा बाकी कार्यालयों को अगले वित्त वर्ष में योजना-भिन्न व्यय संबंधी समिति का कम्प्यूटर उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय।

(ii) संगत टेन्डर दस्तावेज में यद्यपि पीसी, डीएमपी आदि के प्रति उल्लिखित मात्रा 525 थी, फिर भी 525 आंकड़े के सामने "*" लगा दिया गया था तथा इस आशय की एक टिप्पणी भी दी गई थी कि इन मदों की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है।

(iii) यह संविदा-पत्र अभी भी वैध था क्योंकि सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 1997 में आदेश देने पर केवल 3 माह की अवधि ही समाप्त हुई है; और

(iv) मै. टाटा इन्फॉरमेशन सिस्ट्म लि. से यह सुनिश्चित करवा लिया गया था कि मूल्यों, करों आदि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली स्थित अप्पू घर का रख-रखाव

5128. **श्री विजय गोयल : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई एफ सी आई फाइनेंसियल सर्विसेज ने भारत पर्यटन विकास निगम की ओर से दिल्ली स्थित अप्पू घर के मनोरंजन

पार्क के संचालन, प्रतिष्ठापन और रख-रखाव हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है आई एफ सी आई के पास पुराने और दोयम दर्जे के मनोरंजन झूले हैं;

(घ) क्या इन मनोरंजन झूलों की उनकी क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए कभी जांच की गई थीं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन मनोरंजन झूलों का प्रयोग दुर्घटना प्रवण हैं;

(च) यदि हां, तो इसी कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रित करने के क्या कारण हैं; और

(छ) दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (इटपो) ने अप्पू घर स्थल पर स्टेट ऑफ दी आर्ट एम्यूजमैंट पार्क का विकास एवं प्रबंधन करने और विश्वीय निविदाओं को तैयार करने के लिए कंपनी के चयन में सहायता देने के लिए मै॰ आई एफ सी आई फाइनेंशियल सर्विस लि॰ को परामर्शी एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इटपो ने प्री-क्वालीफिकेशन ग्लोबल टैंडर एप्लीकेशन फार्म तैयार किया है। 10 फर्मों/संकायों ने प्री-क्वालीफिकेशन टैंडर एप्लीकेशन फार्म प्रस्तुत किए हैं। इनमें से पांच पार्टियों को अगले चरण अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करने के लिए सूची से बाहर निकाल दिया गया है।

(ग) से (च) आई एफ सी आई एफ एस एल एक परामर्शी फर्म है जो अप्पू घर में मनोरंजन झूलों के संचालन से संबद्ध नहीं है। इसलिए पुराने, दोयम दर्जे के मनोरंजन झूले रखने तथा उनकी उपयुक्तता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से पूर्व जांच करने का प्रश्न नहीं उठता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आईं एफ सी आई एफ एस एल को केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाओं को तैयार करने और अप्पू घर स्थल पर स्टेट ऑफ दी आर्ट मनोरंजन पार्क का विकास करने और उसका प्रबंधन करने हेतु कंपनी का चयन करने में सहायता करने के लिए परामर्शी एजेंसी के रूप में लगाया गया है।

(छ) लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोलिंग प्लेसिज आफ पब्लिक एम्यूजमैंट (सिनेमाघर को छोड़कर) एण्ड परफारमेंसिज आफ दी पब्लिक एम्यूजमैंट, 1980 के विनियमों के तहत मनोरंजन क्रियाकलापों के आयोजन के लाइसेंस तथा इसके नवीकरण लाइसेंस धारियों को पुलिस उपायुक्त (लाइसेंसिंग) के कार्यालय द्वारा दिए जाते हैं। लाइसेंस धारक से सुरक्षा की दृष्टि से झूलों की आवधिक रूप से तकनीकी रख-रखाव की अपेक्षा की जाती है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी झूलों की सुरक्षा के बारे में संतुष्ट होने के बाद लाइसेंस का नवीकरण करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से वित्त पोषण

5129. डा॰ जसवंतसिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 14 राज्यों के लिए पेयजल योजना सहित ग्रामीण अवसंरचना के लिए हाल ही में कोई योजना प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में नाबार्ड द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है; और

(घ) इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में किस सीमा तक मदद मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर आई डी एफ)-V के अन्तर्गत सिक्किम को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं और आर आई डी एफ-VI के अन्तर्गत क्रमश: आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को मंजूरी दी है। इन राज्यों को मंजूर की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

राज्य	श्रृंखला	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई राशि (लाख रुपए)
सिक्किम	आर आई डी एफ-V	2	237.12
आन्ध्र प्रदेश	आर आई डी एफ-VI	8	4511.14
गोवा	आर आई डी एफ-VI	9	216.86
हरियाणा	आर आई डी एफ-VI	58	3938.67
हिमाचल प्रदेश	आर आई डी एफ-VI	30	1991.35
पंजाब	आर आई डी एफ-VI	148	5375.74
कुल		225	16270.88

(घ) आशा की जाती है कि जल आपूर्ति परियोजनाओं से राज्यों में ग्रामों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। यह बड़े पैमाने पर इन ग्रामों में जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के फैलने से रोकेगा। इन परियोजनाओं से जानवरों के लिए सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के कारण दुधारू मवेशियों का स्वास्थ्य सुधरेगा और दूध उत्पन्न होने और बढ़ते हुए डेयरी कार्यकलापों में सुधार होगा। दूर से पानी लाने से बचे हुए समय का उपयोग कृषि और कृषितर कार्यकलापों और बच्चों की शिक्षा के लिए किया जा सकेगा।

खाद्यान्न का निर्यात

5130. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्यान्नों की खराब गुणवत्ता के कारण निर्यात बाजार में इसे लेने वाला कोई नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को कितने खाद्यान्नों का निर्यात किया गया और कितना खाद्यान्न पुन: भारत को निर्यात कर दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों में विभिन्न देशों को निर्यात किए गए खाद्यान्नों की मात्रा विवरण-I में दी गई है। भारत को पुन: निर्यात किए गए खाद्यान्नों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

मद	1999-2000 (अंनतिम) मात्रा (टन में)	2000-2001 (अप्रैल-दिसम्बर, 2000 अंनतिम) मात्रा (टन में)
बासमती चावल	606468	638434
गैर-बासमती चावल	1216681	407157
गेहूं	20	795
मोटे अनाज	7618	26880

(स्रोत: डी॰जी॰सी॰आई॰ एंड एस॰, कलकत्ता)

केन्द्रीय पूल से वर्ष 2000-01 के दौरान लगभग 16 लाख टन गेहूं भी निर्यात किया गया है।

विवरण-II

- इस समय गेहूं की अधिकांश किस्मों, जिनकी खेती की जा रही है, अर्थात् एच॰पी॰ 977, एच॰आई॰ 1074, राज 2184, राज 1482, राज 3077, डी॰डब्ल्यू॰आर॰ 195 आदि अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अनाज विशेषताएं हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में उत्पादित गेहूं, जिसमें 12-13% प्रोटीन है, निर्यात प्रयोजन (नों) के लिए उपयुक्त हैं।

- उच्च किस्म की प्रोटीन वाली मक्का (शक्ति-13), जिसमें ट्राइटोफेन और लाइसाइन जैसी बहुमूल्य अमीनों एसिड होता है, की खेती की जा रही है।

- निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गुणत्ता विशेषता वाली चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में विकसित की गई हैं। ये पूसा बासमती-1, कस्तूरी, हरियाणा बासमती और तरावड़ी बासमती हैं। निर्यात प्रयोजनों के लिए जपोनिका चावल की किस्म संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

- अणु प्रजनन और आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के जरिये विटामिन-ए और आयरन से पुष्ट किस्मों का विकास करने पर बायोटेक्नोलाजी विभाग के सहयोग से विचार किया जा रहा है।

पत्तनों का विनिवेश

5131. **श्री चिंतामन बनगा : क्या विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ पत्तनों का विनिवेश करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे पत्तनों के नाम क्या हैं और विनिवेश के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी विनिवेश प्रक्रिया से देश के विकास में लाभ होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार

और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) प्रमुख पत्तन प्रबन्ध संसद द्वारा अधिनियमित प्रमुख पत्तन प्रबन्ध अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित स्वायत्त शासी निकायों के रूप में काम करते हैं। वे कम्पनियां नहीं हैं और उनका कोई इक्विटी आधार अथवा शेयर पूंजी नहीं है। अत: पत्तन प्रबन्ध का विनिवेश करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड ऋण

5132. **योगी आदित्यनाथ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (आर आई डी एफ) योजना के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के लिए नाबार्ड को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड ने किन स्थानों पर गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दी है; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारिक विकास निधि के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में गोदामों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं दिया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

5133. **श्री प्रभात सामन्तराय :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में स्थापित सुपर बाजार घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आज की स्थिति के अनुसार वास्तविक घाटा कितना है;

(ग) क्या सरकार का सुपर बाजार के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) सुपर बाजार में घाटे अन्य बातों के साथ-साथ कारोबार की तुलना में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने, आवश्यकताओं की तुलना में कार्यशील पूंजी के पर्याप्त न होने, उधार आधारित आपूर्तियों की कमी होने, बकाया लेनदारियों की वसूली न होने, नियत लागतों और मजदूरी के बिलों के स्तर में वृद्धि होने के साथ ही पर्यवेक्षण तथा प्रबंधन में व्यावसायिकता की कमी के कारण हुए। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 31.3.2000 तक 22.99 करोड़ रुपए (लेखा परीक्षित) के संचित घाटे हुए हैं। अभी तक के सही घाटे को नहीं बताया जा सकता क्योंकि वर्ष 2000-2001 के खातों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार इस मामले में विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। एक सहकारी समिति होने के नाते अपनी वित्तीय स्थिति तथा चालू वर्ष के दौरान सुपर बाजार की बिक्री में सुधार के लिए उचित कदम उठाना सुपर बाजार के प्रबंधन का कार्य है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रमों का प्रसारण

5134. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों का ठीक ढंग से प्रसारण नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कार्यक्रमों के ठीक प्रकार से प्रसारण के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) वर्तमान में नासिक जिले में मालेगांव, मनमाड़, नासिक और सतना में चार अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर प्रचालन में हैं। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान इन ट्रांसमीटरों की सेवा में किसी बड़ी खराबी की कोई सूचना नहीं मिली है और ये सभी ट्रांसमीटर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। नासिक जिले के कुछ भाग औरंगाबाद स्थित उच्च शक्ति ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, डीडी-2 के कार्यक्रमों को रिले

करने के लिए नासिक में एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना की जा रही है।

[अनुवाद]

एल.टी.सी. पर प्रतिबंध

5135. **श्री आर०एस० पाटिल :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौडा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एल.टी.सी. सुविधा पर दो वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) इस उपाय में कुल कितनी धनराशि की बचत होने की संभावना है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का दूर के राज्यों के कर्मचारियों के लाभ के लिए गृह नगर रियायत को बहाल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वर्ष 2001-2002 के लिए बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार गैर-योजनागत व्यय में किफायत बरतने के उपाय के रूप में, जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम समय रह गया है, उन्हें छोड़कर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सावकाश यात्रा (एल.टी.सी.) को दिनांक 02.03.2001 से दो वर्ष के लिए प्रास्थगित कर दिया गया है। इसके कारण प्रतिवर्ष लगभग 200/- करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इस अवस्था में होम टाऊन (गृह नगर) रियायत बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्यात संवर्धन

5136. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त चमड़ा उद्योग, परिधान, जड़ी बूटियों और अन्य उत्पादों में जैव-प्रौद्योगिकी का उन क्षेत्रों के रूप में पता लगाया है जिनमें देश में निर्यात की अधिक संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वस्तु-वार निर्यात संवर्धन हेतु विभिन्न वस्तुओं की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को स्वीकार किया गया है। निर्यातों की भारी संभावना रखने वाले जिन सर्वाधिक फोकस उत्पादों पर विचार किया गया है उनमें अन्य उत्पादों के साथ-साथ शामिल हैं—सिले-सिलाए वस्त्र, सिंथेटिक मानव निर्मित वस्त्र, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, फुटवियर इत्यादि। औषधीय पौध क्षेत्र के संवर्द्धन हेतु योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल में अन्य बातों के साथ-साथ औषधीय पौध क्षेत्र के समेकित विकास हेतु "औषधीय पौध बोर्ड" की स्थापना करने, औषधीय पौधों की बहुलता वाले एक मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र को अभिज्ञात करने, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सृजित जीन बैंक में सभी औषधीय पौधों के जर्म प्लाजम का समुचित भंडारण इत्यादि करने की सिफारिश की थी।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रमुख उपायों में शामिल हैं—नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना करना, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकीय संस्थान की स्थापना करना आदि। इनके अलावा, सॉफ्टवेयर के निर्यातकों को निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, ब्रांड इक्विटी योजना तथा आयकर रियायतें उपलब्ध की गई हैं। निर्यात संवर्धन सरकार का एक सतत प्रयास होने के नाते निर्यात में आगे और वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें शामिल हैं—विकेन्द्रीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी लाना, क्रियाविधियों का सरलीकरण और एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित अन्य उपाय।

बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय पहल करके, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान करके निर्यातों को बढ़ाने के उपाय भी किए गए हैं। निर्यातों में आगे और वृद्धि करने के लिए विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

5137. **डॉ० संजय पासवान :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वित्तीय वर्ष 2000 की अपनी लेखा रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया में अनियमितताएं बरते जाने का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार की प्रकृति और अन्तर्ग्रस्त धन के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सरकारी उपक्रम में हुई व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में किसी जांच न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे जांच एजेंसी द्वारा इस मामले की जांच कराने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (पावरग्रिड) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है और वित्तीय तौर पर समाप्त वर्ष 2000 के लिए सीएजी की रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। यह रिपोर्ट जारी करने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जानी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो

5138. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के कितने बेस डिपो हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त बेस डिपो राज्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) राज्यों के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो हैं; और

(घ) इन जिलों में बेस डिपो खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर/गरीबी रेखा से नीचे के अतंर्गत खाद्यान्न जारी करने हेतु 14 गरीबी रेखा से नीचे केन्द्रों के अतिरिक्त 25 आधार डिपु हैं। महाराष्ट्र में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों की आपूर्ति करने के लिए 74 आधार डिपु हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के निम्नलिखित राजस्व जिलों में कोई डिपु नहीं है।

	मध्य प्रदेश		महाराष्ट्र
1.	भिंड	1.	नांदुरबार
2.	शिवपुरी	2.	ओस्मानाबाद
3.	बडवानी	3.	लातूर
4.	मंदसौर	4.	वाशिम
5.	शाजापुर	5.	यवतमाल
6.	नीमच	6.	भंडारा
7.	सिहोर	7.	कडचिरोली
8.	रायसेन	8.	हिमगोली
9.	राजगढ़		
10.	हरदा		
11.	पन्ना		

(घ) चूंकि इन जिलों की आपूर्तियों की व्यवस्था पड़ोसी ज़िले के निकटतम डिपु से की जा रही है इसलिए ऐसे राजस्व जिलों में बेस डिपु खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, एच॰एम॰टी॰ में स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति

5139. श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** 25.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4959 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित जानकारी कब तक पूर्ण कर लिए जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) वर्ष 1999-2000 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 240 सरकारी उद्यमों में से 213 सरकारी उद्यमों (सहायक कम्पनियों सहित) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के विवरण से सम्बन्धित अपेक्षित सूचना प्राप्त हुई है। विवरण-I में है। सरकारी क्षेत्र के 97 उद्यमों ने 'शून्य' सूचना भेजी है। वर्ष 2000-2001 के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त सूचना विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने पर व्यय की गई राशि से संबंधित विवरण

क्र. सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष 1999-2000 के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की संख्या			1999-2000 के दौरान व्यय की गई राशि (करोड़ रु॰)
		कर्मचारी	कार्यपालक	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कंपनी लि॰	43	3	46	—
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	41	22	63	—
3.	बंगाल इम्युनिटी लि॰	13	3	16	—
4.	भारत एल्युमिनियम कं॰ लि॰	119	47	166	—
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि॰	6	4	10	0.34
6.	भारत डायनामिक्स लि॰	8	8	16	0.68
7.	भारत अर्थ मूवर्स लि॰	273	97	370	15.51
8.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि॰	783	134	917	80.81
9.	भारत गोल्ड माइन्स लि॰	37	1	38	1.01
10.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰	4732	3542	8274	289
11.	भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लि॰	—	—	110	5
12.	भारत लेदर कारपो॰ लि॰	8	4	12	—
13.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि॰	10	9	19	0.94
14.	बीको लॉरी लि॰	16	10	26	0.68
15.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लि॰	—	—	31	0.81
16.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो॰ लि॰	—	—	2358	26.42
17.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि॰	817	41	858	17.04

1	2	3	4	5	6
18.	सीएमसी लि॰	—	—	46	0.57
19.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि॰	26	1	27	—
20.	सीमेंट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	135	—	135	—
21.	भारतीय केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम लि॰	12	30	42	1.88
22.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि॰	66	52	118	3.82
23.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰	—	—	146	3.89
24.	कोल इण्डिया लि॰ (इसकी सहायक कंपनियों सहित)	—	—	11634	254.6
25.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	55	91	146	7.11
26.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपो॰ लि॰	4	—	4	—
27.	इंजीनियर्स इण्डिया लि॰	1	2	3	0.89
28.	फर्टिलाइजर कारपो॰ आफ इण्डिया लि॰	19	18	37	—
29.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि॰	11	10	21	—
30.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि॰	55	2	57	2.91
31.	एचटीएल लि॰	19	—	19	0.64
32.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि॰	13	28	41	2.49
33.	हैवी इंजीनियरिंग कारपो॰ लि॰	87	74	161	7.5
34.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि॰	716	206	922	19.84
35.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि॰	75	25	100	—
36.	हिन्दुस्तान केबल्स लि॰	370	15	385	35
37.	हिन्दुस्तान कॉपर लि॰	2888	250	3138	140
38.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	67	46	113	3.79
39.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि॰	37	34	71	2.02
40.	हिन्दुस्तान लेटेक्स लि॰	—	—	83	3.47
41.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि॰	24	3	27	0.54
42.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि॰	61	62	123	2.92
43.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो॰ लि॰	1	2	3	0.07

1	2	3	4	5	6
44.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु॰ कं॰ लि॰	824	320	1144	34
45.	हिन्दुस्तान प्रीफेब लि॰	—	—	28	—
46.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि॰ (इसकी सहायक कंपनियों सहित)	68	2	70	3.96
47.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि॰	273	11	284	—
48.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो॰ लि॰	19	5	24	1
49.	हिन्दुस्तान जिंक लि॰	—	—	463	19.96
50.	एचएमटी लि॰	485	415	900	50.25
51.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लि॰	52	5	57	—
52.	भारतीय होटल निगम लि॰	85	5	90	—
53.	आईटीआई लि॰	185	148	333	11.41
54.	आईबीपी कंपनी लि॰	77	30	107	4.68
55.	इण्डियन ऑयल ब्लैडिंग लि॰	7	9	16	—
56.	इण्डियन ऑयल कारपो॰ लि॰	52	108	160	—
57.	इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कारपो॰ लि॰	32	29	61	1.82
58.	इण्डियन रोड कंस्ट्रक्शन कारपो॰ लि॰	—	—	2	0.08
59.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि॰	325	37	362	22.5
60.	जेसप एण्ड कंपनी लि॰	—	1	1	0.06
61.	जूट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	95	104	199	4.04
62.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	6	1	7	0.02
63.	कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि॰	16	5	21	0.88
64.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰	35	107	142	6.39
65.	मैंगनील ओर (इण्डिया) लि॰	178	19	197	—
66.	मझगांव डॉक लि॰	—	—	237	8.53
67.	मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंटस् (इण्डिया) लि॰	68	208	276	12.39
68.	खनिज गवेषण निगम लि॰	147	25	172	2.84
69.	एमएमटी लि॰	35	61	96	—

1	2	3	4	5	6
70.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि॰	1	1	2	0.04
71.	नेशनल बाईसिकल कारपो॰ लि॰	253	—	253	6.05
72.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि॰	48	38	86	—
73.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि॰	2	—	2	0.04
74.	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपो॰ लि॰	63	15	78	3.05
75.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि॰	16	61	77	—
76.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि॰	57	1	58	2.75
77.	नेशनल जूट मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	3406	128	3534	42.88
78.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि॰	136	74	210	—
79.	राष्ट्रीय बीज निगम लि॰	8	1	9	0.29
80.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि॰	5	7	12	—
81.	नेशनल थर्मल पावर कारपो॰ लि॰	125	4	129	—
82.	नेपा लि॰	216	50	266	7.14
83.	नेवेली लिग्नाईट कारपो॰ लि॰	289	74	363	—
84.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि॰	1	1	2	0.05
85.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि॰	17	1	18	0.38
86.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल एवं माहे) लि॰	344	69	413	—
87.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि॰	130	26	156	2.38
88.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि॰	949	25	964	—
89.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि॰	39	16	65	—
90.	तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि॰	276	1066	1342	—
91.	ऑयल इण्डिया लि॰	1	—	1	0.03
92.	प्रागा टूल्स लि॰	127	19	146	5.23
93.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि॰	—	4	4	—
94.	पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि॰	267	10	277	7.99
95.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि॰	1	—	1	0.02

1	2	3	4	5	6
96.	आरबीएल लि॰	10	1	11	0.28
97.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि॰	—	—	165	7.95
98.	स्कूटर्स इण्डिया लि॰	10	5	15	0.34
99.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	14	8	22	—
100.	स्पंज आयरन इण्डिया लि॰	85	21	106	3.14
101.	राज्य फार्म्स निगम	51	8	59	1
102.	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि॰	3	31	34	2.9
103.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि॰ (एक सहायक कंपनी सहित)	—	—	14121	316.43
104.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	511	39	550	15.13
105.	टायर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	9	—	9	—
106.	विगनयन इण्डस्ट्रीज लि॰	4	1	5	0.18

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या

1.	बामेर लॉरी एण्ड कंपनी लि॰	124
2.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	65
3.	भारत डायनामिक्स लि॰	86
4.	भारत गोल्ड माइन्स लि॰	636
5.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि॰	600
6.	भारत लेदर कारपो॰ लि॰	9
7.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि॰	154
8.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कं॰ लि॰	102
9.	ब्रिटिश इण्डिया कारपो॰ लि॰	144
10.	सीएमसी लि॰	2
11.	सीमेंट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	57
12.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि॰	7
13.	ड्रेजिंग कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	115
14.	इलेक्ट्रोनिक्स कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	397
15.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि॰	9
16.	इंजीनियर्स इण्डिया लि॰	71
17.	फर्टिलाइजर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	25
18.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि॰	5
19.	भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि॰	17
20.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि॰	1115
21.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि॰	32
22.	हिन्दुस्तान कॉपर लि॰	1455
23.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो॰ लि॰	9
24.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि॰	20
25.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो॰ लि॰	3

26. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	343
27. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि॰	61
28. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि॰	138
29. हिन्दुस्तान जिंक लि॰	770
30. आईटीआई लि॰	537
31. इण्डियन ऑयल कारपो॰ लि॰	1457
32. इंस्ट्रूमेंटेशन लि॰	244
33. इरकॉन इंटरनेशनल लि॰	32
34. जेसप एण्ड कंपनी लि॰	1248
35. जूट कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	27
36. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	9
37. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि॰	74
38. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि॰	9
39. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि॰	650
40. मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि॰	54
41. मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि॰	158
42. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो॰ लि॰	528
43. मिश्र धातु निगम लि॰	56
44. एमएमटीसी लि॰	355
45. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि॰	49
46. नेशनल जूट मैन्यु॰ कारपो॰ लि॰	6
47. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि॰	207
48. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि॰	261
49. राष्ट्रीय बीज निगम लि॰	32
50. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि॰	14
51. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि॰	5
52. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि॰	112
53. नेटेका (गुजरात) लि॰	149
54. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि॰	120
55. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि॰	365
56. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि॰	274
57. पीईसी लि॰	18
58. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लि॰	1
59. सांभर साल्ट्स लि॰	1
60. स्कूटर्स इण्डिया लि॰	13
61. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि॰	2
62. स्पंज आयरन इण्डिया लि॰	52
63. राज्य व्यापार निगम	359
64. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि॰	106
65. टायर कारपो॰ ऑफ इण्डिया लि॰	172
66. विगनयन इण्डस्ट्रीज लि॰	5
जोड़ :	14332

कृषि क्षेत्र को ऋण

5140. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा कृषि को राज्य-वार कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी बैंकों के ऋणों का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी बैंकों द्वारा इनका सख्ती से पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार द्वारा चूककर्त्ता बैंकों के विरुद्ध क्या सकारात्मक कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1997

मार्च 1998 और मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किये गए कुल ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जारी स्थायी मार्ग-निर्देशों के अनुसार उनसे अपने निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को उधार दिए जाने को अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 2000 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी-क्षेत्र के 27 बैंकों में से पांच बैंकों ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।

(घ) प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लक्ष्यों या प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उप-क्षेत्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण आधारिक विकास निधि में अंशदान करना पड़ता है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में वर्ष 1995-96 में स्थापित किया गया था। अपनी कमियों के अनुपात में बैंक इसके विभिन्न खंडों में अंशदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक लक्ष्य प्राप्त किए जाने के मामले को सम्बन्धित बैंकों के साथ उठाता भी है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सम्मिलित प्रयास करने की सलाह भी देता है।

विवरण

मार्च 1997, मार्च 1998 और मार्च 1999 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बकाया अग्रिमों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1997	मार्च 1998	मार्च 1999
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	568.30	315.13	372.75
2.	आंध्र प्रदेश	388031.66	415879.14	466837.29
3.	अरूणाचल प्रदेश	932.98	999.44	1245.26
4.	असम	38168.51	26002.33	29080.46
5.	बिहार	105720.93	107573.94	122532.69
6.	चंडीगढ़	23166.50	20073.11	22110.22
7.	दादरा एवं नागर हवेली	132.68	132.38	129.72
8.	दमन एवं दीव	99.15	87.25	82.25
9.	गोवा	5862.80	6608.46	6643.61
10.	गुजरात	169276.26	192359.56	217143.84
11.	हरियाणा	102326.41	119036.63	130993.50
12.	हिमाचल प्रदेश	12494.31	13449.59	15700.11
13.	जम्मू एवं कश्मीर	3897.74	4630.07	4605.74
14.	कर्नाटक	269520.36	306677.56	395916.23
15.	केरल	130944.47	130446.77	138010.25
16.	लक्षद्वीप	46.17	54.02	57.46
17.	मध्यप्रदेश	199074.12	224251.58	256614.39
18.	महाराष्ट्र	312853.05	340292.28	419425.37
19.	मणिपुर	1725.14	1991.85	1909.33
20.	मेघालय	1488.65	1647.07	1650.57
21.	मिजोरम	403.17	413.63	506.63
22.	नागालैण्ड	2792.65	2025.54	2201.21
23.	रा॰रा॰ क्षेत्र, दिल्ली	50916.91	74070.15	60311.75
24.	उड़ीसा	62899.98	67814.28	72982.14
25.	पांडिचेरी	5179.74	5002.68	5026.17
26.	पंजाब	198699.75	225224.09	273432.39
27.	राजस्थान	122773.26	142676.27	169372.69
28.	सिक्किम	718.70	853.76	753.93
29.	तमिलनाडु	394362.45	410153.83	417703.03
30.	त्रिपुरा	4691.27	4835.74	5243.23
31.	उत्तर प्रदेश	275359.82	303790.58	343754.61
32.	पं॰ बंगाल	145413.08	164834.51	180810.40
	कुल	3030540.87	3314204.82	3763149.22

लंदन के बैंक में निजाम का धन

5141. **डा० मन्दा जगन्नाथ :**
श्रीमती डी०एम० विजया कुमारी :
श्री के० बलराम कृष्णमूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद के पूर्व निजाम की भारी धनराशि लंदन के एक बैंक में पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस राज्य का वारिस होने के कारण उस धन का दावा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) हैदराबाद के निजाम की सरकार के नाम में सितम्बर, 1948 में 1007940.09 पौंड स्टर्लिंग की राशि लंदन के नेशनल वेस्टमिनस्टर बैंक में एक खाते में रखी हुई थी। यह राशि निजाम के तत्कालीन वित्त मंत्री के अनुदेशों पर लंदन में पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त के नाम में एक खाते में अन्तरित कर दी गयी थी। वर्तमान में यह राशि 24,454,350.18 पौंड स्टर्लिंग बैठती है। सरकार ने विगत में पाकिस्तान सरकार और हैदराबाद के तत्कालीन स्व० निजाम के साथ और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ इस मामले को सुलझाने के अनेक प्रयास किए हैं। इस मामले को हल करने के लिए सरकार के प्रयास अभी जारी हैं।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच कृषि व्यापार

5142. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन देशों के साथ कोई चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तारीख को चर्चा हुई और चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) उसके पश्चात् विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों के बीच कृषि व्यापार में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) क्या विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कृषि व्यापार से संबंधित कार्यक्रमों में भविष्य में सुधार के मामले में स्पष्ट मतभेद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की भविष्य में होने वाली चर्चा के लिए क्या योजना प्रस्तावित है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 20 के अधिदेश के अनुसार, कृषि व्यापार में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु वार्ताएं वर्ष 2000 में प्रारम्भ हो चुकी हैं। ये वार्ताएं कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति के विशेष सत्रों में हो रही हैं। कृषि संबंधी डब्ल्यू टी ओ समिति का 6वां विशेष सत्र मार्च, 2001 में आयोजित किया गया था। कृषि संबंधी समिति के विशेष सत्रों में हो रहे विचार-विमर्शों में भारत सक्रियतापूर्वक भाग ले रहा है। चल रही वार्ताएं अपनी आरम्भिक चरण में हैं और इनके समापन में काफी समय लग सकता है। अत: इस निर्णय पर पहुंचना अपेक्षाकृत समय-पूर्व होगा कि क्या इन वार्ताओं की वजह से कृषि व्यापार में कोई सुधार हुआ है।

भारत ने बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन, निर्यात प्रतिस्पर्द्धा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपनी खाद्य एवं आजीविका संबंधी सुरक्षा की रक्षा करना और अपनी बेशी कृषि उपज के निर्यातों के लिए अवसरों को पैदा करना।

(घ) और (ङ) सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में उनकी घरेलू नीति की अपेक्षाओं और विश्व कृषि व्यापार में अपने-अपने दृष्टिकोणों के अनुसार सदस्य देशों के उद्देश्यों में भिन्नता परिलक्षित होती है। विकासशील देश कुल मिलाकर इस बात पर एकमत हैं कि कृषि संबंधी करार से उनके बाजार पहुंच के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई हैं। अधिकांश विकासशील देशों ने आगे और वचनबद्धता लेने से पूर्व विकसित देशों द्वारा अपनाए जा रहे व्यापार को विकृत करने वाले उपायों और टैरिफों में पर्याप्त कमी करने की मांग की है। तथापि, निवल खाद्य आयातक विकासशील देशों ने केवल इमदादों में क्रमिक कमी किए जाने का प्रस्ताव किया है। दूसरी ओर कई विकसित देश इस बात पर जोर देते आ रहे हैं कि चूंकि व्यापार एक दो तरफा प्रक्रिया है, इसलिए एक उचित एवं बाजारोन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली की स्थापना करने के लिए बिना किसी पूर्व शर्त के अपने बाजारों को खोलने हेतु विकासशील देशों का भी एक समान दायित्व होगा। तथापि, न तो कभी विकसित देशों के बीच और न ही सभी विकासशील देशों के बीच दृष्टिकोण में एकरूपता है।

सरकार का अपने विचारों को रखने और अपने हितों की रक्षा करने की दृष्टि से कृषि करार के तहत चल रही वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लेते रहने का प्रस्ताव है।

निदेशक मण्डल की संरचना

5143. **श्री थावरचन्द गेहलोत:**
श्री भीम दाहल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डलों की संरचना के सम्बन्ध में मार्च, 1992 में जारी अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 13-11-1995 के कार्यालप ज्ञापन के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल के गठन से सम्बन्धित दिनांक 16.3.1992 के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया था। वर्ष 1997 में जब नवरत्न/मिनीरत्न योजनाएं शुरू की गई थी, तब यह निर्णय लिया गया था कि नवरत्नों के मामले में कम से कम 4 गैर-सरकारी निदेशकों तथा मिनी रत्नों के मामले में कम से कम 3 गैर-सरकारी निदेशकों को शामिल करके सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के निदेशक मण्डलों का पुनर्गठन किया जाएगा। दिनांक 16.3.1992 के सामान्य दिशानिर्देशों में गैर-सरकारी निदेशकों की न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु यह उल्लेख किया गया था कि ऐसे निदेशकों की संख्या निदेशक मण्डल की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए। दिनांक 13.11.1995 तथा 22.7.1997 के दिशानिर्देशों की प्रतियां संलग्न विवरण I और II के रूप में संलग्न हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपयुक्त नवीकरण/पुनर्स्थापन योजनाएं तैयार करने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड को सौंपा जाता है। सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले अन्य उपक्रमों के लिए प्रशासनिक मंत्रालय सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबन्धन तथा कर्मचारियों के परामर्श से विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तथा पुनर्गठन के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं। सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में निदेशक मण्डलों, विशेष रूप से नवरत्न तथा मिनीरत्न उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन, निदेशक मण्डलों का व्यावसायीकरण, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या में कमी करना, प्रौद्योगिक समुन्नयन तथा अनुसंधान विकास शामिल हैं।

विवरण-I

संख्या 18(6)/91-स॰ऊ॰वि॰ (सामान्य प्रबन्ध)
उद्योग मंत्रालय
सरकारी उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक नं॰ 14, सी॰जी॰ओ॰ काम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.

दिनांक 13 नवम्बर, 1995.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल का गठन।

उपयुक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 16 मार्च, 1992 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(ख)(II) में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया गया था कि नामित निदेशक के चयन का दायित्व संबंधित विभाग के सचिव का होगा। इस विभाग में इस मामले पर फिर से विचार किया गया था और अब यह निर्णय लिया गया है कि नामित निदेशक के चयन का दायित्व सम्बन्धित विभाग के प्रशासनिक मंत्रालय का होगा।

2. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्णय को नोट कर लें तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल के गठन के समय इसका पालन करें।

हस्ता॰/-
(आर॰ के॰ सिन्हा)
सचिव, भारत सरकार

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से सम्बन्धित सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

विवरण-II

संख्या स॰ऊ॰वि॰-11(2)/97-वित्त
भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
सरकारी उद्यम विभाग

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1997

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-सरकारी क्षेत्र के चुने हुए उद्यमों के विश्व में बडे उद्यमों के रूप में बदलना-परिचालन और प्रशासनिक प्रकियाएं-बोर्डों का पुनर्गठन।

सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की पहचान

करेगी जोकि तुलनात्मक रूप से लाभकारी हैं और विश्व में बड़े उद्यम के रूप में स्थापित होने के उनके अभियान में उनकी मदद करेगी। इन उद्देश्यों के अनुसरण में, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के चुने हुए 9 उद्यमों अर्थात् भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, इण्डियन पैट्रोकेमीकल्स लिमिटेड, एन०टी०पी०सी०, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड को अधिक स्वायत्ता तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन प्रदान करने का निर्णय लिया है।

2. जैसा कि नीचे बताया गया है, अधिक स्वायत्ता तथा प्राधिकार का प्रयोग केवल बोर्ड के पुनर्गठन के पश्चात् ही किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम प्रथमत: त्रुटिहीन स्तर और पृष्ठभूमि वाले कम से कम चार अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को निदेशक मण्डल में शामिल करें। सरकारी क्षेत्र के उन उपायों में यह संख्या अधिक होनी चाहिए, जिनमें कार्यकारी निदेशकों की संख्या बहुत अधिक है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छह माह के भीतर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या बढ़ा दी जाए, ताकि यह निदेशक मण्डल की कुल संख्या का कम से कम 1/3 हो जाए।

3. उपरोक्त को सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 16 मार्च, 1992 को का० ज्ञापन सं० 18(6)/91-सा०प्र० द्वारा जारी सामान्य मार्ग-निर्देशों के आंशिक संशोधन में जारी किया गया है।

4. यद्यपि, सरकार द्वारा नामित पूर्ण-कालिक तथा अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, इन कम्पनियों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के चयन के लिए एक खोज समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल, सचिव, सरकारी उद्यम विभाग, प्रशानिक मंत्रालय के सचिव तथा उद्योग मंत्री द्वारा नामित विख्यात व्यक्ति (व्यक्तियों) को शामिल किया गया है।

5. सरकार के उपरोक्त निर्णय को तुरन्त कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित उद्यमों के ध्यान में लाया जाए।

हस्ता०
(एस० तलवार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारी उद्योग विभाग, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग, विद्युत मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के सचिव।

प्रतिलिपि :-

1. मंत्रिमण्डल सचिव।
2. अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन मण्डल
3. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इण्डियन आयल कारपोरेशन, इण्डियन पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, एन०टी०पी०सी०, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा विदेश संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
4. प्रधान मंत्री के प्रधान निजी सचिव।
5. प्रधान सूचना अधिकारी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

5144. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां प्राप्त करने तथा अंतिम चयन करने के लिए क्या निर्धारित प्रक्रिया है;

(ख) क्या जूरी के प्रत्येक सदस्य को चयन के लिए तीन सप्ताह तक लगातार प्रतिदिन 12 घंटे फिल्म देखने के लिए कहा जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह अपेक्षा बिल्कुल दूभर है और निर्णय लेने/चयन प्रक्रिया की गुणवत्ता को प्रभावित करती है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ङ) सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए कितना मानदेय दिया गया है;

(च) क्या कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिनांक 24.11.87 की सार्वजनिक सूचना संख्या 303/10/86-एफ (एफ) द्वारा अधिसूचित समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों द्वारा विनियंत्रित होते हैं। पुरस्कारों के लिए फिल्मों की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु विनियमों को फिल्म उद्योग के विभिन्न व्यापार निकायों, राज्य सरकारों के सूचना निदेशकों, फिल्म संस्थानों को परिचालित किया जाता है और इन्हें फिल्म निर्माताओं को भी

उनके द्वारा अनुरोध करने पर उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचारपत्रों के माध्यम से और दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर भी इनका प्रचार किया जाता है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियमों के अनुसार, निर्णायक-मण्डल अपनी कार्य-प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है और निर्णायक-मण्डल के अध्यक्ष निर्णायक-मण्डल के सदस्यों में से पैनलों का गठन कर सकते हैं।

(ङ) निर्णायक-मण्डल के सदस्यों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं—(1) मितव्ययी श्रेणी से वायु-यात्रा, (2) स्थानीय परिवहन, (3) होटल में वास, (4) कार्य के दौरान भोजन/अल्पाहार, (5) 130/-रु. प्रतिदिन के आधार पर दैनिक भत्ता, (6) 300/-रु. प्रतिदिन आधार पर बैठक शुल्क और (7) क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के लिए दुभाषिया।

(च) और (छ) मानदेय को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

यूटीआई को नुकसान

5145. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.एस.-64 के अधीन यूटीआई को मूल्यों में गिरावट के कारण 840 करोड़ रुपए की हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) यूटीआई के अनुसार, 28 फरवरी, 2001 से 18 अप्रैल, 2001 तक यूटीआई ने यू.एस.-64 योजना के अन्तर्गत 3.51 करोड़ रुपए मूल्य के इक्विटी शेयरों का विक्रय किया तथा 23 लाख रुपए की हानि उठाई। योजना के इक्विटी निवेशों के बाजार मूल्य स्टाक बाजारों के समनुरूप घटते-बढ़ते हैं। यूटीआई ने सूचित किया है कि इस प्रकार योजना के पोर्टफोलियों में शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट लेखाकरण के अर्थ में हानि नहीं मानी जाती है।

धानुका समिति की सिफारिशें

5146. **श्री नरेश पुगलिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धानुका समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को सुदृढ़ बनाने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धानुका समिति की सिफारिशें/प्रस्तावों का परीक्षण कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 1997 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा गठित धानुका समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अनुशंसा की कि प्रतिभूति बाजार के विनिमयन के लिए तथा कंपनी अधिनियम के कतिपय उपबंधों के संबंध में विनियामक अभिकरण सेबी होना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति की कुछ सिफारिशें को प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1999, प्रतिभूति कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 तथा कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 के जरिए उपयुक्त संशोधनों द्वारा प्रभावी कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार का यह प्रयास है कि अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से सेबी को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए।

[हिन्दी]

एफ॰सी॰आई॰ के गोदामों में खाद्यान्न का पुराना भंडार

5147. **श्री रामदास आठवले :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थित भारतीय खाद्य निगम (एफ॰सी॰आई॰) के गोदामों में गेहूं/अनाज का पुराना भंडार पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम राज्यों पर इस घटिया दर्जे के चावल और गेहूं को खरीदने के लिए दबाव डाल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, हां। 28.2.2001

की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारों अथवा उनके प्रतिनिधियों को भारतीय खाद्य निगम से सुपुर्दगी लेते समय खाद्यान्नों के संयुक्त नमूने लेने की सुविधा मुहैया की जाती है और खाद्यान्नों की गुणवत्ता के बारे में उनके संतुष्ट होने पर ही रिकार्ड और मिलान के लिए संयुक्त नमूने सहित खाद्यान्न उन्हें जारी किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

28.2.2001 को स्थिति के अनुसार गेहूं चावल/धान की क्षेत्रवार, अवधिवार स्थिति बताने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1 वर्ष तक			1-2 वर्ष		
		गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान
1	2	3	4	5	6	7	8
	पूर्वी जोन						
1.	बिहार	260181	204758	6969	31727	3552	0
2.	उड़ीसा	45784	506013	0	11976	14018	0
3.	पश्चिम बगांल	259160	290726	0	97401	48390	0
	जोन का जोड़	565125	1001497	6969	141104	65960	0
	उ०पू०सी० जोन						
4.	असम	7446	119982	0	4011	38550	0
5.	उ०पू०सी०राज्य	916	43388	0	0	5223	0
	जोन का जोड़	8362	163370	0	4011	43773	0
	उत्तरी जोन						
6.	दिल्ली	103218	15049	0	235645	11844	0
7.	हरियाणा	162263	1233588	30011	355	554523	0
8.	हिमाचल प्रदेश	10552	5270	0	1465	37	0
9.	ज०और०क०	14055	35516	0	3353	7975	0
10.	पंजाब	1164760	2761186	1664767	23503	2724278	28012
11.	राजस्थान	819513	7923	26949	400420	44236	0
12.	उत्तर प्रदेश	497636	819185	9	613845	294071	0
	जोन का जोड़	2771998	4877717	1721736	1278586	3636964	28012

1	2	3	4	5	6	7	8
	दक्षिणी जोन						
13.	आन्ध्र प्रदेश	73370	3101021	28027	297428	19786	0
14.	केरल	6803	424783	0	40130	106993	0
15.	कर्नाटक	103544	512394	0	95206	71462	0
16.	तमिलनाडु	155814	669696	0	190584	102457	0
	जोन का जोड़	339531	4707894	28027	623348	300698	0
	पश्चिमी जोन						
17.	गुजरात	241399	42155	0	288360	50121	0
18.	महाराष्ट्र	450005	164823	0	522893	190962	0
19.	मध्य प्रदेश	301104	517367	0	444164	173775	0
	जोन का जोड़	992508	724345	0	1255417	414858	0
	देश जोड़	4677524	11474823	1756732	3302466	4462253	28012

क्र.सं.	क्षेत्र	2-3 वर्ष			3-4 वर्ष			4-5 वर्ष		
		गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	पूर्वी जोन									
1.	बिहार	3019	2594	2751	3574	0	1392	0	0	78
2.	उड़ीसा	0	1584	0	0	0	0	0	0	0
3.	पश्चिम बंगाल	3726	1988	0	0	7162	0	17	3156	0
	जोन का जोड़	6745	6166	2751	3574	7162	1392	17	3156	78
	उ०पू०सी जोन									
4.	असम	0	13741	0	0	1338	0	0	334	0
5.	उ०पू०सी० राज्य	0	131	0	0	0	0	0	0	0
	जोन का जोड़	0	13872	0	0	1338	0	0	334	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उत्तरी जोन									
6.	दिल्ली	16406	1893	0	0	3492	0	0	72	0
7.	हरियाणा	13745	4095	17309	0	430	0	0	2877	2186
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	ज० और क०	0	4119	0	1	1739	0	0	0	0
10.	पंजाब	38933	702888	2704	1172	30637	0	0	22537	0
11.	राजस्थान	192907	7845	0	15580	467	1911	1060	727	0
12.	उत्तर प्रदेश	347715	39934	0	33628	8792	0	0	2040	0
	जोन का जोड़	609706	760774	20013	50381	45557	1911	1060	28253	2186
	दक्षिणी जोन									
13.	आंध्र प्रदेश	28236	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	केरल	9719	27799	0	0	14195	0	0	517	0
15.	कर्नाटक	4440	33425	0	497	3183	0	0	0	0
16.	तमिलनाडु	6230	3768	0	0	2809	0	0	1767	0
	जोन का जोड़	48625	64992	0	497	20187	0	0	2284	0
	पश्चिमी जोन									
17.	गुजरात	91315	7952	0	15834	9	0	0	0	0
18.	महाराष्ट्र	276117	19047	0	72316	7460	0	5131	0	0
19.	मध्य प्रदेश	129989	21330	0	4985	5276	0	116	7158	0
	जोन का जोड़	497421	48329	0	93135	12745	0	5247	7158	0
	देश									
	जोड़	1162497	894133	22764	147587	86989	3303	6324	41185	2264

क्र.सं.	क्षेत्र	5 वर्ष से अधिक			जोड़		
		गेहूं	चावल	धान	गेहूं	चावल	धान
1	2	3	4	5	6	7	8
	पूर्वी जोन						
1.	बिहार	0	4474	193	298501	215378	11383

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	उड़ीसा	0	0	0	57760	521615	0
3.	प० बगांल	0	5723	0	360304	357145	0
	जोन का जोड़	0	10197	193	716565	1094138	11383
	उ०पू०सी० राज्य						
4.	असम	0	112	0	11457	174057	0
5.	उ०पू०सी० राज्य	0	0	0	916	48742	0
	जोन का जोड़	0	112	0	12373	222799	0
	उत्तरी जोन						
6.	दिल्ली	0	450	0	355269	32800	0
7.	हरियाणा	0	0	0	176363	1795513	49506
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	12017	5307	0
9.	ज० और क०	0	0	0	17409	49349	0
10.	पंजाब	0	57305	0	1228368	6298831	1695483
11.	राजस्थान	0	30260	0	1429480	91458	28860
12.	उत्तर प्रदेश	0	52974	0	1492825	1216996	9
	जोन का जोड़	0	140989	0	4711731	9490254	1773858
	दक्षिणी जोन						
13.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	399034	3120807	28027
14.	केरल	0	10217	0	56652	584504	0
15.	कर्नाटक	0	0	0	203687	620464	0
16.	तमिलनाडु	0	10179	0	352628	790676	0
	जोन का जोड़	0	20396	0	1012001	5116451	28027
	पश्चिमी जोन						
17.	गुजरात	0	0	0	636908	100237	0
18.	महाराष्ट्र	54042	0	0	1380504	382292	0
19.	मध्य प्रदेश	0	4706	0	880358	729612	0
	जोन का जोड़	54042	4706	0	2897770	1212141	0
	देश						
	जोड़	54042	176400	193	9350440	17135783	1813268

[अनुवाद]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

5148. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव है, जैसाकि समाचार-माध्यमों ने प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या यह नई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना बैंकों की तर्ज पर है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्यतया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम शुरू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, वर्ष 2001-2002 के लिए अपने बजटीय अभिभाषण में अन्य बातों के साथ-साथ वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि:-

> "सरप्लस स्टाफ को पुनर्प्रशिक्षित करने तथा पुनर्नियुक्त करने के लिए कार्मिक विभाग के अन्तर्गत सरप्लस पूल को तत्पर और सुसज्जित किया जाएगा। सरप्लस पूल में कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पैकेज भी मुहैय्या कराए जाएंगे।"

सरप्लस पूल में कर्मचारियों को प्रस्तुत की जाने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम तैयार किए जाने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

खेल-सामग्री का निर्यात

5149. **श्री जोरा सिंह मान :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेल-सामग्री का निर्यात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान से लगातार गिरावट आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 और 1999-2000 के दौरान, देश के कुल कितने मूल्य की खेल-सामग्री का निर्यात किया गया;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन के साथ किया गया समझौता, निर्यात के कम होने का एक कारण है; और

(घ) यदि हां, तो इस समझौते से इस उद्योग पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) खेल सामान के निर्यातों में 1995-96 से 1997-98 की अवधि के दौरान वृद्धि प्रदर्शित होती है लेकिन 1998-99 और 1999-2000 के वर्षों के दौरान गिरावट का रुख प्रदर्शित होता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

वर्ष	निर्यात मिलियन अमरीकी डालर में	प्रतिशत वृद्धि
1995-96	77.93	36.62%
1996-97	78.30	0.47%
1997-98	80.76	3.14%
1998-99	73.23	-9.32%
1999-2000	64.50	-12.28%

(स्रोत : डी जी सी आई एण्ड एस)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

5150. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य के कितने बेरोजगार युवाओं ने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए आवेदन किया;

(ख) प्रत्येक बैंक द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराने का राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया

तथा उक्त अवधि के दौरान, से उनके द्वारा वस्तुत: कितनी धनराशि स्वीकृत एवं संवितरित की गई और इससे कितने युवाओं को लाभ मिला;

(ग) आज की स्थिति में, राज्यवार कितने आवेदन लंबित हैं और इन पर ऋण को मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) ऋण प्रदाय की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने में युवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं का निदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ऐसे बेरोजगार युवकों की संख्या के राज्यवार विवरण, जिन्होंने मार्च 1999, मार्च 2000 तथा फरवरी 2001 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के लिए आवेदन किया है, संलग्न विवरण-I के कालम (3) में दिए गए हैं।

(ख) पी एम आर वाई के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋण के राज्यवार लक्ष्य तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकृत और संवितरित राशि भी अनुबंध I में दर्शाई गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पी एम आर वाई के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए बैंकवार लक्ष्य, स्वीकृत राशि, संवितरित राशि तथा इस योजना से लाभान्वित युवाओं की संख्या विवरण-II में दी गई है। तथापि, प्रश्न के भाग (ख) में मांगे गए तरीके के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का आंकड़ा सूचना प्रणाली से सूचना नहीं प्राप्त होती है।

(ग) दिनांक 28.2.2001 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास लंबित आवदेनों की राज्यवार संख्या विवरण-I के पृष्ठ 3 पर दी गई है तथा लंबित आवेदनों के बैंकवार ब्यौरे विवरण-II के पृष्ठ 3 पर दिए गए हैं। बेरोजगार युवाओं को ऋणों की स्वीकृति में हुई देरी के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं—(i) गतिविधियों को शुरू करने में समय पर पावर कनेक्शन का लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थता (ii) परिसर प्राप्त करने में असमर्थता (iii) ऋणों की पूर्व स्वीकृत औपचारिकताओं को पूरा करने में असमर्थता तथा (iv) उधारकर्ताओं का स्वरोजगार उद्यमों के बजाए सरकारी नौकरी करने की प्राथमिकता।

(घ) ऋण के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने तथा अपेक्षाओं/दस्तावेजों आदि के कारण बैंक ऋण प्राप्त करने में युवाओं के होने वाली समस्याओं, ऋण राशि की शीघ्र स्वीकृति/संवितरण और हिताधिकारियों को होने वाली समस्याओं की सतत आधार पर समीक्षा की जाती है तथा कई मंचों अर्थात् जिला स्तर परामर्शदात्री समिति/राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति पर उचित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

विवरण-I

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार (पी एम आर वाई)—योजना वर्ष मार्च 1999 के अंत की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

बैंक का नाम : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण स्वीकृत		कुल ऋण संवितरित	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	8300	13577	7888	4408.18	5742	3168.47
हिमाचल प्रदेश	2400	3610	2340	1413.49	1913	1178.85
जम्मू एण्ड कश्मीर	5000	2685	1473	1243.49	835	651.00
पंजाब	9000	17342	9733	6190.45	8075	4640.57
राजस्थान	16300	26181	14005	7393.38	10059	5105.31

1	2	3	4	5	6	7
चण्डीगढ़	100	193	105	83.46	75	56.09
दिल्ली	4700	3077	691	394.44	508	288.64
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
असम	15000	17139	10267	8395.65	5525	3968.14
मणिपुर	1350	1039	828	461.00	407	176.11
मेघालय	550	469	368	281.86	202	129.71
नागालैंड	250	191	165	152.17	40	33.67
त्रिपुरा	1300	1546	974	570.24	110	59.05
अरुणाचल प्रदेश	500	253	205	175.83	166	125.39
मिजोरम	350	478	163	145.15	37	30.05
सिक्किम	150	144	87	44.48	45	20.95
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	20500	24975	10852	9056.31	8364	6493.81
उड़ीसा	10100	16444	8684	6837.43	3106	2146.50
पश्चिम बंगाल	23000	12281	3780	2469.77	2726	1717.85
अण्डमान एवं निकोबार	100	200	94	75.51	77	53.88
मध्य क्षेत्र						
मध्य प्रदेश	30800	62332	31169	19725.78	19102	11691.18
उत्तर प्रदेश	51600	83312	44682	27795.02	35023	21052.55
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	14600	19918	11437	4949.79	10607	4543.55
महाराष्ट्र	42500	65586	37106	19442.64	26346	14146.96
दमन एवं दीव	50	38	25	17.08	21	14.05
गोवा	600	580	369	265.29	300	212.88
दादरा एवं नागर हवेली	50	46	37	24.40	28	18.67

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी क्षेत्र						
आन्ध्र प्रदेश	34200	38508	24218	13394.14	15186	8320.93
कर्नाटक	21900	30490	17351	9804.91	13188	7274.26
केरल	20000	28974	16031	8792.86	11749	6348.19
तमिलनाडु	18500	28909	15723	7637.75	11422	5523.55
लक्षद्वीप	50	62	33	27.20	31	25.59
पांडिचेरी	550	833	453	171.25	330	126.33
विनिर्दिष्ट नहीं		6	6	1.66	6	4.48
अखिल भारत	354350	501418	271342	161842.06	191351	109347.21

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई)—योजना वर्ष मार्च 2000 के अंत की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

बैंक का नाम : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण स्वीकृत		कुल ऋण संवितरित	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	8600	13315	7191	4485.05	5468	3173.25
हिमाचल प्रदेश	2500	3778	2300	1538.19	1943	1311.69
जम्मू एण्ड कश्मीर	1300	2818	1270	1108.74	868	735.27
पंजाब	9000	18399	9563	6613.18	8188	5253.00
राजस्थान	16600	28875	15170	8631.28	10154	5443.31
चण्डीगढ़	100	126	67	51.57	49	39.50
दिल्ली	5000	4715	858	564.88	553	346.07
पूर्वोत्तर क्षेत्र						
असम	6600	16372	9029	6526.37	4088	2545.98

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	1000	1329	881	690.10	228	161.50
मेघालय	300	639	538	528.05	318	206.92
नागालैंड	200	97	78	84.00	72	68.21
त्रिपुरा	650	1562	1041	642.94	200	107.68
अरुणाचल प्रदेश	250	523	412	325.98	112	73.13
मिजोरम	250	542	220	198.00	38	29.20
सिक्किम	50	119	58	27.74	44	25.43
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	21900	19425	10382	9157.34	7009	5529.16
उड़ीसा	15500	15133	8349	6589.42	1578	951.76
पश्चिम बंगाल	22500	12358	3579	2351.99	2348	1521.85
अण्डमान एवं निकोबार	150	340	129	103.07	100	73.82
मध्य क्षेत्र						
मध्य प्रदेश	32400	62797	29591	22185.87	15863	11077.42
उत्तर प्रदेश	52200	84069	44065	29467.37	34501	22078.73
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	14700	18001	10723	5061.78	10028	4694.49
महाराष्ट्र	45000	67231	35185	20304.66	23985	13696.51
दमन एवं दीव	50	30	17	8.67	16	8.27
गोवा	625	797	481	452.65	404	378.86
दादरा एवं नागर हवेली	50	42	36	20.62	25	19.12
दक्षिणी क्षेत्र						
आन्ध्र प्रदेश	33800	25046	16409	9611.09	10633	6256.76
कर्नाटक	22000	31099	18088	11473.82	13391	8394.71
केरल	23700	28469	16454	9440.73	11907	6704.73
तमिलनाडु	18500	28507	13896	7797.31	11140	5844.59

1	2	3	4	5	6	7
लक्षद्वीप	50	88	33	28.76	33	22.89
पांडिचेरी	625	669	381	174.20	238	111.88
विनिर्दिष्ट नहीं						
अखिल भारत	356150	487310	256474	166245.42	175522	106885.69

प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) 28.02.2001 को समाप्त माह के लिए पी एम आर वाई के अन्तर्गत प्रगति

बैंक का नाम : क्रियान्वयनकर्त्ता सभी बैंक

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी एम आर वाई–2000-2001				संवितरित आवेदन		लम्बित आवेदनों की संख्या
	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	मंजूर आवेदन				
			सं.	राशि	सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
हरियाणा	8600	10976	5279	3312.94	2956	1717.16	1632
हिमाचल प्रदेश	2500	2808	1553	1040.56	1194	794.14	500
जम्मू और कश्मीर	4000	2011	701	610.59	428	358.32	569
पंजाब	9000	13590	6677	4397.43	4198	2517.70	2887
राजस्थान	16600	25520	11629	6897.33	5391	2936.94	7742
चंडीगढ़	100	152	47	36.46	34	23.78	30
दिल्ली	5000	4605	683	482.87	519	353.53	1724
पूर्वोत्तर क्षेत्र							
असम	6600	5669	1133	836.69	498	292.24	3718
मणिपुर	1000	745	365	277.80	355	246.13	260
मेघालय	600	534	377	263.40	361	236.17	104
नागालैंड	200	32	20	23.20	13	16.40	2
त्रिपुरा	1300	1522	431	283.97	369	231.27	809
अरूणाचल प्रदेश	500	153	2	1.60			143

1	2	3	4	5	6	7	8
मिजोरम	250	466	251	326.70	245	274.00	0
सिक्किम	50	86	34	20.59	21	11.41	43
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	21900	16215	6620	5725.97	3593	2860.85	6017
उड़ीसा	15500	16605	1979	1586.71	586	322.09	13324
पश्चिम बंगाल	22500	7413	1746	1171.33	1046	647.39	3022
अंडमान और निकोबार	150	261	105	90.97	75	60.09	25
मध्य क्षेत्र							
मध्य प्रदेश	32400	50091	15637	10998.01	5041	3264.26	14330
उत्तर प्रदेश	52200	59546	27347	18513.25	16873	10650.71	14916
पश्चिमी क्षेत्र							
गुजरात	14700	12175	7005	3508.48	6254	3154.89	1340
महाराष्ट्र	45000	47877	17766	10424.34	10061	5976.75	18239
दमन एवं दीव	50	30	22	14.22	22	14.22	2
गोवा	625	414	236	196.19	211	171.97	4
दादरा एवं नागर हवेली	50	58	19	13.60	19	13.60	27
दक्षिणी क्षेत्र							
आन्ध्र प्रदेश	33800	20463	10811	6192.93	5154	3106.38	6512
कर्नाटक	22000	24378	9734	5685.81	4444	2869.15	9785
केरल	23700	19256	9639	5529.18	5884	3392.93	5745
तमिलनाडु	18500	20652	9162	4535.36	5941	3050.54	3563
लक्षद्वीप	50	51	8	5.82	7	4.67	31
पांडिचेरी	625	428	190	71.35	75	29.91	97
विनिर्दिष्ट नहीं		2780	1143	1072.03	690	598.59	868
अखिल भारत	360050	367562	148358	94147.68	82558	50198.18	118080

विवरण-II

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई)—योजना वर्ष मार्च 1999 के अंत की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

बैंक का नाम : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(रु. लाख में)

बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण स्वीकृत		कुल ऋण संवितरित	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
भारतीय स्टेट बैंक	73498	102123	55051	34013.00	29823	16332.00
स्टेट बैंक आफ बी. एंड जयपुर	5613	8640	5034	2607.60	3803	2006.12
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8746	9788	7241	3587.45	6169	2877.91
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4353	7030	4283	2859.14	3212	2029.36
स्टेट बैंक आफ मैसूर	3695	4500	3198	1763.15	1894	1004.74
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3654	5707	3424	2058.80	3046	1726.82
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1881	1697	1360	612.62	1165	565.48
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	4670	7631	4359	2426.78	2839	1549.20
इलाहाबाद बैंक	15594	21545	10365	6961.11	7001	4656.54
आन्ध्रा बैंक	8794	11466	7110	3750.97	3670	1997.92
बैंक आफ बड़ौदा	17119	28704	17939	9825.72	15210	8124.37
बैंक आफ इंडिया	16284	28683	13440	7912.21	11822	6934.83
बैंक आफ महाराष्ट्र	7350	15776	9434	4984.58	5177	2799.58
केनरा बैंक	16012	24636	13131	6660.28	9969	5070.31
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	25174	36314	18129	11779.97	15623	9598.21
कार्पोरेशन बैंक	3378	4470	2597	1629.41	2272	1419.67
देना बैंक	8157	10685	4998	2836.13	3555	1884.20
इंडियन बैंक	8934	13726	6179	3313.28	4705	2441.75

1	2	3	4	5	6	7
इंडियन ओवरसीज बैंक	7906	12348	7130	4019.50	3585	2062.36
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5536	8454	4476	2788.21	3898	2408.03
पंजाब नैशनल बैंक	26332	39893	21210	13685.01	16755	10187.08
पंजाब एंड सिंध बैंक	4431	6369	2791	1803.75	1849	1222.33
सिंडिकेट बैंक	11500	14267	7416	4404.97	4299	2487.51
यूनियन बैंक आफ इंडिया	17129	19956	12532	8148.42	8945	5332.07
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	11211	10993	4474	2970.16	2156	1297.95
यूको बैंक	11742	16359	6759	4477.83	4848	3240.69
विजया बैंक	5847	7780	4891	2825.02	4002	2326.79
सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	335140	477540	258987	154705.07	181292	103583.82
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक						
बैंक आफ मदुरा लि.	702	0	375	171.87	368	167.34
बैंक आफ राजस्थान लि.	1836	3140	1508	857.64	1028	555.89
भारत ओवरसीज बैंक लि.	197	89	68	38.53	61	34.10
बनारस बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00
कैथोलिक सीरि. बैंक लि.	1405	1863	649	378.94	393	216.51
धनलक्ष्मी बैंक लि.	771	634	191	113.29	191	111.10
फेडरल बैंक लि.	2222	2901	1482	884.43	1450	848.12
जे एण्ड के बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00
कर्नाटक बैंक लि.	1618	1674	581	356.51	464	288.27
करूर वैश्य बैंक लि.	944	993	582	321.87	553	307.20
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	975	276	104	62.16	104	28.23
नेदुंगड़ी बैंक लि.	909	1115	695	405.96	629	368.60
रत्नाकर बैंक लि.	404	397	285	168.82	273	161.92
सांगली बैंक लि.	1456	1146	461	216.19	234	108.49
साउथ इंडियन बैंक लि.	1729	1824	936	513.52	736	419.82

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु मर्के. बैंक लि.	819	1365	500	325.59	411	269.05
युनाइटेड वेस्ट बैंक लि.	2392	2773	1444	877.19	1099	682.31
वैश्य बैंक लि.	2479	2549	1751	1003.81	1403	810.90
बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.	429	653	143	93.44	104	65.36
नैनीताल बैंक लि.	3	5	278	167.30	267	158.89
सिटी यूनियन बैंक लि.	0	149	149	75.06	148	74.76
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	322	322	173	104.87	143	86.53
गैर सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	21612	23878	12355	7136.99	10059	5763.39
सभी कुल बैंक	356752	501418	271342	161842.06	191351	109347.21

शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) योजना वर्ष मार्च 2000 के अंत की स्थिति के अनुसार संचयी स्थिति दर्शानेवाली रिपोर्ट

बैंक का नाम : सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(रु. लाख में)

बैंक का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण स्वीकृत		कुल ऋण संवितरित	
			सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक						
भारतीय स्टेट बैंक	77406	100635	56317	37057.00	33857	20432.00
स्टेट बैंक आफ बी. एंड जयपुर	5916	9350	5076	2905.51	3601	1941.35
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8962	8768	6577	3322.08	4972	2430.45
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4565	9638	4352	3709.75	2670	2168.61
स्टेट बैंक आफ मैसूर	3812	4494	3259	1984.14	1966	1193.09
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3787	5984	3288	2212.85	2897	1913.67
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1866	1735	1252	559.72	1207	541.04
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	5308	7798	4459	2557.39	2892	1576.60

1	2	3	4	5	6	7
इलाहाबाद बैंक	15872	19419	8788	6495.93	5474	3789.70
आन्ध्रा बैंक	0	0	0	0.00	0	0.00
बैंक आफ बड़ौदा	18067	29663	17448	10941.14	13914	8142.33
बैंक आफ इंडिया	15672	26467	13508	9320.07	10301	6524.52
बैंक आफ महाराष्ट्र	11288	16176	9004	5400.21	4793	2781.23
केनरा बैंक	16084	25342	13452	7599.78	9202	4984.41
सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	26230	38203	17584	11829.80	12340	8085.24
कार्पोरेशन बैंक	3352	4098	2446	1591.58	2067	1289.44
देना बैंक	8225	9355	4556	2636.02	3411	1948.90
इंडियन बैंक	8416	12884	5230	3102.47	4255	2384.42
इंडियन ओवरसीज बैंक	7787	13829	7383	4356.20	4295	2376.31
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	5618	9196	4805	3328.30	4081	2670.66
पंजाब नैशनल बैंक	27337	39037	20301	13997.10	14931	9342.80
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3993	5917	2751	1869.00	1816	1188.00
सिंडिकेट बैंक	11771	15693	7974	4981.29	6164	3723.29
यूनियन बैंक आफ इंडिया	16776	20830	11670	8142.76	8052	5193.07
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	11127	10904	4067	2803.63	1496	995.64
यूको बैंक	12336	12540	6302	4298.75	3390	2143.13
विजया बैंक	5754	7287	3938	2617.91	3138	2058.08
सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	337327	465242	245787	159620.38	167182	101817.98
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक						
बैंक आफ मदुरा लि.	702	0	214	102.52	174	85.46
बैंक आफ राजस्थान लि.	2041	3437	1654	1024.24	826	452.67
भारत ओवरसीज बैंक लि.	146	83	52	32.73	45	27.91
बनारस बैंक लि.	204	13	2	1.70	2	1.70
कैथोलिक सीरि. बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7
धनलक्ष्मी बैंक लि.	835	1038	543	308.28	408	226.42
फेडरल बैंक लि.	2578	2349	1072	793.29	990	714.45
जे एण्ड के बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00
कर्नाटक बैंक लि.	907	2468	902	554.63	679	423.17
करूर वैश्य बैंक लि.	825	996	512	268.98	483	244.73
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0	917	389	223.02	321	181.02
नेदुंगड़ी बैंक लि.	1052	1220	661	378.99	588	341.16
रत्नाकर बैंक लि.	462	461	315	207.03	270	179.60
सांगली बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00
साउथ इंडियन बैंक लि.	1936	2128	736	388.38	672	349.93
तमिलनाडु मर्के. बैंक लि.	626	1168	553	381.02	474	316.46
युनाइटेड वेस्ट बैंक लि.	2491	2844	1143	729.82	858	541.04
वैश्य बैंक लि.	2496	2359	1427	910.18	1077	690.23
बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00
नैनीताल बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00
सिटी यूनियन बैंक लि.	377	307	307	181.27	306	179.97
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	396	280	205	138.96	167	111.79
गैर-सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	18074	22068	10687	6625.04	8340	5067.71
सभी कुल बैंक	355401	487310	256474	166245.42	175522	106885.69

प्रधान मंत्री रोजगार योजना 28.02.2001 को समाप्त माह के लिए पी एम आर वाई के अन्तर्गत प्रगति

बैंक का नाम : सभी क्रियान्वयनकर्त्ता बैंक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी एम आर वाई 2000-2001				संवितरित आवेदन		लम्बित आवेदनों की संख्या
	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन	मंजूर आवेदन				
			सं.	राशि	सं.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
सरकारी क्षेत्र के बैंक							
भारतीय स्टेट बैंक	74574.	73675	29445	19009.00	16100	10070.00	28317

1	2	3	4	5	6	7	8
स्टेट बैंक आफ बी. एंड जयपुर	5637	8296	4206	2564.32	2209	1200.12	3374
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	8634	6061	3786	1959.44	2189	1202.21	1358
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	4565	11891	2709	1918.91	1203	884.27	0
स्टेट बैंक आफ मैसूर	3689	3620	1138	665.61	358	269.08	2482
स्टेट बैंक आफ पटियाला	3814	5054	2675	1742.94	1792	1112.07	0
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1892	1495	1040	524.81	980	495.87	134
स्टेट बैंक आफ त्रावनकोर	5053	6687	3351	1782.66	2011	1180.11	2167
इलाहाबाद बैंक	16030	11625	4065	2879.15	1997	1410.26	4781
आन्ध्रा बैंक	7860	2719	1055	636.00	419	257.47	1274
बैंक आफ बड़ौदा	19493	22084	10670	6846.56	5979	3492.74	4732
बैंक आफ इंडिया	14460	20689	8327	5605.15	4118	2513.34	6849
बैंक आफ महाराष्ट्र	12202	15284	5038	2104.84	2265	1274.58	7717
केनरा बैंक	16597	20727	9948	5454.98	5096	2829.67	4660
सेण्ट्रल बैंक आफ इंडिया	25391	20379	5719	3937.90	2922	1853.27	9275
कार्पोरेशन बैंक	3455	3413	1703	1093.09	1052	668.59	957
देना बैंक	7823	6701	3001	1779.23	2213	1303.93	1469
इंडियन बैंक	8970	11078	3785	1934.83	2184	1124.24	0
इंडियन ओवरसीज बैंक	8517	7931	3842	2191.27	2352	1316.19	3566
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	6003	7471	3706	2546.48	2538	1630.55	1550
पंजाब नैशनल बैंक	27791	31966	13766	9566.08	7320	4553.87	8153
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	3876	3551	1251	870.60	886	592.03	1401
सिंडिकेट बैंक	11949	13320	5533	3186.66	3100	1764.97	3201
यूनियन बैंक आफ इंडिया	16562	15684	6761	4480.07	4213	2606.96	4795
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	11265	6411	942	702.78	569	342.53	4081
यूको बैंक	11646	8790	2576	1770.68	1291	875.92	4721
विजया बैंक	5630	5110	2201	1484.63	1259	845.57	1930
सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	343378	351712	142206	90038.67	78575	47670.41	112944

1	2	3	4	5	6	7	8
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक							
बैंक आफ मदुरा लि.	114	71	59	30.48	59	30.48	11
बैंक आफ राजस्थान लि.	1970	3485	1213	735.79	505	278.72	1383
भारत ओवरसीज बैंक लि.	88	73	49	27.87	44	24.60	3
बनारस बैंक लि.	16	0	0	0.00	0	0.00	0
कैथोलिक सीरि. बैंक लि.	1612	1764	427	235.57	370	203.93	671
धनलक्ष्मी बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00	0
फेडरल बैंक लि.	2459	1468	707	419.64	432	261.69	761
जे एण्ड के बैंक लि.	1960	2780	1143	1072.03	690	598.59	868
कर्नाटक बैंक लि.	638	736	277	181.14	192	113.54	0
करूर बैंक लि.	907	695	205	108.97	198	101.43	234
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	623	736	258	164.83	200	123.14	242
नेदुंगड़ी बैंक लि.	995	649	163	90.33	127	69.42	0
रत्नाकर बैंक लि.	488	214	131	95.75	87	61.62	49
सांगली बैंक लि.	0	178	6	3.26	3	1.29	146
साउथ इंडियन बैंक लि.	0	166	104	55.39	104	55.39	44
तमिलनाडु मर्के. बैंक लि.	631	1008	456	310.55	377	254.38	171
युनाइटेड वेस्ट बैंक लि.	1559	635	243	147.42	198	115.32	209
वैश्य बैंक लि.	2503	787	351	236.26	124	85.82	285
बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00	0
नैनीताल बैंक लि.	0	0	0	0.00	0	0.00	0
सिटी यूनियन बैंक लि.	360	185	183	94.29	185	94.09	0
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	358	220	148	99.44	88	54.32	59
गैर-सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	17281	15850	6080	4109.01	3983	2527.77	5136
सभी कुल बैंक	360659	367562	148358	94147.68	82558	50198.18	118080

डाल्टनगंज दूरदर्शन केन्द्र से उपग्रह-आधारित चैनलों के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण

5151. कुमारी भावना पुंडलिक राव गवली : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड राज्य के पलामू जिले में स्थित डाल्टनगंज दूरदर्शन केन्द्र से उपग्रह-आधारित चैनलों के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ऐसे क्षेत्रों में इन चैनलों के कार्यक्रमों का प्रसारण शीघ्र शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इन कार्यक्रमों का प्रसारण कब तक शुरू करने का विचार कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) दूरदर्शन के सभी चैनलों के कार्यक्रम उपग्रह पद्धति में सम्पूर्ण देश में उपलब्ध हैं और इन्हें उपयुक्त डिश एंटीना पद्धति का प्रयोग करके या केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरूद्धार

5152. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से सरकार द्वारा उनके लिए एक पुनरूद्धार पैकेज तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तैयार किया गया और इस पैकेज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) राज्यवार ऐसे कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, जिन्होंने यह पैकेज प्राप्त करने के पश्चात् व्यवहार्यता का स्तर प्राप्त किया;

(घ) कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यवहारक्षम बनाया जाना अभी शेष है और वे कौन-कौन से हैं;

(ङ) क्या सरकार आगे भी कोई पुनरूद्धार पैकेज बनाकर इन बैंकों को व्यवहारक्षम बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनरूद्धार को सहज बनाने के उद्देश्य से हाल में निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तन शुरू किए गए हैं :-

- पुनर्पूंजीकरण के उपाय 1994-95 में शुरू किए गए थे। आज की तारीख तक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 2188 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 158 का पूर्णरूपेण पुनर्पूंजीकरण हो गया है, जबकि 29 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का आंशिक रूप से पुनर्पूंजीकरण हुआ है;

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुनियोजित तरीके से सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजनाओं तथा समझौता ज्ञापनों (डीएपी/एमओयू) की शुरूआत;

- आय की पहचान, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी मानदंडों को शामिल करते हुए विवेकपूर्ण मानदंडों की शुरूआत;

- कारबार संविभागों और क्रियाकलापों का विविधीकरण;

- अधिशेष गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली निधियों के निवेश के लिए अधिक अवसर;

- हानि उठाने वाली शाखाओं के स्थान-परिवर्तन और विलय सहित शाखा नेटवर्क का युक्तिकरण;

- ब्याज दर ढांचे का अविनियमन; और

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों को अधिक भूमिका प्रदान करना।

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अर्थक्षमता प्राप्त कर चुके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(घ) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम, जिन्हें अभी अर्थक्षम होना है, विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सतत् मूल्यांकन, आयोजना और सुदृढ़ीकरण हेतु एकल-सत्ता प्रबंधन के लिए, प्रायोजिक बैंकों को 1997 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन की निगरानी तथा स्वामित्व संबंधी कार्य सौंपे गए हैं।

विवरण-I

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार अर्थक्षमता की स्थिति

क्र. सं.	राज्य	कुल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	अर्थक्षमता प्राप्त करने वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1.	हरियाणा	4	4
2.	हिमाचल प्रदेश	2	2
3.	जम्मू एवं कश्मीर	3	1
4.	पंजाब	5	5
5.	राजस्थान	14	11
6.	अरूणाचल प्रदेश	1	1
7.	असम	5	4
8.	मेघालय	1	1
9.	मणिपुर	1	—
10.	मिजोरम	1	1
11.	नागालैंड	1	1
12.	त्रिपुरा	1	—
13.	बिहार एवं झारखंड	22	12
14.	उड़ीसा	9	5
15.	पश्चिम बंगाल	9	6
16.	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	24	18
17.	उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	40	38
18.	गुजरात	9	9
19.	महाराष्ट्र	10	9
20.	आन्ध्र प्रदेश	16	16
21.	कर्नाटक	13	13
22.	केरल	2	2
23.	तमिलनाडु	3	3
	कुल	196	162

विवरण-II

अभी भी अर्थक्षमता प्राप्त करने वाले क्षे.ग्रा. बैंकों के नाम

क्र.सं.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम
1	2
1.	इलाकाई देहाती बैंक
2.	कामराज रूरल बैंक
3.	मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
5.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
6.	लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक
7.	मणिपुर ग्रामीण बैंक
8.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
9.	चम्पारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
10.	कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
11.	वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
12.	मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13.	मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
14.	नालंदा ग्रामीण बैंक
15.	मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16	रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17.	सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18.	भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
19.	बोलनगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक
20.	कटक ग्रामीण बैंक
21.	बैतारणी ग्रामीण बैंक
22.	बालासुर ग्रामीण बैंक

1	2
23.	गोड़ ग्रामीण बैंक
24.	मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
25.	उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26.	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27.	बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
28.	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
29.	मण्डला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
30.	शहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
31.	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
32.	क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक
33.	रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
34.	शोलापुर ग्रामीण बैंक

इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच

5153. **श्री वाई०एस० विवेकानन्द रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेशक शिकायत-निवारण मंच (आईजीएफ) ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), सॉफ्टवेयर कंपनी 'साइबरस्पेस लिमिटेड' के शेयरों के मामले में हुए कथित (इनसाइडर ट्रेडिंग) की जांच करे;

(ख) यदि हां, तो क्या सच है कि इस कंपनी के शेयरों की कीमतें 2001 के मार्च माह में, अपनी एक माह पूर्व की कीमतों की तुलना में मात्र 10-15 प्रतिशत ही गिरी थीं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला;

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इसके जिम्मेवार व्यक्तियों के द्वारा प्रभावित निवेशकों को हुए नुकसान की भरपाई किस प्रकार की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि निवेशक शिकायत-निवारण मंच ने सेबी अध्यक्ष को लिखे गए दिनांक 23 मार्च, 2001 के अपने पत्र के माध्यम से सेबी से अनुरोध किया है कि वह लघु निवेशकों तथा उप-दलालों के हितों के संरक्षणार्थ मामले की छानबीन करे।

(ख) जी, हां। मुंबई स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में, 28 फरवरी, 2001 तथा 30 मार्च, 2001 को स्क्रिप के बंद मूल्य क्रमश: 147.75 रुपए और 11.65 रुपए थे। राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज में, इन्हीं दो तिथियों को स्क्रिप के बंद मूल्य क्रमश: 147.55 रुपए तथा 8.05 रुपए थे।

(ग) से (ङ) सेबी तथा स्टाक एक्सचेंजों ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है।

(च) मौजूदा नियमों के अनुसार, जब किसी स्टाक एक्सचेंज के किसी दलाल सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जाता है, तो उक्त चूककर्ता दलाल के विरुद्ध निवेशक के दावे की राशि का भुगतान संबंधित एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुसार एक्सचेंज के निवेशक संरक्षण कोष से किया जाता है।

अंत्योदय योजना

5154. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंत्योदय योजना के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या इस वर्ष के दौरान अब तक सरकार ने इस योजना के तहत कोई धनराशि जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने अब तक इस धनराशि का अंशगत उपयोग किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) अंत्योदय अन्न योजना के अधीन निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को निर्धनतम परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति मास की दर से खाद्यान्न वितरित करने के लिए 2/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल अत्यधिक राजसहायताप्राप्त दरों पर

आवंटित किए जाते हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहचान किए जाने वाले अंत्योदय परिवारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पहचान संबंधी कार्य पूरा करने और लाभभोगियों को अलग प्रकार के राशन कार्ड जारी करने के बाद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है।

यह स्कीम हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली में कार्यान्वित की गयी है। मिजोरम को छोड़कर उपर्युक्त राज्यों को राजसहायताप्राप्त खाद्यान्नों का आवंटन मार्च, 2001 से किया गया है। मिजोरम राज्य को आवंटन अप्रैल, 2001 से किया गया है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहचान किए जाने वाले अंत्योदय परिवारों की संख्या बताने वाला विवरण

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अंत्योदय परिवारों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6.228
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.151
3.	असम	2.815
4.	बिहार	10.000
5.	छत्तीसगढ़	2.874
6.	दिल्ली	0.626
7.	गोवा	0.073
8.	गुजरात	3.250
9.	हरियाणा	1.209
10.	हिमाचल प्रदेश	0.787
11.	जम्मू और कश्मीर	1.129
12.	झारखंड	3.665
13.	कर्नाटक	4.797
14.	केरल	2.382
15.	मध्य प्रदेश	6.324
16.	महाराष्ट्र	10.017
17.	मणिपुर	0.255
18.	मेघालय	0.281
19.	मिजोरम	0.105
20.	नागालैंड	0.189
21.	उड़ीसा	5.055
22.	पंजाब	0.717
23.	राजस्थान	3.726
24.	सिक्किम	0.067
25.	तमिलनाडु	7.455
26.	त्रिपुरा	0.452
27.	उत्तरांचल	0.763
28.	उत्तर प्रदेश	16.371
29.	पश्चिम बंगाल	7.939
30.	अंडमान और निकोबार	0.043
31.	चंडीगढ़	0.035
32.	दादरा और नागर हवेली	0.028
33.	दमन और दीव	0.006
34.	लक्षद्वीप	0.004
35.	पांडिचेरी	0.128
	जोड़	99.954

घाटे में चल रहे बैंक

5155. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन बैंक और यूको बैंक को पूर्ववर्ती दो लगातार वर्षों की तुलना में 1999-2000 के दौरान कहीं अधिक घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभार्जन में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार ने बैंकों के विकासात्मक प्रयासों में कर्मचारियों को सहभागी बनाने के आशय से बैंकों को कोई मार्गनिर्देश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यूको बैंक ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान परिचालन-लाभ प्राप्त किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इंडियन बैंक ने वर्ष 1999-2000 में परिचालन-लाभ प्राप्त किया था और अधिक अनुपयोज्य आस्तियों तथा अपेक्षाकृत अधिक परिचालन लागतों के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान उसे परिचालन घाटा हुआ है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परिचालन लाभ वस्तुतः 1992-93 में 3135.42 करोड़ रु. के थे, जो 1999-2000 में बढकर 13066.36 करोड़ रु० हो गए।

(ङ) और (च) हालांकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे विशिष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए हैं, तथापि बैंक के कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपना कार्य परिश्रमपूर्वक करें ताकि बैंक का उचित कार्यसंचालन सुनिश्चित हो सके और उन्हें बैंक के सभी कार्यों में हमेशा शामिल होना चाहिए।

लाभ कमा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना

5156. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, दिनांक 23 फरवरी, 2001 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' समाचार पत्र में "गवर्नमेण्ट मूव्स टु क्लोज डाउन प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में दी गई रिपोर्ट के तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के लाभ कमा रहे उपक्रमों को बन्द करने के कारण और इसका औचित्य क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने की सरकार की वर्तमान नीति की समीक्षा की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। यह समाचार ई० टी० एण्ड टी० को बन्द करने से सम्बन्धित है। ई० टी० एण्ड टी० अनेक वर्षों से घाटा उठा रहा है। वर्ष 1999-2000 के दौरान इसने 16.93 करोड़ रूपए का निवल घाटा उठाया। विनिवेश आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इसे बन्द करने का निर्णय किया है।

(ग) से (ङ) विनिवेश के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति है कि सरकारी क्षेत्र के सम्भावित रूप से व्यवहारिक उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरूद्धार किया जाए तथा सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को बन्द कर दिया जाए जिनका पुनरूद्धार नहीं किया जा सकता।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्ताव

5157. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री विनय कुमार सोराके :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बंगाल चैम्बर आफ कॉमर्स' के समक्ष एक परस्पर-संभाषण सत्र के दौरान जापान के राजदूत ने यह कहा कि भारत में अपार संभावनाओं के होने के बावजूद, विदेशी निवेश के रास्ते में तीन व्यवसाय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक, सरकार को विदेशी निवेश से संबंधित वर्षवार, क्षेत्रवार तथा देशवार कितने प्रस्ताव प्राप्त

हुए, उनमें से कितनों को मंजूर किया गया तथा उनके संबंध में ब्यौरा क्या है; इन प्रस्तावों को किन-किन राज्यों के लिए स्वीकृत किया गया है;

(घ) प्रत्येक परियोजना में देशवार और राज्यवार कितनी राशि का विदेशी निवेश सम्मिलित है;

(ङ) उन देशों का नाम क्या हैं, जिनकी भारत में आ रहे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में अग्रता है;

(च) कौन-कौन से औद्योगिक क्षेत्रक हैं जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं तथा जो गिरावट का रुख दिखा रहे हैं;

(छ) अन्य विकासशील देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ज) सरकार की स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव अभी भी लंबित पड़े हैं; और

(झ) और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से आधार संरचना का विकास करने के लिए, सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) सरकार को इस बारे में बंगाल चैम्बर ऑफ कामर्स से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, जो कि एक निजी संगठन है।

(ग) से (च) 1.1.98 से 28.2.2001 तक की अवधि के दौरान 4992 प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं, जिनमें एफ.डी.आई. की राशि 1,01,343.33 करोड़ रुपये है। अनुमोदित परियोजनाओं के वर्षवार, क्षेत्रवार, राज्यवार और देशवार ब्यौरे मासिक एस.आई.ए. न्यूजलैटर में प्रकाशित किए जाते हैं, जिसे सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है।

भारत में एफ.डी.आई. के अन्तर्वाह के मामले में अमरीका, जापान और जर्मनी के बाद मारीशस का स्थान है।

(छ) विश्व आर्थिक रिपोर्ट, 2000 के अनुसार, एफ.डी.आई. अन्तर्वाह के मामले में वर्ष 1999 में दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के विकासशील देशों में भारत 8वें स्थान पर है।

(ज) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति और निपटान एक सतत प्रक्रिया है। एफ.डी.आई. दिशानिर्देशों के अनुसार, इस प्रकार के प्रस्तावों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से 30 दिन की निर्धारित समय-सीमा में निपटाया जाता है।

(झ) सरकार ने अवसंरचना में सुधार करने की दृष्टि से अन्य बातों के साथ-साथ पत्तनों, सड़कों, राजमार्गों, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन एवं वितरण (परमाणु विद्युत संयंत्रों के अतिरिक्त), तेल रिफाइनरी, आदि जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दे दी है। इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश एफ.डी.आई. नीति की रूपरेखा, बाज़ार के आकार और बाज़ार की संभावना, जनशक्ति कौशल विनियमनकारी रूपरेखा और विवाद निपटान तंत्र जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा कृषि-आधारित उद्योगों की स्थापना

5158. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी निवेश की सहायता से देश में प्रत्येक राज्य के कृषि-आधारित उद्योग लगाने के संबंध में सरकार को प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) अभी तक जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई तथा कार्यान्वित किया गया, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; जिन्हें मंजूर तो किया गया लेकिन अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया; और

(घ) इन्हें कर्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) और (ख) सरकार ने 01 जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान चीनी/वनस्पति तेल तथा वनस्पति/बागवानी/कृषि/पुष्पखेती सहित कृषि आधारित उद्योगों में कुल 86 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) प्रस्तावों को अनुमोदित किया है जिनमें 322.80 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। अनुमोदनों के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजनावार क्रियान्वयन से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना का क्रियान्वयन उन राज्य सरकारों पर है जहां पर परियोजना को स्थापित किया गया है। फिर भी तीव्र क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने और क्रियान्वयन के दौरान निवेशकों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) का गठन किया गया है! जिसमें विभिन्न विभागों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल ,हैं।

विवरण

01 जनवरी, 1998 से 28 फरवरी, 2001 तक की अवधि के दौरान कृषि आधारित उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का राज्यवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

राज्य	1998		1999		2000		2001	
	संख्या	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	संख्या	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	संख्या	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	संख्या	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि
आन्ध्र प्रदेश	0	0.00	5	9.49	6	109.45	0	0.00
बिहार	1	0.30	1	0.10	0	0.00	0	0.00
गुजरात	0	0.00	3	13.95	2	0.05	1	0.00
हरियाणा	2	5.21	1	0.13	2	0.11	0	0.00
हिमाचल प्रदेश	0	0.00	3	9.98	0	0.00	0	0.00
कर्नाटक	2	5.36	6	10.52	3	1.28	0	0.00
केरल	0	0.00	2	29.55	0	0.00	0	0.00
महाराष्ट्र	4	1.34	10	35.29	2	0.80	1	0.57
पंजाब	0	0.00	0	0.00	2	2.06	0	0.00
राजस्थान	0	0.00	0	0.00	1	4.20	0	0.00
तमिलनाडु	0	0.00	4	5.98	2	0.00	0	0.00
उत्तर प्रदेश	2	0.97	1	0.47	0	0.00	0	0.00
पश्चिम बंगाल	0	0.00	1	17.83	0	0.00	0	0.00
दिल्ली	1	0.20	3	15.77	3	7.00	1	32.50
गोवा	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00
उपरोक्त के अलावा अन्य राज्य	3	1.81	3	0.08	1	0.45	0	0.00
कुल	15	15.19	43	149.13	25	125.41	3	33.07

नोट: वर्ष 2001 के आंकड़े फरवरी, 2001 तक अद्यतन हैं।

लघु बचतों पर ब्याज-दरें

5159. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री एस० अजय कुमार :
श्री दलपत सिंह परस्ते :
श्रीमती मिनाती सेन :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री जे०एस० बराड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु बचतों और भविष्य निधि की राशि पर ब्याज की दरों को आगे और कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह की कमी, जो नौकरीपेशा और वेतनभोगी कार्मिकों तथा कमज़ोर वर्गों के लिए एक आघात जैसी है—किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा छोटे निवेशकों और वयोवृद्ध नागरिकों—जो सुचारू रूप से जीवनयापन करने के लिए इन क्षेत्रों में अपनी रकम लगाते हैं—के हितों का सरंक्षण करने के क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्तमान में लोक भविष्य निधि और सामान्य भविष्य निधि सहित लघु बचत योजनाओं पर ब्याज की दरों में क्रमश: 1 मार्च, 2001 और 13 मार्च, 2001 को पहले ही अधिसूचित कटौती में और कमी करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दरों में दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से संशोधन वित्त मंत्रालय के परामर्श से श्रम मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ग) लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधियों पर ब्याज की वास्तविक दरें अधिक समझी गई थीं, जो अर्थव्यवस्था में ब्याज की अन्य दरों को कम करने से रोकती थीं। यह निर्णय अर्थव्यवस्था के बृहतर हित में आवश्यक हो गया था।

(घ) भारत सरकार की लघु बचत योजनाएं, जिन पर सार्वभौम गारंटी होती है, निवेशक का विश्वास प्राप्त किए हुए हैं क्योंकि इन योजनाओं का जोखिम लाभ समीकरण अनुकूल है। ये योजनाएं महत्वपूर्ण कर प्रोत्साहन, आसान नकदीकरण और सुलभता के अतिरिक्त लाभों का प्रस्ताव करती हैं।

राज्य सरकारों को ऋण

5160. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में लघु बचतों की विकास-दर में आई पांच से छह प्रतिशत की गिरावट से राज्य सरकारों को आसान शर्तों पर ऋण देने की प्रक्रिया और उपलब्धता के मार्ग में सकंट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संचय में आई कमी से राज्य गम्भीर वित्तीय संकट में फंस सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 (अनन्तिम) में 75,435 करोड़ रुपए की तुलना में 14 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर दर्शाते हुए वर्ष 2000-2001 में सकल संग्रहणों का 86,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है। वर्ष 2001-2002 में सकल संग्रहणों के बढ़कर 93,500 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है।

(ग) से (ङ) लघु बचतों के अन्तर्गत निवल संग्रहणों का अस्सी प्रतिशत राज्य सरकारों को उनके विकासात्मक व्यय के वित्त पोषण हेतु फिर से उधार दिया जाता है। राज्य सरकारों को निवल बहिर्प्रवाह वर्ष 2000-2001 (संशोधित अनुमान) में 31,799 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2001-2002 में 36,000 करोड़ रुपए होना प्रत्याशित है। लघु बचतों पर ब्याज दरों में कमी राज्य सरकारों को दी जा रही है। यह राज्यों को उनके ब्याज भार को कम करने में सहायता करेगी।

[हिन्दी]

मलेशिया से खाद्य तेल का आयात

5161. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का मलेशिया से तीन करोड़ डालर मूल्य के खाद्य तेल की खरीद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में ही उत्पादित खाद्य तेल की मात्रा से घरेलू आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती; और

(घ) यदि हां, तो खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

(ग) खाद्य तेलों की मांग और घरेलू उपलब्धता में निरन्तर अन्तर बना रहा है।

(घ) तिलहनों और परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए उपाय/प्रयास निम्नानुसार हैं:-

(i) देश में तिलहनों/खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 25 राज्यों में 395 चुनींदा जिलों को कवर करते हुए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को बीजों के उत्पादन और वितरण, बीज मिनी किट के वितरण, स्प्रिंक्लर सेट, उन्नत कृषि यन्त्र, जिप्सम/पाइराइट्स, माइक्रो न्यूट्रियेन्ट्स, राजोबियम कल्चर आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उन्नत उत्पादन और सरंक्षण प्रौद्योगिकीयों के विस्तार के लिए किसानों के खेतों में अग्रणी प्रदर्शन भी किए जाते हैं।

(ii) सर्वोत्तम उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबन्धन प्रौद्योगिकी को एक मंच पर लाने के लिए मई, 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया गया था।

(iii) तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनसुंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(iv) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर परम्परागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना, वृक्षों और वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का दोहन करना।

(v) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं स्थापित करना।

(vi) तेल पाम के विकास के लिए सहायता देना।

(vii) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(viii) वनस्पति तेल के उत्पादन में मासिक आधार पर उत्पादन के कम से कम 25 प्रतिशत के लिए घरेलू तेलों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, वनस्पति के उत्पादन में 30 प्रतिशत तक एक्सपेलर सरसों तेल के उच्चतम उपयोग की अनुमति भी दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य देकर प्रोत्साहन देना है।

(ix) घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों की रक्षा करने और यथासम्भव सीमा तक खाद्य तेलों के भारी आयात को नियमित करने के लिए खाद्य तेलों के शुल्क ढांचे को 14 महीने की अवधि में चार बार संशोधित किया गया है। अद्यतन संशोधन 1.3.2001 को किया गया था। वनस्पति के उत्पादन के प्रयोजनार्थ सी॰पी॰ओ॰ पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है, ऐसी रूग्ण वनस्पति उद्योग के मामले में नहीं किया गया है, उनके लिए शुल्क को 55 प्रतिशत पर रखा गया है। वनस्पति उत्पादन से इतर प्रयोजन के लिए सी॰पी॰ओ॰ पर भी शुल्क बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। परिष्कृत तेलों पर शुल्क बढ़ाकर 85 प्रतिशत (मूल) कर दिया गया है सिवाय परिष्कृत सोयाबीन तेल और परिष्कृत सरसों तेल के, जिनके मामले में शुल्क क्रमश: 45 प्रतिशत (मूल) और 74 प्रतिशत (मूल) रखा गया है। परिष्कृत तेलों के आयात पर 4 प्रतिशत की दर पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति

5162. **श्री तिरूनावकरसू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा हाल ही में अनुबंध-आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्मिकों को किस विशेष योग्यता के आधार पर उन्हें पुन: नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या तदर्थ और नैमित्तिक आधार पर कार्य करने वाले ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं, जो यही विशेष योग्यता रखते हैं, और नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो फिर अनुबंध-आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विज्ञापन द्वारा राजस्व

5163. **श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री ए० वेंकटेश नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के जरिये केन्द्र द्वारा उगाहे गये राजस्व का अलग-अलग राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उगाही नहीं की जा सकी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार वर्ष 2001-02 के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों से राजस्व की वसूली में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही

है और इस संबंध में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया हो, तो वह क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उसने अपने राजस्व सृजन में वृद्धि के लिए लोक प्रसारक के मापदण्डों के अन्तर्गत कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों और प्रायोजक निकायों के प्रति सक्रिय तथा बाजार के अनुकूल तरीके अपनाना; वाणिज्यिक मामलों के संबंध में क्षेत्रीय केन्द्रों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना, कार्यक्रमों का प्रभावी विपणन सुनिश्चित करने के लिए मुम्बई में एक अपना विपणन स्कंध स्थापना करना आदि शामिल है। वर्ष 2001-02 के दौरान प्रसार भारती के राजस्व अर्जन का लक्ष्य 750 करोड़ रु. रखा गया है।

[हिन्दी]

राणा प्रताप पर दूरदर्शन धारावाहिक

5164. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारित किये जा रहे राणा प्रताप धारावाहिक को बीच में ही रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस धारावाहिक को पुन: आरंभ करने के संबंध में सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि "राणा प्रताप" धारावाहिक जिसे 01.01.1998 से प्रत्येक वृहस्पतिवार को रात्रि 9.30 बजे साप्ताहिक आधार पर प्रसारित किया जाता था, को प्रसार भारती द्वारा बन्द कर दिया गया था क्योंकि अपेक्षित प्रायोजकता नहीं जुटा सका था।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार को इस धारावाहिक के प्रसारण को पुन: शुरू करने के लिए एक अनुरोध प्राप्त हुआ था और इस पर प्रसार भारती के परामर्श से विचार किया गया था। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि धारावाहिक के निर्माता को अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया था लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

[अनुवाद]

समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात

5165. श्री के॰पी॰ सिंह देव : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को मद-वार कुल कितने मूल्य का समुद्री खाद्य पदार्थ का निर्यात किया गया;

(ख) इसमें विभिन्न तटवर्ती राज्यों का क्या योगदान है;

(ग) क्या उड़ीसा से समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने की प्रबल संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो आने वाले वर्षों में इस संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित समुद्री खाद्य की मद-वार कीमत नीचे दी गई है:-

(मूल्य करोड़ रु॰ में)

मद	1997-98	1998-99	1999-2000
प्रशीतित श्रिम्प	3140.56	3344.91	3645.22
प्रशीतित फिन मछली	726.73	495.03	537.34
प्रशीतित स्क्विड	270.89	268.93	296.80
प्रशीतित कटलफिश	323.41	273.31	286.22
सूखी मदें	33.89	40.30	42.77
जीवित मदें	29.34	47.08	37.99
प्रशीतित मदें	44.31	29.18	44.97
अन्य	128.35	128.13	225.36
कुल	4697.48	4626.87	5116.67

स्रोत: एम्पीडा

(ख) पिछले तीन वर्षों से विभिन्न तटवर्ती राज्यों में स्थित अलग-अलग पत्तनों से किए गए समुद्री खाद्य के निर्यातों का मूल्य नीचे दिया गया है:-

(मूल्य करोड़ रू० में)

राज्य	1997-98	1998-99	1999-2000
गुजरात	637.85	367.45	389.38
महाराष्ट्र	636.14	655.79	660.81
गोवा	63.93	36.82	36.55
कर्नाटक	5.67	18.67	1.70
केरल	948.03	816.55	1146.96
तमिलनाडु	1220.05	1379.01	1462.70
आंध्र प्रदेश	774.96	876.53	906.50
पश्चिम बंगाल	420.69	476.05	512.07
कुल	4697.32	4626.87	5116.67

स्रोत: एम्पीडा

(ग) जी, हां। उड़ीसा से कल्चर श्रिम्प के निर्यात को बढ़ाने की अच्छी गुंजाइश है।

(घ) उड़ीसा में श्रिम्प कल्चर का संवर्धन करने के लिए, एम्पीडा ने भुवनेश्वर में अपने क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की है जो राज्य में विभिन्न संवर्धनात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनमें ये कार्य शामिल हैं—उपयुक्त क्षेत्र की पहचान के लिए सर्वेक्षण करना, विभिन्न इमदाद योजनाओं का कार्यान्वयन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और श्रिम्प खेती में लगे किसानों और उद्यमियों को तकनीकी सहायता देना आदि। एम्पीडा ने इमदाद सहायता देने हेतु दो नई योजनाएं चलाई हैं (i) निजी उत्पत्तिशालाओं में पी सी आर प्रयोगशालाओं की स्थापना और (ii) 2001-02 के दौरान कार्यान्वयन हेतु श्रिम्प फार्मों में निस्सारण अभिक्रिया एककों की स्थापना।

विदेशी वाणिज्यिक ऋण

5166. **श्री विनय कुमार सोराके :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी वाणिज्यिक ऋणों की प्राप्ति सतत् रूप से कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विदेशी वाणिज्यिक ऋण की मंजूरी में कौन-कौन से क्षेत्रों का स्थान ऊपर है; और

(घ) स्टैन्डर्ड और पुअर्स ने दीर्घ आवधिक विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में भारत को क्या वर्तमान दर प्रदान की?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधारों के कारण निधियों का संवितरण निम्नानुसार है:-

अवधि	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1. वर्ष 1998-99	2,723.00
2. वर्ष 1999-2000	1,517.00
3. वर्ष 2000-2001 (31 दिसम्बर, 2000)	1,997.00

(उपर्युक्त आंकड़ों में वर्ष 1998-99 के दौरान रिसर्जेंट इंडिया बाण्डों के अधीन संवितरण और वर्ष 2000-2001 के दौरान इंडिया मिलेनियम डिपाजिट के अधीन संवितरण शामिल नहीं हैं।)

(ख) भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए मांग, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में प्रचलित शर्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्याज-दर पर निर्भर करती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र को अधिकतम विदेशी वाणिज्यिक उधार अनुमोदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) दीर्घावधि विदेशी मुद्रा सरकारी ऋण दर-निर्धारण पर 'स्टैण्डर्ड और पूअर्स', संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किया गया भारत का वर्तमान दर-निर्धारण "खख" है।

भविष्य निधि और पेंशन निधि का निवेश

5167. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि और पेंशन निधि का "बेन्चर केपिटल बिजनस" में निवेश किये जाने की अनुमति प्रदान करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निवेश के लिए क्या रणनीति अपनायी जाएगी; और

(ग) भविष्य निधि और पेंशन निधि, जो कि वर्करों की कड़ी मेहनत की कमाई है, को घाटे के किसी भी खतरे से बचाने के लिए वेन्चर केपिटल फण्ड के मूल्यांकन हेतु कतिपय मानक दिशा-निदेश तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय जीवन बीमा निगम पालिसी पर कर

5168. श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बीमा योजना के विस्तार में वृद्धि करने के लिए जीवन बीमा पालिसी पर कर को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या जीवन बीमा क्षेत्र संबंधी कराधान का अध्ययन करने के लिए गठित की गयी विशेषज्ञ समिति ने सरकार से जीवन बीमा पालिसी धारकों की आय पर लगने वाले कर को 12.5 प्रतिशत से घटा कर 5.7 प्रतिशत करने की भी मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) सरकार ने वित्त वर्ष 2000-2001 के दौरान जीवन बीमा क्षेत्र को कराधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जीवन बीमा कारोबार के लाभ के संबंध में कराधान ढ़ांचे के बारे में सिफारिश करना शामिल था। उक्त समिति ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की है कि :-

(i) जीवन बीमा कारोबार के सम्बन्ध में कराधेय आय के निर्धारण के लिए आधारभूत पद्धति "मूल्यांकन अतिरेक" पद्धति होनी चाहिए;

(ii) अतिरेक पर पालिसी धारक के शेयर और शेयर धारक के लाभों (अतिरेक का शेयर धारक का शेयर सहित) पर कर को अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए;

(iii) शेयर धारक की कर निर्धारण योग्य आय पर निगमों के लिए लागू दर की भांति ही पूर्णतया कर लगाया जाना चाहिए; और

(iv) पालिसी धारक की कर निर्धारण योग्य आय पर तुलनात्मक रूप से निम्न दर पर कर लगाया जाना चाहिए।

उक्त समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण

5169. श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्राधिकरण को क्या कर्त्तव्य और शक्तियां प्रदान की गयी हैं;

(ग) क्या यह प्राधिकरण देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में होने वाली कमियों पर काबू पा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) सरकार ने 9.8.1999 को एक विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) की स्थापना की है ताकि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों के त्वरित रूप से कार्यान्वयन में परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की जा सके, विदेशी निवेशकों की आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करके उनके लिए एक अग्र-क्रियात्मक एकल चरण अनुवर्ती देख-रेख सेवा (वन स्टाफ आफ्टर केयर सर्विस) उपलब्ध करायी जा सके, प्रचालनात्मक समस्याओं को दूर किया जा सके और समस्याओं के समाधान निकालने हेतु विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया जा सके तथा साझेदारी प्रणाली के माध्यम से अधिकतम अवसरों का सृजन किया जा सके। एफ. आई.आई.ए. के निम्न कार्य हैं—विभिन्न अनुमोदन/अनुमति को तत्परता से दिलवाना, निवेशकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, अनुभवों में आए अंतराल को दूर करना, समग्र रूप में विश्वसनीयता में वृद्धि करना, नीति की रूपरेखा की समीक्षा करना और विदेशों में भारत के राजनयिक मिशनों को एफ.डी.आई. अनुमोदनों के वास्तविक निवेश तथा कार्यान्वयन में परिवर्तित हो जाने के बारे में सूचित रखने के लिए विदेशी मंत्रालय से संपर्क रखना है। अब तक एफ.आई.आई.ए. ने विदेशी निवेशकों की कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आठ बैठकें आयोजित की हैं।

डिजिटल प्रसारण में फ्रांस की सहायता

5170. श्री सुकदेव पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "डायरेक्ट-टू-होम टेलीविजन" को मंजूरी देने के बाद सरकार भारतीय दूरदर्शन प्रसारण को डिजीटल प्रणाली से युक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु फ्रांस की सेवाएं और विशेषज्ञता प्राप्त करने का है; और

(ग) इस संबंध में कब तक कार्रवाई की जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) डिजीटल प्रौद्योगिकी अपनाने के बारे में प्रसार भारती द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई तथ्या चेन्नई में प्रयोगात्मक आधार पर चार डिजीटल स्थलीय ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन ट्रांसमीटरों को वर्ष 2001-2002 के दौरान स्थापित किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) हालांकि दूरदर्शन किसी भी मंच से उपयोगी प्रस्ताव का स्वागत करता है तथापि, फ्रांस से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। एनॉलॉग प्रसारण के स्थान पर डिजीटल स्थलीय प्रसारण, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए कोई निश्चित समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

1000 रुपये का नोट

5171. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक हजार रुपये के उच्च मूल्य वर्ग वाले नोट को जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बड़े नोटों को जारी करने से पहले इनका अधिक काले धन के उत्पन्न होने और "हवाला" सौदे पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थिति के किस प्रकार से निपटने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1000 रुपये का नोट चलन में नोटों की अधिक संख्या को सीमित करने और लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य स चलाया गया है। कानून प्रवर्तक प्राधिकारी व्यवस्था में गैरकानूनी लेनदेनों और कालेधन के खात्मे की दिशा में निरन्तर कार्यरत हैं।

चेन्नई स्थित पेटेन्ट कार्यालय का उन्नयन

5172. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चेन्नई स्थित पेटेन्ट कार्यालय का उन्नयन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में चेन्नई कार्यालय में प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस अवधि के लिए किस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी;

(ङ) क्या मार्च, 2001 स्थिति के अनुसार अकेले चेन्नई कार्यालय अभी 10,000 से भी अधिक आवेदनों को मंजूरी प्रदान की जानी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने प्रस्तावों की इस अत्यधिक संख्या को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने चेन्नई सहित सभी पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए एक परियोजना को हाथ में लिया है। इसमें अवसंरचनात्मक विकास, मानव संसाधन विकास, कार्य पद्धति का कंप्यूटरीकरण तथा पुनर्निर्माण, सभी कार्यालयों को नेटवर्क से जोड़ना और पहले से बकाया पड़े आवेदनों को निपटाना, जागरूकता सृजन संबंधी कार्यक्रम आदि शामिल हैं। चेन्नई स्थित पेटेंट कार्यालय के लिए अन्ना सलाइ में करीब 12,500 वर्ग फुट अतिरक्त जगह अधिग्रहीत कर ली गई है और एक कुशल पेटेंट प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरों सहित सभी प्रकार की आवश्यक अवसंरचनात्मक सुविधाएं जुटा दी गयी हैं।

(ङ) और (च) जी हां, जांच नहीं किये गये पहले से बकाया पड़े पेटेंट आवेदनों का निपटान करने के लिए कार्यालय में कम्प्यूटरीकृत अन्वेषण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर पर्याप्त संख्या में तकनीकी अधिकारियों और सहायक स्टाफ की भर्ती करने व उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

मीडिया नीति के लिए दिशा-निर्देश

5173. **श्री ए० नरेन्द्र** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों के स्तर के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी करने का है जिन्हें मीडिया को जानकारी देने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा और नये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारी मौजूदा दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) जी, नहीं।

(ख) मीडिया को जानकारी देने के लिए विद्यमान मार्ग-निर्देश संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यालय पद्धति नियम पुस्तक (पैरा-113) में "प्रेस को जानकारी देना" नामक शीर्षक के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यवस्था की ई है:-

1. प्रेस तथा अन्य समाचार मीडिया अर्थात् रेडियो एवं टेलीविजन को सरकारी सूचना सामान्यत: पत्र कार्यालय के माध्यम से दी जाएगी।

2. केवल मंत्री, सचिव और इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत अन्य अधिकारी सूचना दे सकते हैं या प्रेस के प्रतिनिधियों से मिल सकते हैं। यदि प्रेस के किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी अन्य अधिकारी से सम्पर्क किया जाता है तो वह उसे पत्र सूचना कार्यालय से सम्पर्क करने को कहेगा।

3. प्रेस को कोई सरकारी सूचना जारी करने; प्रेस सम्मेलन या प्रेस ब्रीफिंग आयोजित करने अथवा किसी सरकारी रिपोर्ट, संकल्प या अन्य प्रकाशन को प्रचारित करने संबंधी प्रस्ताव के मामले में संबंधित विभाग पहले प्रत्यायित सूचना अधिकारी से परामर्श करेगा।

हिन्दी]

भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का विनिवेश

5174. **डा॰ बलिराम :** क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में विनिवेश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार उपरोक्त कम्पनियों की परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड में विनिवेश करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने जुलाई 1999 में, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में सार्वभौमिक न्यासी प्राप्ति/स्वदेशी बाजार में एक संस्थागत पेशकश के माध्यम से 19 मिलियन तक सरकारी शेयरों के विनिवेश करने को मंजूरी प्रदान की थी। यह सार्वभौमिक न्यासी प्राप्ति इश्यू जारी नहीं हुआ है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में और अधिक विनिवेश करने का कोई निर्णय नहीं है।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंक ऋण के चूककर्ता

5175. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 2000 तथा 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से एक करोड़ अथवा इससे अधिक की बकाया धनराशि वाले चूककर्ताओं के संबंध में बैंकवार और संस्थावार स्थिति क्या है; और

(ख) इन ऋण लेने वाले व्यक्तियों से ऋण की वसूली के लिए क्या कठोर उपाय किये जा रहे हैं/करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाली सकल अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) से संबंधित बैंकवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईएफसीआई लि॰, आईसीआईसीआई लि॰, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं की निवल अनुपयोज्य आस्तियों (एक करोड़ की राशि से अधिक की राशि सहित) से संबंधित वित्तीय संस्था-वार स्थिति भी विवरण में दी गई है। 31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं की अनुपयोज्य आस्तियों से संबंधित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि उन्हें अपने खातों को अभी अंतिम रूप देना है।

(ख) भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए कई कदम उठाने की सलाह दी है जैसी वूसली नीति को तैयार करना तथा उन्हें लागू करना, सिविल न्यायालयों में मुकदमा दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करना, निपटान सलाहकार समिति द्वारा समझौता निपटान तथा बैंक/वित्तीय संस्थाओं में विभिन्न स्तरों पर अनुपयोज्य खातों की निगरानी एवं अनुवर्ती कार्रवाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 जुलाई, 2000 के अपने परिपत्र के तहत 5 करोड़ रुपये तक की अनुपयोज्य आस्तियों के निपटान के लिए स्वनिर्णयगत एवं विभेदमूलक मार्गनिर्देश तैयार किया है तथा बैंकों को 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की ऋण बकाया के लिए अपनी-अपनी नीति तैयार करने की सलाह दी है। कार्यक्षम बनाने के लिए बैंकों द्वारा प्रभावी कार्रवाई आवश्यक सभी मामलों में मुकदमा दायर करने के लिए एक बारगी निपटान मुख्य कार्यकारियों द्वारा 31.3.2001 तक सुनिश्चित किया जाना है। एक नया कानून बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अपने बकाया राशि की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु चूक के मामलों में प्रतिभूतियों के मोचन निषेध एवं प्रवर्तन को सुकर बनाएगा।

विवरण

31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक करोड़ और उससे अधिक की राशि की सकल अनुपयोज्य आस्तियां

बैंक का नाम	खातों की संख्या	कुल अनुपयोज्य आस्ति (रुपये करोड़ में)
1	2	3
भारतीय स्टेट बैंक	1320	8579.96
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	106	433.01
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	135	576.80
स्टेट बैंक आफ इंदौर	41	140.40
स्टेट बैंक आफ मैसूर	63	266.72
स्टेट बैंक आफ पटियाला	112	393.72
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	74	287.12
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	98	575.15
इलाहाबाद बैंक	200	983.83
आन्ध्रा बैंक	36	108.77
बैंक आफ बड़ौदा	541	1868.86
बैंक आफ इंडिया	306	1984.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	95	331.80
केनरा बैंक	551	1692.60
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	311	1449.99
कारपोरेशन बैंक	52	203.09
देना बैंक	161	1097.59
इंडियन बैंक	564	2281.98
इंडियन ओवरसीज बैंक	161	955.00
ओरि. बैंक आफ कामर्स	61	224.77
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	102	366.62
पंजाब नेशनल बैंक	390	1874.87
सिंडिकेट बैंक	113	388.96
यूको बैंक	163	760.25
यूनियन बैंक आफ इंडिया	242	895.79
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	141	626.00
विजया बैंक	69	235.40

31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय संस्थाओं की निवल अनुपयोज्य आस्तियां

वित्तीय संस्थाओं का नाम	कुल अनुपयोज्य आस्तियां (करोड़ रुपये में)
आईडीबीआई	7675
आईसीआईसीआई लि॰	3959
आईएफसीआई लि॰	4084
आईआईबीआई लि॰	641
सिडबी	197

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर

5176. श्री रामशकल :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31.3.2001 की तिथि के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31.3.2001 की तिथि के अनुसार किसानों द्वारा इस कार्ड से लिये गये ऋण का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्ष 2001-2002 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए किसानों के ऋण को माफ करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के पास यथा उपलब्ध देश में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या के बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2001-2002 के लिए बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, बैंकों से कार्यक्रम को बढ़ाने और अगले तीन वर्षों के अन्दर सभी पात्र किसानों को कवर करने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक किसी ऋण माफी योजना के पक्ष में नहीं है क्योंकि यह वसूली प्रक्रिया और वित्तीय अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इससे अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी मांगें उठ सकती हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए स्थाई अनुदेशों के अनुसार, बैंकों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रभावित किसानों के अल्पावधि कृषि ऋणों में परिवर्तित करने और मध्यावधि ऋणों की बकाया किस्तों के पुन: चरणबद्ध/ पुनर्निर्धारण करने के लिए कहा गया है।

विवरण

इस योजना के प्रारम्भ में जारी किसान क्रेडिट कार्ड (20 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार) का राज्य-वार और एजेंसी-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	223	269	0	492
2.	आन्ध्र प्रदेश	714294	2534273	151920	3400487
3.	अरूणाचल प्रदेश	45	0	82	127
4.	असम	2924	0	645	3569
5.	बिहार	122978	150744	17385	291107
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	दादरा एवं ना. हवेली	1	0	0	1
8.	दमन एवं दीव	0	0	0	0
9.	गोवा	1091	315	0	1406
10.	गुजरात	225973	277475	19688	523136
11.	हरियाणा	94610	330317	14677	439604
12.	हिमाचल प्रदेश	14327	15192	761	30280
13.	जम्मू और कश्मीर	534	12191	830	13555
14.	कर्नाटक	419888	202872	125673	748433
15.	केरल	189845	127224	111209	428278
16.	लक्षद्वीप	63	0	0	63
17.	मध्य प्रदेश	139094	185346	18531	342971
18.	महाराष्ट्र	242648	1495521	23342	176151
19.	मणिपुर	280	0	43	323
20.	मेघालय	727	322	597	1646
21.	मिजोरम	4	0	0	4

1	2	3	4	5	6
22.	नागालैण्ड	12	0	0	12
23.	रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली	281	1030	0	1311
24.	उड़ीसा	69841	780306	39785	889932
25.	पांडिचेरी	4169	799	0	4968
26.	पंजाब	250332	202735	10396	463463
27.	राजस्थान	100700	1390267	22730	1513697
28.	सिक्किम	178	0	0	178
29.	तमिलनाडु	375389	411147	21338	807874
30.	त्रिपुरा	388	355	607	1350
31.	उत्तर प्रदेश	582814	727024	168975	1478813
32.	पश्चिम बंगाल	72428	15945	7433	95806
	कुल	3626081	8861669	756647	13244397

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ से धनराशि की वापसी

5177. श्री जी॰ पुट्टास्वामी गौडा : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय संघ से पाटनरोधी शुल्क के अंतर्गत वसूली गयी लगभग 4000 करोड़ रुपये की धनराशि जिसे विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत गैर-कानूनी बताया गया है, की वापसी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन सी वस्तुओं पर यूरोपीय संघ ने पाटनरोधी शुल्क लगाया है और कौन-कौन सी वस्तुओं को विश्व व्यापार समझौते के अंतर्गत गैर-कानूनी करार दिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारत में कॉटन टाइप बैड लिनन के आयातों पर यूरोपीय समुदाय द्वारा अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने संबंधी विवाद में भारत के अनुरोध पर विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय (डी एस बी) ने एक पैनल का गठन किया था। पैनल तथा अपीलीय निकाय इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यूरोपीय समुदाय ने पाटनरोधी करार के कुछेक प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की और उन्होंने सिफारिश की है कि विवाद निपटान निकाय यूरोपीय समुदाय से अनुरोध करे कि वे अपने उपायों को पाटनरोधी करार के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप बनाएं। पैनल तथा अपीलीय निकाय की रिपोर्टों को बाद में डी एस बी ने भी स्वीकार कर लिया था।

दिनांक 5 अप्रैल, 2001 को हुई डी एस बी की बैठक में यूरोपीय समुदाय ने डी एस बी की सिफारिशों तथा विनिर्णयों को क्रियान्वित करने की अपनी मंशा व्यक्त की है। भारत ने डी एस बी की उपर्युक्त बैठक में दिए गए अपने वक्तव्य में इस बात पर बल दिया है कि वह यूरोपीय समुदाय से इस बात की अपेक्षा करता है कि वे लागू पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करें और पहले से एकत्रित किए गए शुल्कों को वापस लौटा दें।

पंचायती राज के लिए धनराशि

5178. श्री अशोक ना॰ मोहोल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्यवार कितनी धनराशि की सिफारिश की है;

(ख) केन्द्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्यवार कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) क्या राज्यों को पूरी राशि जारी नहीं की गयी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शेष धनराशि को जारी किये जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं के लिए वर्ष 1996-2000 के दौरान कुल संस्तुत तथा उन्हें जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

दिग्दर्शक सिद्धान्तों में निहित अपेक्षाओं को पूरा न किए जाने के कारण अनेक राज्यों को शेष अनुदान राशि जारी नहीं की जा सकी है। दसवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 31 मार्च, 2000 को समाप्त हो चुकी है।

विवरण

वर्ष 1996-2000 के दौरान दसवें वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए संस्तुत तथा उन्हें जारी अनुदान

(करोड़ रुपए में)

राज्य	संस्तुत राशि	जारी की गई राशि
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	351.00	335.94
अरूणाचल प्रदेश	4.51	1.41
असम	133.36	41.67
बिहार	507.19	126.80
गोवा	5.91	2.59
गुजरात	192.01	192.01
हरियाणा	82.64	82.64
हिमाचल प्रदेश	32.18	28.16
जम्मू और कश्मीर	37.59	37.59
कर्नाटक	221.77	221.77
केरल	178.81	178.81
मध्य प्रदेश	348.69	342.86
महाराष्ट्र	347.01	216.88
मणिपुर	9.31	4.07
मेघालय	8.65	3.78
मिजोरम	2.94	2.94
नागालैंड	4.65	2.04
उड़ीसा	200.99	200.99
पंजाब	103.35	45.21
राजस्थान्	212.22	212.22
सिक्किम	1.90	1.90
तमिलनाडु	287.34	287.34
त्रिपुरा	13.94	8.71
उत्तर प्रदेश	759.52	664.58
पश्चिम बंगाल	333.45	333.45
कुल	4,380.93	3,576.36

स्टाक एक्सचेंज की प्रगति के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशा-निर्देश

5179. श्री किरीट सोमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टाक एक्सचेंज के उच्च पदाधिकारियों के पद पर रहते हुए व्यापार करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टाक एक्सचेंज के निदेशकों और कार्यकर्ताओं पर एक आचार संहिता लागू करने का भी निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन कदमों को उठाने के पश्चात् स्टाक मार्किट में कोई सुधार देखा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्टाक एक्सचेंजों की प्रगति के लिए और क्या कदम उठा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टाक एक्सचेंजों के निदेशकों और कार्यकर्ताओं के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसका उद्देश्य एक ईमानदार और पारदर्शी बाजार स्थल बनाने के लिए व्यावसायिक एवं नैतिक मानदंड स्थापित करना है। इस आचार संहिता की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :- (i) एक्सचेंज और निवेशकों से संबंधित मामलों की कार्रवाई में ईमानदारी एवं पारदर्शिता, (ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जैसे निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा स्वामित्व-खातों में प्रतिभूति लेन-देनों पर प्रतिबंध, (iii) एक्सचेंज के कार्यकर्ताओं एवं निदेशकों द्वारा प्रतिभूतियों के लेन-देनों का प्रकटन, (iv) निर्णय लेने में निहित स्वार्थों को न आने देना, और (v) विनियामक कानूनों का अनुपालन और कर्तव्य-निर्वाह में सम्यक् तत्परता बरतना है।

(ङ) सेबी ने आचार संजिता के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका कार्यान्वयन हो जाने पर इस संहिता से स्टाक

एक्सचेंजों के व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों को सुधारने में मदद मिलने की आशा है।

(च) अन्य प्रस्तावित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ स्टाक एक्सचेंजों को परस्परीकरण रहित करना शामिल है जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन और व्यापार सदस्यता को एक-दूसरे से अलग रखा जाएगा। इससे निम्नलिखित के लिए मदद मिलेगी:-

- शेयर बाजारों के प्रबंधन का और आगे व्यवसायीकरण;
- कंपनी अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुपालन में सुधार;
- शेयर बाजारों के आधुनिकीकरण और बेहतर निवेशक सेवा प्रदान करने के लिए बाजार से निधियां जुटाने हेतु स्टाक एक्सचेंजों की क्षमता का वर्धन।

'डी.टी.एच.' के लिये दिशा-निर्देश

5180. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 मार्च, 2001 को "डी.टी.एच." प्रसारण के लिये दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिशा-निर्देश के अनुसार कोई भी प्रसारण या केबल नेटवर्क कम्पनी 20% से अधिक हिस्सेदारी के लिए पात्र नहीं होनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.वी.सी./एफ.आई.आई. के लिए कितना प्रतिशत हिस्सेदारी वितरित की गयी;

(ङ) "डी.टी.एच." प्रसारण में प्रवेश हेतु क्या शुल्क निर्धारित किया गया है;

(चें) क्या उनके मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए आर्कीटेक्कर सेट टॉप बाक्स खोले जाने संबंधी तकनीकी ब्यौरों को अंतिम रूप दे दिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 15.3.2001 को डीटीएच के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। दिशा-निर्देशों की विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

1. **पात्रता मानदण्ड**

- आवेदन कम्पनी, भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत भारतीय कम्पनी होनी चाहिए।

- सीधा विदेशी पूजी निवेश/अनिवासी भारतीय/ओसीबी/एफ.आई.आई सहित कुल विदेशक इक्विटी होल्डिंग 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- विदेशी इक्विटी में सीधा विदेशी निवेश का हिस्सा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- विदेशी निवेशकों द्वारा एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी के माध्यम से नियंत्रित या धारित भारतीय प्रवर्तक कम्पनी की कुल इक्विटी पूंजी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात द्वारा प्रस्तुत राशि उपरोक्त 20 प्रतिशत एफ.डी.आई. सीमा का हिस्सा होगी।
- आवेदक कम्पनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ इसके बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधियों के बहुमत के साथ ही इसका प्रबंध नियंत्रण भारतीय के पास होना चाहिए।
- किसी भी प्रसारक कम्पनी और/या केबल नेटवर्क कम्पनी को लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी एक समय आवेदक कम्पनी की कुल इक्विटी का 20 प्रतिशत से अधिक के स्वामित्व रखने का अधिकार नहीं होगा। इसी प्रकार आवेदक कम्पनी के पास किसी प्रसारण और/या केबल नेटवर्क कम्पनी में 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर नहीं होंगे।

2. **लाइसेंसधारकों की संख्या**

- डीटीएच लाइसेंसों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति को जारी किया जाएगा जो निबंधनों और शर्तों को पूरा करते हों और यह भारत सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा तथा तकनीकी प्रमाणपत्र जारी करने पर निर्भर करेगा।

3. **लाइसेंस की अवधि**

- लाइसेंस 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और यह लाइसेंसदाता की पूर्व-अनुमति के बिना हस्तान्तरणीय नहीं है।

4. **प्राथमिक शर्तें/दायित्व**

- लाइसेंस, अनुबंध में निहित निबंधनों तथा शर्तों पर निर्भर करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि:-
- लाइसेंसधारक कार्यक्रम तथा विज्ञापन संहिता का पालन करेगा;

– भारत में भू-केन्द्र स्थापित करेगा, विभिन्न कार्यक्रम प्रदाताओं को बिना किसी भेद भाव के अभिगमन उपलब्ध कराएगा;

– प्रसार भारती के चैनलों को अत्यंत अनुकूल शर्तों पर प्रसारित करेगा;

– कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों की रिकार्डिंग को 90 दिन की अवधि के लिए अनुरक्षित रखेगा।

5. **उपभोक्ता हितों का संरक्षण**

– लाइसेंसधारक खुली संरचना (गैर-मालिकाना) वाले सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग करेगा, जिससे विभिन्न डी.टी.एच. सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुरूपता तथा अन्तर-प्रचालनीयता सुनिश्चित होगी और लाइसेंसधारकों को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-निर्धारित ऐसे विनिर्देशनों को अपनाना होगा।

– उपयोग में लाई जाने वाली सशर्त अभिगमन प्रणाली (सीएएस) खुली संरचना वाले सेट टॉप बॉक्स के अनुरूप होनी चाहिए।

– लाइसेंसधारक, कार्यकुशल, उत्तरदायी चूक रहित बिलिंग व समाहरण की व्यवस्था वाली उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली के जरिए उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करेगा।

– लाइसेंसधारक उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए बनाए गए विनियमों जैसे चैनलों के समूह (समूहों) या श्रेणी (श्रेणियों) का मूल्य निर्धारण आदि का अनुपालन करेगा।

6. **राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व**

– यदि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए सुविधा या सेवा का उपयोग किया जाता है तो लाइसेंस को तत्काल समाप्त किया जा सकता है।

– लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंसदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपनी सभी सुविधाएं सुगम कराई जाएंगी।

– राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार सम्पूर्ण सेवा को नियंत्रण में लेने का अधिकार रखती है।

– तैनात किए गए सभी विदेशी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा निकासी प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. **आवेदन करने तथा लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए प्रक्रिया**

– निर्धारित प्रपत्र में तीन प्रतियों में सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवदेन किया जाएगा।

– आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार यदि आवेदक को भारत में डीटीएच प्लेटफार्म स्थापित करने के लिए पात्र पाया जाता है तो आवेदन, गृह मंत्रालय के परामर्श से सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा अंतरिक्ष विभाग से उपग्रह के उपयोग के लिए प्रमाण-पत्र पर निर्भर करेगा।

– इन प्रमाणपत्रों को प्राप्त करने के बाद आवेदक को 10 करोड़ रु॰ का अप्रत्यर्पणीय प्रविष्टि शुल्क सूचना और प्रसारण मंत्रालय को देना होगा और संचार मंत्रालय के बेतार योजना तथा समन्वयन (डब्लयू.पी.सी.) स्कन्ध से एस.ए.सी.एफ.ए. प्रमाणपत्र लेना होगा।

– इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के बाद, लाइसेंसधारक को 40 करोड़ रु॰ की बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी और निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ लाइसेंसीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।

– सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ इस लाइसेंसीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक महीने के अन्दर लाइसेंसधारक को डीटीएच प्लेटफार्म के स्थापन, अनुरक्षण तथा संचालन के लिए वायरलेस आपरेशनल लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बेतार योजना समन्वयन स्कन्ध को आवेदन करना होगा।

– एस.ए.सी.एफ.ए. निकासी के एक वर्ष के अन्दर लाइसेंसधारक डीटीएच सेवा शुरू सेवा कर देगा।

– लाइसेंसधारक, लाइसेंस शुल्क तथा प्रयोग किए गए स्पेक्ट्रम के लिए रायल्टी के अलावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक माह के अन्दर अपने सकल राजस्व का 10% वार्षिक शुल्क के रूप में अदा करेगा।

– किसी अतिरिक्त मूल्य आधारित सेवा के लिए लाइसेंसधारक को सक्षम प्राधिकारी से अलग से लाइसेंस लेना होगा।

[हिन्दी]

गेहूं उत्पादों का निर्यात

5181. **श्री जयप्रकाश :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं के अलावा गेहूं संबंधी उत्पादों के निर्यात को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) चालू निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत, गेहूं उत्पाद डी०जी०एफ०टी० द्वारा अधिकतम मात्रा के संबंध में जारी अधिसूचना एवं अपेडा के पास पंजीकरण के अधीन मुक्त रूप से निर्यात किए जा सकते हैं।

चीनी मिलों को वित्तीय सहयता

5182. **श्री राजो सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार विभिन्न राज्यों में चीनी मिलों को चीनी के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराये जाने की संभावना है; और

(घ) इस सहायता को कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम "सिद्धान्त:" महाराष्ट्र में चीनी मिलों को चीनी के साथ-साथ खोई आधारित विद्युत परियोजनाओं को बिजली के उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गया है, बशर्ते (i) विद्युत की खरीद हेतु व्यवहार्य तथा विश्वसनीय बिजली लेने का प्रबन्ध हो, और (ii) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के विस्तृत मूल्यांकन के दौरान निगम परियोजना संबंधी सभी विशिष्ट जोखिमों तथा मुद्दों से संतुष्ट हो।

(ख) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) साधारणतया, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत।

(घ) इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

देश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

5183. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आकाशवाणी स्टेशनों/दूरदर्शन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इन स्टेशनों पर राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी आय अर्जित की गयी;

(घ) क्या अधिकतर आकाशवाणी स्टेशनों/दूरदर्शन केन्द्रों में फालतू कर्मचारी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार रेडियो स्टेशनों/दूरदर्शन केन्द्रों में अनावश्यक कर्मचारियों की संख्या को कम करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) वर्तमान में देश में कार्यरत आकाशवाणी तथा दूरदर्शन संस्थापनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्रमश: विवरण I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) प्रसार भारती निगम ने सूचित किया है कि स्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में आकाशवाणी स्टेशनों तथा दूरदर्शन केन्द्रों में कोई फालतू कर्मचारी नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्तमान में देश में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य	आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	5
3.	असम	10
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	गोवा	1

1	2	3
7.	गुजरात	7
8.	हरियाणा	3
9.	हिमाचल प्रदेश	6
10.	जम्मू और कश्मीर	6
11.	झारखण्ड	5
12.	कर्नाटक	13
13.	केरल	7
14.	मध्य प्रदेश	14
15.	महाराष्ट्र	20
16.	मणिपुर	1
17.	मेघालय	5
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैण्ड	4
20.	उड़ीसा	11
21.	पंजाब	3
22.	राजस्थान	17
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	9
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तरांचल	6
27.	उत्तर प्रदेश	14
28.	पश्चिम बंगाल	5
	संघ शासित क्षेत्र	
29.	पोर्ट ब्लेयर	1
30.	चण्डीगढ़	1
31.	दिल्ली	1
32.	पाण्डिचेरी	2
33.	कवारती	1
34.	दमन	1
	कुल	208

विवरण-II

दूरदर्शन नेटवर्क (1.4.2001 की स्थिति के अनुसार)

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्टूडियो	प्राइमरी कवरेज (डी॰डी॰-I) ट्रां॰					मैट्रो चैनल (डी॰डी॰-II) ट्रां॰			
			ऊ॰श॰ट्रा॰	अ॰श॰ट्रा॰	अ॰अ॰श॰ट्रा॰	ट्रा॰	कुल	ऊ॰श॰ट्रा॰	अ॰श॰ट्रा॰	अ॰अ॰श॰ट्रा॰	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम	3	3	20	1	1	25	2	1	—	3
2.	आंध्र प्रदेश	2	8	64	6	1	79	2	3	—	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	1	1	3	41	1	46	—	1	—	1
4.	बिहार	2	3	29	—	—	32	2	—	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़	2	2	14	7	—	23	1	—	—	1
6.	गोवा	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1
7.	गुजरात	2	4	60	3	—	67	1	1	—	2
8.	हरियाणा	—	—	12	—	—	12	—	4	—	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1	2	8	32	2	44	1	1	—	2
10.	झारखंड	2	2	17	1	1	21	1	—	1	2
11.	जम्मू और कश्मीर	2	5	10	42	1	58	2	2	—	4
12.	केरल	1	3	19	2	—	24	2	2	—	4
13.	कर्नाटक	2	5	44	4	—	53	1	—	—	1
14.	मध्य प्रदेश	3	4	62	4	—	70	2	—	—	2
15.	मेघालय	2	2	2	2	1	7	1	1	—	2
16.	महाराष्ट्र	3	5	77	19	1	102	2	2	—	4
17.	मणिपुर	1	1	1	5	—	7	—	1	1	2
18.	मिजोरम	1	2	—	2	1	5	—	2	—	2
19.	नागालैंड	1	2	2	6	1	11	—	2	—	2
20.	उड़ीसा	3	4	60	17	1	82	2	6	2	10
21.	पंजाब	1	4	5	—	1	10	—	1	—	1
22.	राजस्थान	1	5	66	17	2	90	2	1	—	3
23.	सिक्किम	—	1	—	5	—	6	—	1	—	1
24.	तमिलनाडु	1	4	40	5	2	51	1	—	—	1
25.	त्रिपुरा	1	1	2	1	1	5	1	1	—	2
26.	उत्तर प्रदेश	6	8	52	3	1	64	5	7	1	13
27.	उत्तरांचल	—	1	13	29	2	45	1	—	—	1
28.	प० बंगाल	3	5	20	3	—	28	3	1	—	4
29.	दिल्ली	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1
30.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	—	2	10	—	12	—	1	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	दमन एवं दीव	—	—	2	—	—	2	—	—	—	0
32.	पांडिचेरी	1	-	2	2	—	4	—	1	—	1
33.	लक्षद्वीप समूह	—	—	1	8	—	9	—	—	1	1
34.	चण्डीगढ़	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1
35.	दादरा एवं नागर हवेली	—	—	1	—	—	1	—	—	—	0
	कुल	51	89	711	277	21	1098	37	44	6	87

टिप्पणी : उपरोक्त ट्रान्समीटरों के अलावा लोक सभा तथा राज्य सभा कार्यवाहियों को रिले करने के लिए दिल्ली में दो अल्प शक्ति ट्रान्समीटर और क्षेत्रीय चैनल के कार्यक्रमों को रिले करने के लिए श्रीनगर, कलकत्ता और चेन्नई प्रत्येक में एक-एक उच्च शक्ति ट्रान्समीटर संचालन में है।

ट्रान्समीटरों की कुल संख्या-1190.

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

5184. श्री के॰ येरननायडू : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा शुरू किए ''काम के बदले अनाज'' कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में अनाज आवंटित किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य आठ राज्यों में सूखे से प्रभावित अधिसूचित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार मुहैया करना है। यह स्कीम सुनिश्चित रोजगार योजना का एक भाग होगी और मजदूरी का कुछ हिस्सा खाद्यान्नों के रूप में दिया जाएगा, मजदूरी की नकद राशि राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से मुहैया की जाएगी। स्कीम का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) पिछले एक वर्ष (2000-2001) के दौरान आवंटित/रिलीज की गई खाद्यान्नों की मात्रा विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

प्रस्तावना

1. वर्ष 2000-2001 के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान कम वर्षा हुई जिससे इन राज्यों में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई। मानसून के बाद की अवधि (1.10.2000 से आगे) के दौरान भी अपर्याप्त वर्षा हुई है। गुजरात और राजस्थान में पिछले वर्ष भी भीषण सूखा पड़ा था। यह सूचित किया गया है कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तरांचल के जिले भी सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस संदर्भ में जरूरतमंद ग्रामीण गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू कर रही है। यह कार्यक्रम 30 जून, 2001 तक चलेगा और भारत सरकार के विवेकानुसार इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है।

उद्देश्य

2. काम के बदले अनाज का कार्यक्रम का उद्देश्य विधिवत अधिसूचना के पश्चात् मजदूरी रोजगार के जरिए आठ राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। यह उन ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित अधिसूचित किया गया है।

3. भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात अथवा भूकम्प से प्रभावित अन्य क्षेत्रों में भी काम के बदले अनाज कार्यक्रम का विस्तार कर सकती है।

वित्तपोषण

4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम सुनिश्चित रोजगार योजना का हिस्सा होगा। तथापि, मजदूरी का कुछ हिस्सा खाद्यान्नों के रूप में दिया जाएगा जैसा कि आगे पैरा 5 में इंगित किया गया है। नगद मजदूरी तथा किये गये काम की सामग्री की लागत

राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना निधियों से उपलब्ध करायी जाएगी।

कार्यक्रम का दायरा

5. भारत सरकार सूखा प्रभावित राज्यों के प्रत्येक जिले में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी। जरूरतमंद ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों को समर्थ बनाने के मद्देनजर अतिरिक्त सहायता के रूप में राज्यों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति करेगा। राज्य मजदूरी का भुगतान आंशिक रूप से सामग्री में (5 कि॰ ग्रा॰ खाद्यान्न तक प्रति श्रमदिन) तथा आंशिक रूप से नगद कर सकते हैं। राज्य सरकारें मजदूरी के रूप में दी गई खाद्यान्न सामग्री की कीमत का परिकलन या तो बी॰पी॰एल॰ दरों पर अथवा ए॰पी॰एल॰ दरों अथवा दोनों के बीच की दर पर करने के लिए स्वतंत्र होंगी। मजदूरों को शेष मजदूरी का भुगतान नगद राशि से किया जाएगा ताकि उन्हें अधिसूचित सुनिश्चित न्यूनतम मजदूरी मिल सके। मुफ्त खाद्यान्नों को ई॰ए॰एस॰ की चालू योजना के तहत अतिरिक्त सहायता माना जाएगा।

कार्य योजना

6. राज्य सरकारों द्वारा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए एक कार्य योजना बनाई जाएगी जिसमें फरवरी, 2001 से जून 2001 तक पांच महीनों (माहवार और जिलावार) शुरू किये जाने वाले कार्यों तथा खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता का उल्लेख होगा तथा इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। चावल/गेहूं की आपूर्ति राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार की जाएगी। मंत्रालय खाद्यान्नों की जरूरत की जांच करेगा और फिर अपनी सिफारिशों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजेगा। जांच के पश्चात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारतीय खाद्य निगम को सलाह देगा कि वह जिला स्तर पर अपने विद्यमान गोदामों से खाद्यान्न रिलीज कर दे जिसकी सूचना ग्रामीण विकास विभाग और राज्य सरकार को भी दी जाय। राज्य सरकारों को खाद्यान्न मुफ्त सप्लाई किये जाएंगे। खाद्यान्नों को गोदामों से कार्य स्थलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। परिवहन और वितरण की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

खाद्यान्नों की आपूर्ति

7. मजदूरों को खाद्यान्नों की आपूर्ति कार्य स्थल पर ही की जाएगी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य की देख-रेख करने वाले अधिकारी (जिनके बारे में निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाना है) कार्य स्थल पर खाद्यान्नों के वितरण के लिए जिम्मेदार होंगे। खाद्यान्नों की आपूर्ति प्रति दिन की जाएगी। यदि मजदूर अन्य बसावट में रहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें खाद्यान्न उनकी ही बसावट में मिले तो ऐसा किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

खाद्यान्नों का क्वालिटी नियंत्रण

8. संयुक्त नमूना प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में होता है। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो फील्ड के नमूने को एफ॰सी॰आई॰ के गोदाम में रखे नमूना पैकेट से मिलाया जाएगा तथा यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

शुरू किये जाने वाले कार्य

9. काम के बदले अनाज कार्यक्रम सुनिश्चित रोजगार योजना का अभिन्न हिस्सा होने के कारण इसमें सुनिश्चित रोजगार योजना के सभी प्रावधान लागू होंगे। तथापि, हालात की मांग के मुताबिक तुरंत कदम उठाने के मद्देनजर जिला परिषद की बजाय जिला कलेक्टर द्वारा कार्यों की मंजूरी दी जा सकती है। तथापि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किये जाने वाले सभी कार्यों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाएगा।

10. चूंकि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है, श्रम प्रधान कार्यों, विशेषकर उन कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे सूखे पर रोक लगाने में मदद मिलती है, जैसे नमी संरक्षण कार्य, वाटरशेड विकास कार्य जल एकत्रीकरण, तालाब/हौज खोदना/गांव के तालाबों/हौजों/नहरों की गाद की सफाई करना आदि। मंजूर किये गये कार्य ऐसे होने चाहिए जो 90 दिनों के भीतर पूरे हो सकें।

11. प्रत्येक कार्य के लिए अलग मस्टर रोल रखा जाएगा जिसमें मजदूरों को दी गई मजदूरी (खाद्यान्नों सहित) के ब्यौरे होंगे। इस संबंध में सुनिश्चित रोजगार योजना के सभी प्रावधान लागू होंगे।

12. कार्य स्थल पर साइनबोर्ड लगाये जाने चाहिएं जिनमें कार्य की लागत, पूरा होने की तारीख वास्तव में उपयोग की गई निधियों, कार्यान्वयन एजेंसी का नाम आदि अंकित होने चाहिए।

13. कार्यक्रम के अंतगर्त सृजित परिसम्पत्तियों का रख-रखाव राज्य सरकार अथवा इसके द्वारा नामित किसी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इसके अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी।

पर्यवेक्षण

14. यद्यपि सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत पर्यवेक्षण और निगरानी से संबधित प्रावधान लागू रहेंगे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकारियों को नामित करने, खाद्यान्नों की आवक, भंडारण, गंतव्य तक पहुंचाने तथा वितरण की देख-रेख करने के लिए राज्य सरकार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी।

विवरण-II

2000-2001 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अधीन चावल और गेहूं के आवंटन बताने वाला विवरण

मुफ्त (आंकड़े टन में)

राज्य	आवंटन		
	चावल	गेहूं	जोड़
छत्तीसगढ़	207000	0	207000
गुजरात	20000	70000	90000
हिमाचल प्रदेश	11549	0	11549
महाराष्ट्र	2000	8000	10000
मध्य प्रदेश	20079	43000	63079
उड़ीसा	100000	0	100000
राजस्थान	0	118145	118145
जोड़	360628	239145	599773
गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर			
उड़ीसा	90600	0	90600
गुजरात	15000	60000	75000
राजस्थान	0	150000	150000
आंध्र प्रदेश	36160	0	36160
छत्तीसगढ़	96600	0	96600
राजस्थान	0	252500	252500
जोड़	238360	462500	700860

[अनुवाद]

चाय की खेती

5185. **श्री अनन्त नायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाबार्ड कुछ राज्यों में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोष बढ़ाता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो चाय उगाने हेतु नाबार्ड द्वारा किन राज्यों को वित्त-पोषित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि वह राज्यों में सभी व्यवहार्य योजनाओं के अधीन चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को उधारकर्ताओं को आगे ऋण देने के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता रहा है। गत दो वर्षों के दौरान चाय की खेती के लिए जिन राज्यों को नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता दी गई है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(लाख रुपये)

राज्य	1998-99	1999-2000
केरल	95	248
तमिलनाडु	87	47
पश्चिम बंगाल	15	—
असम	54	186
अरूणाचल प्रदेश	99	50
कुल	350	531

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

5186. **श्री रघुनाथ झा :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2500 टी॰सी॰डी॰ से कम क्षमता वाले चीनी मिलों के आधुनिकीकरण पर किया जाने वाला व्यय आधुनिकीकरण/पुनर्वास हेतु मंजूर ऋण से काफी कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा 2500 टी॰सी॰डी॰ से कम क्षमता वाले चीनी

मिलों के आधुनिकीकरण/पुनर्वास के लिए योजना या नीति बनाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और तत्संबंधी परिणाम क्या मिला?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) 2500 टी॰सी॰डी॰ क्षमता से कम क्षमता के उन चीनी मिलों, जिन्हें आज की तारीख तक चीनी विकास निधि से आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन हेतु ऋण मंजूर किया गया है, की संख्या 2500 टी॰सी॰डी॰ से अधिक क्षमता के उन चीनी मिलों, जिन्हें भी उक्त प्रयोजन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किया गया है, की संख्या से अधिक है।

(ग) चीनी उद्योग से 11.9.1998 से लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और उद्यमी अपनी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए मिलों का विस्तार/आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

5187. **डा॰ जसवंतसिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कंपनी का सम्पूर्ण ऋण बट्टेखाते में डाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि को बट्टे खाते में डाला गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का निजीकरण

5188. **श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी॰एस॰ बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों को विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी॰ एस॰ एन॰ एल॰) को बेचने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेल का आयात

5189. **श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुचित तरीके से खाद्य तेल के आयात से खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में टर्मिनेटर बीजों का प्रवेश

5190. **डा॰ मन्दा जगन्नाथ** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टर्मिनेटर बीज वैध या अवैध तरीके से पाटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार टर्मिनेटर बीज के भारत में प्रवेश को रोक नहीं पायी; और

(ग) यदि हां, तो भारत में ''सीड ऑफ सॉरो'' के प्रवेश को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गयी/किये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जैविक रूप से संशोधन बीजों जिनमें टर्मिनेटर बीज शामिल हैं, के आयात के लिए भारतीय पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ई पी ए), 1986 और नियमावली 1989 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार का प्राधिकार अपेक्षित होता है। यह विचार करते हुए कि टर्मिनेटर बीज भारतीय पर्यावरण के लिए लाभदायक नहीं है, कृषि मंत्रालय द्वारा ऐसे बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए मई, 1998 में एक आदेश जारी किया गया है। प्राधिकार के बिना ऐसे किसी बीज को लाने वाली पार्टियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें

5191. **श्री रामजी लाल सुमन :**
डा॰ सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों ने वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं/विश्व बैंक से प्रत्यक्ष ऋण के लिये संपर्क किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने उक्त अवधि के दौरान किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक से क्रमश: प्रत्यक्ष ऋण लिया है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण लेने पर प्रतिबंध लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। यह उल्लेख करना होगा कि संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत उधारों के संबंध में राज्य की अधिशासी शक्तियां केवल भारत के क्षेत्राधिकार के अन्दर तक ही सीमित रहती हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत ''विदेशी ऋण'' संघीय सूची के अन्तर्गत आते हैं।

[अनुवाद]

सोने और चांदी का आयात

5192. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की विदेशों में स्थित कुछ शाखायें, सहकारी बैंकों समेत बैंकों द्वारा जारी चेकों, भुगतान आदेशों के विरुद्ध घरेलू उपभोक्ताओं को सोने और चांदी के आयात और बिक्री की अनुमति दे रही है और अहमदाबाद और मुम्बई में जौहरियों को स्वर्ण आयात रैकेट को चलाने में लिप्त पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले में कितने मूल्य का सोना शामिल है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी बैंकों सहित) को आभूषण निर्माता-निर्यातकों को बिक्री के लिए और घरेलू बिक्री के लिए भी निर्यात नीति 1997-2002 के अंतर्गत सोना/चांदी/प्लैटिनम का आयात करने के लिए प्राधिकृत किया है। आयात बैंकों की नामोद्दिष्ट भारतीय शाखाओं द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ बैंकों को अहमदाबाद में सराफा व्यापारियों द्वारा दिए गए कतिपय सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए अदायगी आदेश की वसूली में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को सौदों में अंतर्ग्रस्त सोने की मात्रा के बारे में सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की सम्भावित हानियां क्रमश: 39.70 करोड़ रुपए, 4.80 करोड़ रुपए और 9.30 करोड़ रुपए हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने 4 अप्रैल, 2001 को सोने का आयात करने के लिए प्राधिकृत सभी बैंकों को यह सलाह दी है कि जबकि बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सोने चांदी में व्यापार के संदर्भ में सभी वित्तीय लिखतों के संबंध में सामान्य बैंकिंग सावधानी का पालन हो, वे केवल मूल्य की पूरी उगाही अथवा लिखतों की प्राप्ति पर ही सोना जारी करें। अनिश्चित आधार पर बेचे गए सोने के संबंध में बैंकों से कहा गया कि वे सोने के अनन्तिम मूल्य के लिए नगद में 100 प्रतिशत मार्जिन और कीमत के उतार-चढ़ाव की संभावना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अतिरिक्त मार्जिन प्राप्त करें और 5 दिनों के अन्दर सौदों को निपटाने की एक समान कार्यप्रणाली अपनाएं। भारतीय स्टेट बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में शिकायत भी दर्ज कराई है।

बासमती चावल का निर्यात

5193. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल की मांग से भारतीय निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के मुकाबले वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी मात्रा में बासमती और गैर-बासमती चावल का निर्यात किया गया और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(घ) सरकार द्वारा बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए बासमती और गैर-बासमती चावल की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :-

मात्रा: मी. टन

मूल्य: करोड़ रु॰

माह/वर्ष	बासमती चावल		गैर-बासमती चावल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1998-99	597793	1876.91	4365888	4403.85
1999-2000	606468	1735.94	1216681	1369.43
अप्रैल-दिसंबर 2000	638434	1583.78	407157	517.92
अप्रैल-दिसंबर 1999	438913	1282.03	1029542	1088.98

स्रोत: डी जी सी एंड एस, कलकत्ता।

(घ) बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदमों में शामिल हैं—प्रचार अभियान चलाना, विदेश में प्रतिनिधि-मंडल भेजना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेना, संभावित क्रेताओं को आमंत्रित करना और निर्यातकों को गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, उत्पादों के ब्रांड संवर्धन तथा बाजार सर्वेक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घटिया किस्म की वस्तुयें

5194. **श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी समेत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध अनाज घटिया किस्म का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी तंत्र को और भी मजबूत बनाने का है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चीनी समेत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध अनाज अच्छी किस्म के हों; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं। अच्छी गुणत्ता के खाद्यान्न तथा चीनी, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं राज्य सरकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों के जरिए वितरित करने के लिए जारी किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपलब्ध खाद्यान्न की गुणत्ता की मानीटरिंग को और मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) राज्य सरकारों के अधिकारियों/कर्मचारियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से स्टाक जारी करने से पूर्व उसका निरीक्षण करने के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं।

(ii) इस विभाग द्वारा सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दिए गए हैं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्न जारी करने से पूर्व उसकी गुणत्ता की जांच के लिए निरीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी को नहीं भेजा जाए।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करने के लिए जिस स्टाक में से खाद्यान्न लिए जाने हैं, उसमें से खाद्यान्न के नमूने राज्य सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं तथा सील किए जाते हैं, ताकि उन्हें अपभोक्ताओं के लाभ के लिए उचित दर दुकानों के काउंटरों पर प्रदर्शित किया जा सके।

(iv) राज्य सरकारों तथा मंत्रालयों के अधिकारी उचित दर दुकानों की आकस्मिक जांच करते हैं ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जा रहे खाद्यान्न की गुणत्ता पर निगरानी रखी जा सके।

(v) विभाग के अधिकारी, जिन्हें संबंधित राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य की मानीटरिंग के लिए "क्षेत्र अधिकारी" पदनामित किया गया है, राज्यों में अपने दौरों के दौरान भी जारी किए जा रहे खाद्यान्न तथा चीनी की गुणत्ता की जांच करने के लिए भंडारण डिपुओं तथा उचित दर दुकानों का दौरा करते हैं।

ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक का विलय

5195. **श्री राममोहन गाड्डे :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बैंक और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के विलय पर मूल्यांकन रिपोर्ट दोनों बैंकों के विलय पर निर्णय लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दो आकलनकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार प्रथम मूल्यांकन अनुपात और द्वितीय मूल्यांकन अनुपात के बीच 'स्वैप' अनुपात में क्या अंतर है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विभिन्न बोर्ड ने जीटीबी की अपने शेयरों के मूल्य में गड़बड़ी की कथित भूमिका में जांच शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों बैंकों ने विलय पर निर्णय लेने से पहले यूटीआई के बीमा उद्यम के भविष्य पर अब तक फैसला नहीं लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड (जीटीबी) तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) बैंक के प्रस्तावित विलय के विभिन्न पहलुओं की मूल्यांकन तथा संरचना रिपोर्टें एसबीआई कैपिटल मार्किटस लिमिटेड तथा मैसर्स डिलोयट, हस्किन्स तथा सैल्स द्वारा तैयार की गई थी। अपनी मूल्यांकन रिपोर्टों में दोनों मूल्यांकनकर्ता समान ''स्वैप'' निष्कर्षों पर पहुंचे, यद्यपि उन्होंने भिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से उद्घाटित हुआ कि प्रत्यक्षत: संदर्भाधीन अवधि के दौरान जीटीबी के शेयर मूल्य में बढ़ोतरी के पीछे हेराफेरी की गई प्रतीत हुई थी।

(ङ) ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटेड ने यूटीआई बैंक के साथ अपने प्रस्तावित विलय को रोक दिया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु ऋण संबंधी मानदण्ड

5196. **प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के समकक्ष ऋण संबंधी मानदंडों में ढील दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने निवेश पोर्टफोलियो का भी काम संभाल लिया है; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में उनके निवेश, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण, कृषि ऋण और अन्य क्षेत्रों का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) से अपेक्षा की जाती है कि वाणिज्यिक बैंकों की तरह कमजोर वर्गों को दी जाने वाली राशि के 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उनके बकाए अग्रिमों का 40 प्रतिशत उधार दें।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि के लिए तुलनात्मक निवेश एवं अग्रिम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के उधार एवं निवेश का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्रम सं.	विवरण	(गत शुक्रवार के अनुसार) सरकारी क्षेत्र के बैंक*			(31 मार्च, 2000 के अनुसार) (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)		
		1998	1999	2000	1998	1999	2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	निवेश वृद्धि दर	22652500 #	27680200 (22) #	33341400 (20) #	1490365	1894412 (27)	2294475 (21)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बकाया ऋण (एनबीसी) (वृद्धि दर)	21821900	24620300 (13)	29294300 (19)	986081	1135585 (15)	1318440 (16)
3.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण बकाया (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, बकाया ऋण प्रतिशत के रूप में)	9131900 (41.8)	10720000 (43.5)	12780700 (43.6)	786856 (80)	900214 (79)	1010679 (77)
4.	कृषि (बकाया ऋण प्रतिशत)	3430500 (15.7)	4007800 (16.3)	4619000 (15.8)	457494 (46)	538927 (47)	611701 (46)

• स्त्रोत: भारत में बैंकिंग का झुकाव एवं प्रगति पर आधारित रिपोर्ट 1999-2000

31 मार्च की स्थिति के अनुसार आंकड़े।

% आंकड़े अनन्तिम।

अंतरण-मूल्य निर्धारण मानदंड

5197. श्री के॰ई॰ कृष्णमूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अंतरण-मूल्य निर्धारण मानदंड में कुछ अड़चनें हैं जो देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह में रुकावट डालती हैं;

(ख) क्या इससे भारत के राजस्व में धीरे-धीरे कमी नहीं आएगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का दृष्टकोण क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) प्रस्तावित अंतरण मूल्य-निर्धारण मानक कर अपवंचन नियंत्रित करने के प्रयोजनार्थ हैं तथा देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्प्रवाहों पर इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ख) और (ग) प्रस्तावित मानक कर राजस्वों के क्षरण को नियंत्रित करेंगे तथा बहु-राष्ट्रीय उद्यमों के मामले में आय की गणना के लिए सांविधिक ढांचा प्रदान करेंगे। इसके परिणामस्वरूप कर राजस्व में वृद्धि होगी।

(घ) सरकार अंतरण मूल्य-निर्धारण के दुरूपयोग को खत्म करके कर अपवंचन नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पाकिस्तान को सर्वाधिक वरीयता वाले राष्ट्र का दर्जा

5198. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पाकिस्तान को सर्वाधिक वरीयता वाले राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भी भारत को इसी तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पाकिस्तान को इस समय कितनी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यद्यपि यह मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों/मंचों पर समय-समय पर उठाया गया है, तथापि पाकिस्तान द्वारा अभी भारत को परममित्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है।

(ङ) वर्ष 2000-2001 (अप्रैल-अक्टूबर 2000) के दौरान पाकिस्तान को 52 मुख्य मदों का निर्यात किया गया था (स्रोत/डी जी सी आई एंड एस)।

स्टर्लाइट उद्योग पर बकाया देय कर

5199. **श्री शिवाजी माने :**
श्री एम॰वी॰वी॰एस॰ मूर्ति :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टर्लाइट उद्योग पर आय कर, उत्पादन शुल्क और अन्य करों के रूप में 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धनराशि किस अवधि से बकाया है; और

(घ) इसकी वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमेंट की खपत

5200. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोशिएशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2000-2001 के दौरान सीमेंट की खपत में 1.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर का अनुमान व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सीमेंट उद्योग को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र में कार्य-निष्पादन के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण) : (क) और (ख) सीमेंट की खपत वर्ष 1999-2000 में 92.05 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2000-01 में गिरकर 90.17 मिलियन टन हो गई है। जिसके फलस्वरूप 2.04 प्रतिशत की नकारात्मक दर दर्ज हुई है।

(ग) यह गिरावट निम्नलिखत कारणों से हुई है :-

(i) बाजार में मांग में मंदी; और

(ii) देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति।

(घ) अवसंरचना क्षेत्रों तथा गृह निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे सीमेंट की मांग में वृद्धि होगी, सरकार ने पहले से ही अनेक प्रोत्साहन दे रखे हैं जैसे कि अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निवेश करने पर 10 वर्षों की अवधि के लिए करावकाश; और गृह निर्माण ऋण तथा अन्य कार्यों के लिए करों में रियायत।

सरकार सीमेंट का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए सीमेंट उद्योग को अवस्थापनापरक सहायता भी प्रदान करती है। सीमेंट के अभाव वाले क्षेत्रों को सीमेंट की आपूर्ति करने के लिए सीमेंट संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर रेल वैगन मुहैया कराये जाते हैं।

[हिन्दी]

व्यावसायिक वाहनों की बिक्री

5201. **डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में 12 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी गिरावट दुपहिया, तिपहिया और अन्य वाहनों की बिक्री में भी देखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय ऑटोमोबाईल विनिर्माता संघ (एस आई ए एम) से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिक्री कर में बढ़ोतरी, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट तथा ईंधन मूल्य में वृद्धि के कारण अप्रैल से फरवरी (2000-2001) के दौरान वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 12 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ग) यात्री कारों को छोड़कर, ऑटोमोटिव क्षेत्र के किसी अन्य वाहनों की बिक्री में गिरावट नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया कर

5202. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000 तक प्रथम सौ औद्योगिक व्यापारिक इकाइयों और उनके मालिकों पर आयकर, संपत्ति कर, अन्य व्यापार करों की कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) गत पांच वर्षों और पन्द्रह वर्षों से कितनी राशि बकाया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वसूली गई राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) बकाया राशि की वसूली नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) 100 शीर्ष मामलों के संबंध में 31-3-2000 की स्थिति के अनुसार आयकर की कुल बकाया राशि 23840 करोड़ रु॰ थी। संपत्ति कर और व्यापार कर राज्य के विषय हैं। केन्द्रीय सरकार इन करों के संबंध में सूचना नहीं रखती।

(ख) और (ग) ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते।

(घ) करों का बकाया, अपीलीय प्राधिकारियों/विभागीय प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए स्थगन और जहां मामलों में वसूली कठिन होती है जैसे अनेक कारणों से रहता है।

[अनुवाद]

भारत-आसियान द्विपक्षीय संधि

5203. **श्री ए॰ वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने भारत और आसियान के बीच निवेश संबंधी एक द्विपक्षीय संधि करने तथा 'आसियान' संगठन में भारत के प्रवेश को सुगम बनाने के उद्देश्य से सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ चुनिंदा व्यापार समझौते करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत और 'आसियान' के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ रमण) : (क) आसियान देशों के साथ अधिकाधिक द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश सहित भारत के आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान देने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने बताया है कि उन्होंने पिछले वर्ष "आसियान के साथ भारत का एकीकरण—एक स्ट्रेटेजिक परिदृश्य" शीर्षक पर अध्ययन किया था और अक्तूबर, 2000 तथा मार्च, 2001 में भारतीय उद्योग परिसंघ—आसियान समिति के सदस्यों को अंतरिम प्रतिवेदन दिये गये जिसमें भारत की एशियाई रूप में पहचान के लिए आसियान के साथ भारत का एकीकरण की स्थापना हेतु सुझाव दिये गये थे। रणनीति (उपर्युक्त प्रतिवेदन में) की रूप रेखा तैयार करते समय अध्ययन के दौरान दिये गये सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- व्यापार में मुख्य ध्यान व्यापार संबंधी रुकावटों को दूर करने संबंधी कार्यसूची सहित व्यापार नीति समूह की आवश्यकता-पर केन्द्रित होना चाहिए।
- चुनिंदा स्वतंत्र व्यापार व्यवस्थाओं पर विचार किया जाए (सिंगापुर, थाइलैंड)।
- भारत में आसियान निवेश भारत-आसियान द्विपक्षीय निवेश संधि पर विचार किया जाए।
- सुविधाओं और नेटवर्क की व्यवस्था।

(ख) और (ग) अभी तक सरकार को कोई औपचारिक प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली

5204. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ प्राप्त होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वर्ष 2001-2002 के अपने बजटीय अभिभाषण में वित्त मंत्री ने वर्तमान पेंशन स्कीम और केन्द्रीय सरकारी सेवा में 1 अक्टूबर, 2001 के बाद आने वालों के लिए निर्धारित अंशदान आधारित नई पेंशन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किए जाने की घोषणा की थी। इस समूह द्वारा अपनी सिफारिशें तीन महीने के अन्दर सौंपी जानी है। विशेषज्ञ समूह गठित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

तमिलनाडु के लिए "नाबार्ड" द्वारा वित्तपोषण

5205. **श्री पी॰डी॰ एलानगोवन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आर० आई० डी० एफ० और अन्य योजनाओं के अंतर्गत तमिलनाडु से नाबार्ड को राज्य में विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए ऋण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) स्वीकृत किये गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उसके लिए अब तक कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावों की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब पर ध्यान दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से प्राप्त प्रस्तावों एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्य में विभिन्न अवसंरचनात्मक विकास कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) के अधीन स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	श्रृंखला	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	
		ग्रामीण सड़कें/पुल	सिंचाई
1998-99	आरआईडीएफ-IV	3	-
1999-2000	आरआईडीएफ-V	4	2
2000-2001	आरआईडीएफ-VI	5	2
	कुल	12	4

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर और संवितरित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रु० में)

शामिल परियोजना	आरआईडीएफ-IV (1998-99)	आरआईडीएफ-V (1999-2000)	आरआईडीएफ-VI (2000-2001)
मंजूर राशि	179.66	255.61	264.68
संवितरण	113.64	114.03	63.50

(ग) और (घ) आर.आई.डी.एफ. प्रस्ताव नाबार्ड की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार और पेश किए जाते हैं। नाबार्ड ने सूचित किया है कि परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए अनावश्यक विलम्ब का कोई मामला नहीं मिलता। जैसे ही राज्य सरकारों से पर्याप्त सूचना/आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त होते हैं, प्रस्तावों की मंजूरी दे दी जाती है और राज्य सरकारों को सूचित कर दिया जाता है।

भारतीय निवेश केन्द्र में रिक्त पद

5206. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय निवेश केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पदों की श्रेणीवार संख्या कितनी है और यह कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जगह अन्य लोग इन पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन सभी बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) रिक्तियों की श्रेणी-वार स्थिति निम्नलिखित है :-

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	शारीरिक रूप में विकलांग	टिप्पणी
'क'	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
'ख'	01	01	शून्य	1988 से रिक्त
'ग'	02	02	शून्य	1988 से रिक्त
'घ'	शून्य	शून्य	शून्य	अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्तियों के कारण अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या अधिक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सरकार वर्तमान में भारतीय निवेश केन्द्र सहित आर्थिक कार्य विभाग के कर्मचारियों की संख्या में कमी किए जाने की व्यय सुधार आयोग की अनुशंसा की जांच कर रही है। उक्त विषय पर निर्णय लंबित रहने तक किसी भी रिक्त को भरा नहीं जा रहा है।

चाय का आयात

5207. श्री जी॰ पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय उत्पादक विश्व के अन्य बड़े चाय उत्पादक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में काफी कठिनाई महसूस कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा वर्ष-वार और देश-वार कुल कितनी मात्रा में चाय का आयात किया गया है;

(घ) क्या देश में आयात की गई अधिकांश चाय घटिया किस्म की होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में घटिया किस्म की चाय के आयात को प्रभावी रूप से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय चाय विनिर्माता उत्पादन की उच्च लागत के कारण श्रीलंका, केन्या, इंडोनेशिया और चीन जैसे दूसरे चाय उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित चाय की कुल मात्रा निम्नानुसार है :-

(मात्रा मि॰ किग्रा में)

(मूल्य करोड़ रु॰ में)

देश	1997-98		1998-99		1999-2000	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
केन्या	0.11	0.72	0.44	4.61	1.70	15.24
यू॰के॰	—	—	0.13	0.91		
यू॰एस॰ए॰	—	—	0.04	0.67		
इंडोनेशिया	0.71	4.68	4.36	37.05	3.17	17.65
बंगलादेश	0.26	1.53	0.44	2.96	0.49	2.64
श्रीलंका	0.25	2.22	0.39	2.91	2.91	17.42
नेपाल	0.20	0.93	0.03	0.21	0.16	0.54
चीन	0.52	4.15	0.12	0.57	0.22	0.93
वियतनाम	0.34	2.41	0.15	1.01	0.48	2.08
जर्मनी	—	—	0.12	0.73	0.04	0.19
यू॰ए॰ई॰	—	—	नगण्य	नगण्य	0.09	0.45
ईरान	—	—	—	—	0.49	1.74
सियरा लिओन	—	—	—	—	0.01	0.04
तंजानिया	—	—	—	—	0.02	0.15
अन्य	0.22	1.15	2.71	13.08	—	—
कुल	2.61	17.79	8.93	64.71	9.78	59.07

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चाय का आयात खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पी एफ ए) के प्रावधानों के अधीन होता है जिसमें यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति भारत में ऐसी चाय का आयात नहीं करेगा, जो अपमिश्रित/गलत मार्क युक्त हो और/या जो पी एफ ए नियमों की परिशिष्ट ख में निर्धारित मानकों के अनुरूप न हो।

नई मीडिया परिषद का सृजन

5208. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट की अपूर्व वृद्धि से भारती प्रेस परिषद की जगह मीडिया परिषद गठित करने की अत्यंत आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मौजूदा भारतीय प्रेस परिषद को प्रत्येक क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ एक नए निकाय से प्रतिस्थापित करने के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई बैठक आयोजित हुई है और यदि हां, तो अंतिम रूप दी गई रणनीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस नए निकाय को कब तक गठित कर लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) भारतीय प्रेस परिषद ने नवम्बर 2000 में प्रिन्ट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को कवर करने के लिए एक मीडिया परिषद गठित करने का सुझाव दिया है। सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक

5209. श्री जय प्रकाश : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक जिसे शांति पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है, द्वारा संचालित कार्यक्रमों का अध्ययन कराया है, ताकि हमारे देश में भी इन कार्यक्रमों को आरंभ/लागू किया जाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के कार्यक्रम के बारे में कुछ अध्ययन कराया है। ग्रामीण बैंकों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य प्रतिमान (पैटर्न) निम्नानुसार हैं :-

- 8 से 10 हिताधिकारियों के छोटे समरूप समूहों को बचत की आदतों का विकास करने तथा ऋण के उपयोग के माध्यम से स्व-विकास के लिए प्रशिक्षित किया जाता है;

- चार से पांच ऐसे समूहों को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाया जाता है। इस समूह से यह आशा की जाती है कि वे समूह के क्रिया-कलापों के बारे में विचार-विमर्श करने और साथ ही एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने के लिए सप्ताह में एक बार मिलें;

- अपने अस्तित्व में आने के प्रथम छः महीने में विभिन्न समूहों द्वारा जुटाई गई बचत राशियों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बैंक के पर्यवेक्षक विभिन्न सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करते हैं और उनके द्वारा शुरू किए जाने हेतु प्रस्तावित क्रियाकलापों पर निर्भर करते हुए उन्हें ऋण प्रदान करते हैं;

- शुरूआत में ऋण की राशि आमतौर पर 500-1000 टाका के बीच होती है। इन ऋणों की वापसी अदायगी एक वर्ष के भीतर की जानी अपेक्षित है ताकि वह सदस्य अगले वर्ष में अगला ऋण लेने का पात्र हो जाए जो कि आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक राशि (1000-2000 टाका) का होता है। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ ऋण की पात्रता और साथ ही बचत राशि में वृद्धि होती जाती है;

- चूंकि किसी भी सदस्य द्वारा की गई चूकें समस्त समूह को किसी अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अपात्र बना देती है, इसलिए सामूहिक दबाव के माध्यम से शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाती है; और

- उधारकर्ता सदस्यों के लिए ऋणों की लागत की प्रासंगिकता कम है क्योंकि ग्रामीण बैंक की आधार दरें 20 से 30 प्रतिशत वार्षिक के बीच है।

उपर्युक्त के विपरीत भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के बड़े नेटवर्क की विद्यमानता को देखते हुए, स्व-सहायता समूह की अवधारणा सक्रिय नीतिगत सहायता के साथ बैंक संयोजन दृष्टिकोण तैयार किया गया है। 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से 2.63 लाख स्व-सहायता समूहों को देश में 318 बैंकों के साथ ऋण सम्बद्ध किया गया था। इससे अपेक्षाकृत अधिक लागत प्रभावी ढंग से बैंकिग प्रणाली से वित्तीय सेवाओं तक लगभग 44.6 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों की पहुंच बनी है। इसे देश में सभी बैंकों के कार्यक्रम के रूप में उत्तरोत्तर अपनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2007-2008 तक कम से कम 6 करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों तक पंहुचना है।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

5210. श्री अशोक ना॰ मोहोल : क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-2002 के लिए गेहूं के निर्यात हेतु कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों को गेहूं का निर्यात किया जाएगा;

(घ) गेहूं के निर्यात हेतु क्या दर निर्धारित की गयी है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप कितनी आय होने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय लिया गया है कि आरंभ में केन्द्रीय पूल से 50 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जाए।

(ग) गेहूं का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जाएगा।

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं 4300 रुपये प्रति टन की दर से नामित एजेंसियों के माध्यम से निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 31.5.2001 के बाद मूल्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली निविदाएं मंगाने की प्रक्रिया के जरिये निर्धारित होगा।

(ङ) आय गेहूं के निर्यात मूल्य एवं मात्रा पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

5211. **डा॰ जसवंतसिंह यादव** : क्या **वित्त मंत्री** वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वस्तुत: कितनी धनराशि के ऋण संवितरित किए गये;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने, विशेषकर राजस्थान में, इस योजना के अंतर्गत अधिकांश आवेदनों को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत बिना किसी परेशानी के ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि राजस्थान राज्य में वर्ष 2000-2001 के दौरान (फरवरी, 2001 तक), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 11,134 आवेदनों में से 3557 आवेदन राष्ट्रीय बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए थे। बैंकों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्यों की तुलना में बैंक शाखाओं को अधिक आवेदन स्पांसर करना, गैर-महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के लिए आवेदन स्पांसर करना, चूककर्ताओं के आवेदन स्पांसर करना आदि आवेदनों की अस्वीकृति के कुछ कारण रहे हैं।

(घ) योजना के अंतर्गत ऋणों की प्राप्ति को सहज बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने योजना का व्यापक प्रचार किया है। बैंकों के नोडल अधिकारियों के साथ सुग्राहीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति जैसे विभिन्न मंचों में बैठकों के माध्यम से योजना के अंतर्गत हुई प्रगति की सतत निगरानी की जाती है। इन बैठकों में प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली कठिनाइयों के बारे में विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है, ताकि उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें।

[अनुवाद]

गेहूं का निर्यात

5212. **श्री जी॰ मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई॰एस॰ विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी॰एस॰ बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से गेहूं का निर्यात मार्च, 2001 तक 1.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने इस गेहूं की खरीद की है;

(ग) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है;

(घ) क्या इस महत्वपूर्ण सफलता के मद्देनजर भारत ने गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मूल्य, मात्रा और देशों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां।

(ख) बंगलादेश, मलेशिया, फिलीपाइन्स, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, दक्षिण कोरिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, सूडान, वियतनाम और ओमान को गेहूं का निर्यात किया गया है।

(ग) 165,129,470 (लगभग) अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) 2001-2001 के लिए निर्धारित 20 लाख टन की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त, सरकार ने अपने पास उपलब्ध अधिशेष स्टाक

में से वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 50 लाख टन गेहूं का निर्यात करने का निर्णय लिया है। 1.4.2001 से 31.5.2001 तक की अवधि के दौरान निर्यात 4,300/- रुपए प्रति टन की दर पर किया जाएगा। 31.5.2001 के बाद सभी पार्टियों को निर्यात के उद्देश्य से गेहूं केन्द्रीय पूल से उठाने की अनुमति होगी। भारतीय खाद्य निगम जिस मूल्य पर निर्यातकों को गेहूं उपलब्ध कराएगा उसका निर्धारण खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा होगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। गेहूं का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किया जाएगा।

एच॰एम॰टी॰ के कर्मचारियों को वेतनों को भुगतान न किया जाना

5213. **श्री ई॰एम॰ सुदर्शन नाच्चीयपन :** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों से एच॰एम॰टी॰ लिमिटेड की देश में स्थिति विभिन्न इकाइयों के कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इकाईवार इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके वेतन अतिशीघ्र भुगतान हेतु क्या उपाय किये गए हैं/किये जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में प्रशिक्षण

5214. **डा॰ मन्दा जगन्नाथ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी खर्चे पर अधिकारियों को सामान्य/लोक प्रशासन और व्यापार प्रशासन के स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रमों और एम॰बी॰ए॰ पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षिक, प्रबंधन एवं प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु नामित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान लघु अवधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) विदेशों में प्रशिक्षण हेतु भेजे गए उक्त अधिकारियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) यदि उक्त प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारियों को पर्याप्त संख्या में नामित नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिनमें विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण हेतु आर्थिक कार्य विभाग द्वारा नामजद/प्रतिनियुक्त किया जाता है, प्रदाता देशों और भारत सरकार के बीच विभिन्न द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के अनुसार कोलम्बो प्लान, भारत-आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना जैसे तकनीकी सहयोग कार्यक्रमों के अन्तर्गत आते हैं और इनका पूरा व्यय विदेशी दाता देशों द्वारा वहन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण की लागत सरकारी राजकोष/भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने की जरूरत नहीं है। परन्तु, जैसे कि वर्ष 2000-2001 के दौरान यू॰के॰ विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु यू॰के॰ सरकार से इस तरह का कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं मिल रही थी अत: 26 अधिकारियों को, जिनके यू॰के॰ में प्रशिक्षण हेतु नामांकनों को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया था, हल विश्वविद्यालय और बरमिंघम विश्वविद्यालय में एम॰बी॰ए॰ (व्यवसाय प्रबंध निष्णात) कार्यक्रमों और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में क्वीन एलिजबैथ हाऊस विजिटिंग फैलोशिप के लिए भारत सरकार (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की वित्तीय व्यवस्था से प्रतिनियुक्त किया गया है।

(ख) से (घ) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

भाग	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	कुल	अनु॰ जाति/ अनु जनजाति	कुल	अ॰जा॰/ अ॰ज॰जा॰	कुल	अ॰जा॰/ अ॰ज॰जा॰
1	2	3	4	5	6	7
कोलंबो प्लान	406	75	255	43	183	16
ई॰ ई॰ सी॰*	28	—	35	—	21	—

1	2	3	4	5	6	7
जापान और आस्ट्रेलिया	179	13	226	25	27	3
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	—	—	—	—	26	7
फंड बैंक	141	—	90	—	43	—
जोड़	754	88	606	68	300	26

*(ग) और (घ) मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों की वजह से निर्दिष्ट करना संभव नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान और विश्य बैक संस्थान/अन्य दाता देशों द्वारा चुने गए उपर्युक्त अधिकारियों में से कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं।

*अ०मु० कोष संस्थान/विश्व बैंक संस्थान के आवेदन-प्रारूपों में अथवा प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा विहित प्रारूप में प्रत्येक आवेदक की जाति/जनजाति/सामान्य स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई कालम नहीं है।

*अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान/विश्व बैंक संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत के लिए कोई निर्धारण न होने पर प्रायोजक मंत्रालय/विभाग/राज्य सरकार/संगठन द्वारा इस बात का ध्यान रखे बगैर कि अधिकारी सामान्य श्रेणी का है अथवा आरक्षित, निर्धारित अवधि के अन्दर भेजे गए सभी पात्र अधिकारियों के नामांकनों की उनकी पात्रता तथा पाठ्यक्रम, जिसके लिए उन्हें नामजद किया गया है, की प्रासंगिकता के आधार पर इस विभाग में एक सूची तैयार की जाती है और इस सूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों के नामांकन अन्तिम रूप से चयन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान/ विश्व बैंक संस्थान/अन्य दाता एजेंसियों को भेजे जाते हैं, और इन एजेंसियों द्वारा अपने स्वयं के पैरामीटरों के आधार पर चयन किया जाता है। इन एजेंसियों से आरक्षण, आदि से संबंधित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने की आशा नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का दुरुपयोग

5215. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के दुरुपयोग के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान इन योजनाओं के दुरुपयोग से संबंधित कितने मामलों का पता चला; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी राशि का नुकसान हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) सरकार को निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के दुरुपयोग से संबंधित कुछ शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अग्रिम लाइसेंसिंग, ई पी सी जी, डी ई पी बी इत्यादि योजनाओं के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें शामिल हैं। इसके अलावा निर्यातों का अधिक बीजक बनाने, गलत घोषणा, जाली दास्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा तथ्यों को छिपाने इत्यादि के बारे में भी विगत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की प्रत्येक शिकायत की जांच की गई थी और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं आदेशों के प्रावधानों के अंतर्गत इन पर कार्यवाही की गई थी। सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा भी शुल्क और जुर्माने की वसूली करने के लिए ऐसे मामलों में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। ऐसे मामलों में डी जी एफ टी द्वारा प्रवर्तन संबंधी कार्यवाहियां और सीमाशुल्क द्वारा वसूली की कार्यवाहियां विभिन्न स्तरों पर हैं और स्थिति में परिवर्तन होता रहता है।

[अनुवाद]

भारतीय चीनी पर प्रतिबंध

5216. **श्री सुरेश रामराव जाधव :** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप घरेलू चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, हां। तथापि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार 7 मार्च, 2001 तक खुले साख पत्र मान्य होंगे।

(ख) रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने वहां चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध होने तथा चीनी के मूल्य में स्थिरता को देखते हुए भारत से चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) पाकिस्तान द्वारा चीनी के आयात पर प्रतिबंध लगाने से घरेलू चीनी निर्यातकों को पाकिस्तान को चीनी निर्यात करने पर मिलने वाले कम भाड़े का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

व्यापार परिषद द्वारा निर्यात में वृद्धि के लिए दिए गए सुझाव

5217. श्री किरीट सोमैया : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यापार परिषद ने मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाए जाने के आलोक में वैश्विक बाजार में भारत को और अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी को बढ़ाने के व्यापार परिषद द्वारा सुझाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बाजार में चीन का सामना करने के लिए भारत की प्रतियोगितात्मक क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग इन चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ङ) व्यापार बोर्ड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु कतिपय उपायों की सिफारिश की थी। इनमें शामिल हैं–प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता विद्युत लागत और पूंजी लागत कम करना, विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) का सुदृढ़ीकरण, पत्तनों पर कार्य कुशलता को बढ़ाना, सौदा लागत को कम करने के लिए कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करना इत्यादि। आग्रिम लाइसेंस, शुल्क हकदारी पासबुक (डी ई पी बी) योजना और शुल्क मुक्त पुन: पूर्ति प्रमाणपत्र (डी एफ आर सी) जैसी मौजूदा निर्यात संवर्द्धन योजनाओं से यह सुनिश्चित होता है कि निर्यात उत्पादों के लिए कच्ची सामग्री अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो। एस ई जेड योजना में शुल्क मुक्त आयातों/एस ई जेड के विकास सहित एस ई जेड में फैक्टरियों का विकास और इनकी स्थापना करने हेतु माल/मशीनरी की डी टी ए से खरीद करने की व्यवस्था है। डी जी एफ टी और सीमाशुल्क गृहों को सौदों की लागत को कम करने के लिए कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इन उपायों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी में सुधार लाना है।

आम का निर्यात

5218. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में आम की जबर्दस्त उपज होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसानों को अपनी फसल को अलाभकारी मूल्यों पर बेचने से बचाने के लिए आम का विदेशों को निर्यात करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्राप्त पुर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला और तटीय आम उत्पादक क्षेत्र में आम की जबर्दस्त फसल होने की आशा है।

(ख) और (ग) सरकार ने आमों की गुणवत्ता, उत्पादन और निर्यात में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस संबंध में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) उच्च गुणवत्ता वाले आमों के उत्पादन के लिए किसानों/उपजकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से चुनिन्दा आम उत्पादक क्षेत्रों और महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में फसल पूर्व व फसल पश्चात् प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किए गए हैं। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम बेंगनपल्ली किस्मों के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाडा, रंगा रेड्डी जिले और अन्य आम उत्पादक क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। गुणवत्ता सुधार में प्रगति के लिए चुनिन्दा बागानों की मॉनीटरिंग की जा रही हैं। आमों के संवर्द्धन के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में फसल पश्चात् मैनुअल तैयार किए गए हैं।

(ii) विदेशी बाजारों में स्वीकार्यता में सुधार करने के लिए उत्पाद, विशेषकर आमों के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की स्थापना। आमों सहित जल्दी नष्ट होने वाले ताजे फलों के परीक्षण काल में वृद्धि करने के लिए ढुलाई में नियंत्रित/नवीकृत वातावरण प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक तकनोलोजी के उपयोग के लिए अनुसंधान प्रयास चल रहे हैं। इस वर्ष आंध्र प्रदेश से आमों के पोतलदान के लिए नियंत्रित वायविक कंटेनरों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। आशा है कि इससे भाड़ा लागत कम होगी और निर्यात प्रतिस्पर्द्धी होंगे।

(iii) निर्यात एककों पर नवीनतम आई एस ओ 9000/एच ए सी सी पी उपकरणों की स्थापना सहित उन्नत पैकेजिंग, और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(iv) संवर्द्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना जैसे क्रेता-विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सहभागिता।

(v) आमों सहित जल्दी नष्ट होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीतागार सुविधाओं की स्थापना करना।

(vi) किसानों को निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के लिए प्रशिक्षण देने सहित व्यापार और उद्योग को तकनीकी परामर्शी सेवाएं और अन्य सहायक सेवाएं प्रदान करना।

मसालों का उत्पादन

5219. प्रो॰ उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में मसालों का राज्यवार और मसलावार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) मासाला बोर्ड किन-किन राज्यों से मसालों पर उत्पाद शुल्क के रूप में अधिकतम राजस्व अर्जित करता है;

(ग) मसाला बोर्ड द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) मसालों से प्राप्त किए गए कुल राजस्व में से मसालों के विकास हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशी आबंटित की जा रही है;

(ङ) क्या राजस्व प्राप्ति की तुलना में आबंटन बेमोल है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विसंगति को दूर करने हेतु परिषद द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रमुख मसालों के उत्पादन के संबंध में अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य प्रत्यक्ष रूप से मसालों पर उत्पाद शुल्क के रूप में मसाला बोर्ड के लिए राजस्व अर्जित नहीं करते हैं।

(ग) मसाला बोर्ड अपने आप कोई राजस्व अर्जित नहीं करता है। सरकार मसाला बोर्ड को विकासात्मक क्रियाकलापों और बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है। भारत सरकार मसालों के निर्यात पर उपकर एकत्र करती है। गत तीन वर्षों के लिए मसालों के निर्यात पर एकत्र किया गया उपकर निम्नानुसार है:-

(लाख रु. में)

वर्ष	अनुमानित उपकर वसूली
1997-98	1134.05
1998-99	1115.62
1999-2000	1012.54

स्रोत : मसाला बोर्ड

सरकार द्वारा जारी राशि और अनुदान के अतिरिक्त मसाला बोर्ड अपने आंतरिक स्रोतों से लगभग 40-50 लाख रु. अर्जित करता है।

(घ) से (च) वर्ष 1999-2000 के लिए मसालों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना/एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत मसालों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि नीचे दी गई है :-

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	1999-2000
आंध्र प्रदेश	253.54
अरुणाचल प्रदेश	87.65
असम	42.39
बिहार	73.95
गोवा	3.2
गुजरात	94.6
हरियाणा	85.78
हिमाचल प्रदेश	31.89
जम्मू और कश्मीर	5.41
कर्नाटक	361.35
केरल	872.98
मध्य प्रदेश	110.09
महाराष्ट्र	135.23
मणिपुर	26.85
मेघालय	48.67
मिजोरम	64.56
नागालैंड	22.31
उड़ीसा	128.53
पंजाब	25.2
राजस्थान	147.9
सिक्किम	112.73
तमिलनाडु	234.76
त्रिपुरा	43.02
उत्तर प्रदेश	35.7
पश्चिम बंगाल	51.73
पांडिचेरी	3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20
कुल	3123

जैसाकि उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सर्वाधिक निधियां प्राप्त करने वालों में हैं जो कि भारत से मसालों में प्रमुख उत्पादक और निर्यातक भी हैं।

विवरण

(हजार टन में)

मद	वर्ष	केरल	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	उड़ीसा	तमिलनाडु	प.बंगाल	मध्य प्रदेश	राजस्थान	अरुणाचल प्रदेश	मेघालय	मिजोरम	महाराष्ट्र	गुजरात	यू.पी.	अन्य	संपूर्ण भारत
काली मिर्च	1996-97	53.8	—	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	55.6
	1997-98	55.52	—	0.92	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	57.33
	1998-99	64.34	—	1.04	—	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09	65.99
हल्दी	1996-97	9.1	292	26.2	38.5	92	22.5	0.7	0.8	1.2	6.4	3.6	9.2	11	1.7	14	528.9
	1997-98	9.1	273	24.1	62.9	110.7	23.6	0.8	1.4	1	7.1	3.6	9.1	7.4	1.3	14.1	549.2
	1998-99	9.1	308.4	23.6	64.3	126.6	21.5	0.8	0.3	1.1	7	3.6	9.1	7.4	1.4	12.2	598.4
धनिया	1996-97	—	24.5	2.6	5.7	11.2	—	50.8	154.8	—	—	—	—	—	4.5	1.4	255.5
	1997-98	—	28.3	2.9	3.9	8.8	—	73.5	214.9	—	—	—	—	—	3.9	1.5	337.7
	1998-99	—	26.9	2.9	3.9	6.4	—	64.6	179.6	—	—	—	—	—	4.4	1.3	290
इलायची	1996-97	5.4	—	1.4	—	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	12.6
	1997-98	4.57	—	1.21	—	0.48	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	4.64	11.65
	1998-99	5.3	—	1.21	—	0.31	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	1.28	8.79
अदरक	1996-97	48.5	9	5.8	10.6	14.5	17.9	5.4	1.1	24.3	46.2	2.8	1	2.2	7	36.2	232.5
	1997-98	49.75	6.77	4.75	25.86	18.22	18.85	5.34	0.65	32.08	45.26	22.18	1.19	2.6	5.41	13.3	252.11
	1998-99	49.95	6.77	5.26	26.91	19.01	18.84	5.57	0.42	31.09	49.06	20.5	1.21	4.76	6.41	17.41	263.17
लाल मिर्च	1996-97	0.5	562	161.2	40.7	38.2	49.7	17.4	59.7	1.5	1.1	3.3	59.6	18.8	18.6	34.1	1066.4
	1997-98	0.6	338.3	130.8	72.4	42.4	55.6	23.7	66.4	1.6	1.1	3.3	60.8	21.3	17.1	34.7	870.1
	1998-99	0.6	403.3	142.6	76.6	39.7	51.3	19.7	49.2	1.6	1.1	3.3	57.7	18.2	15.5	40.9	921.3
लहसुन	1996-97	—	1.1	3.7	38.6	6.8	—	155.8	31.6	—	—	—	44.6	102	32.2	21.5	437.9
	1997-98	—	1	3.8	50.6	5.9	—	165.8	30.1	—	—	—	43.6	134.2	28.6	20.8	484.4
	1998-99	—	1.1	3.2	55.1	10.6	—	188.8	33.5	—	—	—	43.6	134.2	30.6	17	517.7

स्रोत : आर्थिक एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कृषि मंत्रालय

कर नीति

5220. **श्री के॰ई॰ कृष्णमूर्ति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत में कार्यान्वित की जा रही कर संबंधी नीति के अस्पष्ट और जटिल प्रकृति के होने के संबंध में इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन से कोई ज्ञापन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन॰ रामचन्द्रन) : (क) और (ख) भारत में विदेशी प्रसारण कंपनियों की विज्ञापन आय के अनुमानित कराधान के बारे में दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र की वापसी लेने के पश्चात केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन से आयकर अधिनियम में एक नई धारा को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि विदेशी प्रसारण कम्पनियों द्वारा भारत में अर्जित शुद्ध विज्ञापन राजस्व पर 4.8% की दर से स्रोत पर कर की कटौती की व्यवस्था की जा सके। उपर्युक्त प्रस्ताव को कर प्राधिकारियों द्वारा प्रेषण के लिए कर अवरोध प्रमाण-पत्रों को जारी करने में विलंब की आशंका से प्रस्तुत किया गया है।

(ग) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 195/197 के अधीन विदेशी प्रसारण कम्पनियों को ऐसे प्रमाण-पत्र शीघ्रता से जारी करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, दिल्ली और मुंबई को निर्देश जारी किए हैं।

स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण

5221. **श्री के० येरननायडू : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बाजार संचालन में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु प्रस्तावित अन्य कदम क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) स्टाक बाजारों में सांस्थानिक प्रक्रिया तथा कारोबार प्रथाओं में सुधार करने के उद्देश्य से, सरकार का स्टाक एक्सचेंजों का परस्परीकरण रहित (डिम्यूटलाइज) करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबन्धन तथा कारोबार सदस्यता एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इससे निम्न बातों में सहायता मिलेगी:-

- एक्सचेंजों के प्रबंधन का और व्यवसायीकरण तथा हितों के टकराव की समाप्ति;
- कार्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन में सुधार; और
- एक्सचेजों का आधुनिकीकरण करने तथा बेहतर निवेशक सेवा प्रदान करने के लिए बाजार से निधियां जुटाने की स्टाक एक्सचेंजों की क्षमता का वर्धन।

(ग) पारदर्शिता कायम रखने के लिए प्रस्तावित अन्य उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ सेबी का समुचित सुदृढ़ीकरण शामिल है।

डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के प्रति प्रतिक्रिया

5222. **श्री अनन्त नायक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न शहरों से डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं को किस तिथि से आरंभ किया गया;

(ख) तब से डायरेक्ट-टू-होम के प्रति कैसी प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्तमान में डायरेक्ट-टू-होम उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या और डायरेक्ट-टू-होम बाजार की व्यापकता कितनी है;

(घ) क्या डायरेक्ट-टू-होम क्षमता को पूरी तरह काम में नहीं लाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) डायरेक्ट-टू-होम को लोकप्रिय बनाने हेतु कोई वित्तीय पैकेज लाने का प्रस्ताव है; और

(छ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (छ) सरकार ने 15.3.2001 को देश में डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, डी॰टी॰एच॰ सेवा के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय निर्यात में निर्यात संवर्द्धन परिषदों की भूमिका

5223. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय निर्यात प्रयासों में भारतीय निर्यात संगठनों के परिसंघ, विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों और इन निकायों की प्रशासनिक समिति, प्रबंधन समिति अथवा कार्यकारी समितियों में नामित किए गए सरकारी अधिकारियों की क्या भूमिका रही है;

(ख) क्या उनके संघों के अनुच्छेदों को पुनर्गठित करने और उन्हें और पारदर्शी और सदस्य-प्रिय बनाने हेतु कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) देश में 20 मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्द्धन परिषदें हैं। भारतीय निर्यात संगठन का परिसंघ (फिओ) निर्यात संवर्द्धन परिषद और अन्य व्यापार संवर्धन संगठनों का सर्वोच्च निकाय है और इनके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं निर्यात व्यापार इत्यादि के विकास को बढ़ाने के लिए अपने संघटक सदस्यों के निर्यात संवर्धन कार्यकलापों का समन्वय करना। प्रत्येक निर्यात संवर्धन परिषद एक विशेष उत्पाद समूह परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए उत्तरदायी होगा जिनका उद्देश्य देश के निर्यात को विकसित एवं बढ़ाना है। इसकी मुख्य भूमिका विदेशों में उच्च गुणवत्ता वाले सामानों एवं सेवाओं की एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की छवि प्रस्तुत करना है। विशेष रूप से उन्हें निर्यातों का विस्तार एवं विविधीकरण करने की दृष्टि से ऐसे अवसरों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने में अपने सदस्यों की मदद करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौजूदा प्रवृत्तियों एवं अवसरों की जानकारी से निर्यातकों को अवगत कराना और उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं विनिर्देशनों को अपनाने के लिए प्रेरित करना और उस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इन निकायों की प्रशासन, प्रबंध समिति अथवा कार्यपालक समितियों में नामित सदस्यों के रूप में सरकारी अधिकारी उन्हें अपने उत्पाद समूह का निर्यात बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न निर्यात संवर्धन पहलों की जरूरत के बारे में सलाह देते हैं।

(ख) विगत वर्षों में खासकर डब्ल्यू टी ओ की स्थापना और उरूग्वे दौर की समाप्ति के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया था कि निर्यात संवर्धन परिषदों और फिओं का पुनर्गठन किया जाए ताकि इन्हें अपने सदस्यों की जरूरत के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाया जाए और उन्हें दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और अधिक व्यवसायिकता लाई जाय। तदनुसार सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा अपनाए जाने हेतु अनेक आदर्श उपनियम संख्या के अंतर्नियम निर्धारित किए हैं। फिओं द्वारा अपनाए जाने हेतु आदर्श उपनियमों का प्रारूप उनकी प्रतिक्रिया के लिए उसके पास भेजा गया है। निर्यात संवर्धन परिषदों और फिओं द्वारा आदर्श उपनियमों/ संख्या के अंतर्नियमों को अपनाए जाने से उनकी प्रशासनिक एवं चुनावी प्रक्रिया युक्ति संगत हो जाएगी जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि निर्यात निर्यात संवर्धन परिषदों और फिओं के प्रबंधन में वास्तविक निर्यातकों का अधिक प्रभाव रहेगा और इस प्रकार उनकी कार्य प्रणाली में और अधिक कार्यक्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

(ग) ई पी सी की सदस्यता संबंधी मापदंडों से संबंधित जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत और ई पी सी को सरल एवं कारगर बनाने एवं सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित उपाय निम्नानुसार हैं:-

1. **सदस्यता संबंधी मापदंड**

केवल ऐसे सदस्यों जिनके पास न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि से भी अधिक अवधि का स्थापित अधार हैं, को ई पी सी में विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने का अधिकार और मतदान का अधिकार प्रदान करने की दृष्टि से यह निर्धारित किया गया है कि सदस्यों की दो श्रेणियां होंगी अर्थात् संबद्ध सदस्य और सामान्य सदस्य संबद्ध सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश पाने के लिए कोई व्यक्ति उस उत्पाद के बारे में डी जी एफ टी से आयात निर्यात कोई संख्या प्राप्त होने के बाद पात्र होगा, जिस उत्पाद से उक्त परिषद संबंधित है। कम से कम तीन लगातार वर्षों तक परिषद का संबद्ध सदस्य रहा कोई व्यक्ति परिषद की सामान्य सदस्यता के लिए पात्र बन जाएगा किन्तु उसके प्रतिनिधित्व वाली कंपनी को अपने खाते में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्त वर्षों के दौरान लघु उद्योगों के लिए 10 लाख रु. और लघु उद्योग की कंपनियों के लिए 25 लाख रु. से अधिक का औसत निर्यात करना होगा। सामान्य सदस्य को परिषद की बैठकों में वोट देने और परिषद में विभिन्न पदों के चुनावों में स्वयं को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करने का अधिकारी होगा।

2. **खास-खास मौजूदा और उभरते औद्योगिक खंडों पर अधिक ध्यान देना**

किसी मौजूदा उद्योग समूह के भीतर कुछ खास खंडों पर ध्यान दिए जाने और वर्तमान में किसी भी ई पी सी के अंतर्गत न आने वाली वस्तुओं या वस्तु क्षेत्रों को उसके दायरे में लाने की दृष्टि से एक नया मंच अर्थात् निर्यात संवर्धन मंच (ईपीएफ) के सृजन का प्रस्ताव किया गया है। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर किसी ई पी एफ के सृजन की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। तथापि, इस प्रकार की अनुमति निम्नलिखित के अधीन होगी:-

(क) सदस्य, सोसाइटी के पंजीकरण के समय 1.00 करोड़ रु. की संग्रह निधि बनाने पर सहमत होंगे जो 4 साल के भीतर बढ़कर 3.00 करोड़ रु हो जानी चाहिए। संग्रह निधि के मूलधन को सुरक्षित रखा जाएगा और ईपीएफ द्वारा अपने खर्चों की व्यवस्था प्राप्त ब्याज आय, सदस्यता शुल्क आदि से की जाएगी।

(ख) ई पी एफ के सदस्य संबंधित ईपीएफ के सदस्य बने रहेंगे और जब तक उक्त ईपीएफ किसी ईपीसी में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक वे संबंधित ईपीसी को सदस्यता शुल्क का भुगतान करते रहेंगे। (यह किसी ईपीसी के अंतर्गत न आने वाले उद्योग खंड पर लागू नहीं होगा)

(ग) कर्मचारियों की भर्ती संबंधी संरक्षण पूर्णतया व्यावसायिक होनी चाहिए और जहां तक संभव हो स्टाक को संविदा के आधार पर लगाया जाना चाहिए। ईपीएफ अपने प्रशासनिक खर्चे अपने स्रोतों से पूरा करेगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उन्हें कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दिशानिर्देशों के आधार पर संतोषजनक निष्पादन रहने पर उक्त ईपीएफ किसी ई पी एफ के रूप में अपने पंजीकरण के चार वर्ष पूरे होने के बाद एक पूर्ण ईपीसी के रूप में परिवर्तित होने के योग्य बन जाएगा। तथापि, किसी मौजूदा ईपीसी के अंतर्गत न आने वाले उद्योग खंड हेतु किसी ईपीसी के मामले में कोई न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी। किसी ईपीसी में परिवर्तित होने के बाद यह केवल निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए एमंडीए प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। यह मौजूदा ईपीसी को उपलब्ध सभी अन्य लाभों/सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार भी बन जाएगा।

3. मौजूदा ईपीसी द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत

मौजूदा ईपीसी को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं कि जहां तक संभव हो, कर्मचारियों की नियुक्तियां संविदा शर्तों के आधार पर की जाए और पांच वर्ष की एक निश्चित अवधि में कर्मचारियों की भर्त्ती संबंधी संरचना को पूर्णतया व्यावसायिक बनाया जाए। मौजूदा ईपीसी को यह भी सलाह दी गई कि ये ई पी एफ पर यथा लागू पांच वर्ष की एक निश्चित अवधि में 3 करोड़ रु. की एक न्यूनतम संग्रह निधि की स्थापना करें और इस संग्रह निधि की मूल राशि को सुरक्षित रखे और अपने खर्चों की व्यवस्था ब्याज से प्राप्त होने वाली आय, सदस्यता शुल्क इत्यादि से करे।

4. सेवा उद्योग के लिए सामान्य ई पी एफ

सेवा उद्योग के खास खण्डों के लिए एक सामान्य ई पी एफ का गठन किया जाए। जैसे ही अलग-अलग सेवा निर्यात उद्योगों द्वारा पृथक ई पी एफ के लिए पर्याप्त मांग और स्रोतों की व्यवस्था कर ली जाएगी। वैसे ही उन्हें उक्त सामान्य ई पी एफ से अलग होने की अनुमति दी जा सकती है।

5. एक सेवा प्रकोष्ट का गठन

निर्यात संभावना वाले सेवा उद्योगों की जरूरतों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मंत्रालय में एक सेवा प्रकोष्ठ का सृजन किया जाए। अन्य बातों के साथ-साथ यह सेवा प्रकोष्ठ अलग-अलग सेवा क्षेत्रों के लिए ई पी एफ के गठन से संबंधित सलाह भी देगा।

6. चुनाव

ई पी सी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की अवधि समाप्त होने से काफी पूर्व रिक्त स्थानों के लिए चुनाव आयोजित कर लिए जाएं। चुने गए सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति पर स्वत: ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

7. मतदान का अधिकार

ई पी सी की प्रबंध समिति के केवल निर्वाचित सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा और नामित/सहयोजित सदस्यों को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

निर्यात संवर्धन परिषदों को भेजे गए आदर्श उपनियमों/संस्था के अंतर्नियमों को 10 निर्यात संवर्धन परिषदों (कंपेम्सिल, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, ओ सी सी आई, एस जी पी ई सी, प्लास्टिक ई पी सी, टैक्सप्रोसिल, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद) एस आर टी ई पी सी हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद), 9 निर्यात संवर्धन परिषद (काजू निर्यात संवर्धन परिषद सी एल ई, ई एस सी ई पी सी, ई ई पी सी, बिजली करघा विकास निर्यात संवर्धन परिषद, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, ए ई पी सी हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू ई पी सी) इन आदर्श उपनियमों/संस्था के अंतर्नियमों को अपनाने की प्रक्रिया में है। मूल रसायन भेषजीय एवं सौन्दर्य निर्यात संवर्धन परिषद मुंबई ने अभी तक आदर्श संस्था के अंतर्नियमों/उपनियमों को अपनाने के बारे में अपने दृष्टिकोण से अवगत नहीं कराया है। विभाग इन आदर्श संस्था के अंतर्नियमों/उपनियमों को उक्त नियम द्वारा शीघ्र अपनाए जाने हेतु उनसे संपर्क बनाए हुए है।

[हिन्दी]

चमड़ा और चमड़ा उत्पादों का निर्यात

5224. **श्री राजो सिंह : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्पादक, घरेलू खपत और चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात से संबंधित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकार की पहल पर, चमड़ा निर्यात परिषद ने विशिष्ट देशों में विपणन किए जाने वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान करके, चमड़ा उत्पादों के निर्यातों पर अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक योजना बनाई है।

(ख) चमड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात से संबंधित सांकेतिक लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(मूल्य मि० अमरीकी डालर में)

अवधि	तैयार चमड़ा		चमड़ा फुटवियर		फुटवियर संघटक		चमड़ा परिधान		चमड़े की वस्तुएं		गैर चमड़ा फुटवियर		विवरण	
	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात	लक्ष्य	निर्यात
1997-98	311	295.83	397	281.90	246	240.48	476	425.21	350	413.28	एनएफ	15.21	1780	1656.69
(% लक्ष्य प्राप्ति)		95%		71%		98%		89%		118%				93%
1998-99	305	264.67	327	320.25	264	237.72	438	376.66	443	438.07	एनएफ	17.52	1777	1637.37
(% लक्ष्य प्राप्ति)		87%		98%		90%		84%		99%				92%
1999-2000	250	238.79	250	330.80	280	229.49	380	318.56	540	420.75	25	37.73	1725	1576.12
(% लक्ष्य प्राप्ति)		96%		132%		82%		84%		78%		150%		91%

उत्पादन और घरेलू खपत के लिए इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

पावर ग्रिड हेतु बैंक ऋण

5225. श्री ए० वेंकटेश नायक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पावर ग्रिडों के लिए ए बी एन एमरो बैंक द्वारा राज्य सरकारों को स्वीकृत किए गए व्यावसायिक ऋण के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी दी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य सरकारों को दिए गए ऋण की राशि कितनी है; और

(ग) उक्त ऋण का उपयोग किस तरीके से किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

5226. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड ने सरकारी क्षेत्र के ईस्टर्न कोलफील्ड्स को रुग्ण घोषित किया है और भारतीय स्टेट बैंक से इस कंपनी की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल निवल मूल्य की तुलना में वर्तमान में कंपनी को कुल कितनी हानि हुई;

(घ) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने रुग्ण कंपनी का मूल्यांकन और पुनर्वास के उपाय करना आरंभ कर दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुनर्वास और संभाव्यता पैकेज को कब तक तैयार कर लिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। दी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) को बीआईएफआर ने अपने दिनांक 23 फरवरी, 2001 के आदेश के तहत रुग्ण घोषित किया है। कंपनी की अर्थक्षमता की जांच करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवर्तकों को निदेश दिया गया कि वे चार सप्ताह

के अन्दर व्यापक पुनर्वास योजना प्रस्तुत करें। यदि कंपनी का प्रस्ताव अर्थक्षम पाया जाता है तो परिचालन एजेंसी सम्मत पैकेज का पता लगाने के लिए संयुक्त बैठक करेगी और आठ सप्ताह के अन्दर बीआईएफआर को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कुल संचित हानियां, 2227.77 करोड़ रुपए के निवल मूल्य के मुकाबले 2929.31 करोड़ रुपए थीं।

(घ) और (ङ) भारतीय स्टेट बैंक को ईसीएल से पुनर्वास योजना प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई है। बैंक (परिचालन एजेंसी) पुनर्वास और अर्थक्षम पैकेज को अतिशीघ्र पता लगाने का सभी प्रयास कर रहा है।

व्यय सुधार आयोग

5227. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय सुधार आयोग ने भारतीय निवेश केन्द्र के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है:

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार ने आयोग द्वारा सुझाई गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की पुनर्संरचना से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारतीय निवेश केन्द्र (आईआईसी) की पुनर्परिभाषित भूमिका, कार्य तथा पुनर्संरचना भी शामिल हैं। व्यय सुधार आयोग की अनुशंसाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में अनियमितताएं

5228. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं की खरीद और आपूर्तिकर्ताओं के चयन में कई अनियमितताएं और भ्रष्टाचार प्रकाश में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य निकाय से इस संगठन के स्टेशनरी विभाग को अलग करने और सरकार के प्रत्यक्ष उचित नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु निगमीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान संरकार द्वारा घटिया गुणवत्ता वाले सामानों/वस्तुओं की आपूर्ति, उच्च दरों और उपभोक्ता संतुष्टि की कमी इत्यादि से संबंधित सरकार विभागों से प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) भारतीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी विभागों से घटिया किस्म की वस्तुओं की आपूर्ति करने, अधिक दरें वसूले जाने तथा उपभोक्ता संतुष्टि की कमी आदि के संबंध में कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

बैंक के प्रमुखों की बैठक

5229. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री तिरुनावकरसू :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्री ने हाल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सभी प्रमुखों की बैठक आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या बैठक में माधवपुरा कापरेटिव मरकेन्टाइल बैंक जैसे कापरेटिव बैंकों के निष्पादन का प्रभावी रूप से निगरानी कर पाने में भारतीय रिजर्व बैंक की असफलता पर चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने 7 अप्रैल, 2001 को नई दिल्ली में भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों की एक बैठक को संबोधित किया। उपर्युक्त बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था:-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक की एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत वसूलियों के विशेष संदर्भ में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रबंधन।

(ii) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में श्रम शक्ति आयोजन एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।

(iii) बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों की समाप्ति के पश्चात् भर्त्ती प्रक्रियाएं।

(iv) कृषि ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के विशेष संदर्भ में प्राथमिकता क्षेत्र उधार।

(v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ग्राहक सेवा और उस पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रभाव।

(ग) बैंक आफ इंडिया द्वारा भुनाए गए अपने पे आर्डरों का भुगतान कर पाने में माधवपुरा मरकेन्टाइल को-आपरेटिव बैंक की असफलता सहित स्टाक मार्केट की हाल की गतिविधियों का बैंकों पर पड़े प्रभाव पर भी इस बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

(घ) स्टाक मार्केट और दलालों (ब्रोकरों) के प्रति बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक नए मार्गनिर्देश जारी कर रहा है। बैंकों से कहा गया है कि वे अपने निपटान जोखिमों और प्रतिपक्ष जोखिमों के विरुद्ध अपने आंतरिक नियंत्रण को युक्तियुक्त एवं सख्त बनाएं और साथ ही स्टाक मार्केट संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के एक्सपोजर मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

जिलेटिन के उपयोग पर रोक

5230. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका, चीन जैसे कई देशों ने जिलेटिन के उपयोग पर रोक लगा रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने घोल के रूप में जिलेटिन आधारित विस्फोटक के उपयोग और उत्पादन को रोकने हेतु भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं इसके अधीन नियमों में संशोधन किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार अमरीका और चीन जैसे देशों में नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित जिलेटिन विस्फोटक पर रोक नहीं लगायी गई है।

(ग) और (घ) अकेले आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से घोल के रूप नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित विस्फोटक के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए विस्फोटक अधिनियम 1884 और इसके अधीन नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया है।

नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों के अधिक सूक्ष्म, जल में और कम दबाव वाली परिस्थितियों में विशेष और निरंतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाना व्यवहार्य नहीं होगा। एक समिति जिसमें मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और अध्यक्ष, विस्फोटक उद्योग विकास परिषद शामिल हैं, सभी संबंधितों के साथ परामर्श करके नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों को दीर्घ अवधि में चरणबद्ध रूप से हटाये जाने की जांच कर रही है। इसके अतिरिक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अनेक पणधारियों के परामर्श से आंध्र प्रदेश में नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव की अल्प अवधि में जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा स्रोत पर कर कटौती

5231. **श्री अशोक ना. मोहोल :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 103 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान भारत में सेवाएं प्रदान करने वाले अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतन में से स्रोत पर कर कटौती नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा अपवंचित कर की राशि कितनी है और ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) अपवंचित कर में से अब तक कितनी राशि वसूल की गई है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी कम्पनियों से कर की सम्पूर्ण राशि की वसूली के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिननी एन. रामचन्द्रन): (क) वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान यह देखा गया था कि अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भारत में सेवाएं प्रदान करने वाले विदेश में अपने कर्मचारियों को दिए गए वेतनों के भाग के बारे में स्रोत पर कर की कटौती नहीं की थी।

(ख) से (घ) आयकर विभाग द्वारा कर की सम्पूर्ण धनराशि जिसमें उस पर सांविधिक ब्याज शामिल है, 640 करोड़, रु० से अधिक धनराशि की वसूली पहले ही कर ली गई है। इन कम्पनियों के नाम विवरण के अनुसार हैं।

(ङ) और (च) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के अंतर्गत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सर्वेक्षण किये गए हैं। सभी मामलों में सांविधिक ब्याज भी प्रभारित किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 271-ग के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए ऐसे अनेक मामलों में, जहां कहीं उपयुक्त है, अर्थदंड पहले ही उदग्रहीत किया गया है।

विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	आल निप्पन एयरवेज कं. लि.
2.	मैसर्स अन्तुसु कार्पोरेशन
3.	मैसर्स आई. एच. आई.
4.	मैसर्स डेन्सो इंडिया
5.	मैसर्स फ्यूजी बैंक लि.
6.	मैसर्स ई पी डी सी
7.	मैसर्स जापान ब्रांडकास्टिंग कार्पोरेशन
8.	मैसर्स एरिक्सन कम्युनिकेशन प्रा. लि.
9.	मैसर्स अल्काटेल मोदी नेटवर्क्स सिस्टम्स
10.	मैसर्स अल्कोटेल साऊथ एशिया पैशिफिक लि.
11.	मैसर्स केगेलेक इंडिया लि.
12.	मैसर्स केगेलेक इंडिया लि. (नोएडा ऑफिस)
13.	मैसर्स हयून्दई इंजी. कन्स. लि. कम्पनी
14.	मैसर्स देवू मोर्टस इंडिया लि.
15.	मैसर्स बैंक परिवा
16.	मैसर्स एयरोफ्लोट
17.	मैसर्स जापान रेडियो कं. लि.
18.	मैसर्स असाही ग्लास कं. लि.
19.	मैसर्स केसियो भारती मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.
20.	मैसर्स फ्यूजीत्सु लि.
1	2
21.	मैसर्स इटोयु कार्पोरेशन
22.	मैसर्स चारी कं. लि.
23.	मैसर्स एस्कोर्टस यामहा मोटर्स लि.
24.	मैसर्स फ्यूजी फोटो फिल्म (सिंगापुर)
25.	मैसर्स हिटाची केविल्स लि.
26.	मैसर्स एकरेडी सीके लि.
27.	मैसर्स होंडा मोटर्स कं.
28.	मैसर्स केन्वूड
29.	मैसर्स जुकी सिंगापुर
30.	मैसर्स हिटाची इंडिया ट्रेडिंग प्रा. लि.
31.	द. बैंक आफ टोकियो
32.	दी. साकुरा बैंक लि.
33.	जापान एयरलाइन्स
34.	मैसर्स सान्वा बैंक लि॰, नई दिल्ली
35.	मैसर्स नेशनल पैनासोनिक
36.	मैसर्स निशो इलाई कारपोरेशन
37.	मैसर्स मित्सुबिशित कारपोरेशन
38.	एल जी इजेक्ट्रिोनिक्स
39.	मैसर्स सेमसंग इलेक्ट्रोनिक्स
40.	द कोमर्शियल बैंक आफ कोरिया लि॰
41.	द बैंक आफ नोवा स्कोटिया
42.	नोकिया प्रा॰ लि॰
43.	मैसर्स लुफ्तहांसा एयरलाइन्स
44.	मैसर्स टोकियो मोट्र्स कारपोरेशन
45.	मैसर्स सोनी इंडिया प्रा॰ लि॰
46.	मैसर्स सोनी गल्फ

1	2
47.	मैसर्स सोनी कारपोरेशन लि॰
48.	मैसर्स एस. डब्ल्यू. एस. इंडिया होल्डिंग लि॰
49.	मैसर्स सुमि मदरसन्स इनोवेटिव इंजि॰ लि॰
50.	मैसर्स सुमी मदरसन इनटेग्रटिड टेक्नोलाजी लि॰
51.	मैसर्स मदरसन सुमी सिस्टम लि॰
52.	मैसर्स एन॰ ई॰ सी॰ कारपोरेशन
53.	मैसर्स मारुबेनी कारपोरेशन, नई दिल्ली
54.	मैसर्स वाई के के इंडिया प्रा॰ लि॰
55.	मैसर्स मितसुई कन्सट्रक्सन कंपनी लि॰
56.	मैसर्स मितसुई केनसेतसू इंडिया प्रा॰ लि॰
57.	मैसर्स टी एस टेक॰ कं॰ लि॰
58.	मैसर्स सुमिटोमो कारपोरेशन
59.	मैसर्स सनदन विकास इंडिया लि॰
60.	मैसर्स तोशिबा कारपोरेशन
61.	मैसर्स मारुबेनी कारपोरेशन प्रो॰ आफिस
62.	मैसर्स थारुबेनी इंडिया प्रा॰ लि॰
63.	मैसर्स मितसुंई मेरिन एंड फायर इंश्योरेंस कं॰ लि॰
64.	मैसर्स टेरुमों कारपोरेशन
65.	मैसर्स मितुशुबीशी इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन इंडिया सम्पर्क आफिस
66.	मैसर्स शोबा कारपोरेशन (मुनजई)
67.	मैसर्स मोरिरको कं॰ लि॰
68.	मैसर्स मित्सुई एंड कम्पनी
69.	मैसर्स के इ आई एच एन कार्पोरेशन
70.	मैसर्स सदरोस लि॰
71.	मैसर्स सुमिटोपो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री लि॰
72.	मैसर्स रिसो कागाको कार्पोरेशन
73.	मैसर्स केनबुड कोर्पोरेशन
74.	मैसर्स लमेक्स इंडस्टीज लि॰
75.	मैसर्स यसुदा फायर एण्ड मेरिन इंश्योरेंस कं॰ लि॰
76.	मैसर्स मत्सुशिता टेलीविजन एण्ड आडियो इंडिया लि॰
77.	मैसर्स सताके कारपोरेशन
78.	मैसर्स मत्सुशिता इलेक्ट्रिस वर्क्स लि॰ (नेशनल पैनासोनिक)
79.	मैसर्स निशा हताई कारपोरेशन (बम्बई कार्यालय)
80.	मैसर्स टोयोटा त्सुशियो कारपोरेशन
81.	मैसर्स पायनियर इलैक्ट्रिक कारपोरेशन
82.	मैसर्स सुमितामो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज लि॰
83.	मैसर्स आई सी आई इंडिया लि॰
84.	नेमुरा ट्रेडिंग कं॰ लि॰
85.	मित्सुबीशी हेवी इंडस्ट्रीज लि॰
86.	किन्शो मताई सी कार्पोरेशन
87.	सुमिकिन बसन कारपोरेशन
88.	द आसही बैंक लि॰
89.	द सुनितोमो मेरीन एंड फायर इन्सुरेंस कार्पोरेशन
90.	द सुमितोमो बैंक लि॰
91.	निशीमेल कारपोरेशन
92.	टोमेन कारपोरेशन
93.	हिताची जी॰ मोटर इंजी॰ लि॰
94.	सकूरा कैपिटल मार्केट
95.	मैसर्स क्वाशी कारपोरेशन
96.	मैसर्स नगासे एण्ड कं॰ लि॰
97.	मैसर्स मुराटे मशीनरी लि॰
98.	बी॰ पी॰ एल॰ सान्यो लि॰

1	2
99.	बी॰ पी॰ एल॰ सान्यो फाइनेंस
100.	योकागावा ब्लूस्टार
101.	इंडो निशिन फूडस लि॰
102.	जुकी सिंगापुर लि॰
103.	हिताची कोकी

पत्रकारों के लिए बीमा योजना

5232. **डा. जसवंतसिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ग) एक पत्रकार कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस निधि का उद्देश्य उन पत्रकारों के परिवार को सहायता प्रदान करना है जिनका ड्यूटी के दौरान अप्राकृतिक कारणों से देहान्त हो जाता है या जो अपंग हो जाते हैं। उक्त निधि के संचालन संबंधी ब्यौरा तयार किया जा रहा है।

सूचना प्रबंधन प्रणाली को नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त बनाना

5233. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री शिवाजी माने :
श्री एस.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में उग्रवादी हिंसा के मद्देनजर सरकार अपनी सूचना प्रबंधन प्रणाली को बड़े पैमाने पर नए सिरे से चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए तत्पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या कश्मीर मीडिया प्रकोष्ठ को पुनरुजीवित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रणाली को नए सिरे से पुनर्गठित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : (क) से (ङ) मंत्रालय के सभी माध्यम एकक तथा प्रसार भारती भी जम्मू एवं कश्मीर के लोगों के बीच सरकार की नीतियों एवं स्कीमों से सम्बन्धित जानकारी के प्रचार-प्रसार करने में लगे हुए हैं। जम्मू एवं कश्मीर विशेष पैकेज के अन्तर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन संस्थापनों का विस्तार तथा उन्नयन किया जा रहा है जिससे सीमा क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक मीडिया कवरेज में वृद्धि होगी। दूरदर्शन ने दिनांक 26.1.2000 को कशीर चैनल आरम्भ किया है। शत्रु देशों के प्रचार का सामना करने तथा राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव एवं शान्ति बनाए रखने के लिए मीडिया एककों द्वारा विशेष कार्यक्रम शुरु किए जाते हैं। यद्यपि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कश्मीर मीडिया प्रकोष्ठ नहीं बनाया गया है तथापि, सरकार अपनी सूचना प्रबन्धन प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहती है।

[हिन्दी]

वित्तीय संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियां

5234. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थाओं की अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) इन बकायों की वसूली के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इनके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-2001 के दौरान कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) शेष राशि की वसूली के लिए क्या योजना प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) मार्च, 2000 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वित्तीय वर्ष के

लिए विकास वित्तीय संस्थाओं (डीएफआई) अर्थात्, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), आईएफसीआई लि०, आईसीआईसीआई लि०, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) की अनुपयोज्य अस्तियां (एनपीए) 16954 करोड़ रुपए हैं।

(ख) जब कभी किसी आस्ति पर 180 दिनों के पूरा होने पर ब्याज के भुगतान पर चूक करना प्रारम्भ होती है और/अथवा 365 दिनों के पूरा होने पर मूलधन पर चूक करना प्रारम्भ होता है, तो उस अनुपयोज्य आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एनपीए के अलावा वसूली गई राशि अधिकतर एक बारगी समझौता (ओटीएस) के माध्यम से होती है। मार्च, 2000 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान एक बारगी समझौते के माध्यम से प्राप्त हुई राशि 1214.99 करोड़ रुपए (आईएफसीआई को छोड़कर) थी।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी देयराशियों की वसूली के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से विभिन्न उपाय करने के लिए कहा है, अर्थात्, बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार करना और कार्यान्वित करना, सिविल न्यायालयों में मुकदमें दायर करना, ऋण वसूली अधिकरणों में मामले दायर करना, निपटान परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से समझौता निपटान और निष्क्रिय खातों की निगरानी और अनुवर्ती कर्रवाई करना।

[अनुवाद]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पर राजसहायता का प्रभाव

5235. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न राजसहायता में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान की गयी कटौती का ब्यौरा क्या है और इसका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों पर इसका भार न पड़े?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान) : (क) और (ख) जी, नहीं। विकेन्द्रीकृत वसूली के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को पिछले चार वर्षों के दौरान जारी की गई कुल खाद्य राजसहायता में वृद्धि हुई है। 1999-98 से 2000-2001 तक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अधीन उपभोक्ता राजसहायता में 171.58% की वृद्धि हुई है, जैसा कि 1997-98 से 2000-2001 तक के लिए नीचे दिए राजसहायता के ब्यौरे से स्पष्ट है :-

(करोड़ रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
गरीबी रेखा से नीचे	—	1828.72	3985.34	4966.40
गरीबी रेखा से ऊपर	5735.30	3712.90	1607.81	—
अन्य	—	482.40	486.78	1836.90
बकाया	828.00	1123.67	1366.36	1498.57
बफर	936.70	1552.31	1753.71	3740.13
जोड़	7500.00	8700.00	9200.00	12042.00

(ग) यह और सुनिश्चित करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे की आबादी पर और भार न डाला जाए, निम्नलिखित उपाय भी किए गए हैं :-

(i) 25.7.2000 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में और कमी की गई है;

(ii) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 20 किलोग्राम प्रति माह का खाद्यान्नों का आवंटन अब 1995 की प्रक्षेपित आबादी के बजाय 1.3.2000 की महापंजीयक की आबादी प्रक्षेपणों के आधार पर किया जा रहा है;

(iii) गरीबी रेखा से नीचे की दरों पर खाद्यान्न राज्य सरकारों और भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित भिक्षु-गृहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछले वर्ग के छात्रों के छात्रावासों/नारीनिकेतनों आदि जैसी कल्याण संस्थाओं में रहने वाले अकिंचन व्यक्तियों की श्रेणियों को कवर करने के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर राज्य सरकारों को आवंटित किया जा रहा है। अब खाद्यन्नों का आवंटन अन्नपूर्णा योजना के अधीन उन अकिंचन वृद्ध व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है, जो राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(iv) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा क्रियान्वित कल्याण योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा;

(v) राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित और भारत सरकार में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पृष्ठांकित तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रायोजित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित विकास योजनाओं (जहां लाभभोगी गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के हों) के लिए खाद्यान्न आवंटित किए जाएंगे; और

(vi) सरकार ने 25.12.2000 को अंत्योदय अन्न योजना भी शुरु की है, इस योजना के अधीन सरकार इस शर्त के अध्यधीन 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल रिलीज करेगी कि सम्पूर्ण देश में लगभग एक करोड़ परिवारों को 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह खाद्यान्न मिले और राज्य सरकारों से तदनुसार इन परिवारों की पहचान करने का अनुरोध किया गया है।

आयकर अधिकारियों पर सी०बी०आई० के छापे

5236. **श्री किरीट सोमैया :**
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री बी० वेंकटेस्वरलु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. द्वारा मार्च, 2001 के दूसरे सप्ताह में कुछ आयकर अधिकारियों के यहां छापे मारे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन छापों के क्या परिणाम निकले;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी०बी०आई० द्वारा आयकर अधिकारियों के यहां कितने छापे मारे गए;

(घ) क्या यह सच है कि आयकर, सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों द्वारा सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभागीय तंत्र के अलावा भी कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो सरकार द्वारा इन अधिकारियों की सम्पत्तियों पर निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) एक अतिरिक्त आयकर आयुक्त तथा एक आयकर अधिकारी के यहां क्रमश: दिनांक 6-3-2001 तथा 13-3-2001 को छापे मारे गए थे। दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।

(ग) वर्ष	छापों की संख्या
1998-99	7
1999-2000	7
2000-2001	7

(घ) उपलब्ध आंकड़े (अनुशासनिक मामले एवं अभियोजन की संख्या) यह नहीं दर्शाते कि इन विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

"नाबार्ड" के पर्यवेक्षण विभाग

5237. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाबार्ड" प्रबंधन ने पर्यवेक्षण विभाग के कार्यालय को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से हटाकर मुम्बई स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्णय के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर्यवेक्षण विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों में नियमित कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने प्रधान कार्यालय के सभी विभागों में अत्यधिक निकटता बनाए रखने तथा बैंक के कुल कार्य-संचालन के लिए समन्वित दृष्टिकोण अपनाने के लिए पर्यवेक्षण विभाग को मुम्बई स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) प्रधान कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग का क्षेत्राधिकार अखिल भारत प्रकृति का है और नाबार्ड के प्रधान कार्यालय के विभिन्न अन्य विभागों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग तथा ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के साथ समन्वय के अतिरिक्त इसका संबंध नीति, निरीक्षण की निगरानी, पर्यवेक्षण की सुनिश्चितता संबंधी गुणवत्ता, पर्यवेक्षण विभाग के कर्मचारियों के क्षमतावर्द्धन से है। नाबार्ड के पर्यवेक्षण विभाग के प्रधान कार्यालय के स्थानांतरण से नाबार्ड के अन्य कार्यों का कार्यकरण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यकरण

5238. **श्री अनन्त नायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित देवीदयाल समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) कमजोर बैंकों के संबंध में समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारत सरकार ने इंडियन बैंक, यूको बैंक एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसी तीन कमजोर बैंकों द्वारा तैयार की गई पुनर्गठन योजना की जांच के लिए 22 दिसम्बर, 2000 को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के उप-गवर्नर श्री एस॰पी॰ तलवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया था। उच्च स्तरीय समूह की रिपोर्ट 31 जनवरी, 2001 को सरकार को सौंप दी गई हैं।

(ख) और (ग) समूह ने विभिन्न विकल्पों पर विचार किया तथा निष्कर्ष दिया कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित पूंजी निवेश से कमजोर बैंकों का पुनर्गठन, तीन कमजोर राष्ट्रीयकृत बैंकों के आमूल-चूल परिवर्तन के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। समूह ने अन्य बातों के साथ-साथ, तीनों कमजोर बैंकों को निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात को प्राप्त करने/बनाए रखने के लिए दो वर्षों के लिए 2300 करोड़ रुपये की पुनर्पूंजीकरण सहायता की सिफारिश की है।

(घ) समूह की सिफारिश सरकार के परीक्षाधीन है।

[हिन्दी]

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक बुकों पर प्रभार

5239. **श्री राजो सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक सहित कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं जैसे उपभोक्ताओं को नि:शुल्क चैक बुक पर प्रभार लगाना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली ऐसी सुविधाओं पर प्रभार लगाने वाले बैंक कौन-कौन से हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में क्या निदेश जारी किए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा निजीकरण के नाम पर बैंकों द्वारा मनमाने ढंग से उक्त प्रभार लगाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सितम्बर, 1999 में बैंकों को उनके द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क निदेशक मंडल के अनुमोदन से निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि सेवा शुल्कों के निर्धारण के समय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुल्क उचित हो तथा इन सेवाओं को प्रदान करने की औसत कीमत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि उन ग्राहकों जिनकी गतिविधियां कम होती हों, उन्हें दंडित न किया जाए।

[अनुवाद]

विकास दर

5240. **श्री के. येरननायडू :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अगले दो वर्षों के दौरान कितनी विकास दर प्राप्त करने का प्रस्ताव है और उसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत विकास से अधिक रही;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार किस क्षेत्र की विकास दर राष्ट्रीय औसत विकास दर से कम रही और इन क्षेत्रों में इष्टतम विकास को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार कितनी विकास दर हासिल की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) से (घ) वृद्धि लक्ष्य वार्षिक तौर पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। लेकिन नौवीं पंचवषीय योजना (1997-2002) के लिए वार्षिक औसत वृद्धि लक्ष्य 6.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया है। योजना आयोग ने दसवीं योजना (2002-2007) तैयार करने के लिए अभी कार्रवाई शुरू की है। विगत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार और समूची वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है। अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को बारीकी से मानीटर किया जाता है और इनकी निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा जब भी आवश्यकता हो, उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर उचित उपाय किए जाते हैं। विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास, आधारढांचा, वित्तीय क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र, राजकोषीय प्रबंध, कराधान, संरचनात्मक सुधारों आदि के क्षेत्र में शुरु किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों और बजट 2001-2002 में निहित नीतिगत उपायों का समग्र वृद्धि और क्षेत्रकीय विकास संरचना पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

विवरण

स.घ.उ. में क्षेत्रक वार वास्तविक वृद्धि दरें (उपादान लागत पर) पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन

	मद	1998-99 (अ)	1999-2000 (त्व)	2000-2001 (अ.अ.)
I.	**कृषि और सम्बद्ध**	7.1	0.7	0.9
II.	**उद्योग**	3.4	6.4	6.6
1.	खनन और उत्खनन	1.3	1.7	4.5
2.	विनिर्माण	2.5	6.8	6.4
3.	बिजली, गैस और जलापूर्ति	6.4	5.2	5.6
4.	निर्माण	6.1	8.1	8.7
III.	**सेवा**	8.2	9.6	8.3
5.	व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार	7.1	8.0	8.0
6.	वित्तीय, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	8.4	10.1	9.6
7.	समुदाय, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	9.9	11.8	7.6
IV.	जोड़ स.घ.उ.	6.6	6.4	6.0

अ.अ. : अग्रिम अनुमान

त्व : त्वरित अनुमान

अ : अनन्तिम

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यकी संगठन।

कोलकाता शेयर बाजार के निर्वाचित सदस्यों का त्यागपत्र

5241. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता शेयर बाजार के सभी निर्वाचित सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिए हैं और क्या शेयर बाजार के शासी मंडल को व्यापारिक गतिविधियों से अलग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने सूचित किया है कि कोलकाता शेयर बाजार (सीएसई) की समिति के आठ निर्वाचित सदस्यों ने 30 मार्च, 2001 को अपना त्यागपत्र दे दिया। समिति के एक अन्य सदस्य, जिसे चूककर्ता घोषित किया गया था, ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। इन त्यागपत्रों के पश्चात् अब एक्सचेंज के बोर्ड में एक कार्यकारी निदेशक तथा नौ गैर-निर्वाचित सदस्य हैं।

शेयर बाजारों की सांस्थानिक प्रक्रियाओं तथा कारोबारी प्रथाओं में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार का सभी शेयर बाजारों का परस्परीकरण रहित करने का प्रस्ताव है जिससे स्वामित्व, प्रबंधन तथा कारोबार सदस्यता एक दूसरे से पृथक हो जाएंगे।

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

5242. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने अन्य राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ 31 अगस्त को प्रधान मंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन दिया था जिसमें ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को न मानने का आग्रह किया गया था क्योंकि उनका मानना है कि वे अच्छे वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित अन्य कई राज्यों ने इस संबंध मे प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के प्रति अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हुए मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनकी शिकायतों के निवारण के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ङ) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में कोई संशोधन किए जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि इसमें मुख्य मंत्रियों के विचारों को स्थान दिया जा सके; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) से (च) वित्त आयोग इसे उपलब्ध कराए गए ऐतिहासिक

आंकड़ों के आधार पर हरेक राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करता है। राज्यों को निधियों के अंतरण की स्कीम का आकलन करते समय वित्त आयोग को केन्द्र और राज्यों के मध्य उर्ध्वाधर साम्यता और हरेक राज्य की अपेक्षाओं का ध्यान रखते हुए राज्यों के बीच क्षैतिज साम्यता को भी ध्यान में रखना होता है।

भारत सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की मुख्य रिपोर्ट 2000-05 में निहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त विचारार्थ विषयों की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में सभी राज्यों के लिए राजकोषीय निष्पादन आधारित अनुदान जारी करने के लिए एक प्रोत्साहन निधि गठित किए जाने की सिफारिश की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुक्रम में राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा (2000-01 से 2004-05) राज्यों को परिचालित कर दी गई है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन के नए केन्द्रों की स्थापना के बारे में दिनांक 18 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 4025 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपरोक्त प्रश्न में त्रुटि 8 जनवरी, 2001 को ध्यान में लायी गयी थी। इसलिए, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र के दौरान सभा पटल में संशोधित विवरण रखना सम्भव नहीं था।

अब संसद के चालू सत्र में संशोधित विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

दिनांक 18 अगस्त, 2000 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4025 के भाग (ग) के उत्तर में निम्नलिखित कहा गया था:-

"नौवीं योजना अवधि में रिले ट्रान्समीटरों सहित 103 रेडियो स्टेशन तथा 259 नए टी०वी० ट्रान्समीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। ये परियोजनाएं 8वीं योजना की पिछड़ी हुई परियोजनाओं के अलावा थी।"

उत्तर के संशोधित भाग (ग) को अब इस तरह से पढ़ा जाय :-

"नौवीं योजना अवधि में रिले ट्रान्समीटरों सहित 18 नए रेडियो स्टेशन तथा 259 नए टी०वी० ट्रान्समीटर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। ये परियोजनाएं 8वीं योजना की पिछड़ी हुई परियोजनाओं के अलावा थी।"

इससे लोक सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय, सरदार बूटा सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

(व्यवधान)

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निर्यात और आयात नीति (1 अप्रैल, 1997–31 मार्च, 2002) जिसमें 31 मार्च, 2001 तक किये गये संशोधन शामिल हैं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3550/2001]

(2) प्रक्रियाओं की पुस्तिका (भाग 1) (1 अप्रैल, 1997–31 मार्च, 2002) (जिसमें 31 मार्च, 2001 तक किए गए संशोधन शामिल हैं) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3551/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियम 2001, जो 3 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 120 प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3552/2001]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन, नई दिल्ली का वर्ष 1999--2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महोलेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3553/2001]

(4) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कौंसिल एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज (खण्ड-एक और दो) के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कौंसिल एंड एक्सपोट इंस्पेक्शन एजेंसीज (खण्ड-एक और दो) के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3554/2001]

(6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3555/2001]

(दो) इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आरगेनाइजेशन और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3556/2001]

(तीन) पी० ई० सी० लिमिटेड और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के बीच वर्ष 2001-2002 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3557/2001]

णिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रमण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

1) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3558/2001]

(3) (एक) इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रबर मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3559/2001]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरीयल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(6) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 3560/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन० रामचन्द्रन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डाकघर सांवधि जमा (संशोधन) नियम, 2001, जो भारत के राजपत्र में 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 151(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2001, जो भारत के राजपत्र में 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 152(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाकघर (मासिक आय खाता) संशोधन नियम, 2001, जो भारत के राजपत्र में 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 2001, जो भारत के राजपत्र में 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 154(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 3561/2001]

(2) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) किसान विकास पत्र (संशोधन) नियम, 2001, जो भारत के राजपत्र में 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 155(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम) संशोधन नियम, 2001, जो भारत के राजपत्र में 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 156(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 3562/2001]

(3) डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के नियम 6 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का०आ० 190(अ) जो 1 मार्च, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा 1 जनवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का०आ० 191(अ) जो 1 मार्च, 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा योजनाओं के संबंध में ब्याज की कम की गई दर को अधिसूचित किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 3563/2001]

(4) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 192(अ) जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 को अथवा उसके पश्चात् निधि के लिए किये गए अभिदान पर लागू ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3564/2001]

(5) अधिसूचना संख्या फा०सं० 18-3/2000-एनएस० II, जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 1989 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3565/2001]

(6) अधिसूचना संख्या फा०सं० 18-3/2000-एनएस० II, जो 1 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु जमा योजना, 1991 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 3566/2001]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा०का०नि० सं० 219(अ), जो 28 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित हाईड्रोक्साइल एमीन सल्फेट पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख से अंतिम प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० सं० 220(अ), जो 28 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 29 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना

संख्या 125/2000-सीमा शुल्क का विखंडन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० सं० 230(अ), जो 30 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य तथा यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कोलाईन क्लोराइड पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० सं० 240(अ), जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मादक द्रवों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क दरों को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० सं० 251(अ), जो 9 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य तथा ताइवान में उद्भूत तथा वहां से निर्यातित एनालजीन पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० सं० 252(अ), जो 9 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार पोलैंड तथा यूरोपीय संघ की सीमा में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित हाई स्टीरीन बूटाडीन कोपोलीमर/हाई स्टीरीन रेसिन/रबर (एच०एस०आर०) पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० सं० 253(अ), जो 9 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित जिंक आक्साइड पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० सं० 254(अ), जो 9 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य तथा जापान में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित लेड एसिड बैटरिज पर प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा०का०नि० सं० 257(अ), जो 12 अप्रैल, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ताइवान, थाइलैंड, इण्डोनेशिया तथा मलेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित पोलीस्टर के पारशियली ओरिएंटेड यार्न (पी०ओ०वाई०) पर अनंतिम रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 3567/2001]

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० सं० 161(अ), जो 2 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 जुलाई, 1999 की अधिसूचना संख्या 32/99-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन किये गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 2001, जो 14 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 183(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा०का०नि० 191(अ), जो 16 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा दिनांक 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 8/2001-के०उ०शु० और 9/2001-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 211(अ), जो 26 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गुजरात राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में निजी भवनों—आवासीय अथवा गैर-आवासीय के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए आपूर्ति किए जाने वाले सीमेंट और इस्पात को उस पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णत: मुक्त रखना है।

(पांच) सा०का०नि० 238(अ), जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा उनमें उल्लिखित

तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 3568/2001]

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 223(अ), जो 29 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 23 जुलाई, 1996 को अधिसूचना संख्या 39/96-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 239(अ), जो 31 मार्च, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 1 मार्च, 2001 की तीन अधिसूचना संख्या 17/2001-सी०शु० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी० 3569/2001]

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवां, बारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ० रामलखन सिंह (भिण्ड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 12वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2001-2001) के बारे में 13वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02¼ बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 10वां प्रतिवेदन।

(2) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 11वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.2½ बजे

शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां, बाईसवां, तेईसवां, चौबीसवां और पच्चीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : महोदय, मैं शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (2001) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पेयजल पूर्ति विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 21वां प्रतिवेदन।

(2) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(3) शहरी विकास विभाग (शहरी विकास और गरीबी अपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(4) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग (शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय) की अनुदानों की मांगें (2001-2002) के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

(5) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.2¾ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

अठासीवां और नवासीवां प्रतिवेदन

अनुवाद]

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया (जूनागढ़) : महोदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 88वां प्रतिवेदन।

(2) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में 89वां प्रतिवेदन।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रमोद महाजन

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से, मैं, सोमवार, 23 अप्रैल, 2001 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, इसमें निम्नलिखित मद शामिल होंगे:-

1. आज की कार्यसूची से स्थगित सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मंत्रालय विभाग के अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान:-

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ii) विनिवेश विभाग

3. मंगलवार, 24 अप्रैल, 2001 को सायं 6 बजे बजट (सामान्य) 2001-2002 के संबंध में शेष अनुदानों की मांगें सभा के मतदान हेतु प्रस्तुत और संबंधित विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार और पारित करना।

4. वित्त विधेयक, 2001 पर विचार और पारित करना।

5. संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2000 विधेयक पर आगे विचार और उसे पारित करना।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय शामिल किये जायें:-

(1) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नक्सलवादी क्षेत्रों में हेलीकाप्टरों का उतरना संदेहास्पद है और यह किसी षड़यंत्र का हिस्सा है। अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गंभीर विषय पर श्वेत पत्र जारी करें।

(2) डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल ने भारतवर्ष का नक्शा गलत प्रकाशित करने का अपमानजनक कार्य किया है, जिसे उसने स्वीकार भी किया है। अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इन्टरनेशनल पर मुकद्मा चलाया जाये। केन्द्र सरकार ऐसी कार्यवाही सुनिश्चित करे एवं राष्ट्रीय सम्मान के प्रश्न की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

(1) भारत के सम्पूर्ण गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों को पुन: सर्वे कर उन्हें कार्ड वितरण किया जाए तथा उनके परिवार के एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार शासकीय एवं अर्द्धशासकीय नौकरी में लेने की गारंटी योजना लागू की जाए तथा प्रत्येक परिवार को उद्योग हेतु ऋण देने की गारंटी दी जाए।

(2) शिक्षित बेरोजगारों के सभी वर्ग जिनकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें 40 वर्ष तक शासकीय सेवा

एवं अर्द्धशासकीय सेवा में लेने की गारंटी एवं 4 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षितों को बैंकों से ऋण 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक योग्यतानुसार देने की योजना लागू की जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 'शून्य काल' आंरभ करती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, सतना जिला सूखा और पेयजल के संकट से सर्वाधिक प्रभावित है। वहां पीने के पानी का बहुत अभाव है।...*(व्यवधान)* मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि सतना जिले में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पेयजल की समुचित व्यवस्थ कराए।...*(व्यवधान)* सतना शहर में पेयजल का संकट अभूतपूर्व है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 3 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.06 बजे

(तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

(लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

कार्य मंत्रणा समिति

बीसवां प्रतिवेदन

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 10(क), श्री प्रमोद महाजन।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह (जालौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अपने देश की रक्षा करने में भी सफल रही है। अपने ही देश में जवान मारे जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया पीठासान के साथ सहयोग करें। हमें अभी रेल बजट पारित करना है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह: लगातार हम लोग यहां मामला उठा रहे हैं लेकिन सरकार का कोई रैस्पोंस नहीं आ रहा है। यह सरकार बहरी हो गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): आपको हमारी कठिनाइयां भी समझनी चाहिए।...*(व्यवधान)* आप हमें संरक्षण दें।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: हम इसपर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। क्या वे इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या सभा द्वारा बजट पारित करना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है?

(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया: विपक्ष और सरकारी पक्ष के बीच लेन-देन होना चाहिए। हमेशा ऐसा ही होता रहा है। सत्ता का निरकुंश उपयोग नहीं हो सकता है। लोकतंत्र वास्तव में एक भागीदारी है। यह देने-लेने की प्रकिया है। सत्ता का निरकुंश उपयोग नहीं हो सकता है। पहले के भी ऐसे पूर्वोदाहरण हैं जब संसद का सत्र न होते हुए भी संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। ऐसे पूर्वोदाहरण पहले हुए हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): हमें पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे तो कहां देंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपको क्या हो गया है? आप बैठिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, ऐसे पूर्वोदाहरण हैं जब सरकार के बहुमत अथवा अल्पमत में होने के बावजूद संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। वस्तुत: इसे इन संदर्भों में कभी-भी नहीं देखा गया है। इसे हमेशा अन्तर्निहित मुद्दे की गंभीरता के संदर्भ में देखा गया है।

लोकतंत्र में सत्ता के निरकुंश उपयोग की व्यवस्था नहीं है। यह लोकतंत्र के विपरीत है। सरकार के संसदीय रूप में सत्ता के निरंकुश उपयोग के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह राजनेता-सदृश व्यवहार करें। उसे अवसर के अनुकूल आचरण करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)* हम संयुक्त संसदीय समिति के लिए भी तैयार थे। परंतु आप इस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: हम विनम्रतापूर्वक अपील कर रहे हैं। हम वित्तीय मामलों पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं। हम रेल पर पूर्ण चर्चा चाहते हैं। हम संसदीय व्यवस्था की सरकार में विश्वास करते हैं। ...*(व्यवधान)* हम संसद में चर्चा करना चाहते हैं। महोदय, संसदीय व्यवस्था की सरकार अनिवार्यत: लेन-देन पर निर्भर है।...*(व्यवधान)* यह सरकार पर निर्भर है कि वह संसद चलाए और हम सहयोग करना चाहते हैं। परंतु यह लेन-देन की भावना के अनुरूप होना चाहिए।...*(व्यवधान)* परंतु सत्ता का निरकुंश उपयोग नहीं हो सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं विपक्ष की चिंता समझता हूं कि रेल बजट और आम बजट पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि सदन को चलाने के लिए सतारूढ़ दल और विपक्ष के बीच साझेदारी होती है। इसलिए विपक्ष के माननीय सदस्यगणों से मेरा अनुरोध है कि लेन-देन का अर्थ यह नहीं है कि या तो सरकार संयुक्त संसदीय समिति के लिए राजी हो अन्यथा हम सदन नहीं चलने देंगे। यह लेन-देन नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : महोदय, उनका प्रस्ताव है कि समिति का गठन किया जाए...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, इसके विपरीत, इसका मतलब यह है कि या तो मेरी मांग मानी जाए अन्यथा मैं सदन उपयुक्त तरीके से चलने नहीं दूंगा।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं समझता हूं कि यह लेन-देन नहीं है। बल्कि यह केवल 'लेना ही लेना है' तथा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है।....*(व्यवधान)* विपक्ष के माननीय सदस्यगणों से मेरा अनुरोध है कि 25 अप्रैल के पहले बजट कार्य समाप्त करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। चूंकि सत्र 11 मई तक चलेगा, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति के ऊपर हमारा विवाद 25 अप्रैल के बाद भी सुलझाया जा सकता है। वे इन चार दिनों का समय दे सकते हैं क्योंकि रेल बजट एक प्रमुख बजट है जिसकी चर्चा में हर सदस्य भाग लेना चाहता है।

महोदय, आपको याद होगा जब कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसएलवी पर एक वक्तव्य दिया तो विपक्ष के माननीय नेता ने भी एक छोटा सा भाषण दिया था। इस प्रकार उन 10 मिनटों तक हमने कोई समस्या उत्पन्न नहीं की क्योंकि यह एक अनूठी उपलब्धि थी। इसी प्रकार बजट का भी विशिष्ट महत्व है जिसे हम लोगों को पारित करना है। यदि विपक्ष चर्चा शुरू करने की तुरंत अनुमति दे ताकि हम रात भर बैठकर रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। यहां उपस्थित हर सदस्य को प्रसन्नता होगी। यही स्थिति ग्रामीण विकास मंत्रालय, विनिवेश विभाग और वित्त विधेयक, 2001 के बारे में है।

महोदय, मेरा अनुरोध है कि हम इस पर बाद में चर्चा करें कि संयुक्त संसदीय समिति के बारे में क्या किया जा सकता है। परंतु हमें 25 अप्रैल तक अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। यदि वे यही आंदोलन जारी रखना चाहते हैं तो वे इसे 26 अप्रैल से 11 मई तक जारी रख सकते हैं। इस प्रकार उसके लिए पर्याप्त समय है। इसलिए वे आज समस्या न उत्पन्न करें तथा सदन के कार्य में विघ्न न डालें।

श्री माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, जहां तक चर्चा का संबंध है, मैं संसदीय कार्य मंत्री से सहमत हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजनेता की तरह बर्ताव करें, अवसर के अनुकूल आचरण करें, संयुक्त संसदीय समिति के लिए सहमत हों तथा हमें रेल बजट पर चर्चा करने दें। वे हमें रेल बजट पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* वे यह हमारे ऊपर क्यों डालते हैं? महोदय, मैं किसी बात को उद्धृत नहीं करना चाहता परंतु संयुक्त संसदीय समिति के संबंध में सूचनाएं भी मिली हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं राजनेतृत्व के सम्मान में भागीदारी के लिए तैयार हूं। इसीलिए मैंने कहा कि ये चार दिन सदन चलने दिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : संयुक्त संसदीय समिति के बारे में सूचना भी मिली है। कुछ मंचों पर सरकार के प्रतिनिधियों ने यह भी कहा है कि इस पर चर्चा हो अथवा चर्चा नहीं हो, लेकिन हमारा मस्तिष्क संयुक्त संसदीय समिति पर बंद है तथा संयुक्त संसदीय समिति का सवाल ही नहीं उठता चाहे चर्चा हो अथवा नहीं हो। ऐसी रिपोर्टें मिली हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजनेता जैसा रवैया अपनाएं तथा संयुक्त संसदीय समिति पर हमारी मांग को

स्वीकार कर रेल बजट पर चर्चा करने हेतु हम सभी को मौका दें।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : सरकार सभा के प्रति उत्तरदायी है। सभा सर्वोच्च है। केवल सभा ही इस मामले में निर्णय सुना सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: ऐसे भी मौके आए हैं जब हम सरकार में थे, सरकार अल्पमत में थी लेकिन तब भी अविश्वास-प्रस्ताव स्वीकार किया गया। यह वाद-विवाद की संसदीय व्यवस्था है। सरकार इस अवसर के अनुकूल कार्य करे। यह मेरी अपील है। वे अपनी जिम्मेदारी समझें। सदन चलाना मुख्यत: उनकी जिम्मेदारी है तथा हम उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : रेल बजट पारित करना भी कार्य का एक महत्वपूर्ण मद है। मैं दोनों ही पक्षों से अपील करता हूं कि वे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

इसलिए, माननीय सदस्यगण, मैं अब रेल बजट शुरू कर रहा हूं।

श्री माधवराव सिंधिया: जी, नहीं। यह उपयुक्त नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं अब रेल बजट शुरू करता हूं क्योंकि सदन एकमत नहीं है।

अपराह्न 3.11 बजे

रेल बजट, 2001-2002*—अनुदानों की मांगें

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, बजट (रेल) वर्ष 2001-2002 से संबंधित अनुदानों की मांगों में कटौती संबंधी अनेक प्रस्ताव परिचालित कर दिए गए हैं।

सभा के वर्तमान माहौल में यह संभव नहीं लगता कि अनुदानों की मांगों पर बहस की जाए या कटौती प्रस्ताव लाया जाए। अत: मैं बजट (रेल) 2001-2002 संबंधी अनुदानों की मांगों को सीधे सभा में मतदान के लिए लाने को बाध्य हूं।

अब मैं 2001-2002 के लिए अनुदानों की मांगें (रेल) मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा द्वारा वर्ष 2001-2002 के लिए स्वीकृत के लिए अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	20.3.2001 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3	4
1	रेलवे बोर्ड	10,71,36,000	53,56,79,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	31,52,14,000	157,60,71,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	253,13,25,000	1265,66,25,000
4	रेलपथ और निर्माण-कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	497,20,89,000	2486,04,43,000
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	286,02,99,000	1430,14,92,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	551,82,92,000	2759,14,62,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	276,76,39,000	1383,81,95,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	4
8	परिचालन व्यय-चल स्टाक और उपस्कर	459,76,06,000	2298,80,31,000
9	परिचालन व्यय-यातायात	2097,23,97,000	4430,19,85,000
10	परिचालन व्यय-ईंधन	1235,84,68,000	6179,23,27,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	206,42,86,000	1032,14,31,000
12	विविध संचालन व्यय	243,03,72,000	1215,18,62,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	970,27,04,000	4851,35,21,000
14	निधियों में विनियोग	1555,86,61,000	7779,33,06,000
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	3,85,33,000	1348,14,67,000
16	परिसंपत्तियां खरीद, निर्माण और बदलाव		
	राजस्व	5,83,33,000	29,16,67,000
	अन्य व्यय		
	पूंजी	2382,24,33,000	11911,21,66,000
	रेलवे निधियां	730,66,67,000	3653,33,33,000
	जोड़	11798,24,54,000	54264,10,73,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अपराह्न 3.13 बजे

(इस समय सरदार बूटा सिंह, श्री सुनील खां और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

अपराह्न 3.13½ बजे

विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2001*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति लें।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 20.4.2001 में प्रकाशित।

कृषि मंत्री तथा रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नीतीश कुमार: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.14 बजे

(इस समय श्री सुनील खां और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

श्री नीतीश कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2001-2002 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री नीतीश कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा सोमवार, 23 अप्रैल, 2001 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 अप्रैल, 2001/ 3 वैशाख, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
शुक्रवार,20 अप्रैल,2001/30चैत्र ,1923 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
44	17	डा.रमश चंद तोमर	डा.रमेश चंद तोमर
82	9	(ख) से (ग)	(ख) और (ग)
110	18	श्री नेरश पुगलिया	श्री नरेश पुगलिया
302	33	(च)	(छ)

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।